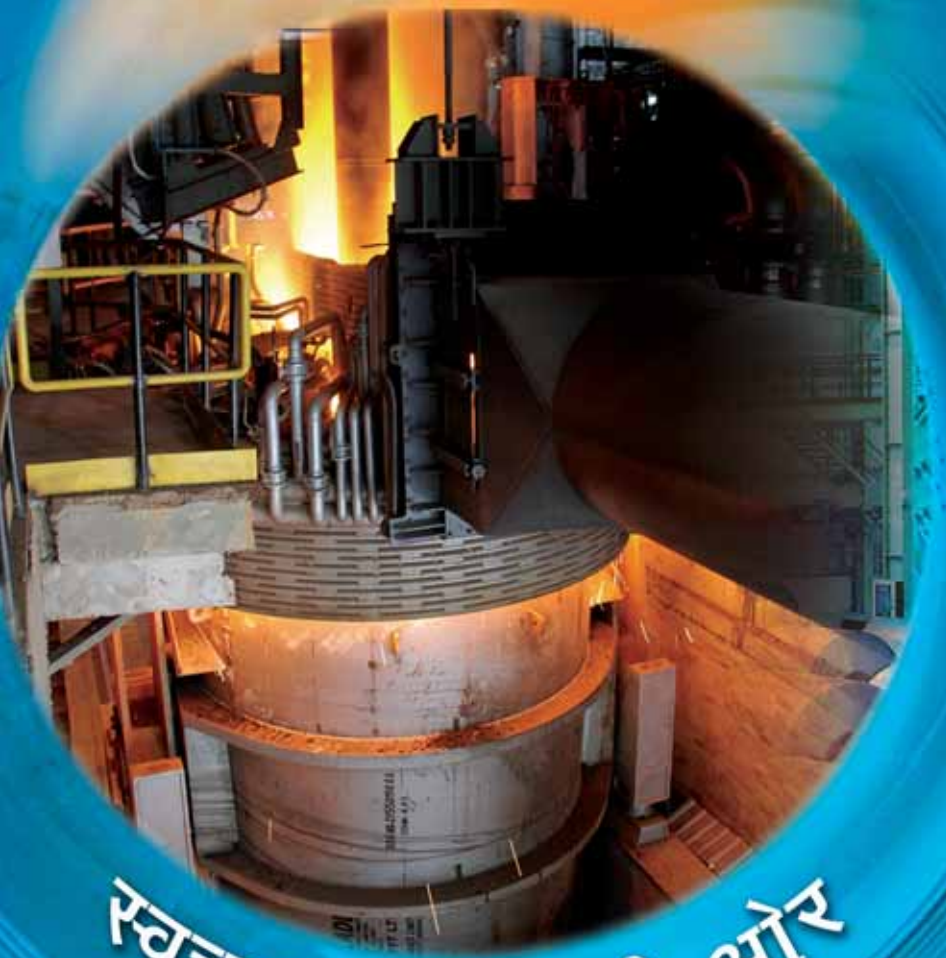

स्वच्छ इस्पात की ओर

35वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

2016-17

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सी आई एनः U27109AP1982GOI003404

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश

चौधरी बीरेंदर सिंह
माननीय इस्पात मंत्री, भारत सरकार

श्री विष्णु देव साय
माननीय इस्पात राज्य मंत्री, भारत सरकार

डॉ अरुणा शर्मा
सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

निदेशक मंडल

श्री पो मधुसूदन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री सरस्वती प्रसाद, आई ए एस
अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार,
इस्पात मंत्रालय और निदेशक

श्रीमती उर्विला खाती
संयुक्त सचिव (इस्पात),
इस्पात मंत्रालय और निदेशक

श्री पी सी महापात्रा
निदेशक (परियोजना)

श्री पी रायचौधरी
निदेशक (वाणिज्य)

श्री किशोर चंद्र दास
निदेशक (कार्मिक)

श्री वी वी वेणुगोपाल राव
निदेशक (वित्त)

श्री एस के श्रीवास्तव
आई ए एस (सेवानिवृत्त)
स्वतंत्र निदेशक

श्री एस के मिश्रा
आई आर एस (सेवानिवृत्त)
स्वतंत्र निदेशक

श्री के एम पद्मनाभन,
एफ सी ए
स्वतंत्र निदेशक

श्री सुनील गुप्ता
एफ सी ए
स्वतंत्र निदेशक

श्री अश्विनी मेहरा
स्वतंत्र निदेशक

श्री दीपक आचार्य
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल (25-09-2017 तक)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री पो मधुसूदन

कार्यकारी निदेशक

निदेशक (परियोजना)
श्री पी सी महापात्रा

निदेशक (वाणिज्य)
श्री पी रायचौधरी

निदेशक (कार्मिक)
श्री के सी दास
(01.01.2017 से)

निदेशक (वित्त)
श्री वी वी वेणुगोपाल राव
(06.07.2017 से)

सरकारी निदेशक

श्री सरस्वती प्रसाद
अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय
(08.02.2017 से)

श्रीमती उर्विला खाती
संयुक्त सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री एस के श्रीवास्तव
श्री के एम पद्मनाभन
श्री सुनील गुप्ता
श्री एस के मिश्रा
श्री अश्वनी मेहरा
(06.09.2017 से)

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

श्री दीपक आचार्य

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार, विशाखपट्टणम

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स एस के जी एंड कंपनी
लागत लेखाकार, नई दिल्ली

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स
पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली

रजिस्ट्रार और शेयर स्थानांतरण अभिकर्ता

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट नं.17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर
हैदराबाद - 500 081, तेलंगाना राज्य, भारत

सहायक कंपनियाँ

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)
दि ओदीशा खदान विकास कंपनी लिमिटेड (ओ एम डी सी)
विस्रा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (वी एस एल सी)

संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड
इंटरनेशनल कोयला उद्यम प्राइवेट लिमिटेड
आर आई एन एल पॉवरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

प्रशासनिक भवन,
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल),
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी), विशाखपट्टणम 530 031
टेली: (0891) 251 8015/251 8249; फैक्स:(0891)251 8249
ई-मेल: csrinl@vizagsteel.com, वेबसाइट: www.vizagsteel.com

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
बडौदा बैंक
केनरा बैंक
इलाहाबाद बैंक
आई डी बी आई बैंक
यूको बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
इंडसइंड बैंक
एच डी एफ सी बैंक
डच बैंक
बैंक ऑफ टोक्यो-मितसुबिशी (यू एफ जे)
आई सी आई सी आई बैंक
आंध्रा बैंक
विजया बैंक
कोटक महींद्रा बैंक
युनाइटेड ओवरसीस बैंक
एस बैंक
एक्जिम बैंक

विषय सूची

अध्यक्ष महोदय का संबोधन	1
प्रारंभ से वित्तीय परिणामों की झांकी	3
वित्तीय विशेषताएँ (वित्त वर्ष 2016-17)	7
निदेशकों का प्रतिवेदन	8
प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण प्रतिवेदन (अनुलग्नक-1)	24
निगमित अभिशासन प्रतिवेदन (अनुलग्नक-2)	30
सी ई ओ व सी एफ ओ प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-3)	41
निगमित अभिशासन प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-4)	42
निगमित सामाजिक दायित्व पर वार्षिक प्रतिवेदन (अनुलग्नक-5)	43
वार्षिक रिटर्न का सारांश (एम जी टी-9) (अनुलग्नक-6)	48
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुसंधान व विकास विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय (अनुलग्नक-7)	57
सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुलग्नक-8)	61
लेखापरीक्षित लेखा विवरण	
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण	
लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन (अनुलग्नक-9)	64
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का 'शून्य' टिप्पणी प्रतिवेदन (अनुलग्नक-10)	71
तुलन पत्र	75
लाभ व हानि का विवरण	76
ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण	77
नकद प्रवाह विवरण	78
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण संबंधी नोट्स	79
समेकित वित्तीय विवरण (सी एफ एस)	
सहायक व संयुक्त उद्यम संबंधी नोट्स	122
सहायक व संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण (प्रपत्र ए.ओ.सी.-1)	124
लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन (अनुलग्नक-11)	125
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का 'शून्य' टिप्पणी प्रतिवेदन (अनुलग्नक-12)	138
समेकित तुलन पत्र	140
लाभ व हानि का समेकित विवरण	141
ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण	142
समेकित नकद प्रवाह विवरण	143
समेकित वित्तीय विवरण संबंधी नोट्स	144
सूचना	197

अध्यक्ष महोदय का संबोधन

प्रिय अंशधारकों

मैं आपकी कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड/विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र एवं मंडल की ओर से हर्ष के साथ आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को इस बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ और आपसे प्राप्त हो रहे निरंतर सहयोग व साथ देने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अपने विचारों और आपकी कंपनी द्वारा हासिल उपलब्धियों को आपके समक्ष रखना वास्तव में एक सम्मान और सौभाग्य है। निदेशकों के प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षित खाते के विवरण और शेयर होल्डरों को दी गई सूचनाएँ प्रचालित की जा चुकी हैं। आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा हुआ मान लेता हूँ।

बाहरी परिदृश्य

विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यू एस ए) के अनुसार, वर्ष 2016 के दौरान विश्व में आभासी इस्पात की खपत, वर्ष 2015 में 3% की गिरावट के बाद 1% तक बढ़ी है। भारत में, पिछले वर्ष इस्पात की खपत में 5.9% की वृद्धि की जगह इस वर्ष 2.6% की आंशिक वृद्धि हुई। दूसरी ओर, बिक्री हेतु मुख्य उत्पादकों के उत्पादन में 28.4% और कुल मिलाकर 10.7% की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों पर नितंतर दबाव बना रहा।

हालाँकि, भारत सरकार के विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण पिछले वर्ष के स्तर से कीमतों में आंशिक सुधार हुआ, लेकिन लंबे उत्पादों जिसका कंपनी में उत्पादन होता है, उसमें सुधार कम हुआ।

आपकी कंपनी का निष्पादन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने तीन में से एक धमनभट्ठी के भारी मरम्मत में रहने के बावजूद तप्तधातु, कच्चे इस्पात बिक्रीयोग्य इस्पात और परिसज्जित इस्पात जैसे उत्पादन के सभी प्रमुख क्षेत्रों में क्रमश: 11%, 9%, 10%, एवं 17% वृद्धि दर्ज की है। मूल्यवर्धित इस्पात का उत्पादन 18% बढ़ा और धमनभट्ठी-3, इस्पात गलन शाला-2 एवं वायर रॉड मिल-2 की नई इकाइयों से उत्पादन में क्रमश: 34%, 31% एवं 43% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई।

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मात्रात्मक रूप से 4% की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल 12,706 करोड़ रुपयों (रु. 388.99 करोड़ ट्रायल रन के उत्पादों को शामिल करते हुए) का बिक्री कारोबार किया है। कंपनी की निवल बिक्री आमद (एन एस आर) 5%तक सीमित रही।

आगे, आयातित कोकिंग कोयले की कीमतों में 200% से अधिक की वृद्धि हुई, जो कीमतें जून' 16 में यू एस डालर 90/टन के आसपास थीं वे ही नवंबर' 16 में बढ़कर यू एस डालर 300/टन हो गईं। हालाँकि मात्रा में बढ़ोत्तरी एवं लागत में कटौती करके सकल मार्जिन की हानि को पिछले वर्ष के 659.46 करोड़ रुपए से घटाकर 263.89 करोड़ रुपए तक लाया जा सका। आपकी कंपनी को पिछले वर्ष 1603.72 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 1263.16 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई है।

स्थायित्व के प्रयास

इस्पात उद्योग में भारी गिरावट के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु कंपनी में लागत नियंत्रण के आंतरिक घटकों को तलाशने का प्रयास हुए और लागत को तर्कसंगत बनाने के लिए कच्चेमाल, हरित ऊर्जा उत्पादन एवं प्रचालन दक्षता में सुधार आदि के क्षेत्रों में लागत नियंत्रण के अतिरिक्त उपाय किए गए।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर)

आपके कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियाँ, निगमित सामाजिक दायित्व के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा लागू किए गए दिशानिर्देशों जैसे कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के सिद्धांतों को पूरा करती है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियाँ टाउनशिप, पुनर्वास कॉलोनियों, खदानों के आसपास और देश के दूर-दराज क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराने, ग्रामीण विकास, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, जीवनयापन के उपायों, ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास मूलसंरचनाओं का विकास करने तथा पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में चलाई जाती हैं।

निदेशकों के प्रतिवेदन में निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों से संबंधित अंश को अलग से प्रस्तुत किया गया है।

निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन के संदर्भ में आपकी कंपनी के सिद्धांत में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, प्रकटीकरण व रिपोर्टिंग करने की विधि, निबंधनों, दिशानिर्देशों आदि को सुनिश्चित करना और पूरे संगठन में नैतिकतापूर्ण आचरण को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निगमित अभिशासन संबंधी प्रतिवेदन निगमित अभिशासन के अनुपालन प्रमाणपत्र एवं सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से निदेशकों के प्रतिवेदन के अंश हैं।

पर्यावरण प्रबंधन

कंपनी के सभी 47 विभागों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) आई

एस ओ 14001 लागू किया गया है और भारी मात्रा में पौधरोपण किया गया है तथा अभी तक 2720 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 51.26 लाख पौधे लगाए गए हैं।

संयंत्र के निर्माण तथा विस्तारण एवं आधुनिकीकरण के समय में भी व्यापक रूप से पर्यावरण सुविधाओं की योजना बनाई गई और उनका कार्यान्वयन किया गया। धूलकणों के उत्सर्जन को रोकने एवं व्यर्थ जल एवं बहिस्राव के उपचार हेतु संयंत्र में व्यापक रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपस्कर लगाए गए हैं और आधुनिकीकरण के दौरान उनमें और भी सुधार किया गया है। विस्तारण में, वायु प्रदूषण, जल प्रणाली, ऊर्जा दक्षता एवं व्यर्थ प्रबंधन में सुधार हेतु अनेक नई सुविधाओं को जोड़ा गया है। पर्यावरण प्रबंधन के संदर्भ में निदेशकों के प्रतिवेदन में अलग से अंश दिया गया है।

आगे, आपकी कंपनी ने दिनाँक 20.12.2016 को 5 मेगावट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रवर्तन किया है। सौर ऊर्जा संयंत्र से आपकी कंपनी को वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत मिलेगा साथ ही इससे हमारे हरित पहल और स्वच्छ ऊर्जा हेतु प्रतिबद्धता को हासिल करने में सहायता मिलेगी।

वर्ष 2016-17 हेतु लाभांश

कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, कंपनी इस वित्त वर्ष में कोई लाभांश घोषित करने की स्थिति में नहीं है।

राजकोष में अंशदान

कंपनी ने विभिन्न सरकारी अभिकरणों के मार्फत कर और शुल्क के रूप में पिछले वर्ष 1954 करोड़ रुपयों की जगह इस वर्ष 1501.43 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान किया है।

भावी परिदृश्य

विश्व इस्पात संघ के, अप्रैल 2017 के अल्पकालिक आकलन (एस आर ओ) के मुताबिक वर्ष 2017 व 2018 के दौरान चीन को छोड़कर विकसित तथा उभरती व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास की गति बरकरार रहेगी। अनुमान है कि चीन जो वैश्विक इस्पात की मांग में 45% का भागीदार है, वह विकास के मामले में और भी पिछड़ेगा। इससे इस्पात की वैश्विक विकास दर क्रमश: 2017 और 2018 में 1.3% एवं 0.9% तक सीमित हो जाएगी। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बना रहेगा और इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला एकमात्र ऐसा देश होगा जो स्थाई विकास दर्ज करेगा।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें घरेलू खपत और उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादन को बढ़ाने तथा इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर बल दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करने तथा वर्ष 2030 प्रति व्यक्ति इस्पात खपत के वर्तमान लगभग 62 किलोग्राम स्तर को बढ़ाकर 160 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति तक करना है।

भारत के अपने मजबूत सुधार कार्यक्रमों, स्थिर सरकार तथा वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में मूलसंरचनाओं पर दिए गए जोर से वर्ष 2017-18 के बाद वाले महीनों तथा 2018-19 के दौरान मांग में सुधार होने की उम्मीद जगी है, जो एक शुभ संकेत है और आगे इससे इस्पात क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास परिलक्षित होगा।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने विकास की संभावनाओं के मद्देनजर अपनी नई इकाईयों से उत्पादित मात्रा से लाभ उठाना आरंभ कर दिया है। कंपनी अपने प्रचालन दक्षताओं जैसे श्रम उत्पादकता, कोक दर, पी सी आई दर, विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत पर निरंतर ध्यान केंद्रित की हुई है और विस्तारण इकाइयों से उत्पादन की मात्रा बढ़ने एवं आधुनिकीकृत इकाइयों के स्थिरीकरण से इसमें और इजाफा होने की आशा है। उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यवर्धित इस्पात के साथ-साथ इन प्रचालन दक्षताओं से समग्र रूप से कंपनी के निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार आएंगे। इन गतिविधियों के साथ-साथ अन्य अनुसरित कार्यनीतिगत गतिविधियाँ आगे आने वाले वर्षों में कंपनी को बेहतर स्थिति में पहुँचाएंगी।

आभार

अंतत:, निदेशक मंडल की ओर से मैं स्वीकार करता हूँ कि इस वर्ष की उपलब्धियाँ कंपनी के मानव संसाधन के अनवरत और समर्पित प्रयासों के परिणामस्वरूप संभव हो पाई हैं। मैं, सभी अंशधारकों विशेष रूप से भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, आंध्र प्रदेश सरकार, आपूर्तिकारों (घरेलू व विदेशी), ग्राहकों, अनुषंगी इकाईयों, बैंकरों, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और अन्य सभी अभिकरणों द्वारा कंपनी के प्रति विश्वास व भरोसा रखने तथा इसे सतत विकास करने एवं विभिन्न कीर्तिमानों को हासिल करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में भी सतत सहयोग की आशा रखता हूँ।

धन्यवाद,

जयहिंद,

(पो मधुसूदन)

अध्यक्ष

दिनांक: 27 सितंबर, 2017

विशाखपट्टणम

स्थापना के समय से अब तक वित्तीय परिणामों की झाँकी

₹ करोड़ संख्या

वर्ष	कारोबार	अन्य राजस्व	सकल आय	कच्चे माल की खपत	भंडार में (वृद्धि)/कमी	कर्मचारी लाभ	मूल्यह्रास व परिशोधन	ब्याज व संपत्ति कर	भंडार, आर व एम, विद्युत व अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/(हानि)	कर पश्चात लाभ/(हानि)	पूँजी	आरक्षित निधि व अधिशेष	ऋण/केता साख	अचल परिसंपत्तियाँ सकल ब्लॉक	कुल मूल्यह्रास	अचल परिसंपत्तियाँ निवल ब्लॉक	31 मार्च तक कर्मचारी
90-91	243	36	279	175	(27)	29	197	192	191	(480)	(480)	3506	(480)	3924	3720	248	3472	14433
91-92	772	22	794	402	(70)	54	449	437	509	(988)	(988)	3506	(1468)	5476	5031	704	4327	16656
92-93	1185	148	1333	680	(152)	77	340	198	758	(567)	(567)	3706	(2035)	3495	6157	1026	5131	17454
93-94	1751	156	1907	875	160	103	340	347	655	(573)	(573)	6494	(2608)	3474	7326	1365	5961	17483
94-95	2209	50	2259	1059	(200)	128	415	366	855	(364)	(364)	6494	(2972)	3735	8289	1747	6542	17369
95-96	3040	116	3156	1311	(50)	155	430	407	1107	(202)	(202)	6494	(3174)	3831	8392	2177	6215	17642
96-97	3135	78	3213	1385	(115)	174	422	430	1163	(247)	(247)	6494	(3421)	3735	8548	2819	5729	17478
97-98	3071	97	3168	1405	(118)	210	439	198	1211	(177)	(177)	6494	(3598)	2205	8592	3037	5555	17354
98-99	2762	197	2959	1220	318	255	111	361	1151	(456)	(456)	6494	(4054)	2243	8615	3148	5467	17400
99-00	2972	154	3126	1394	(95)	272	432	382	1303	(563)	(563)	7827	(4617)	2343	8635	3580	5055	17254
00-01	3437	181	3618	1444	(103)	408	445	351	1364	(289)	(289)	7827	(4906)	2293	8643	4012	4630	17131
01-02	4081	153	4234	1602	62	375	475	291	1504	(75)	(75)	7827	(4981)	1989	8703	4468	4235	17026
02-03	5059	231	5290	1806	281	406	455	186	1635	522	522	7827	(4459)	1186	8731	4903	3828	16894
03-04	6168	209	6377	2050	26	481	476	49	1748	1546	1546	7827	(2913)	37	8710	5338	3372	16755
04-05	8182	286	8468	3020	(310)	490	1006	11	1997	2254	2008	7827	(905)	531	8763	6322	2441	16613
05-06	8491	447	8938	3585	66	572	448	31	2346	1890	1252	7827	347	458	8832	6754	2078	16574
06-07	9151	661	9812	3889	24	741	362	49	2525	2222	1363	7827	1711	917	8876	7085	1790	16401
07-08	10433	904	11337	4280	(343)	1031	488	32	2854	2995	1943	7827	3654	441	8901	7516	1385	16416
08-09	10410	924	11333	5896	(917)	1157	240	88	2842	2026	1335	7827	4593	1008	9006	7750	1256	17225
09-10	10634	758	11392	5535	415	1400	277	78	2439	1248	797	7827	5058	1233	9474	8009	1465	17830
10-11	11517	526	12043	7188	(532)	1273	266	165	2701	982	658	7827	5402	1137	9795	8265	1530	17829
11-12	14461	437	14898	8472	45	1467	345	191	3268	1109	751	7727	5932	2575	10394	8607	1787	18079
12-13	13553 *	558	14021	8099	(304)	1469	187	360	3684	526	353	6347	6131	4900	12588	8799	3790	18072
13-14	13488 *	374	13737	6967	7	1751	271	338	3854	548	366	5740	6401	4943	13616	9083	4533	18371
14-15	11676 *	288	10689	5128	(820)	1918	271	435	3654	104	62	5190	6404	7511	14608	9251	5357	18137
15-16	12271 *	453	10512	4142	1150	1882	366	677	3998	(1702)	(1604)	4890	4979	10391	21273	9318	11955	17873
16-17	12706 *	362	12679	6945	(398)	2164	659	768	4231	(1690)	(1263)	4890	3680	14206	22935	10007	12928	17838

* वर्ष-**2012-13** के **89.83** करोड़, **2013-14** के **125.29** करोड़, **2014-15** के **1274.51** करोड़, **2015-16** के **2211.24** करोड़ और **2016-17** के **388.99** करोड़ रुपए का ट्रॉयल रन उत्पादन शामिल है।

नोट : राशि वित्तीय वर्ष **14-15** तक आई जी ए ए पी और वित्तीय वर्ष **15-16** से आई एन डी ए एस के अनुसार है।

सकल आय का ट्रेंड

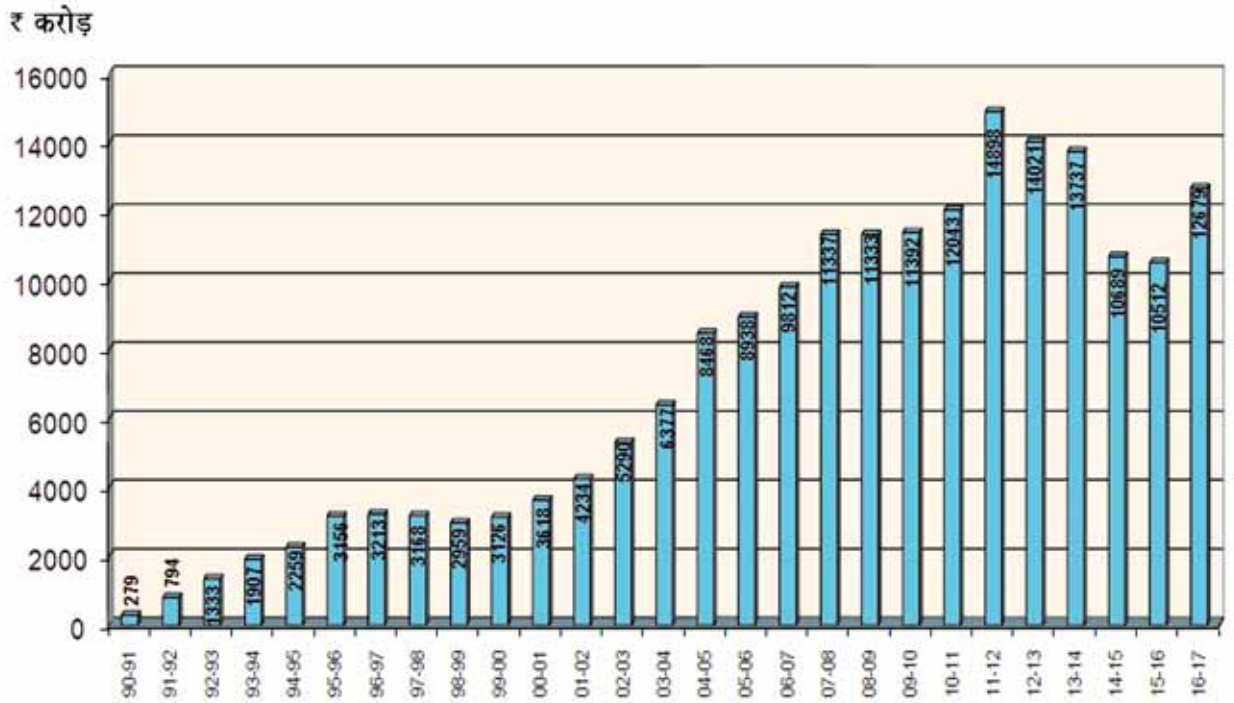

नोट : वित्तीय वर्ष **14-15** तक आंकड़े आई जी ए ए पी के अनुसार हैं और वित्तीय वर्ष **15-16** से भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार हैं।

निवल मूल्य का ट्रेंड

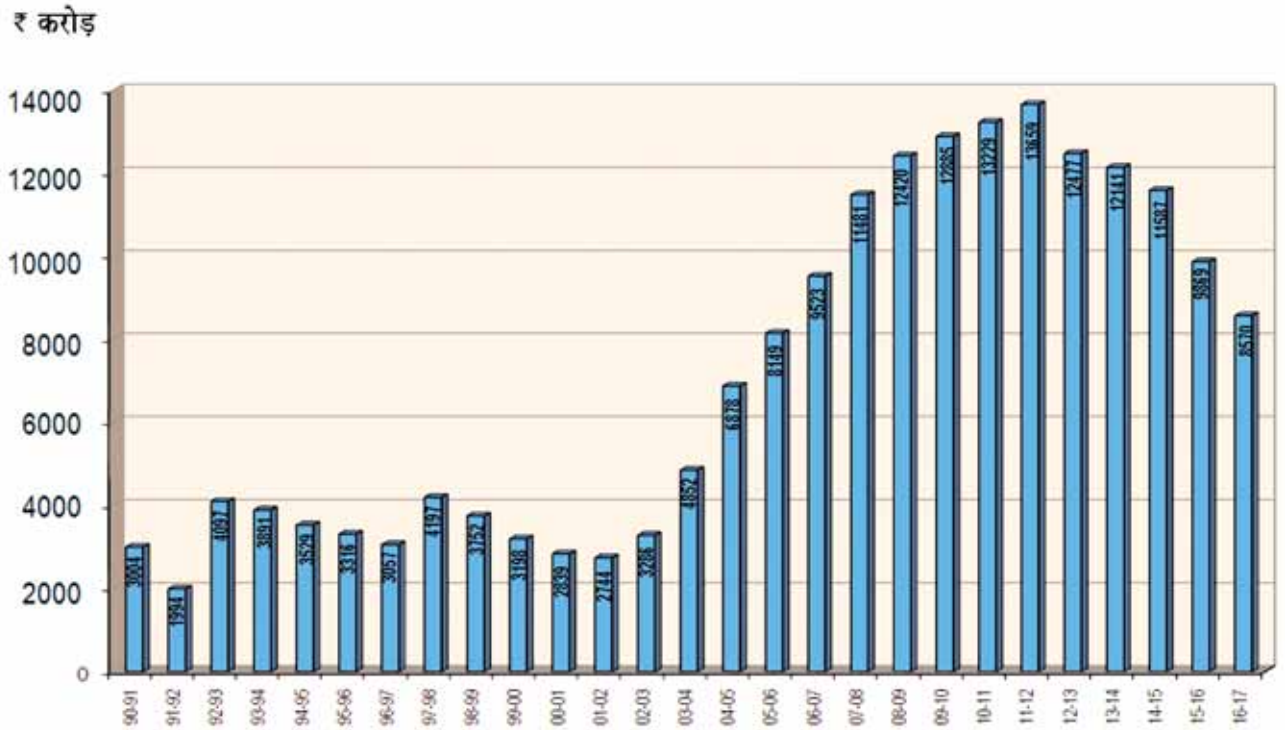

नोट : वित्तीय वर्ष **14-15** तक आंकड़े आई जी ए ए पी के अनुसार हैं और वित्तीय वर्ष **15-16** से भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार हैं।

सकल आय का विवरण : 2016-17

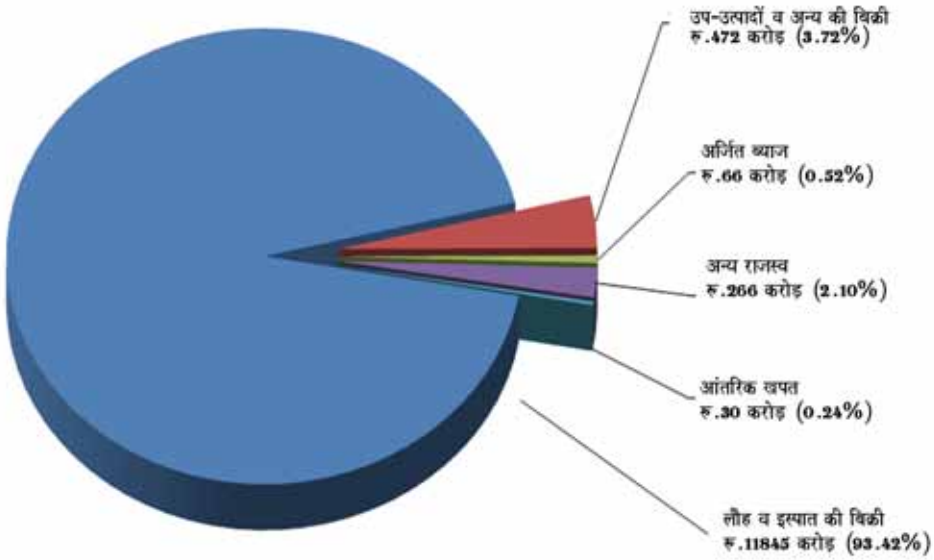

सकल आय का वितरण : 2016-17

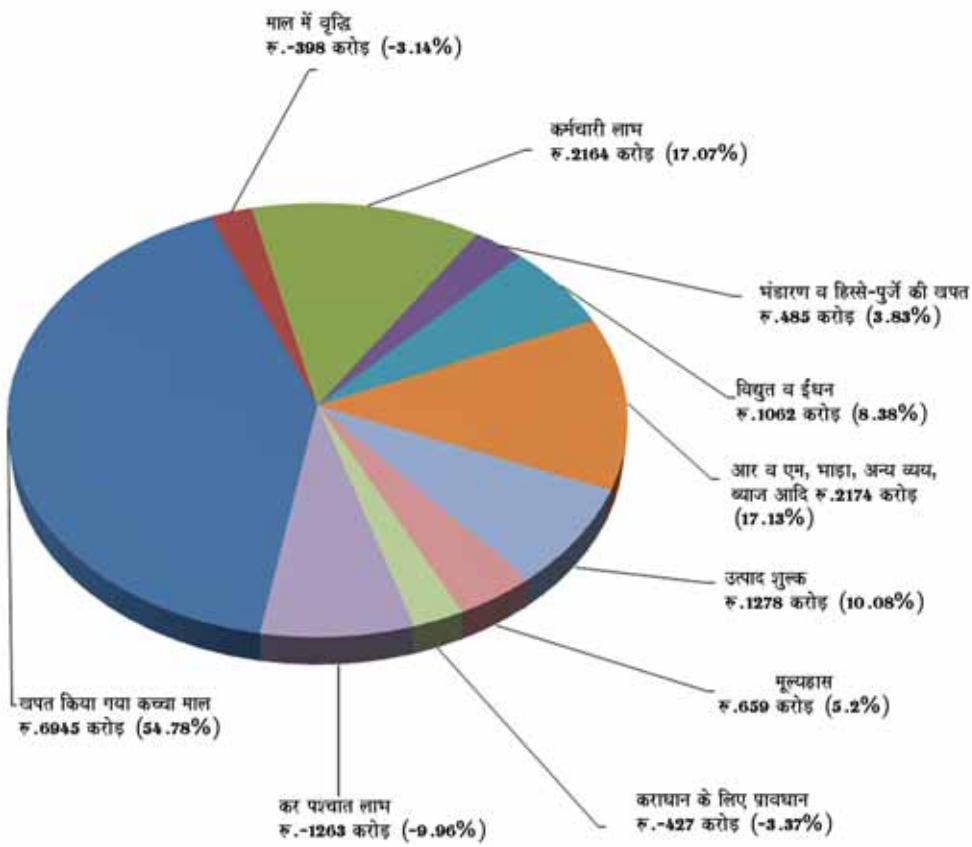

सकल ब्लॉक व निवल ब्लॉक

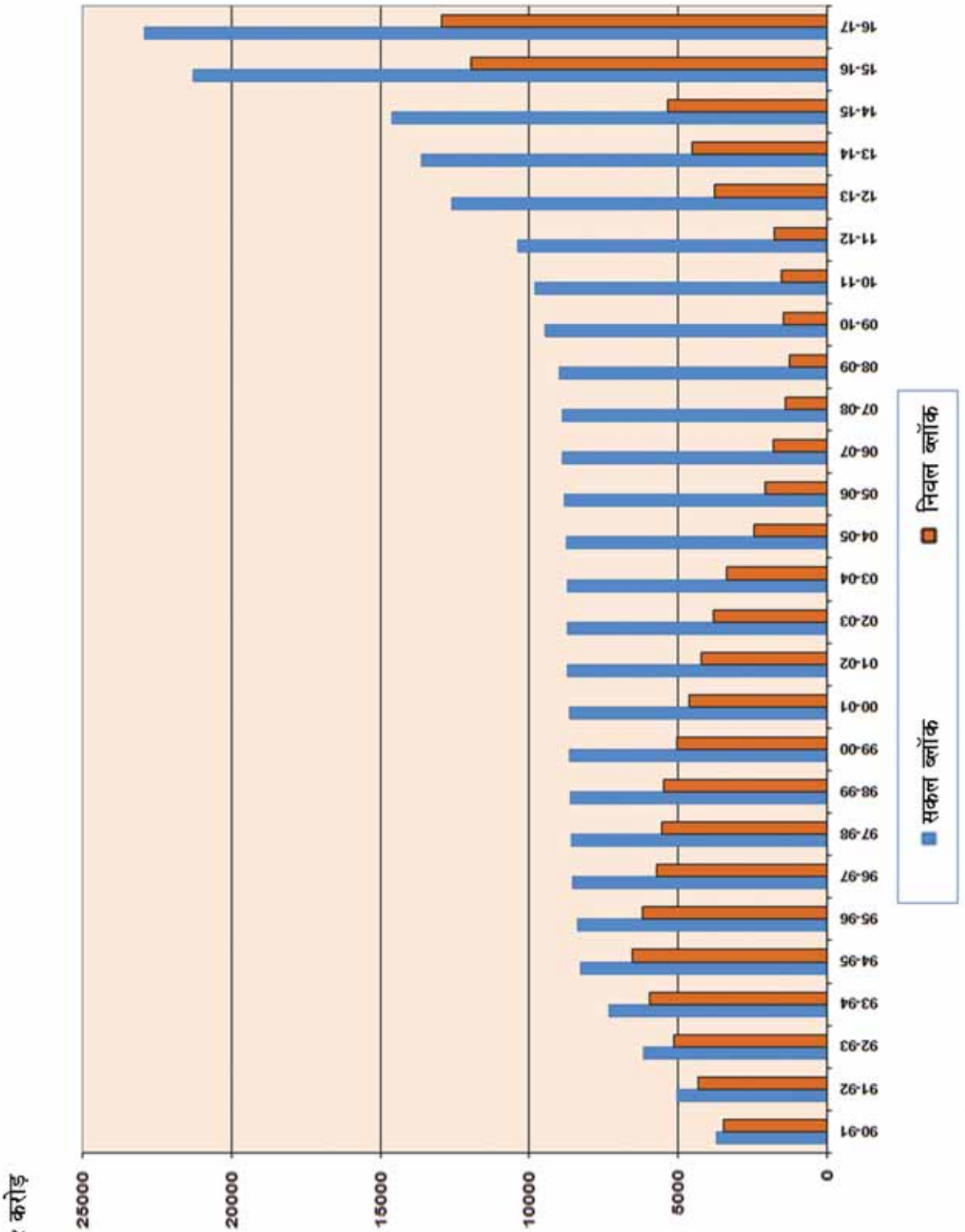

नोट : वित्तीय वर्ष 14-15 तक आंकड़े आई जी ए ए पी के अनुसार हैं और वित्तीय वर्ष 15-16 से भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार हैं।

वित्तीय विशेषताएँ

		2016-17	2015-16
ए	**प्रचालन परिणाम (₹ करोड़)**		
	कारोबार	12706	12271
	कारोबार (ट्रायल रन को छोड़कर)	12317	10059
	सकल आय	12679	10512
	सकल व्यय	13602	11537
	सकल लाभ (पी बी आई टी)	(923)	(1025)
	कर पूर्व लाभ	(1690)	(1702)
	कर पश्चात निवल लाभ	(1263)	(1604)
बी	**वर्ष के अंत तक वित्तीय स्थिति (₹ करोड़)**		
	शेयर पूँजी	4890	4890
	आरक्षित निधि और अधिशेष	3680	4979
	लगाई गई पूँजी	6416	7494
	निवल मूल्य	8570	9869
	सकल ब्लॉक	22935	21273
	संचित मूल्यह्रास	10007	9318
	निवल ब्लॉक	12928	11955
	वस्तुसूची	4767	3811
सी	**लाभदायिकता व अन्य अनुपात**		
	(i) **प्रतिशतता**		
	विक्री से सकल लाभ	(7.5)	(10.2)
	विक्री से निवल लाभ	(10.3)	(15.9)
	निवल मूल्य से सकल लाभ	(10.8)	(10.4)
	निवल मूल्य से निवल लाभ	(14.7)	(16.3)
	लगाई गई पूँजी से सकल लाभ	(14.4)	(13.7)
	लगाई गई पूँजी से निवल लाभ	(19.7)	(21.4)
	शेयर पूँजी से सकल लाभ	(18.9)	(21.0)
	विक्री से वस्तुसूची	38.7	37.9
	(ii) **अनुपात**		
	चालू देयताओं से चालू परिसंपत्तियाँ	0.5	0.5
	चालू देयताओं से त्वरित परसंपत्तियाँ	0.1	0.2
	लगाई गई पूँजी से विक्री	1.9	1.3

निदेशक प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों,

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं, सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ-साथ कंपनी का 35वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ।

व्यापार निष्पादन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 12706.31 करोड़ रुपये का (388.99 करोड़ रुपये की ट्रायल रन उत्पादन बिक्री सहित) बिक्री कारोबार किया है। भारत सरकार के विभिन्न हस्तक्षेपों के आधार पर पिछले वर्ष से बिक्री प्राप्ति में वृद्धि हुई। हालाँकि, यह वृद्धि कंपनी द्वारा लंबे उत्पादों के प्रचालन में कम रही। कंपनी की निवल बिक्री प्राप्तियों में वृद्धि 5% तक सीमित रही। आगे, आयातित कोकिंग कोयले के मूल्य जून, 2016 के लगभग यू एस डी 90/टन से नवंबर, 2016 में यू एस डी 300/टन तक, यानि 200% से अधिक बढ़े। यद्यपि बिक्री की मात्रा में वृद्धि एवं लागत में कमी के उपायों से पिछले वर्ष के दौरान सकल मार्जिन 659.46 करोड़ रुपये से 263.89 करोड़ रुपये तक कम किया जा सका। आपकी कंपनी के पिछले वर्ष की 1603.72 करोड़ रुपये की निवल हानि की तुलना में 1263.16 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई।

प्रमुख वित्तीय मापदंडों की तुलनात्मक स्थिति नीचे प्रस्तुत है:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2016-17	2015-16
ट्रायल रन बिक्री सहित कुल कारोबार	12706.31	12270.58
वित्तीय प्रभार/मूल्यह्रास/परिशोधन के पूर्व कर पश्चात लाभ (पी बी आई टी डी ए)	(263.89)	(659.46)
घटाएँ: वित्तीय प्रभार	767.74	676.70
मूल्यह्रास/परिशोधन के पूर्व लाभ (पी बी टी डी ए)	(1031.63)	(1336.16)
घटाएँ: मूल्यह्रास	658.86	365.66
कराधान के पूर्व निवल लाभ (पी बी टी)	(1690.49)	(1701.82)
कराधान के लिए प्रावधान	(427.33)	(98.10)
कराधान के पश्चात लाभ/(हानि) (पी ए टी)	(1263.16)	(1603.72)

शेयर पूँजी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ईक्विटी शेयर पूँजी तथा प्राधिकृत पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं थे।

उत्पादन

भारी मरम्मत कार्य के चलते तीन (3) धमन भट्ठियों में से एक (1) धमन भट्ठी के शटडाउन होने के बावजूद वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने उत्पादन संबंधी सभी प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की। विवरण नीचे प्रस्तुत है:

(इकाई: '000 टन)

	वास्तविक	पिछले वर्ष की इसी अवधि में	वृद्धि दर % @
तप्त धातु	4,386	3,975	11
द्रव इस्पात	4,176	3,826	9
बिक्री योग्य इस्पात	3,847	3,513	10
परिसज्जित इस्पात	2,592	2,483	17
मूल्य वर्धित इस्पात	3,095	2,638	18

औसत प्रति दिन के आधार पर

धमन भट्ठी-3, इस्पात गलन शाला-2 एवं वॉयर रॉड मिल-2 में क्रमश: 34%, 31% व 43% की महत्वपूर्ण वृद्धि से नई इकाइयों के उत्पादन में गति आई। नई मिलों, विशेष बार मिल एवं स्ट्रक्चरल मिल में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई।

प्रचालन दक्षता व लागत में कमी के उपाय:

आपकी कंपनी में विस्तारण व आधुनिकीकरण कार्य चल रहा है। प्रवर्तित इकाइयों से उत्पादन बढ़ाने एवं प्रचालन दक्षता में सुधार लाने हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा, आंतरिक उपायों के माध्यम से कंपनी द्वारा लागत में कमी लाने हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं एवं लागत संबंधी औचित्य के अतिरिक्त उपाय पहचाने गये हैं। प्रमुख प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) **श्रम उत्पादकता में सुधार:** विस्तारण के चरण में आंशिक मानवशक्ति की नियुक्ति से श्रम उत्पादकता में सुधार आने की संभावना है, जिससे आधुनिकीकरण व विस्तारण इकाइयों से उत्पादन में अपेक्षित गति आ सकेगी।

बी) **बेंचमार्किंग:** धमन भट्ठी उत्पादकता, कोक दर, ऊर्जा खपत आदि जैसे क्षेत्रों में सुधार हेतु कई प्रौद्योगिकी-आर्थिक मापदंडों को पहचाना गया है। विस्तारण इकाइयों के आधुनिकीकरण व स्थिरीकरण कार्य की समाप्ति के पश्चात, इन मापदंडों में लगभग बेंचमार्क के आंकड़ों तक सुधार आने की संभावना है, जिससे बचत हो सकेगी।

सी) **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** धमन भट्ठी-1 व 3 में महँगे कोक की आंशिक प्रतिस्थापना के अंतर्गत चूर्णित कोयला प्रेषण (पी सी आई) कार्य शुरु किया गया है। आधुनिकीकरण कार्य की पूर्ति के पश्चात धमन भट्ठी-2 में भी पी सी आई की शुरुआत की योजना है।

डी) **अपशिष्ट ऊर्जा से अधिकतम निजी विद्युत उत्पादन:** धमन भट्ठी गैस आधारित 120 मेगावाट विद्युत संयंत्र एवं सिंटर

ऊष्मा पुन: प्राप्ति आधारित **20.6** मेगावाट निजी विद्युत संयंत्र जैसी इकाइयों के माध्यम से अपशिष्ट ऊर्जा पुन: प्राप्ति आधारित निजी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है। इस पहल से लागत एवं कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है।

ई) **लागत में कमी लाने के अतिरिक्त उपाय:** आपकी कंपनी अतिरिक्त आंतरिक लागत में कमी लाने के सभी प्रयास कर रही है और लागत में कमी लाने हेतु किये गये विभिन्न उपायों की लगातार समीक्षा की जा रही है। **20** विभागों से संबंधित लगभग **117** मापदंडों का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान किये गये सुधारों का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

क्र.सं.	मापदंड	इकाई मूल्य	% सुधार
1	श्रम उत्पादकता	टीसीएस/मानव-वर्ष	9
2	धमन भट्ठी उत्पादकता	टी/सीयूएम/दिन	29
3	धमन भट्ठी कोक दर	किलोग्राम/टी एच एम	10
4	धमन भट्ठी पी सी आई/सी डी आई	किलोग्राम/टी एच एम	>100
5	ऊर्जा खपत	जीकैल/टी सी एस	0.2
6	व्यर्थ ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन	मेगावॉट	86

विपणन

पिछले वर्ष के **12,271** करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष **12,706** करोड़ रुपये के बिक्री कारोबार से **4%** वृद्धि दर्ज हुई। प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

ए) **उत्पाद विकास** : आपकी कंपनी ने कई वर्षों से विविध प्रयोजनों हेतु उत्पादों के विकास के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु अनेक प्रयास किये हैं। विस्तारण के अंतर्गत, स्थापित सेकेंडरी धात्विक सुविधाओं से उच्च मूल्यवर्धित उत्पादन क्षमता बढ़ी है। उच्च कार्बन, उच्च मैंगनीज एवं **20.64** स्प्रिंग स्टील का घटक पिछले वर्ष के **1.38** लाख टन की तुलना में **2.05** लाख टन तक बढ़ा।

बी) **प्रमुख उत्पाद:** आपकी कंपनी ने दिल्ली, फरीदाबाद, मुंबई, बेंगुलूरु, कोच्चि एवं हैदराबाद में प्रमुख मेट्रो रेलवे परियोजनाओं हेतु आपूर्तियों के अलावा ए पी सेक्रेटेरिएट इंटरिम कांप्लेक्स, अमरावती, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडार, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, एमार प्रॉजेक्ट हरिद्वार - ऋषिकेश मेट्रो प्रॉजेक्ट, रवींद्र तीर्थ मेट्रो, एन एच ए आई (शोलापुर बेंगुलूरु एन एच **4** मार्ग, पुल व पुलिया) जैसी प्रमुख परियोजनाओं के आदेशों के निमित्त आपूर्ति की है।

सी) **उत्पाद प्रचार** : आपकी कंपनी उत्पादों की विस्तृत पहुँच एवं उत्पाद मिश्र के संवर्धन हेतु ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही, शहरी, अर्द्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हुए बाजार के सभी क्षेत्रों के ग्राहक आधार को मजबूत करने हेतु भी ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी के उत्पादों के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वास्तुविद, निर्माता व संविदाकार (ए बी सी) के साथ आवधिक बैठक की जाती है। सेवा केंद्रों के माध्यम से उत्पादों की 'उपयोग हेतु तैयार' सेवा के अवसर तलाशे जा रहे हैं।

उत्तरी क्षेत्र में ए बी सी बैठक

पश्चिमी क्षेत्र में ग्राहक बैठक

डी) **ब्रांड प्रसार:** देश में इस्पात की खपत बढ़ाने हेतु कंपनी द्वारा ब्रांड प्रसार अभियान चलाया गया है। आपकी कंपनी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से हजरत निजामुद्दीन - विशाखट्टणम समता एक्सप्रेस का वाइजाग स्टील समता एक्सप्रेस के रूप में नाम परिवर्तन के माध्यम से अपनी ब्रांड छवि का प्रचार किया है। इस रेलगाड़ी के **5** राज्यों से गुजरने के कारण

ब्रांड एंबासिडर सुश्री पी वी सिंधु

इन 5 राज्यों में ब्रांड की ख्याति बढ़ रही है। आपकी कंपनी ने ओलंपिक्स में बैडमिंटन के प्रथम भारतीय रजत पदक विजेता सुश्री पी वी सिंधु के साथ अनुबंध करके उन्हें वाइजाग स्टील का ब्रांड अंबासिडर बनाया। आगे विभिन्न प्रिंट व इलेक्ट्रानिक संबंधित विभिन्न माध्यमों में विज्ञापनों के द्वारा अपने उत्पादों के संबंध में जानकारी बढ़ाई जा रही है। आपकी कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत में वृद्धि हेतु ग्रामीण विपणन को प्रोत्साहित कर रही है।

ई) **ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का प्रचार:** ग्रामीण भारत में इस्पात की खपत को प्रोत्साहित करने/बढ़ाने हेतु ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के घरों में इस्पात आधारित फ्रेम-स्ट्रक्चर के उपयोगों व उसके लाभों का

राजमिस्त्री बैठक

उल्लेख करते हुए सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में विद्यालयों, प्राथमिक उपचार केंद्रों व चिकित्सालय, अस्पताल, सड़क व फ्लाईओवर, पुल व पुलिया, सिंचाई परियोजना आदि के निर्माण में इस्पात के उपयोग के प्रचार हेतु विभिन्न जगहों पर राजमिस्त्रियों के साथ बैठक भी आयोजित की गयी। राज्य परिवहन निगम की बसों व डी डी किसान टी वी चैनल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन दिये गये। इससे देश में इस्पात की खपत बढ़ाने की आंतरिक दक्षता के विकास में सहयोग मिलेगा।

एफ) **ग्रामीण डीलरशिप योजना:** उत्पाद प्रचार के अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों से ग्रामीण डीलरशिप योजना के कार्यान्वयन में सुधार हुआ। सक्रिय ग्रामीण डीलरों को सूचना पट्ट व एम आर आर पी बोर्ड के व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है। होर्डिंग, वॉल पेंटिंग, समाचार पत्र/केवल टी वी विज्ञापन जैसी प्रोत्साहन गतिविधियों का संचालन करनेवाले ग्रामीण डीलर प्रोत्साहन योजना की प्रतिपूर्ति के सीधे हकदार हैं। वर्ष के दौरान ग्रामीण डीलरों की संख्या 235 से 437 तक बढ़ी।

सामग्री प्रबंधन

क्रय

आपकी कंपनी द्वारा निर्विष्ट लागत में कमी, समुद्री भाड़े में कमी, कोकिंग कोयला, लौह अयस्क, बॉयलर कोयला जैसे महत्वपूर्ण कच्चेमाल के संरक्षण व विविधीकरण एवं वस्तुसूची का अनुकूलतम स्तर बनाये रखने के विभिन्न उपाय किये गये हैं।

दीर्घकालिक करार (एल टी ए) एवं आस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरीका, न्यूजीलैंड एवं इंडोनेशिया जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से विदेशी आपूर्तियों के माध्यम से कोकिंग कोयले की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। आपूर्तियों में अपरिहार्य कारणों से संबंधित अनिश्चितताओं को कम करने एवं कोल ब्लेंड की लागत को अनुकूलतम बनाये रखने के क्रम में विक्रेता आधार के विस्तार हेतु लगातार प्रयास किये जाते हैं। नये कोयलों की प्राप्ति की प्रक्रिया में, वर्ष के दौरान आस्ट्रेलिया से कोकिंग कोयला एवं दो पल्वराइज्ड कोल ब्रैंड्स के औद्योगिक शिपमेंट लिये गये। एक और कोकिंग कोयले, दो पल्वराइज्ड कोयले व एक थर्मल कोल ब्रैंड्स के साथ ट्रायल जारी है।

सत्यनिष्ठा अनुबंध का कार्यान्वयन

अधिप्राप्ति संबंधी गतिविधियों में अप्रैल, 2007 से सत्यनिष्ठा अनुबंध (आई पी) का कार्यान्वयन करनेवाले संगठनों में आपकी कंपनी पहली कंपनी है। वर्ष के दौरान, 96.30% मूल्य की संविदाओं का सत्यनिष्ठा अनुबंध के तहत संचालन किया गया, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की मानक प्रचालन पद्धति (एस ओ पी) के अनुरूप है।

विक्रेता विकास

नये दक्ष विक्रेताओं को पहचानने के लगातार प्रयास किये गये एवं वर्ष के दौरान कुल 169 विक्रेताओं को पंजीकृत किया गया। 1,591 सूक्ष्म व लघु उद्यमियों एवं 202 स्थानीय सूक्ष्म व लघु उद्यमियों के साथ वर्ष के अंत तक विक्रेता आधार 3,477 तक बढ़ा। आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की चार क्रेता व विक्रेता बैठक एवं प्रदर्शनियों में भाग लिया। आपकी कंपनी भारतीय उद्योग सम्मेलन द्वारा 07.12.2016 को आयोजित विक्रेता विकास बैठक का सहयोगी प्रायोजक था।

सूक्ष्म, लघु उद्यमों से माल व सेवाओं की अधिप्राप्ति

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा सूक्ष्म, लघु उद्यमों से (सूक्ष्म, लघु उद्यमों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों सहित) वर्ष में कुल 415.05 करोड़ रुपये के माल व सेवाओं की अधिप्राप्ति की गई, जो माल व सेवा की वार्षिक अधिप्राप्ति (लौह अयस्क, कोकिंग कोयला व टर्नकी संविदाएँ, जिसके लिए छूट दी गई, जैसे माल व सेवाओं को छोड़कर) का 28.62% बनता है।

वित्त

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने नकद साख ब्याज दर की तुलना में प्रतिस्पर्द्धी दर पर वाणिज्यिक कागजात, अल्पकालिक कार्यकारी पूँजी, माँग ऋण (डब्ल्यू सी डी एल), निर्यात पैकिंग वित्त क्रेडिट (ई पी एफ सी) और पूर्णत: संरक्षित अल्पकालिक विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता साख) के माध्यम से बेहतर निधि प्रबंधन हेतु अपने प्रयास जारी रखे और इस प्रकार समग्र ब्याज का भार कम हुआ।

आपकी कंपनी के वर्ष 2016-17 के वित्तीय लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया है। साथ ही नियंत्रक व महा लेखापरीक्षकों से 'शून्य' टिप्पणी प्राप्त हुई।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को आय कर विभाग से मूल्यांकन वर्ष 2013-14 के लिए 47.04 करोड़ रुपये तक आय कर वापसी की प्राप्ति हुई।

परियोजनाएँ

आधुनिकीकरण व 7.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक उन्नयन

इस्पात गलन शाला-1 में दूसरे कन्वर्टर (कन्वर्टर-सी) का पुनरोद्धार लक्षित तिथि से 10 दिन पहले ही, अर्थात 27 अक्टूबर, 2016 को पूरा किया गया और प्रवर्तन के पहले 24 घंटों में 19 की रिकार्ड हीट दर्ज की गयी। इस्पात गलन शाला-1 के तीसरे व आखिरी कन्वर्टर (कन्वर्टर-बी) का पुनरोद्धार 16 जनवरी, 2017 से शुरु किया गया।

सिंटर मशीन-1 का पुनरोद्धार 31 अक्टूबर, 2016 को शुरु किया गया और चल रहा है।

पुनरोद्धार के बाद एस एम एस-1 का द्वितीय कन्वर्टर (कन्वर्टर-सी)

एस एम एस - 2 में तृतीय कन्वर्टर

धमन भट्ठी-2 की श्रेणी-1 की भारी मरम्मत संबंधी प्रमुख कार्य समाप्त हुए हैं। सिंटर मशीन-1 के प्रवर्तन व स्थिरीकरण एवं इस्पात गलन शाला-1 के तीसरे कन्वर्टर (कन्वर्टर-बी) के पुनरोद्धार के पश्चात इसके प्रवर्तन की योजना है।

इस्पात गलन शाला-2 के तीसरे कन्वर्टर का 7 नवंबर, 2016 को प्रवर्तन किया गया। इस्पात गलन शाला-2 के चौथे कास्टर में उपस्कर लगाने का कार्य चल रहा है।

अन्य प्रमुख परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 5 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र का 20.12.2016 को प्रवर्तन किया। सौर संयंत्र से आपकी कंपनी को वैकल्पिक अक्षय ऊर्जा स्रोत की प्राप्ति होगी एवं हरित पहल व हरित ऊर्जा की प्रतिबद्धताओं की पूर्ति में सहयोग मिलेगा।

5 मेगावॉट क्षमता का सौर विद्युत संयंत्र

केपेक्स की पूर्ति:

वर्ष के दौरान योजना के 1350 करोड़ रुपये की तुलना में 104% की पूर्ति के साथ 1405.95 करोड़ रुपये का पूँजीगत व्यय किया गया।

खान:

जग्गय्यपेटा चूनापत्थर खानों के लिए आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल से 7,80,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के आवर्धन हेतु स्थापना की सहमति (सी एफ ई) प्राप्त की गई।

व्यापार उत्कृष्टता पहल:

गेंबा सुधार

वर्ष के दौरान, दो नये विभागों (ई एस व एफ एवं नई स्ट्रक्चरल मिल (एस टी एम)) में 'गेंबा सुधार' पहल का कार्यान्वयन किया गया, जिससे निरंतर सुधार को बढ़ावा दिया जाता है तथा शॉप फ्लोर पर चालू सुधार परियोजनाओं की नेतृत्व सहभागिता द्वारा स्पष्टता लाई जाती है। इस प्रकार इस पहल के अंतर्गत कुल 11 विभागों को शामिल किया गया।

निदेशक (परियोजना) और वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त गेंबा टीम ने शॉप फ्लोर में अपने पर्यवेक्षण के दौरान चल रहे सुधार कार्यों की समीक्षा की और आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

गेंबा सुधार पर्यवेक्षण

गुणवत्ता सुधार परियोजना

आपकी कंपनी ने शॉप फ्लोर से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के क्रम में व्यवस्थित निदान प्रणाली हेतु गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा।

सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर लीन सिक्स सिग्मा - ग्रीन बेल्ट में प्रतिभागियों की उपस्थिति

वर्ष के दौरान 13 गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं की सफलतापूर्वक पूर्ति की गई। सी आई आई-आई क्यू, बेंगुलूरु के प्रवक्ता के सहयोग से आयोजित 'सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉरलीन सिक्स सिग्मा - ग्रीन बेल्ट' कार्यक्रम में 32 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें डी एम ए आई सी पद्धति, प्रणालीबद्ध सुधार प्रक्रिया, प्रक्रिया सुधार/इष्टतमीकरण के आरेखीय पद्धति, आंकड़े के विश्लेषण हेतु मिनि टैब सॉफ्टवेअर आदि की जानकारी दी गई।

ज्ञान प्रबंधन (के एम)

नई मिलों से उत्पादन में गति लाने हेतु ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य संयंत्रों के अनुभव एवं इस क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में हुए प्रौद्योगिकी विकास संबंधी ज्ञान की जानकारी हेतु जुलाई, 2016 के दौरान 'लंबे इस्पात उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी चुनौतियाँ' पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी।

कार्यशाला के प्रतिभागियों में भिलाई इस्पात संयंत्र, इस्को इस्पात संयंत्र, टाटा स्टील, जे एस डब्ल्यू, आर डी सी आई एस - सेल, एन एम एल जमशेदपुर, एम एन दस्तूर, मेकॉन, दानीली, प्राइमेटल्स एवं आर आई एन एल-वी एस पी के अनुभवी व्यक्ति भी थे।

वर्ष के दौरान ज्ञान प्रबंधन के प्रयासों में एक कापीराइट का पंजीकरण, 17 केस स्टडी के विकास व विषय क्षेत्र से संबंधित 16 अभ्यास सत्रों के आयोजन व शॉप फ्लोर से संबंधित मामलों के समाधान के उद्देश्य से शॉप फ्लोर क्षेत्र से संबंधित 4 अभ्यास सत्र शामिल हैं। साथ ही, ज्ञान प्रबंधन की पद्धति को समझने एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाने हेतु विशिष्ट रूप से अभिकल्पित 12 ज्ञान प्रबंधन जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

'लंबे इस्पात उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण की चुनौतियाँ' पर कार्यशाला

ज्ञान सहभाजन कार्यशाला में प्रतिभागियों की उपस्थिति

आगे, आपकी कंपनी में ज्ञान प्रबंधन की वास्तविक जानकारी फैलाने एवं कर्मचारियों के योगदान को पहचानने हेतु 2016-17 में 4 ज्ञान प्रबंधन पुरस्कार समारोह आयोजित किये गये, जिनमें विभिन्न विभागों के 245 कर्मचारियों ने प्रशस्ति पत्र प्राप्त किये।

अनुसंधान व विकास

प्रक्रिया सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन, नये उत्पाद विकास, लागत में कमी, नई प्रौद्योगिकी का विकास, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में आंतरिक तौर पर एवं सहयोगी अनुसंधान के अंतर्गत बाह्य अनुसंधान संगठनों के साथ अनुसंधान व विकास कार्यक्रम संचालित किये गये। ये परियोजनाएँ पूर्ति के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष के दौरान आठ नई अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य शुरु किया गया एवं पिछले वर्ष की ग्यारह परियोजनाओं पर कार्य जारी है। वर्ष के दौरान, चार विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सात तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिये गये। दो पुस्तक अध्याय एवं एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका संबंधी लेख प्रकाशित किये गये एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हेतु एक तकनीकी लेख स्वीकार किया गया। वर्ष के दौरान अनुसंधान व विकास हेतु **23.53** करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

सुरक्षा

आपकी कंपनी भारतीय इस्पात संयंत्रों में ऐसा पहला संगठन है, जिसे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन अभ्यासों हेतु ओ एच एस ए एस: **18001** मानक से प्रमाणित किया गया। सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन, जोखिम नियंत्रण के अनुश्रवण एवं अन्य सक्रिय उपायों से संभावित जोखिमों को कम किया गया/उनका निवारण किया गया।

दुर्घटनाओं की आवृत्ति दर पिछले वर्ष के **0.18** से **0.17** तक कम हुई। वर्ष के दौरान उच्चतम दुर्घटना मुक्त मानव दिवस (**170** दिन) प्राप्त किया गया। विभिन्न सुरक्षा पहलुओं के संबंध में **7818** नियमित कर्मचारियों एवं **17788** संविदाकार श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ है।

पर्यावरण प्रबंधन

संयंत्र की स्थापना एवं विस्तारण व आधुनिकीकरण के समय भी व्यापक पर्यावरण सुविधाओं की योजना बनाई गई एवं उनका कार्यान्वयन किया गया। संयंत्र में धूल उत्सर्जन के नियंत्रण एवं अपशिष्ट जल व बहिस्राव के उपचार हेतु विस्तृत प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाये गये तथा आधुनिकीकरण के दौरान इनमें और सुधार लाया गया। विस्तारण के तहत, वायु प्रदूषण, जल प्रणाली, ऊर्जा दक्षता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में सुधार हेतु कई नये उपकरण लगाये गये।

आधुनिकीकरण के दौरान इस्पात गलन शाला-**1** के कन्वर्टर-ए व सी तथा आवर्धन के तहत इस्पात गलन शाला-**2** के कन्वर्टर-**3** में रूफ टाप उत्सर्जन व सेकेंडरी उत्सर्जन के निवारण हेतु डॉग हाउस की सुविधा प्रदान की गयी।

वर्ष के दौरान, पर्यावरण संबंधी सभी सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन के समय कोक ओवेन बैटरियों में विशिष्ट एस पी एम लोड, विशिष्ट बहिस्राव उत्सर्जन एवं जोखिमपूर्ण व्यर्थ के पुन:चक्रण में पिछले वर्ष के **0.42** किलोग्राम/टी सी एस, **0.67** घन मीटर/टी सी एस एवं **98.14%** की तुलना में क्रमश: **0.34** किलोग्राम/टी सी एस, **0.58** घन मीटर/टी सी एस एवं **100.8%** हासिल किया गया।

पूरे संयंत्र के **47** विभागों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक आई एस ओ **14001** का कार्यान्वयन किया गया। प्रतिवर्ष कई पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रमों (ई एम पी) के माध्यम से सतत् सुधार सुनिश्चित किया जाता है। संसाधन की खपत में कमी, ओ डी एस के उपयोग में कमी, अपशिष्ट के उपयोग, कार्यस्थल के वातावरण में सुधार, जोखिमपूर्ण सामग्री के उपयोग आदि क्षेत्रों में ई एम पी के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगभग **84** ई एम पी पर कार्य किया गया।

उपरोक्त के अलावा, वृहद पैमाने पर पौधारोपण किया गया एवं अब तक **2720** हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग **51.26** लाख पौधे लगाये गये। हरित विशाखा कार्यक्रम के अंतर्गत, आपकी कंपनी द्वारा पाँच वर्ष के दौरान कुल **4,50,000** वृक्षारोपण की योजना के निमित्त अब तक **275,600** पौधारोपण किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान, कर्मचारी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (ई पी एम एस), ड्राइंग प्रबंधन प्रणाली (ड्रामैन) सहित कई नये अप्लिकेशन विकसित किये गये, जो हिस्से-पुर्जे/असेंब्ली के अन्वेषण, अनुश्रवण प्रणाली संबंधी लागत में

ऑनलाइन सतर्कता क्लियरेन्स मॉड्यूल

ऑटोमेटिक वे बिल जनरेशन प्रणाली

कमी के उपाय, उद्यम उत्पादन अनुश्रवण प्रणाली व ग्राहक सूचना प्रणाली की सुविधा सहित उपस्कर ड्राइंग के कंप्यूटरीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।

उत्पादन व विलंब, बिक्री फ्लैश, वेतन पर्ची, छुट्टी प्रबंधन, चिकित्सा अभिलेख, ई-डॉक, टाउनशिप शिकायतें, पी सी शिकायतें, स्काडा, आर एम एच पी व एफोर्ट लॉगिंग जैसे क्षेत्रों में मोबाइल एप विकसित किये गये। ग्राहकों को बिक्री आदेश संबंधी एस एम एस एलर्ट की सुविधा शुरू की गयी। आपकी कंपनी को उद्यम मोबिलिटी प्रौद्योगिकी जैसे नवाचार के उपयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धी क्षमता के लाभ एवं संयंत्र के प्रचालन में सुधार हेतु प्रतिष्ठित 'इंटेलिजेंट एंटरप्राइज अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

इंटलिजेंट एंटरप्राइज पुरस्कार

आपकी कंपनी को वर्ष **2015-16** के लिए 'ज्ञान एरा - ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत आई सी टी के नवीन उपयोग हेतु केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 'राष्ट्रीय ई-अभिशासन पुरस्कार' का रजत पदक प्रदान किया गया। आपकी कंपनी को प्रौद्योगिकी के नवीन उपयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धी क्षमता के उपयोग एवं प्रचालन में सुधार हेतु बिग डाटा केटगरी के तहत एक्सप्रेस इंटेलिजेंट पी एस यू अवार्ड **2016** तथा उच्च स्तर के प्रचालन व सूचना प्रौद्योगिकी में नीतिगत उत्कृष्टता हेतु सी आई ओ-**100** अवार्ड भी प्रदान किया गया।

आर आई एन एल ने ज्ञान एरा के लिए इलेक्ट्रानिक्स व आई टी के संघ राज्य मंत्री से ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त किया

आई एस ओ **27001** प्रमाणन प्रदत्त

एक्सप्रेस इंटलिजेंट पी एस यू पुरस्कार

नकद रहित लेनदेन

आपकी कंपनी ने ग्राहकों एवं आपूर्तिकारों के साथ नकद रहित भुगतान व प्राप्ति हेतु ई आर पी (उद्यम संसाधन योजना) का कार्यान्वयन किया है। आपकी कंपनी ने ई आर पी के माध्यम से ई-निविदा एवं ई-नीलामी का आवर्धन किया है। संविदाकारों व संविदा कर्मियों को भी नकद रहित भुगतान किये जाते हैं। सहकारी भंडार सहित टाउनशिप की सभी दूकानों में पी ओ एस मशीनों के माध्यम से नकद रहित लेनदेन की सुविधा प्रदान की गयी। माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा 'डिजिधन' प्रदर्शनी के साथ 'नये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था' विचार गोष्ठी का उद्घाटन किया गया। विशाखपट्टणम के भारतीय स्टेट बैंक एवं एस टी पी आई के सहयोग से 'डिजिटल भुगतान-नकद रहित लेनदेन को प्रोत्साहन' कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से डिजिटल इंडिया इन ग्लोबल आई टी स्पेक्ट्रम, डिजिट्स **2017** का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

ई-पोर्टल का शुभारंभ

देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एम एस टी सी मेटल मंडी के माध्यम से आर आई एन एल-वी एस पी के इस्पात उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा विशेष ई-पोर्टल का शुभारंभ किया गया। पोर्टल में विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता, उनके विनिर्देश, उनका मूल्य आदि की जानकारी दी गयी है। इस पहल के तहत ग्राहकों के स्थान पर आपूर्ति एक आकर्षक विशेषता है।

संघ के इस्पात मंत्री द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस्पात उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए समर्पित ई-पोर्टल का शुभारंभ

मानव संसाधन व औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी ने सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंधों के माध्यम से उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता स्तरों की प्राप्ति सुनिश्चित की है। औद्योगिक संबंध बहुत ही शांतिपूर्ण रहे। आपकी कंपनी ने मानव संसाधन से जुड़े प्रत्येक मामले एवं सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निवारण में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के माध्यम से सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंधों के अनुकूल वातावरण बनाये रखा। नियमित कार्य समूह के **24** पंजीकृत श्रमिक संघों एवं ठेका श्रमिकों के प्रतिनिधि **22** पंजीकृत श्रमिक संघों तथा संगठन के कार्यपालकों के प्रतिनिधि संघ ने मैत्रीपूर्ण कार्य संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिससे सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम किये जा सके।

31.03.2017 तक मानवशक्ति **17,838** थी, जिसमें **2,969** (**16.64%**) अनुसूचित जाति एवं **1,321** अनुसूचित जनजाति के थे।

शिक्षा व विकास के माध्यम से क्षमता विकास

संगठन की सफलता में मानव संसाधन की निर्णायक भूमिका के दृष्टिगत, आपकी कंपनी द्वारा उत्पादकता स्तरों में सुधार लाने के क्रम में कर्मचारियों के सामर्थ्य आधारित शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके महत्वपूर्ण कौशल

स्टील म्युजियम में डॉ.अरुणा शर्मा, सचिव, इस्पात मंत्रालय

विकास हेतु ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है। उनके कार्य संबंधी ज्ञान के स्तरों के विकास एवं कार्यस्थल पर उसके निष्पादन हेतु प्रवृत्ति व व्यवहार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित कौशल विकास कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान **12.91** प्रशिक्षण दिवस प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष के हिसाब से **34,573** कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

कौशल उन्नयन के तहत आपकी कंपनी ने तकनीकी कर्मचारियों के कौशल स्तरों के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) और भारतीय लौह व इस्पात कौशल क्षेत्र परिषद (आई आई एस एस एस सी) के साथ अलग से समझौता ज्ञापन किया।

लौह व इस्पात क्षेत्र में कुशल कर्मियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने विभिन्न औद्योगिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से औद्योगिक विवरण देते हुए लगभग **10,100** विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है।

दिल्ली के फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से उनके परिसर में **26** से **28** दिसंबर, **2016** तक तीन दिवसीय विशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विपणन कार्य से जुड़े लगभग **30** कार्यपालकों ने उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लिया।

एक कदम आगे बढ़ाते हुए आपकी कंपनी ने कंपनी के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (टी टी आई) के परिसर में 'वाइजाग स्टील' के औद्योगिक महत्व के मदों के प्रदर्शन हेतु 'स्टील म्यूजियम' की स्थापना की है। इस म्यूजियम की स्थापना का उद्देश्य आम जनता में नवीन तकनीकी क्षमताओं, पुरानी विरासत के संरक्षण एवं 'वाइजाग स्टील' की छवि के प्रचार के साथ-साथ विद्यार्थियों को 'वाइजाग स्टील' की जानकारी देना एवं इस्पात क्षेत्र में रोजगार के विकल्प का चयन करवाना है।

वर्ष के दौरान नागरनार इस्पात संयंत्र में नियुक्त एन एम डी सी के कार्य पालक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देते हुए **10.5** करोड़ रुपये के राजस्व सृजन के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (टी टी आई) लाभार्जन केंद्र बन गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध व समाधान) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध व समाधान) अधिनियम, **2013** के अधिनियमन के अनुरूप आपकी कंपनी ने एक नीति प्रतिपादित की है एवं आंतरिक शिकायत समिति (आई सी सी) का गठन किया है। वर्ष के दौरान संविधि के प्रावधानों एवं लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण में आई सी सी की भूमिका की जानकारी देने हेतु **02** कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसके तहत **44** महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

महिला सशक्तीकरण

आपकी कंपनी लैंगिक समानता में पूर्ण विश्वास रखती है एवं समान अवसर प्रदान करनेवाला नियोक्ता भी है। महिला कर्मचारियों की संख्या, जो वर्तमान में कुल कार्य समूह की लगभग 3% है, को बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय किये गये हैं।

आपकी कंपनी द्वारा 'महिला मैत्री' नियोक्ता बनने हेतु कई उपाय किये गये हैं। कंपनी की महिला कर्मचारियों को स्कोप के तत्वावधान में फोरम ऑफ विमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) के माध्यम से जोड़ा गया है। इस वर्ष के दौरान, लगभग 700 महिला कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी व प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विप्स की वार्षिक बैठक सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों के लिए नामित किया गया। विशेष रूप से महिला ठेका श्रमिकों के लिए 'महिला सशक्तीकरण' से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

नवरत्न श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार)

वास्तव में यह गौरव की बात है कि आपकी कंपनी को कैलेंडर वर्ष 2016 में 'नवरत्न' की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर नौवीं बार 'सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार' (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है, जो एक कीर्तिमान है। यह महिला कर्मचारियों के वैयक्तिक एवं व्यावसायिक विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दो महिला कर्मचारियों के एक दल ने प्रगति 2017-ए आई एम ए द्वारा महिलाओं के लिए 29 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

शिकायत निवारण तंत्र

आपकी कंपनी में कार्यपालकों एवं गैर-कार्यपालकों दोनों के लिए अलग से औपचारिक व अनौपचारिक शिकायत निवारण तंत्र सहित सुदृढ़ शिकायत प्रहस्तन प्रणाली मौजूद है। अधिकांशत: शिकायतों का पहले चरण में ही निर्धारित समयसीमा के भीतर निवारण किया जाता है।

सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र हेतु भी प्राथमिकता दी जा रही है। महाप्रबंधक श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी को सार्वजनिक शिकायतों के निपटान हेतु 'सार्वजनिक शिकायत अधिकारी' के रूप में पदनामित किया गया। कंपनी में पूर्ण रूप से आंतरिक परिपत्र के माध्यम से सभी संबंधितों की जानकारी हेतु इसका विस्तृत प्रचार किया गया है, ताकि सार्वजनिक शिकायतों का नागरिक/ग्राहक संहिता (सी सी सी) के तहत निर्धारित समयसीमा में निपटान किया जाय।

शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटान हेतु भारत सरकार के प्रशासनिक संशोधन व सार्वजनिक शिकायत विभाग (सी पी जी आर ए एम एस) के ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायत पोर्टल का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। आपकी कंपनी के वेबसाइट में सार्वजनिक शिकायतों से संबंधित भारत सरकार के पोर्टल का लिंक भी दिया गया है, ताकि वरिष्ठतम स्तर पर कम से कम साप्ताहिक आधार पर लंबित सार्वजनिक शिकायतों की स्थिति का अनुश्रवण किया जा सके। सार्वजनिक शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटान किया जा रहा है। हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि वर्ष के दौरान प्राप्त सभी सार्वजनिक शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटान किया गया।

दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण व पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995

संविधि के लागू होने के उपरांत आपकी कंपनी ने 31.03.2017 तक 125 विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों को नियुक्त किया है। इस आंकड़े में 09 (नौ) ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो प्रतिभा के आधार पर चयनित हुए हैं। विभिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की सुविधा हेतु रैंप वे, विशिष्ट शौचालयों, इलिवेटरों में ऑडिटरी संकेतों, स्वागत कक्ष में व्हील चेयर का प्रावधान आदि जैसी सुविधाओं में सुधार हेतु सार्वजनिक भवनों में 'एक्सेसेबिलिटी ऑडिट' की जाँच की गयी है।

विधि

मध्यस्थता, स्थाई परिषदों के साथ समन्वय, विधिक सलाहों आदि सहित सभी विधिक मामलों से संबंधित कार्य हेतु पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

कल्याण

सभी सांविधिक कल्याण उपायों के निर्वाह के साथ-साथ आपकी कंपनी द्वारा कर्मचारियों की सामाजिक संरक्षा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभिन्न गैर-सांविधिक योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता रहा है। कर्मचारियों, सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारियों की सुविधा हेतु कर्मचारी परिवार लाभ योजना, सेवानिवृत्ति लाभ योजना एवं ग्रूप मेडिक्लेम बीमा योजना जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

गैर-कार्यपालकों के लिए मील कार्ड की सुविधा प्रदान की गयी है, जिससे कर से राहत का लाभ मिला। यह सुविधा नकद रहित लेनदेन को प्रोत्साहित करने की ओर बढ़ाया हुआ कदम है।

एक कदम आगे बढ़ाते हुए आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्थापित व्यक्ति श्रेणी के कर्मचारियों को कंपनी के टाउनशिप में क्वार्टर आवंटित किये गये। इस पहल से आपकी कंपनी को मकान किराया भत्ते का गैर-भुगतान के कारण आर्थिक बचत के साथ-साथ दीर्घकाल से खाली पड़े हुए कई क्वार्टरों के अनुकूलतम उपयोग जैसे कई लाभ प्राप्त हुए।

राजभाषा

राजभाषा नीति और उसके नियमों के सख्ती से अनुपालन में आपकी कंपनी सदैव ही तत्पर रहती है। इस वर्ष के दौरान प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के माध्यम से **198** कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। क्षेत्रीय/शाखा बिक्री कार्यालयों सहित विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से **586** कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। लगभग **61** कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने हेतु 'यूनिकोड' का प्रशिक्षण दिया गया। **14/15** फरवरी, **2017** को **'इस्पात की खपत बढ़ाने के उपाय'** नामक विषय पर **अखिल भारतीय संगोष्ठी** आयोजित की गई। इसमें इस्पात मंत्रलय, आपकी कंपनी और इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले अन्य संगठनों के लगभग **62** कर्मचारियों ने भाग लिया।

आपकी कंपनी को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष **2014-15** के लिए इस्पात राजभाषा शील्ड के प्रथम पुरस्कार और वर्ष **2015-16** के लिए इस्पात राजभाषा ट्रॉफी दिया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष **2015-16** के लिए राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार एवं गृह पत्रिकाओं की श्रेणी में गृह पत्रिका 'सुगंध' को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दिल्ली के परिवर्तन जन कल्याण समिति द्वारा केरल के तिरुअनंतपुरम में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी एवं कार्यशाला में राजभाषा विशिष्ट सम्मान शील्ड दिया गया।

दूसरी नराकास

हाल ही में, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आपकी कंपनी को दूसरी नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) के नेतृत्व का कार्यभार सौंपा गया। उपरोक्त समिति का गठन केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में राजभाषा के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए किया गया है।

खेल

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के पूर्ण स्वास्थ्य एवं विकास के लिए खेल को बढ़ावा देने के लिए मूल सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया है तथा भावी और क्षमतावान खेल प्रतिभाओं का विकास कर रही है, ताकि वे लोग जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में प्रतिनिधित्व करके कंपनी का नाम रोशन कर सकें। वर्ष के दौरान अखिल भारतीय बैडमिंटन (एस पी एस बी), मुक्केबाजी और अथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई।

मई **2016** के दौरान वार्षिक ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग **40** प्रशिक्षकों की देखरेख में **1300** बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी प्रकार मार्च, **2017** के दौरान अंतर विद्यालयीन वॉलीबाल टुर्नामेंट, विशेष सक्षम कर्मचारियों के लिए खेल प्रतियोगिताएँ तथा विशेष बच्चों (एम आर कैटेगरी) के लिए भी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त महिला कर्मचारियों एवं गृहणियों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, जिनमें लगभग **250** महिलाओं ने भाग लिया। कंपनी के गठन दिवस अर्थात **18** फरवरी, **2017** को आपकी कंपनी की ब्रांड अंबेस्डर और रियो ओलंपिक, **2016** में बैडमिंटन की रजत पदक विजेता सुश्री पी वी सिंधु ने "साइकिल रैली" को झंडा दिखाकर रवाना किया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी पहला केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम है, जिसने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के क्रम में एक और कदम उठाते हुए वर्ष के दौरान 'सूचना का अधिकार' के ऑनलाइन प्लेटफार्म की स्थापना की है। इससे लोगों को क्षण भर में अपने आवेदन भेजने की सुविधा प्राप्त हो गई है। विधान के अनुरूप लोगों को सूचनाएँ प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी **579** अनुरोधों और **70** अपीलों के जवाब दे दिए गए हैं।

चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएँ

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को **160** बिस्तरों वाले एक आधुनिक अस्पताल और विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से विस्थापित कॉलोनियों और माधारम (तेलंगाणा) और जग्गयपेटा (आंध्र प्रदेश) में अवस्थित निजी खदानों में स्थापित तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी एच सी) के माध्यम से विशेष चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त संयंत्र परिसर में एक पूर्णत: व्यवस्थित व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अनुसंधान केंद्र एवं **2** (दो) प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके जीवनसाथियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष बाह्य रोगी काउंटर बनाया गया है। इन सभी चिकित्सा/अस्पताल सुविधाओं के अतिरिक्त, कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की गंभीर बीमारियों का ध्यान रखने हेतु **25** अस्पतालों की नामावली बनाई गई है।

पुरस्कार व सम्मान

कंपनी के सक्रिय व विभिन्न जनप्रिय गतिविधियों के कारण नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (एन आई पी एम) द्वारा आपकी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर 'बेस्ट एच आर प्रैक्टिस-2016' पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त वर्ष **2016** में कंपनी के दो कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री श्रमवीर और श्रमश्री पुरस्कार जीता और **18** कर्मचारियों को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

निगमित सामाजिक दायित्व

संयंत्र और खदानों के भीतर और बाहर तथा उसके परित: रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाने की प्रतिबद्धता को आगे ले जाने के लिए आपकी कंपनी ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व के तहत अनेक परियोजनाओं/गतिविधियों और कार्यक्रमों को संचालित किया है। नए कंपनी अधिनियम, **2013** को लागू करने के क्रम में कथित विधान और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप आपकी कंपनी ने एक निगमित सामाजिक दायित्व और निरंतरता विकास नीति का निर्माण किया है तथा 'समग्र विकास और निरंतरता' के लिए उस पर व्यापक बल दे रही है। निगमित सामाजिक दायित्व हेतु कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **135** के अनुरूप गठित समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा होता है और निगमित सामाजिक दायित्व की इन गतिविधियों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है। कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, **2014** के नियम **9** के अनुसरण में निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन **अनुलग्नक** में संलग्न है।

स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान

कंपनी के सभी स्तरों पर "स्वच्छ भारत" सिद्धांत का समावेशन किया गया है और सभी विभागों को शामिल करते हुए पूरे वर्ष निरंतर "सफाई पखवाड़ा" मनाया गया। स्वच्छ भारत की गतिविधियों को संयंत्र के भीतर चलाने के साथ-साथ परित: क्षेत्र के समुदायों के लिए भी चलाया गया। मौजूदा मूलसंरचनाओं को मजबूत बनाकर तथा स्वच्छता अभियान के माध्यम से उन्हें बनाए रखने के लिए "स्वच्छ विशाखा"- अभियान के लिए विशाखपट्टणम महानगरपालिका को डंपर प्रदान करने, "स्वच्छ ग्राम"- एक आदिवासी गांव में शौचालयों का निर्माण करने, बाजार में ई-टॉयलेट की स्थापना आदि जैसी कुछ गतिविधियों के माध्यम से समुदायों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के कार्य किए गए।

आगे, विद्यालयों में साफ-सफाई तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत आपकी कंपनी द्वारा स्वच्छता और साफ-सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने और साफ-सफाई व स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें डालने एवं स्कूली बच्चों में मासिकधर्म संबंधी स्वच्छता के प्रति जागृति लाने के लिए "बाल स्वच्छता जागृति" एवं "परिवर्तन" जैसे पहल किए गए।

स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन में विभागों में स्पर्द्धा लाने और स्वच्छता अभियान के समय नवोन्मेष के कार्य को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पुरस्कारों की स्थापना की गई है।

आर आई एन एल में 1 अगस्त, 2016 से 'सफाई पखवाड़ा' आरंभ

स्वच्छ भारत उद्यान

एम पी पी स्कूल, नडुपूरु में 'बाल स्वच्छ जागृति'

नागरिक संहिता

अपने नागरिकों को चिन्हित करने हेतु निगमित अभिशासन के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं के अनुरूप सेवाएँ प्रदान करने, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने और सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के क्रम में प्रमुख नीतियों के बारे में जानकारी देने के लिए आपकी कंपनी पूर्णत: प्रतिबद्ध है। नागरिक संहिता के अँग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के संस्करण कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद हैं।

सतर्कता

आपकी कंपनी शीर्षस्थ नैतिक मूल्यों के साथ और संगठन की साख को बढ़ाने के लिए लोगों में स्पष्टता व पारदर्शी तरीके से ईमानदारी, निष्पक्षता एवं दक्षता के साथ काम करने हेतु निवारक और सक्रिय माहौल बनाने पर ध्यान दे रही है।

इस प्रयास में, कंपनी के द्वारा अनुसरण की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रणालीगत अध्ययन, अधिक मूल्य के ठेकों एवं क्रय आदेशों की गहन जाँच, आंतरिक लेखापरीक्षा के अनुच्छेदों के संदर्भ में उठाए गए सवालों की जाँच, अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और औचक जाँच, बिलों की अनियमित जाँच आदि की जाती है। जागरूकता फैलाने तथा अधिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार संभावित क्षेत्रों के संदर्भ में अपने कर्मचारियों अन्य अंशधारकों को सूचनाओं से अवगत कराने के लिए त्रैमासिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

कर्मचारियों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सतर्कता जागरूकता सत्र एवं ठेका प्रबंधन, सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता आदि विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान कुल 15 सत्र, जिनमें कंपनी के प्रबंध प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारियों सहित कुल 473 कर्मचारियों ने भाग लिया। जीवन निर्माण के आरंभिक समय में ही स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के जेहन में सदाचार और नैतिकता के बीज बोने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-सतर्कता विभाग ने कदम उठाया है। इसके तहत विद्यालयों और कॉलेजों के लगभग 2047 विद्यार्थियों को कुल 16 सत्रों के माध्यम से जागरूक बनाया गया।

कंपनी की वेवसाइट पर एक आंतरिक रूप से विकसित 'ऑनलाइन विजिलेंस क्लियरेंस' मॉडयूल अपलोड किया गया है। इस मॉडयूल के माध्यम से ई-6 स्तर के कार्यपालकों की सतर्कता क्लियरेंस देने में समय को कम करने और सुविधाजनक बनाने तथा कर्मचारियों के क्रमानुक्रम के अनुसार सतर्कता रिकार्ड के आँकड़े तैयार करने में सहयोग मिल रहा है।

सतर्कता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए आपकी कंपनी को 'कार्पोरेट विजिलेंस एक्सेलेंस अवार्ड **2016-17**' प्राप्त हुए। कंपनी के दो अधिकारियों को व्यक्तिगत स्तर पर विजिलेंस एक्सेलेंस अवार्ड तथा दो अधिकारियों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए। कंपनी के दो अधिकारियों को राष्ट्रीय सतर्कता पुरस्कार-**2016** प्राप्त हुए।

कार्पोरेट विजिलेंस एक्सेलेंस अवार्ड **2016-17**

दो अधिकारियों को राष्ट्रीय सतर्कता पुरस्कार

सतर्कता तंत्र

आपकी कंपनी ने सजगता संकेत सहित एक सतर्कता तंत्र विकसित किया है और वह कंपनी के वेवसाइट लिंक https://www.vizagsteel.com/insiderinl/vigil%20mechanism%20Policy.pdf में उपलब्ध है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन

कंपनी का निष्पादन और दृष्टिकोण सहित प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण ***अनुलग्नक-1*** में संलग्न है।

निगमित अभिशासन प्रतिवेदन

आपकी कंपनी उच्च स्तर के निगमित अभिशासन हेतु प्रयास कर रही है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश जो मई, **2010** से अनिवार्यत: लागू हो चुके हैं, के अनुसार एक अलग निगमित अभिशासन विभाग बनाया गया है और यह निदेशकों के प्रतिवेदन में ***अनुलग्नक-2*** के अंतर्गत शामिल है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

मंडल के सदस्यों और प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों के आचार संहिता के संदर्भ में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की घोषणा के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य वित्त अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र निगमित अभिशासन प्रतिवेदन का अंश है जो **अनुलग्नक-3** में प्रस्तुत है।

निगमित अभिशासन के दिशानिर्देश का अनुपालन प्रमाणपत्र

पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा वर्ष **2016-17** के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से मई **2010** में जारी निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाणपत्र संलग्न है और **अनुलग्नक-4** के रूप में निदेशक प्रतिवेदन के अंतर्गत प्रस्तुत है।

निगमित सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **135** के अनुरूप आपकी कंपनी में मंडल द्वारा अनुमोदित निगमित सामाजिक दायित्व एवं निरंतरता नीति है एवं एक स्वतंत्र निदेशक के नेतृत्व में एक मंडल उप समिति भी गठित है। कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, **2014** के नियम **9** के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) की गतिविधियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन **अनुलग्नक-5** में प्रस्तुत है।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **92(3)** और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, **2014** के नियम **12(1)** के अनुसरण में दि.**31** मार्च, **2017** को समाप्त वित्त वर्ष हेतु प्रपत्र सं.एम जी टी-**9** के वार्षिक रिटर्न का विवरण **अनुलग्नक-6** में संलग्न है, जिसकी समीक्षा पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा की गयी है।

मंडल बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान, मंडल की आठ (**8**) बैठकें आयोजित हुई और इन बैठकों से संबंधित विवरण निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में समाहित किया गया है, जो इस प्रतिवेदन का हिस्सा है।

लेखापरीक्षा समिति

निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा समितियों के संयोजन से संबंधित विवरण प्रस्तुत है, जो इस प्रतिवेदन का अंश है। लेखा समिति द्वारा संस्तुत सभी सिफारिशें मंडल द्वारा स्वीकृत की गई हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के तहत निदेशक मंडल की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण

निदेशकों के जिम्मेदारी विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (C) एवं 134 (5) की आवश्यकताओं के अनुसरण में कंपनी के निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं कि:

ए) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, यथार्थ लेन-देन संबंधित सटीक विवरणों की व्याख्या सहित समुचित तरीके से मानक लेखाप्रणाली का अनुपालन हुआ;

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीति को अपनाया और उनका नियमित व्यवहार किया एवं उसके आधार पर निर्णय लिया और अनुमान लगाया कि ये तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं, जो वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों और उस अवधि में कंपनी के लाभ और हानि के दृष्टिगत तथ्य सत्य और निष्पक्ष हैं;

सी) कंपनी की परिसंपत्तियों के संरक्षण और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने व उनका पता लगाने हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव पर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया;

डी) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को 'अति गंभीरता से' तैयार किया और

ई) निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक ऐसी समुचित प्रणाली बनायी है, जो पर्याप्त और प्रभावी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा 7 के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा संबंधी विवरण

आपकी कंपनी ने प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा 6 की व्याख्या के अनुसार उनकी स्वतंत्रता के मापदंडों के अनुरूप घोषणाएँ प्राप्त की हैं।

निदेशकों की नियुक्ति एवं प्रतिदान संबंधी कंपनी की नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के अपेक्षानुसार कंपनी ने नामांकन एवं प्रतिदान समिति गठित की है। एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के कारण कंपनी में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा 3 के तहत निर्धारित अनुसार पात्रता का निर्धारण, सकारात्मक दायित्व, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामलों सहित निदेशकों की नियुक्ति और प्रतिदान से संबंधित मापदंडों का अनुपालन किया जाता है। दि.5 जून, 2015 की एम सी ए अधिसूचना सं.जी एस आर 463 (ई) द्वारा सरकारी कंपनियों के लिए नियुक्ति एवं प्रतिदान नीति में छूट दी गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी एवं निवेश से संबंधित विवरण

उपरोक्त विवरण वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (संबद्ध पार्टी लेन-देन) की उप-धारा 1 के तहत संविदाओं के विवरण

धारा 188 के अनुरूप वर्ष के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ, अत: प्रपत्र ए ओ सी-2 संलग्न नहीं है।

कंपनी मामलों से संबंधित विवरण

वर्ष के दौरान कंपनी कार्यकलापों से संबंधित विवरण इस प्रतिवेदन के आगामी अनुच्छेदों में सविस्तार प्रस्तुत है।

संचयों का स्थानांतरण

समीक्षाधीन अवधि में संचयों का स्थानांतरण प्रस्तावित नहीं है।

लाभांश

समीक्षा अवधि हेतु कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन आदि का प्रतिवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का अर्जन/व्यय आदि के विवरण **अनुलग्नक-7** में प्रस्तुत हैं।

उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी में मंडल से अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति है और उसे कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नीति के मामले में, संगठन में संकर्म एवं गैर-संकर्म दोनों के सभी विभागों में आंतरिक दल के सहयोग से जोखिम के तत्वों को चिन्हित करने के लिए अलग से एक कार्यान्वयन अभिकरण है एवं संबद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा उसका अनुश्रवण किया जाता है तथा लेखापरीक्षा समिति उसकी समीक्षा करती है।

मंडल, समितियों एवं निदेशकों के व्यक्तिगत निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन

निगमित मामले मंत्रालय (एम सी ए) ने दिनांक **5** जून **2015** को अधिसूचना संख्या जी एस आर **463** (ई) जारी करके सरकारी कंपनियों को उपरोक्त हेतु छूट दी है।

वर्ष के दौरान और रिपोर्ट करने की तारीख तक निदेशकों अथवा प्रबंधन के प्रमुख लोग (के एम पी) जो वर्ष के दौरान निदेशक नियुक्त हुए अथवा निदेशक पद से मुक्त हुए उनका विवरण निम्नवत है:

निदेशक:

नियुक्तियाँ:

निदेशक का नाम (सर्वश्री)	नियुक्ति की तारीख
श्री किशोर चंद्र दास	01.01.2017
श्री सरस्वती प्रसाद	08.02.2017
श्री वी वी वेणुगोपाल राव	06.07.2017

कार्यकाल समाप्ति:

निदेशक का नाम (सर्वश्री)	तक
सुश्री भारती एस सिहाग	30.11.2016
श्री जी बी एस प्रसाद	31.12.2016
श्री डी एन राव	31.07.2017

प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति (के एम पी):

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) श्री जे श्रीनिवास राव को दिनांक **31** अगस्त **2016** से **05.07.2017** तक की अवधि के लिए प्रमुख वित्त अधिकारी बनाया गया था। दिनांक **06.07.2017** को श्री वी वी वेणु गोपाल राव के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त होने पर, महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) श्री जे श्रीनिवास राव के स्थान पर दिनांक **06.07.2017** से उन्हें मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया।

अन्य प्रकटीकरण:

वित्तीय: वित्तीय सारांश अथवा उपलब्धियों को प्रतिवेदन के पूर्व पृष्ठों में अलग से दर्शाया गया है।

ई एस ओ पी एस/स्वेट ईक्विटी शेयर: आपकी कंपनी ने डिफरेंशियल राइट्स/स्वेट ईक्विटी शेयर्स/एंप्लाइज स्टॉक आप्शंस के साथ ईक्विटी शेयर जारी नहीं किया है।

कारोबार प्रवृत्ति में बदलाव नहीं: कंपनी के कारोबार में कोई बदलाव नहीं है और यह अपने उप-उत्पादों सहित लौह व इस्पात का कारोबार ही करती है।

कर्मचारियों का विवरण: सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **197** के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप निगमित मामले मंत्रालय (एम सी ए) द्वारा दिनांक **05.06.2015** को जारी अधिसूचना के तहत छूट प्रदान की गई है।

सहायक अथवा संयुक्त उद्यम: वर्ष के दौरान कंपनी की किसी भी सहायक अथवा संयुक्त उद्यम को समाप्त नहीं किया गया है।

वास्तविक परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धता: प्रतिवेदन वर्ष की तिथि (**31** मार्च **2017**), जिससे वित्तीय विवरण संबंधित है, के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने वाले किसी वास्तविक परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धता में बदलाव नहीं हुआ, जिससे कि कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

विशिष्टता एवं वास्तविक आदेश: वर्ष के दौरान नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई विशिष्ट और वास्तविक आदेश पारित नहीं हुआ, जिससे कंपनी के कामकाज पर दुष्प्रभाव पड़े और भविष्य में कंपनी का प्रचालन प्रभावित हो।

जमा: वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, **2013** के आलोक व प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी ने कोई जमा आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया।

आंतरिक नियंत्रण व आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी में कंपनी के आकार एवं व्यापार करने की प्रवृत्ति तथा कंपनी के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बनाए गए संबद्ध कानूनों एवं निबंधनों के अनुरूप बनाई गई नीतियों एवं प्रक्रियाओं के साथ कंपनी की प्रचालन दक्षता, संसाधनों की संरक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग में शुद्धता एवं तत्परता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त, उपयुक्त और सक्षम प्रणाली है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के निगमित अभिशासन का अभिन्न हिस्सा है। इसकी विशेषताओं में नीतियों का निर्माण, दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं, शक्तियों का प्रत्यायोजन, ई आर पी प्रणाली का कार्यान्वयन, विशिष्ट व अन्य कानूनों का अनुपालन, बजट संबंधी नियंत्रणों, लेखा समितियों की समुचित कार्यपद्धति, स्वतंत्र निदेशकों की समिति, निगमित सामाजिक दायित्व, लेखाकरण मानकों का अनुपालन आदि शामिल हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षक:

कंपनी में, अलग से एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है। आंतरिक लेखापरीक्षा का निर्वहण अनुभवी सनदी लेखाकारों, लागत व प्रबंध लेखाकारों तथा प्रणाली विशेषज्ञों एवं विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी अभियंताओं के समूह द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखाकरण विभाग अपना ध्यान प्रणाली में पारदर्शिता एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र की उपयुक्तता/पर्याप्तता पर रखता है। वार्षिक लेखाकरण की योजना विभिन्न विभागों के प्रमुख क्षेत्रों एवं उनकी समीक्षाओं, विभिन्न प्रणालियों के मूल्यांकन व जानकारियों, कंपनी की प्रक्रियाओं व नीतियों को समाहित करते हुए बनाई जाती है तथा जहाँ कहीं भी जरूरी हो, उसमें सुधार सहित अर्थपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव देता है।

लेखाकरण के विशिष्ट जाँच प्रतिवेदन को आवधिक समीक्षा के लिए लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **204** और कंपनी (प्रबंधकीय कामगार नियुक्ति एवं प्रतिदान) नियम, **2014** के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी ने वर्ष **2016-17** के लिए नई दिल्ली के पेशेवर कंपनी सचिव मेसर्स अग्रवाल एस एण्ड असोसिएट्स को सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति दी है। सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कंपनी अधिनियम, **2013** के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन अनुपालन की पुष्टि करता है और वर्ष के लिए संस्था के अंतर्नियम एवं संस्था के बहिर्नियम में शामिल प्रावधान संलग्न हैं, जो **अनुलग्नक-8** के रूप में निदेशक प्रतिवेदन के हिस्सा हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने विशाखपट्टणम के सनदी लेखाकार मेसर्स राव व कुमार को वर्ष **2016-17** के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। दि.**31** मार्च, **2017** को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं से संबंधित 'सांविधिक लेखापरीक्षक' प्रतिवेदन निदेशक प्रतिवेदन में **अनुलग्नक-9** में संलग्न है।

सहायक कंपनियों एवं लेखाओं के समेकन हेतु अनुश्रवण तंत्र

अंशधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की सहायक कंपनियों का संचालन नामिती निदेशकों के साथ गठित मंडल द्वारा किया जाता है। आपकी कंपनी अपने साथ-साथ सहायक कंपनी के निष्पादन का आवधिक रूप से परस्पर अनुश्रवण सहायक कंपनी के मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त को मंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हुए करती है। वर्ष के समेकित लेखाओं के इस प्रतिवेदन में सहायक कंपनियों के लेखाओं को शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में प्रबंधन के प्रत्युत्तर सहित सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन **अनुलग्नक-11** में संलग्न है। इस विवरण में धारा **129** की उप-धारा (**3**) के प्रथम प्रावधान, जो कंपनी (लेखा) नियम, **2014** के नियम **5** के साथ पठित है, उसके अनुसार सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं और **प्रपत्र ए ओ सी-1** में भी संलग्न हैं।

मेसर्स ओड़िशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओ एम डी सी) और मेसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बी एस एल सी), जो वर्ष **2011** से कंपनी की सहायक कंपनी बन चुकी हैं, उन्हें ओड़िशा सरकार से क्रमशः वर्ष **2014** और **2013** में वर्ष **2000-01** से **2009-10** की अवधि हेतु अधिक उत्पादन के लिए सांविधिक क्लियरेंस हेतु मांग नोटिस भेजा।

मेसर्स ओ एम डी सी के मामले में, वर्ष **2014** में **6** पट्टों के लिए कुल दावा रुपए **5,395.37** करोड़ था। इसके विरोध में ओ एम डी सी ने दिनांक **2** अगस्त, **2017** को भारत सरकार के खान मंत्रालय के समीक्षक प्राधिकरण के समक्ष समीक्षा हेतु प्रत्येक पट्टे के लिए आवेदन दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि यदि लौह अयस्क अथवा मैंगनीज अयस्क का कोई खनन पर्यावरण स्वीकृति अथवा वनीकरण स्वीकृति, प्रचालन की सहमति, अनुमोदित खनन योजना आदि जैसी अन्य स्वीकृतियों के बिना करता है, तो उसे अवैध अथवा गैर-कानूनी माना जाएगा और उससे, वर्ष **2000-01** से खनन किए गए खनिज के मूल्य के **100** प्रतिशत की वसूली की जाएगी। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की गणनाओं के अनुसार यह माना जा रहा है कि ओ एम डी सी के **6** पट्टों के ऐसे खनिज का कुल मूल्य रुपए **1,475.25** करोड़ है। इस आदेश का प्रभाव ओड़िशा सरकार द्वारा अन्य मांग नोटिस आने पर ही पता चल पाएगा।

मेसर्स बी एस एल सी के मामले में, वर्ष **2013** में जिस राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया गया था, वह राशि रुपए **09.55** करोड़ थी। मेसर्स बी एस एल सी ने भारत सरकार के खान मंत्रालय के समीक्षक प्राधिकरण के समक्ष समीक्षा हेतु आवेदन दिया है।

लेखापरीक्षक एवं सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा तैयार शर्तों आदि के संबंध में मंडल के स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ

कंपनी के स्टैंड एलोन लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की कोई शर्तें नहीं हैं। फिर भी, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के अवलोकनों के संदर्भ में प्रबंधन के प्रत्युत्तर अनुलग्नक-11 में संलग्न हैं। आगे, अपने प्रतिवेदन पर सचिवीय लेखापरीक्षकों की कोई टिप्पणी नहीं है।

संयुक्त उद्यम तंत्र

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में से यह कंपनी मेसर्स आई सी वी एल के संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में शामिल है, जिसका गठन विदेश में कोयले की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु किया गया है।

आपकी कंपनी ने आंध्र प्रदेश के बोव्विली में फेर्रो एलॉय इकाई की स्थापना हेतु 50:50 हिस्सेदारी के साथ मॉयल के साथ संयुक्त उद्यम मेसर्स रिनमॉयल फेर्रो एलॉय लिमिटेड नामक कंपनी का गठन किया है और पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ 50:50 की हिस्सेदारी के अनुपात वाली आर आई एन एल पावर ग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड (आर पी टी पी एल) का गठन किया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने लगातार 9वें वर्ष कंपनी के वित्तीय विवरण पर 'शून्य' टिप्पणी दी है। स्टैंड एलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के उपर्युक्त पत्रों की प्रतियाँ क्रमशः **अनुलग्नक-10 एवं अनुलग्नक-12** में संलग्न हैं।

लागत लेखापरीक्षा

निगमित मामले (एम सी ए) मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना सं.जी एस आर 425 (ई), दि.30 जून, 2014 एवं जी एस आर 01 (ई), दि.31 दिसंबर, 2014 तथा जी एस आर 695 (ई), दि.14 जुलाई, 2016 के माध्यम से सामग्री के उत्पादन अथवा सेवा प्रदान करनेवाली कुछ कंपनियों के लिए कंपनी (लागत अभिलेखा व लेखापरीक्षा) नियम, 2014 लागू किया है। ऐसी कंपनियों को लागत अभिलेखों का अनुरक्षण करना होगा तथा इन नियमों के अनुरूप लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करानी होगी। ये नियम कंपनी के लिए भी लागू होंगे एवं तदनुसार कंपनी द्वारा लागत लेखाकरण अभिलेखों का अनुरक्षण किया जा रहा है तथा लागत लेखापरीक्षक द्वारा लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप वर्ष 2016-17 के लिए दिल्ली के लागत लेखापरीक्षक मेसर्स एस के जी एण्ड कंपनी को लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। वर्ष 2016-17 का लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार होने वाला है और इसे निर्धारित समय पर निगमित मामले मंत्रालय के लागत लेखापरीक्षा शाखा में जमा करा दिया जाएगा।

आभार निवेदन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, खासकर इस्पात मंत्रालय एवं आंध्र प्रदेश सरकार के प्रति उनके द्वारा दिए गए मूल्यवान निर्देश, सहायता, सहयोग और समर्थन हेतु हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है और वित्तीय संस्थानों, कंपनी के बहुमूल्य ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, रेलवे, बैंकों, लेखापरीक्षकों, संविदा अभिकरणों, व्यापार सहयोगियों, परामर्शदाताओं, संघ सरकार के मंत्रालयों के अन्य प्राधिकारियों एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं स्थानीय जिला प्रशासन तथा कानून व्यवस्था प्राधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल वर्ष के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों, श्रमिक संघों एवं स्टील एक्जिक्यूटिव असोसियेशन द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण प्रयासों एवं मेहनत के प्रति भी आभारी है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(पो मधुसूदन)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

विशाखपट्टणम

दिनांक: 01 सितंबर, 2017

निदेशक प्रतिवेदन का अनुलग्नक-1

प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण प्रतिवेदन (एम डी ए)

1.0 औद्योगिक ढाँचा और विकास

1.1. वैश्विक इस्पात में विकास:

वर्ष 2015 में वैश्विक दृश्यमान इस्पात खपत में 3% तक कमी के पश्चात् वर्ष 2016 के दौरान 1% का सुधार दर्ज किया गया। वैश्विक इस्पात संघ के अल्पकालिक परिदृश्य (एस आर ओ) अप्रैल, 2017 के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2017 और 2018 में चीन को छोड़कर विकसित अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरनेवाली व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं दोनों में वृद्धि की गति जारी रहने की संभावना है। अनुमान के अनुसार वैश्विक इस्पात की माँग में 45% तक की हिस्सेदारी रखनेवाला चीन में नियंत्रित वृद्धि दर रहेगी, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2017 एवं 2018 में वैश्विक वृद्धि दर क्रमश: 1.3% व 0.9% तक सीमित होगी।

क्षेत्रवार/देशवार दृश्यमान इस्पात की खपत और वर्ष दर वर्ष वृद्धि का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया :

क्षेत्र	दृश्यमान इस्पात का उपयोग (मि ट)			वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर (%)		
	2016	2017 (पू)	2018 (पू)	2016	2017 (पू)	2018 (पू)
ई यू 28	157.4	158.2	160.4	2.3	0.5	1.4
यूरोप का शेष भाग	40.7	41.7	43.2	0.6	2.6	3.5
सी आई एस	48.7	50.2	51.9	-4.1	3.2	3.4
एन ए एफ टी ए	132.2	135.2	138.5	-1.5	2.2	2.4
केंद्रीय व दक्षिण अमेरिका	39.4	40.8	42.7	-13.6	3.5	4.7
अफ्रीका	37.9	38.4	40.0	-2.1	1.5	4.1
मध्य पूर्व	53.1	54.8	56.8	-1.3	3.1	3.7
एशिया व ओशिनिया	1005.6	1016.0	1015.0	2.3	1.0	-0.1
विश्व	**1515.0**	**1535.2**	**1548.5**	**1.0**	**1.3**	**0.9**
चीन	681.0	681.0	667.4	1.3	0.0	-2.0
चीन के बिना उभरती व						
विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ	435.3	452.7	474.9	1.4	4.0	4.9
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ	398.7	401.5	406.2	-0.1	0.7	1.2
संयुक्त राष्ट्र	91.6	94.3	97.1	-4.7	3.0	2.9
भारत	**83.5**	**88.6**	**94.9**	**4.1**	**6.1**	**7.1**

पू - पूर्वानुमान

स्रोत: डब्ल्यू एस ए एस आर ओ अप्रैल, 2017

हालाँकि, यह नोट किया जाय कि वर्ष 2018 के लिए अनुमानित 1548.5 मिलियन टन माँग वर्ष 2014 में दर्ज की गयी 1546.9 मिलियन टन माँग की तुलना में केवल आंशिक रूप से अधिक है। अत: ध्यान दिया जाय कि माँग में साधारण वृद्धि के बावजूद वृहद मात्रा में अनुप्रयुक्त क्षमता का कीमतों पर दबाव बने रहने की संभावना है।

1.2 भारत की अर्थव्यवस्था:

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 7.1% तक बढ़ी, जो वर्ष 2015-16 की 8% की तुलना में कम है। वर्ष 2015-16 में 7.9% तथा इस वर्ष की चौथी तिमाही के 8.7% की तुलना में वर्ष 2016-17 में सकल मूल्यवर्धित वृद्धि (जी वी ए) 6.6% और चौथी तिमाही में 5.6% रही।

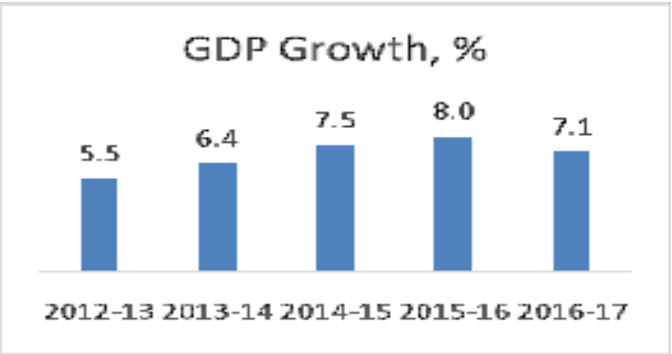

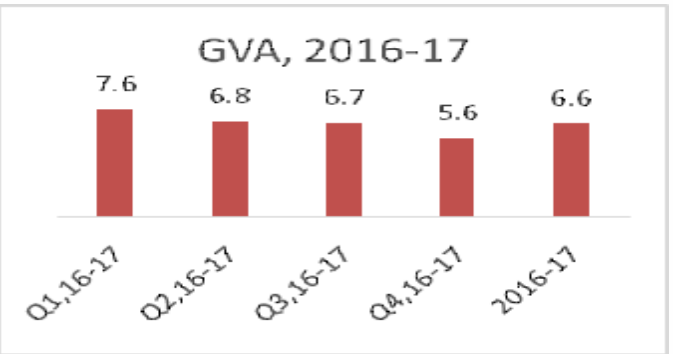

भारतीय इस्पात परिदृश्य :

वर्ष 2016-17 में दृश्यमान इस्पात खपत में 2.6% की आंशिक वृद्धि देखी गयी, जबकि बिक्री के लिए उत्पादन 10% (10.7%) से अधिक वृद्धि हुई। (संदर्भ चित्र-4)

Source: JPC Reports

यह भी ध्यान दिया जाय कि भारत तीसरा बृहदतम उत्पादक बना रहा और इसकी अर्थव्यवस्था इस्पात उत्पादन में नियमित रूप से वृद्धि दर्ज करनेवाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

विगत कुछ वर्षों से (संदर्भ चित्र-5) देश में अत्यधिक क्षमता वृद्धि के साथ-साथ बाजार की स्थिति में मंदी के कारण क्षमता उपयोग में गिरावट पायी गयी है।

Source: JPC Reports

वर्ष 2016-17 में देश में इस्पात क्षेत्र में अत्यधिक स्तर पर अस्थिरता देखी गयी। लंबे उत्पादों के प्रचालनरत कंपनी के मामले में कीमतों में कमी पायी गयी। अप्रैल से अगस्त, 2016 के दौरान टी एम टी रीबार की कीमतों में 15% तक गिरावट हुई, उसके पश्चात् मुख्यत: आयातित कोकिंग कोयला की कीमतों में अस्थिरता के कारण रीबार की कीमतों में सुधार दर्ज हुई। (संदर्भ चित्र - 1)

Source: JPC Reports

लौह अयस्क फाइन की देशीय कीमतों में भी अप्रैल 2016 और जून, 2016 अवधि के बीच 21% गिरावट के साथ वही स्थिति दर्ज हुई, जिसमें तृतीय तिमाही में मजबूती देखी गई। अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक लौह अयस्क की कीमतों में लगभग 17% तक वृद्धि पाई गई। (संदर्भ चित्र-2)

अंतर्राष्ट्रीय कोकिंग कोयला की कीमत जून 2016 के दौरान लगभग यू एस डालर 90/टन से 300/टन तक यानि 200% से ज्यादा बढ़ी। इस बढ़ोत्तरी का प्रभाव इसके उपरांत प्राप्त आयातित कोकिंग कोयला की भारित औसत कीमत पर पड़ा (चित्र - 3 देखें) और इस्पात कीमतों में वृद्धि के न होने के कारण इस्पात उत्पादकों के लाभ पर ध्यान देने योग्य दबाव पड़ा।

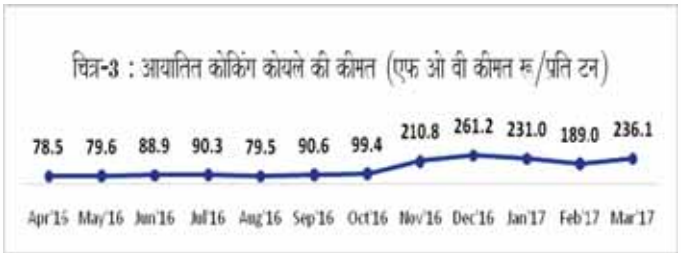

2.0 ताकतें और कमजोरियाँ

कंपनी की कुछ ताकतें व कमजोरियाँ (जिसकी सूची विस्तृत रूप में नहीं है) नीचे प्रस्तुत हैं:

ताकतें	कमजोरियाँ
- तटीय आधारित प्रदेश - भारत में सुगठित विपणन तथा ग्राहक तंत्र - भूमि की उपलब्धता - गुणवत्तापूर्ण उत्पादक छवि - प्रतिबद्ध मानवशक्ति - सुदृढ़ पर्यावरणीय व सामाजिक प्रतिबद्धताएँ	- लौह अयस्क एवं कोकिंग कोयला के निजी खदानों का अभाव - एक ही जगह पर अवस्थित कंपनी और केवल लंबे उत्पाद, बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित - उच्च ईक्विटी आधार - निवेश योग्य अधिशेषों का अभाव

3.0 अवसर और चुनौतियाँ

अवसर	चुनौतियाँ
- भारत सरकार के पुनर्गठन का प्रस्ताव - उत्पाद विविधीकरण - विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं को उत्पादों का निर्यात - नई सुविधाओं की उपलब्धता - बढ़ी उत्पादन दक्षता - उच्चतम मूल्यवर्धित इस्पात के लिए सेकंडरी धात्विकी	- अधिक प्रतिस्पर्द्धा - बाजार में मंदी की स्थिति - कोकिंग कोयला की आपूर्ति और कीमतों में अस्थिरता - एकल लौह अयस्क आपूर्तिकार - लंबे उत्पादों में सेकंडरी उत्पादकों का वर्चस्व - उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी के कारण लाभ में गिरावट - अन्य अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण भारत में अधिक आपूर्ति

4.0 खंडवार या उत्पादवार निष्पादन

उपर्युक्त मद से संबंधित विवरण निदेशक के प्रतिवेदन में शामिल किया जा चुका है। उसे देखा जा सकता है।

5.0 वर्ष 2017-18 में कंपनी का परिदृश्य

वर्ष 2017-18 के संघीय बजट में मूलसंरचना को बढ़ावा का उल्लेख से वर्ष 2017-18 के द्वितीयार्ध और वर्ष 2018-19 में इस्पात की माँग की स्थिति में सुधार की संभावना बनी है, जो एक शुभ संकेत है।

विश्व इस्पात संघ द्वारा भारत के संदर्भ में वर्ष 2017 व 2018 के दौरान इस्पात की माँग के लिए स्थिर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आर आई एन एल नई इकाइयों से उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हुए इस अवसर का लाभ उठाएगा। आर आई एन एल वर्ष 2017-18 में वाक्यूम डीगैसर जैसी अतिरिक्त सेकंडरी धातुकर्मी सुविधाओं के प्रवर्तन तथा स्थिरीकरण के पश्चात् मूल्य वर्द्धित इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही, उत्पाद की श्रेणी में भी सुधार की जा रही है और विशेष बार मिल के उत्पाद आंशिक रूप से कॉयल के रूप में भी उपलब्ध किए जाएँगे।

वर्ष 2017-18 के लिए आर आई एन एल के ध्यान केंद्रित क्षेत्र:

- नयी और पुनरोद्धार की गई इकाइयों से उत्पादन में बढ़ोत्तरी
- उच्चतम मूल्य वर्धित इस्पात के उत्पादन में वृद्धि
- उच्च एन एस आर क्षेत्र की बिक्री में सुधार
- आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उच्च प्रभावी लागत कटौती पर बल

6.0 जोखिम व चिंतनीय मुद्दे:

कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता, बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा, इस्पात की बाजार में मंदी, आधुनिकीकरण परियोजनाओं की पूर्ति में देरी और बनायी गयी योजना की तुलना में नई इकाइयों से कम उत्पादन आदि अगले वर्ष के दौरान कंपनी के समक्ष उत्पन्न होनेवाले कुछ जोखिम व चिंतनीय मुद्दे हैं।

7.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी उपयुक्तता

उपर्युक्त मद से संबंधित विवरण निदेशक के प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और उसका संदर्भ लिया जा सकता है।

8.0 प्रचालन निष्पादन से संबंधित वित्तीय निष्पादन पर विचार-विमर्श

8.1 वित्तीय परिदृश्य

कंपनी द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: मूल्य में 4% वृद्धि के साथ 12,706 करोड़ का बिक्री कारोबार (388.99 करोड़ ट्रायल रन उत्पादन सहित) दर्ज किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, निवल बिक्री प्राप्ति में 5% वृद्धि अंकित हुई। कच्चे माल की कीमतों को पाटने के लिए प्राप्ति में वृद्धि अपर्याप्त रही और इसके कारण कंपनी में हानि हुई। हालाँकि, मात्रा में वृद्धि और लागत कटौती पहल के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के सकल मार्जिन में 659 करोड़ रुपए की हानि को कम करते हुए इसे इस वर्ष के दौरान 264 करोड़ रुपए तक सीमित की जा सकी।

8.2 वित्तीय निष्पादन

विवरण	वित्त वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
बिक्री कारोबार*	12706	12271	4
सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	(264)	(659)	60
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	(1690)	(1702)	1
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	(1263)	(1604)	21

*बिक्री कारोबार में वित्त वर्ष 2016-17 के 388.99 करोड़ और वित्त वर्ष 2015-16 के 2211.24 करोड़ के ट्रायल रन उत्पादन की बिक्री शामिल हैं।

8.3 कंपनी के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

8.3.1 बिक्री कारोबार (ट्रायल रन सहित)

विवरण	वित्त वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
बिक्री योग्य इस्पात उत्पादों की बिक्री	11924	11504	4
कच्चा लोहा व अन्य उत्पादों की बिक्री	782	767	2
कुल बिक्री कारोबार	12706	12271	4
उपर्युक्त शामिल ट्रॉयल रन उत्पादन की बिक्री	389	2211	
ट्रॉयल रन उत्पादन के बिना बिक्री कारोबार	12317	10060	22

8.3.2 अन्य राजस्व

विवरण	वित्त वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
अर्जित ब्याज	66.09	95.04	(30)
अन्य गैर-प्रचालन आय	194.20	253.88*	(24)

* अन्य गैर-प्रचालन आय में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के आधार पर **122.93** करोड़ संपत्ति कर की वापसी और हुदहुद दावे के निपटान के रूप में बीमा कंपनी से प्राप्त **25** करोड़ रुपए शामिल हैं।

8.3.3 व्यय (निवल अंतर लेखा समायोजन)

विवरण	वित्त वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
खपत की गयी सामग्री की लागत	6945.20	4141.59	68
अर्धपरिसज्जित/परिसज्जित माल की वस्तुसूची में परिवर्तन	(397.54)	1149.72	
कर्मचारी लाभ	2163.83	1881.87	15
वित्त लागत	767.74	676.70	13
मूल्यह्रास व परिशोधन	658.86	365.66	80
अन्य व्यय	2953.87	2854.83	3
कुल	13091.96	11070.37	18

खपत की गयी सामग्री की लागत में से ट्रॉयल रन उत्पादन के लिए खपत की गई लागत निकाल दी गयी। खपत की गयी सामग्री की लागत में **6,019.40** करोड़ के प्रति **7,789.77** करोड़ रुपए के ट्रॉयल रन उत्पादन की लागत शामिल की गयी। इससे **29%** वृद्धि दर्ज हुई।

मुख्यत: कार्यकारी पूँजी आवश्यकताएँ, पूँजीकरण आदि में बढ़ोत्तरी के कारण ब्याज व्यय में वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष के दौरान इस्पात गलन शाला-**2**, डब्ल्यू आर एम-**2**, सिंटर संयंत्र-**3** आदि जैसी नई इकाइयों के पूँजीकरण के कारण अधिक मात्रा में मूल्यह्रास हुआ।

वित्त वर्ष **2016-17** के लिए व्यय का विश्लेषण (ट्रायल रन सहित)

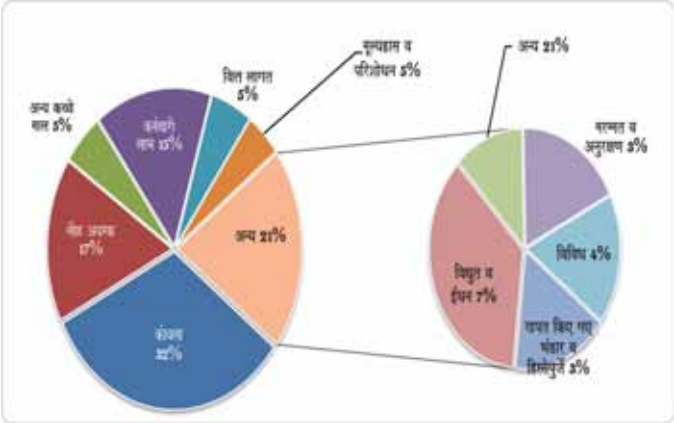

8.3.4 राजकोष में योगदान

पिछले वर्ष के **1954** करोड़ रुपए की तुलना में कंपनी ने विविध सरकारी अभिकरणों को कर एवं प्रभार के रूप में राष्ट्रीय राजकोष में **1501.43** करोड़ रुपए का अंशदान किया।

8.3.5 उधार

विवरण	वित्त वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
संरक्षित ऋण	7370.45	4130.34	78
असंरक्षित ऋण	6835.10	6260.78	9
कुल ऋण (दीर्घ व अल्पावधि)	14205.55	10391.12	37

8.3.6 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

विवरण	वित्त वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
निवल ब्लॉक			
मूर्त	12902.88	11917.66	8
अमूर्त	25.21	37.49	(33)
चालू भारी मरम्मत कार्य	7768.96	6988.67	11
विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	2.70	(100)

8.3.7 गैर-चालू परिसंपत्तियाँ व गैर-चालू देयताएँ

विवरण	वित्त वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
गैर-चालू देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	5841.71	3805.48	54
अन्य वित्तीय देयताएँ	42.90	13.56	216
प्रावधान	964.06	853.59	13
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	0.00	202.37	(100)
अन्य गैर-चालू देयताएँ	7.71	7.15	8
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
वित्तीय परिसंपित्तियाँ			
निवेश	740.88	697.59	6
ऋण	128.54	154.74	(17)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	286.70	157.09	83
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	242.41	0.00	-
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	158.02	116.14	36

8.3.8 चालू परिसंपत्तियाँ, चालू देयताएँ

विवरण	वित्त वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
चालू परिसंपत्तियाँ			
वस्तुसूची			
अर्ध-परिसज्जित/ परिसज्जित माल	2343.94	1873.47	25
कच्चा माल	1734.96	1438.09	21
भंडार व हिस्से पुर्जे	687.95	499.04	38
कुल वस्तुसूची	4766.85	3810.60	25
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्य सकल प्राप्य	899.78	977.81	(8)
घटाएँ: व्यापार प्राप्य हेतु प्रावधान	20.98	21.03	(0)
निवल प्राप्य	878.80	956.78	(8)
नकद व बैंक शेष	53.9	45.56	18
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	276.26	282.21	(2)
अन्य कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.01	7.00	(100)
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	636.48	670.28	(5)
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	6612.30	5772.43	15
चालू देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	8048.84	6585.64	22
व्यापार देय	1037.85	733.56	41
अन्य वित्तीय देयताएँ	3532.35	3128.98	13
व्युत्पन्नी	138.38	54.17	155
प्रावधान	137.59	102.51	34
अन्य चालू देयताएँ	544.86	488.67	11
कुल चालू देयताएँ व प्रावधान	13439.87	11093.53	21

8.3.9 कंपनी द्वारा उठाए गए पहल :

आर आई एन एल मूल्य वर्धित इस्पात उत्पादन के अलावा लागत कटौती के लिए आंतरिक उपायों की तलाश में सभी प्रकार के प्रयास कर रहा है। उठाए गए विविध लागत कटौती पहलों की समीक्षा की जाती हैं। कच्चे माल, हरित ऊर्जा की उत्पत्ति और प्रचालन दक्षता में सुधार आदि जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त युक्तिसंगत लागत उपाय क्षेत्र भी पहचाने गए। प्रचालनरत लागत में कटौती के लिए गए महत्वपूर्ण मद :

- **श्रम उत्पादकता में सुधार**: वर्ष 2016-17 में श्रम उत्पादकता में वर्ष 2015-16 के 345/टीसीएस/प्रति व्यक्ति/वर्ष की तुलना में 375/टी सी एस/प्रति व्यक्ति/वर्ष तक वृद्धि हुई।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना** : धमन भट्ठियाँ - 1 व 3 में कोक की जगह आंशिक प्रतिस्थापना के रूप में पल्वराइज्ड कोयला इंजेक्शन का उपयोग और धमन भट्ठी - 3 में 120 कि ग्रा/टी एच एम तक का उच्चतम दर प्राप्त किया जा सका।
- **बेंचमार्किंग** : वर्ष के दौरान, धमन भट्ठी उत्पादकता, कोक दर, ऊर्जा खपत आदि जैसी सुधार के लिए कई तकनीकी-आर्थिक मापदंड पहचाने गए, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुई।
- **विद्युत संयंत्र - 2 से अधिकतम निजी विद्युत उत्पत्ति** : इसमें आंतरिक सस्ता धमन भट्ठी गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट ऊर्जा वसूली के आधार पर पिछले वर्ष के 25.89 मेगावाट की तुलना में वर्ष 2016-17 में विद्युत का उत्पादन 48.28 मेगावाट तक पहुँचा।
- **लागत कटौती उपाय** : आर आई एन एल के लिए निजी खदानों के नहीं होने के कारण कच्चे माल की कीमत अत्यधिक है। अत:, आर आई एन एल के लिए लागत कटौती उपाय ध्यान हमेशा ध्यान केंद्रित क्षेत्र रहा। आर आई एन एल सदा लागत को नियंत्रित करने तथा वित्तीय स्थिति में सुधार की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2016-17 के दौरान कोकिंग कोयला की कीमतों में तीन गुना असाधारण वृद्धि के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रमुख क्षेत्र जहाँ सुधार लाया जा सका :

क. सं.	मापदंड	इकाई	2016-17	2015-16	% सुधार
1	रैक रिटेंशन समय	घंटे	12.13	14.80	18
2	धमन भट्ठी में कार्बन दर, जो कोक की खपत और पी सी आई पर निर्भर है	कि ग्रा/टी एच एम	460.80	478.60	4
3	धमन भट्ठियों में विनिर्दिष्ट ऊष्मा की खपत	एम केल/टी एच एम	475.00	526.00	10
4	धमन भट्ठियों में विनिर्दिष्ट विद्युत की खपत	केडब्ल्यूएच/टी एच एम	45.74	51.40	11
5	धमन भट्ठियों में वायु की खपत	सी यू एम/टी एच एम	1296.00	1388.00	7
6	एस एम एस -2 में एल डी गैस की प्राप्ति	एन एम^3/टी सी एस	80.00	13.70	>100
7	एस एम एस-2 में औसतन कन्वर्टर का जीवन काल	हीट्स की संख्या	2953.00	1956.00	51
8	डब्ल्यू आर एम-2 में विनिर्दिष्ट विद्युत की खपत	केडब्ल्यूएच/टन	287.50	340.90	16
9	धमन भट्ठी-3 में टी आर टी से विद्युत का उत्पादन	मेगावाट	7.01	2.31	>100

- **सस्ते कच्चे माल के साथ प्रतिस्थापन** : महँगे कच्चे माल खासकर कोकिंग कोयले का प्रतिस्थापन सस्ते माल से करने की दिशा में नियमित रूप से प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में टेक कोयला और तुहुप कोयला जैसे दो नए सस्ते कोयला का प्रयोग शुरू किया गया है, जिससे मिश्रण लागत को कम करने में मदद मिली।
- **मूल्य वर्धित इस्पात के माध्यम से प्राप्य में सुधार**: उच्च कार्बन, उच्च मैंगनीज व 20.64 स्प्रिंग स्टील (वर्ष 2015-16 में 1.3 लाख टन की तुलना में वर्ष 2016-17 में 2.0 लाख टन) की बढ़ोत्तरी के माध्यम से प्राप्य में सुधार।
- **अनुकूलतम विपणन पद्धति के माध्यम से प्राप्य में सुधार** : उच्च निवल बिक्री प्राप्ति क्षेत्रों में बिक्री में वृद्धि के माध्यम से वर्ष 2015-16 के 1.0 मि टन की तुलना में वर्ष 2016-17 में 1.2 मि टन तक प्राप्य में सुधार हुई।

वित्त पहल :

(i) ब्याज भार को कम करने की दिशा में ऋण के लिए नियमित रूप से उपलब्ध विविध विकल्पों का अनुकूलतम उपयोग किया गया। वाणिज्य कागजातों की जारी के माध्यम से कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण और पूर्ण रूप से बाड़ा लगाए गए अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता की साख) का लाभ उठाया गया।

(ii) ग्राहकों को वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए चैनल वित्त भागीदारों को शामिल किया गया। इसके फलस्वरूप कारोबार को बढ़ाने में और ग्राहकों को उधार देने की समस्या को कम करने में मदद मिली।

(iii) आय की प्राप्ति के लिए मूल्यह्रास का उच्चतर दर, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण पर अतिरिक्त मूल्यह्रास, ऊर्जा बचाने वाले उपकरण आदि, 32 धारा के अनुसार निवेश भत्ते, अनुसंधान व विकास व्यय में औसतन कटौती आदि के लिए विविध कर प्रोत्साहन के लिए दावे किए गए।

9.0 नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के साथ-साथ मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध आदि के मामले में वास्तविक विकास

उपर्युक्त मद से संबंधित विवरण निदेशक के प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

10.0 पर्यावरण संरक्षा व संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, अनुसंधान व विकास, अक्षय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा का संरक्षण:

उपर्युक्त मद से संबंधित विवरण निदेशक के प्रतिवेदन में शामिल किया जा चुका है।

11.0 निगमित सामाजिक दायित्व

उपर्युक्त मद से संबंधित विवरण निदेशक के प्रतिवेदन में शामिल किया जा चुका है।

12.0 स्पष्टीकरण

विवरण/आंकड़े, जिसका संबंध कंपनी से नहीं है और विविध स्रोतों से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है, उसे विश्वसनीय माना जाता है और इसकी प्रामाणिकता के लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आगे, प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण के विवरण में कंपनी के उद्धेश्यों का प्रकटीकरण, पूर्वानुमान से बनाए गए प्रक्षेपण एवं प्राक्कलन संबंधी विवरण और प्रगतिशील जानकारी से संबंधित विवरण लागू कानूनी एवं विनियमों के अनुसार प्रस्तुत है। आर्थिक स्थिति, सरकारी नीति और पारिस्थितिक घटकों के आधार पर प्रकटित या अंतर्निहित विवरण वास्तविक परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

निगमित अभिशासन प्रतिवेदन

1.0 कंपनी का सिद्धांत

कंपनी मानती है कि सत्यनिष्ठा एवं नैतिकतापूर्ण आचरण की दृढ़ प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण निगमित संपत्ति होती है। इससे कंपनी द्वारा कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, नियामकों, सह-व्यापारियों एवं शेयरधारकों के साथ निष्ठापूर्ण व स्वच्छ व्यवहार सुनिश्चित होता है। कंपनी में सम्मान्य व सैद्धांतिक कार्यों की प्रतिष्ठा बनी हुई है, जिसका कंपनी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलता है। निगमित अभिशासन के संबंध में कंपनी के सिद्धांत से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, प्रकटीकरण को सुनिश्चित करते हुए कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुपालन का रिपोर्टिंग एवं संगठन में नैतिकतापूर्ण आचरण को बढ़ावा देना अभिप्रेत है। कंपनी, देश में निगमित अभिशासन के उत्कृष्ट मानकों के अनुपालन में विश्वास रखती है, जिसके अनुसार मंडल के प्रत्येक सदस्य का प्रमुख दायित्व है कि वह कंपनी के हितों का संरक्षण व अनुरक्षण करें।

2.0 निदेशक मंडल

2.1 मंडल का संयोजन

आर आई एन एल निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। 31 मार्च, 2017 तक निदेशक मंडल में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सी एम डी), चार (4) पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक (अर्थात सरकार द्वारा नामित निदेशक) और चार (4) अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (अर्थात स्वतंत्र निदेशक) के साथ सदस्यों की कुल संख्या 11 थी। निदेशक (वित्त) का पद 01.06.2016 से खाली था। श्री वी वी वेणुगोपाल राव को 06.07.2017 को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है।

31 मार्च, 2017 तक निदेशक मंडल का विवरण निम्नानुसार है:

	कार्यकारी निदेशक	
1)	श्री पो मधुसूदन	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2)	श्री पी सी महापात्रा	निदेशक (परियोजना)
3)	श्री डी एन राव	निदेशक (प्रचालन)
4)	श्री पी रायचौधरी	निदेशक (वाणिज्य)
5)	श्री के सी दास	निदेशक (कार्मिक)
	अंशकालिक सरकारी निदेशक (अर्थात सरकार द्वारा नामित निदेशक)	
6)	श्री सरस्वती प्रसाद, अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार	
7)	श्रीमती उर्विला खाती, संयुक्त सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार	
	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात स्वतंत्र निदेशक)	
8)	श्री एस के श्रीवास्तव	
9)	श्री एस के मिश्रा	
10)	श्री के एम पद्मनाभन	
11)	श्री सुनील गुप्ता	

2.2 मंडल की बैठकें

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसार मंडल की आठ (8) बैठकें आयोजित की गयीं।

मंडल बैठक सं.	दिनांक	मंडल बैठक सं.	दिनांक
297	29-04-2016	301	15-09-2016
298	26-05-2016	302	02-12-2016
299	21-07-2016	303	23-12-2016
300	31-08-2016	304	06-01-2017

वर्ष **2016-17** के दौरान मंडल की बैठकों की संख्या व उनमें निदेशकों की उपस्थिति, अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति, अन्यत्र संभाले जा रहे निदेशक पदों की संख्या एवं आर आई एन एल/वी एस पी आदि के मंडल की उपसमितियों में संभाले जा रहे अध्यक्ष/सदस्य पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक (कों) की श्रेणी, नाम व पदनाम	निदेशक के संबद्ध सेवाकाल में आयोजित मंडल बैठकों की संख्या	मंडल बैठक में उपस्थिति	**29.09.2016** को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	**31.03.2017** तक अन्यत्र संभाले गए निदेशक पदों की संख्या	**31.03.2017** तक आर आई एन एल में मंडल की उप-समिति के अध्यक्ष/सदस्य पदों की संख्या ***		अन्य कंपनियों के मंडल की उप-समितियों में **31.03.2017** तक संभाले गए अध्यक्ष/सदस्य पदों की संख्या ***	
						अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
	कार्यकारी निदेशक								
1)	श्री पो मधुसूदन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	8	8	हाँ	7	-	-	-	-
2)	श्री पी सी महापात्रा निदेशक (परियोजना)	8	7	हाँ	5	-	1	-	-
3)	श्री डी एन राव निदेशक (प्रचालन)	8	8	हाँ	4	-	-	-	-
4)	श्री पी रायचौधरी निदेशक (वाणिज्य)	8	8	हाँ	2	-	-	-	-
5)	श्री के सी दास निदेशक (कार्मिक) (01.01.2017 से)	1	1	**	शून्य	-	1	-	-
6)	श्री टी वी एस कृष्णकुमार $ निदेशक (वित्त) (31.05.2016 तक)	2	2	**	-	-	-	-	-
7)	डॉ.जी बी एस प्रसाद $ निदेशक (कार्मिक) (31.12.2016 तक)	7	6	**	-	-	-	-	-
	अंशकालिक सरकारी निदेशक (अर्थात सरकार द्वारा नामित निदेशक)								
8)	श्रीमती उर्विला खाती संयुक्त सचिव (इस्पात)	8	7	नहीं	4	-	-	-	-
9)	श्री सरस्वती प्रसाद अ स व वि स (इस्पात मंत्रालय) (08.02.2017 से)	0	0	**	4	-	-	-	-
10)	सुश्री भारती एस सिहाग # अ स व वि स (इस्पात मंत्रालय) (30.11.2016 तक)	5	5	नहीं	-	-	-	-	-
	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात स्वतंत्र निदेशक)								
11)	श्री एस के श्रीवास्तव, भाप्रसे (से.नि)	8	8	नहीं	1	1	2	1	2
12)	श्री एस के मिश्रा, भारेसे (से.नि)	8	5	नहीं	शून्य	1	1	-	-
13)	श्री के एम पद्मनाभन	8	7	हाँ	2	1	2	1	2
14)	श्री सुनील गुप्ता	8	6	हाँ	2	1	2	-	-

$ सेवानिवृत्ति पर **समाप्ति** # भारत सरकार द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक पद की अवधि की समाप्ति

*** लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक दायित्व व निरंतरता समिति, नामांकन व प्रतिदान एवं नीति/मानव संसाधन समिति, शेयरधारक निवेशक शिकायत समिति जैसी निगमित अभिशासन से संबंधित समितियों में **31.03.2017** तक संभाले गये पदों को विचार में लेकर ऊपर दिखाया गया।

** संबद्ध व्यक्ति पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कंपनी के निदेशक नहीं थे/कंपनी के निदेशक के रूप में सेवाकाल समाप्त नहीं हुआ था।

नोट : वर्ष के दौरान निदेशक के रूप में सेवावधि समाप्त कर चुके निदेशक श्री टी वी एस कृष्ण कुमार, डॉ जी बी एस प्रसाद एवं सुश्री भारती एस सिहाग के मामले में आर आई एन एल व अन्य कंपनियों के मंडल की उपसमितियों में सदस्यता का विवरण नहीं दिया गया।

2.3 मंडल बैठक की प्रक्रिया

कंपनी सचिव, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के परामर्श से मंडल के प्रत्येक निदेशक को कंपनी के साथ पंजीकृत उनके पते पर न्यूनतम सात दिन की लिखित सूचना के साथ मंडल की बैठक आयोजित करता है। मंडल की कार्यसूची निदेशकों को पहले ही परिचालित की जाती है।

मंडल के सदस्य कंपनी एवं उसके निष्पादन से संबद्ध सभी प्रकार की जानकारी रखते हैं एवं वे कार्यसूची में चर्चा हेतु किसी मामले को जोड़ने की संस्तुति की स्वतंत्रता रखते हैं। आवश्यकता के अनुसार, वरिष्ठ प्रबंधन को बैठक में चर्चा के अधीन मामलों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी देने/अथवा मंडल के समक्ष प्रत्येक मद के संबंध में प्रस्तुतीकरण देने हेतु मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

मंडल की नियमित बैठक की जाती है और मंडल, कंपनी के प्रबंधन को उपयुक्त मार्गदर्शन देने हेतु उत्तरदायी है।

2.4 अभिशासन की समग्र प्रक्रिया में कंपनी सचिव की भूमिका

कंपनी सचिव, प्रबंधन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति होने के नाते (के एम पी) मंडल की प्रक्रियाओं के अनुसरण एवं उनकी नियमित समीक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी सचिव द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि बैठकों में निदेशकों व वरिष्ठ प्रबंधन को प्रभावी निर्णय लेने हेतु संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, विवरण व कागजात की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। कंपनी सचिव, कंपनी अधिनियम, **2013** एवं उसके तहत बनाये गये नियमों तथा उसके संबंध में लागू किसी नियम के अनुसार लागू सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है एवं अभिशासन संबंधी मामलों में प्रबंधन व नियामक प्राधिकारियों के बीच सेतु का काम करता है। कंपनी के सभी निदेशक, कंपनी सचिव की सलाह व सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष निम्न शीर्षकों के तहत जानकारी सामान्यत: कार्यसूची के रूप में प्रस्तुत की जाती है अथवा मंडल बैठकों के दौरान रखी जाती है:

- वार्षिक प्रचालन योजना व बजट एवं कोई अद्यतन जानकारी
- पूँजीगत बजट एवं कोई अद्यतन जानकारी
- कंपनी के तिमाही परिणाम व उसकी प्रचालन इकाइयाँ या व्यापार खंड
- मंडल की लेखापरीक्षा समिति एवं अन्य उपसमितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
- सहायक कंपनियों की मंडल बैठकों के कार्यवृत्त
- किसी संयुक्त उद्यम अथवा अनुसंधान व विकास परियोजना अथवा तकनीकी सहयोग करार का विवरण, जिसके लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन अपेक्षित हो
- सामग्री की बिक्री, निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों के प्रकार, जो सामान्य व्यापार के अंतर्गत नहीं आते।
- मंडल द्वारा अपेक्षित मामलों पर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में संभाले गये निदेशक पदों एवं समिति के विभिन्न पदों के प्रति उनकी इच्छा का प्रकटीकरण
- सांविधिक अनुपालन संबंधी तिमाही प्रतिवेदन
- प्रमुख विधिक विवादों से संबंधित जानकारी
- मध्यस्थता संबंधी मामले
- अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश
- महत्वपूर्ण पूँजीगत निवेश संबंधी प्रस्ताव
- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों व पद्धतियों में परिवर्तन एवं उसके कारण
- कंपनी अधिनियम, **2013** के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों का अनुपालन
- मंडल के समक्ष उनकी जानकारी अथवा अनुमोदन की अपेक्षा से प्रस्तुत की जानेवाली कोई अन्य जानकारी

2.6 स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

स्वतंत्र निदेशक, मंडल एवं मंडल की उपसमितियों की बैठकों के दौरान चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अभियांत्रिकी, वित्त, प्रबंधन, कानून व सार्वजनिक नीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव का कंपनी को लाभ पहुँचाते हैं। मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, **2013** एवं उसके तहत बनाये गये नियमों तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन से संबंधित सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशानिर्देशों में अपेक्षित अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ लेखापरीक्षा समिति व निगमित सामाजिक दायित्व समिति आदि जैसी विभिन्न उपसमितियों का गठन किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **178** के अनुसार स्वतंत्र निदेशक द्वारा संचालित निष्पादन संबंधी वेतन सहित विभिन्न मामलों के समाधान हेतु नामांकन व प्रतिदान समिति का गठन भी किया गया है।

निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों के उपयुक्त व आवधिक अनुश्रवण हेतु कंपनी अधिनियम, **2013** के प्रावधानों एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में निगमित सामाजिक दायित्व व निरंतरता से संबंधित मंडल उपसमिति का गठन किया गया है।

2.7 स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

सभी स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए स्वतंत्र निदेशकों की समिति (सी ओ आई डी) जैसी मंडल की उपसमिति गठित की गयी, जो स्वतंत्र निदेशकों की बैठक एवं पूर्णकालिक (कार्यपालक) निदेशकों अथवा प्रबंधन कर्मियों की उपस्थिति के बिना मामलों पर चर्चा करने हेतु सहयोग प्रदान करता है। ऐसी बैठकों के दौरान स्वतंत्र निदेशकों द्वारा कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में चर्चा की जाती है। वित्त वर्ष **2016-17** में **06.01.2017** तथा **19.03.2017** को ऐसी **2** (दो) बैठकें आयोजित की गयीं।

सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुनील गुप्ता	2	2
श्री एस के श्रीवास्तव	2	2
श्री एस के मिश्रा	2	1
श्री के एम पद्मनाभन	2	2

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के साथ पठित धारा 149 (6) के तहत एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु घोषणा की है।

2.8 नये निदेशकों का चयन

भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक (अर्थात सरकार द्वारा नामित) एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त/नामित किये गये।

2.9 मंडल के सदस्यों, सेवानिवृत्ति नीति तथा मंडल के सदस्यों के मूल्यांकन संबंधी शर्त व निबंधन

कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति देय प्रतिदान, अवधि आदि जैसी शर्त व निबंधन के आधार पर समय समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन्हें पाँच (5) वर्ष की अवधि अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है।

आर आई एन एल के मंडल में भारत सरकार द्वारा दो अंशकालिक सरकारी निदेशकों, अर्थात संयुक्त सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय एवं अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय जैसे सरकारी निदेशकों को नामित किया जाता है और वे भारत सरकार के विवेक के अनुसार एवं इस्पात मंत्रालय में अपने पद के साथ ऐसे कार्यालय का कार्यभार संभालते रहेंगे।

कंपनी को सरकारी कंपनी होने के नाते, नियुक्ति, निष्पादन मूल्यांकन आदि के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) एवं (पी), 149 (6) (ए) एवं (सी), 152 (5) एवं 178 (2), (3) एवं (4) के प्रावधानों से भारत सरकार, निगमित मामले मंत्रालय द्वारा दि.05.06.2015 की गजट अधिसूचना के माध्यम से छूट दी गयी।

2.10 आचार संहिता

कर्मचारियों एवं मंडल के सदस्यों के आचरण को उच्चस्तरीय बनाने से संबंधित कंपनी के प्रयासों के अंतर्गत मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए 'व्यापार आचरण व नैतिक संहिता' बनायी गयी है, जिसे कंपनी के वेबसाइट में रखा गया।

संहिता के मुख्य तत्व:

- सामान्य नैतिक अनिवार्यता
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व; और
- मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के अतिरिक्त दायित्व/अनिवार्यताएँ
- वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी एवं मंडल के सदस्य प्रतिवर्ष घोषित करते हैं कि वे संहिता का पठन करते हैं एवं उसका अनुसरण करते हैं।

2.11 मंडल संहिता

मंडल द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल हेतु मंडल सदस्यों के रूप में उनके कार्य व जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए मंडल संहिता तैयार की गयी है। संहिता में कंपनी के निगमित अभिशासन संबंधी उद्देश्यों एवं कार्यपद्धति का विवरण भी दिया गया है।

2.12 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशकों को दिये गये प्रतिदान व बैठक शुल्क का विवरण

पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यू टी डी)/कार्यकारी निदेशक

भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अध्यक्ष के परामर्श से 5 वर्ष की अवधि अथवा सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा आगे के आदेशों तक, जो भी पहले हो, के अनुसार कंपनी के अंतर्नियमों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। हालाँकि, नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने की सूचना द्वारा अथवा तीन महीने के वेतन के भुगतान के आधार पर समाप्त की जा सकती है। वर्ष 2016-17 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिये गये प्रतिदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ में मूल्य)

क्र.सं.	नाम	मूल वेतन (₹ में)	भत्ते व अनुलाभ एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ में)	बैठक शुल्क (₹ में)	कुल (₹ में)
1.	श्री पो मधुसूदन	11,15,430	25,85,966	शून्य	37,01,396
2.	श्री पी सी महापात्रा	10,59,260	22,81,981	शून्य	33,41,241
3.	श्री डी एन राव	10,25,760	20,40,104	शून्य	30,65,864
4.	श्री पी रायचौधरी	9,88,800	20,06,589	शून्य	29,95,389
5.	श्री किशोर चंद्र दास (01.01.2017 से)	2,25,000	3,67,575	शून्य	5,92,575
6.	श्री टी वी एस कृष्णकुमार (31.05.2016 तक)	1,54,900	15,18,875	शून्य	16,73,775
7.	डॉ.जी बी एस प्रसाद (31.12.2016 तक)	7,81,406	27,23,311	शून्य	35,04,717

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)

भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (अर्थात स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति उनके निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगे के आदेशों, जो भी पहले हो, तक की जाती है। कंपनी द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को मंडल/मंडल उपसमिति की प्रत्येक बैठक में उनकी उपस्थिति हेतु **20,000/-** रुपये के दर पर सिर्फ बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (अर्थात स्वतंत्र निदेशकों) को दिये गये बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नाम	मूल वेतन (₹ में)	भत्ते व अनुलाभ एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ में)	बैठक शुल्क (₹ में)	कुल (₹ में)
1.	श्री एस के श्रीवास्तव	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को कंपनी द्वारा बैठक शुल्क के सिवाय कोई अन्य प्रतिदान नहीं दिया गया।		6,80,000/-	6,80,000/-
2.	श्री एस के मिश्रा			5,00,000/-	5,00,000/-
3.	श्री के एम पद्मनाभन			4,80,000/-	4,80,000/-
4.	श्री सुनील गुप्ता			4,60,000/-	4,60,000/-

अंशकालिक सरकारी निदेशक/सरकारी निदेशक

श्रीमती उर्विला खाती, सुश्री भारती एस सिहाग एवं श्री सरस्वती प्रसाद वर्ष **2016-17** के दौरान आर आई एन एल के निदेशकों के रूप में भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक सरकारी निदेशक/सरकारी निदेशक हैं और कंपनी द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कोई प्रतिदान नहीं दिया जाता।

2.13 निदेशकों को दिये जानेवाले ऋण व अग्रिम

कार्यकारी निदेशकों को कोई विशेष ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया जाता। हालाँकि वे सामान्य कर्मचारियों के अनुरूप त्योहार अग्रिम एवं गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त करने के हकदार हैं।

3.0 मंडल की उपसमितियाँ (बी एस सी)

मंडल द्वारा निम्न समितियों का गठन किया गया है:

ए. निगमित अभिशासन

i) लेखापरीक्षा समिति
ii) नामांकन व प्रतिदान एवं नीति/मानव संसाधन समिति
iii) निगमित सामाजिक दायित्व व निरंतरता समिति
iv) अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति
v) स्वतंत्र निदेशक समिति

बी. व्यापार संबंधी अन्य उद्देश्य

vi) विपणन संबंधी मंडल उपसमिति (बी एस सी ओ एम)
vii) कच्चामाल संरक्षण एवं संयुक्त उद्यम व अधिग्रहण, एस पी यू आदि से संबंधित मंडल की उपसमिति
viii) विस्तारण व संबद्ध परियोजनाओं की समिति (पहले एच पी एस सी)
ix) प्रबंधन समिति (सी ओ एम)

मंडल उपसमिति की बैठक की प्रक्रिया

मंडल की सभी उपसमितियों की बैठकों के लिए मंडल बैठकों से संबंधित दिशानिर्देशों का अधिकांशत: पालन किया जाता है। समिति की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त मंडल के समक्ष उनके अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।

कंपनी सचिव, संबद्ध मंडल उपसमितियों के सचिव हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी (मंडल की बैठकें एवं उनकी शक्तियाँ) नियम, **2014** के साथ पठित कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **177 (2)** के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के कार्य/कार्यक्षेत्र मंडल द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

समिति का कार्यक्षेत्र:

1. समिति का कार्यक्षेत्र:

लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र, कंपनी (मंडल की बैठकें एवं उनकी शक्तियाँ) नियम, **2014** के साथ पठित कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **177**, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में निगमित अभिशासन हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

ए. सांविधिक प्रवृत्ति:

कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **177** के प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति द्वारा सांविधिक तौर पर निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन अपेक्षित है:

1) संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

ए) कंपनी में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की संस्तुति, प्रतिदान एवं उनकी नियुक्ति की शर्तें
बी) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन और प्रभावकारिता तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा व अनुश्रवण
सी) वित्तीय विवरण एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षक प्रतिवेदन की जाँच
डी) संबद्ध पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन एवं कोई परवर्ती संशोधन
ई) अंतर-निगमित ऋणों व निवेशों की जाँच

एफ) कंपनी की वचनबद्धताओं एवं परिसंपत्तियों का आवश्यकता के अनुरूप मूल्यांकन

जी) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन

एच) सार्वजनिक प्रस्तावों एवं संबंधित मामलों के माध्यम से प्राप्त निधियों के वास्तविक उपयोग का अनुश्रवण

2) लेखापरीक्षा समिति, लेखापरीक्षकों के पर्यवेक्षणों सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियाँ प्राप्त कर सकती है एवं मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा कर सकती है। साथ ही इससे संबंधित किसी मामले पर आंतरिक व सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श कर सकती है।

3) लेखापरीक्षा समिति (1) में दिये गये मदों से संबंधित अथवा मंडल द्वारा संदर्भित किसी मामले की जाँच करने का अधिकार रखती है और इसके लिए बाह्य स्रोतों से व्यावसायिक सलाह प्राप्त करने का अधिकार रखती है एवं कंपनी के अभिलेखों में दी गयी जानकारी प्राप्त कर सकती है।

वी. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

1) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अवलोकन एवं उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त व विश्वसनीय हैं।

अनुमोदन प्रवृत्ति:

2) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए उन्हें प्रतिदान के भुगतान हेतु अनुमोदन

संस्तुति प्रवृत्ति:

3) मंडल के समक्ष लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की संस्तुति

समीक्षा प्रवृत्ति:

4) सतर्कता तंत्र (सजगता संकेत तंत्र) की कार्यविधि की समीक्षा

5) वार्षिक वित्तीय विवरण मंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले, उनकी विशेषकर निम्नलिखित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ समीक्षा:

ए) मंडल के प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किये जाने वाले मद शामिल किये जायें।

बी) लेखाकरण नीतियों व पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, एवं उसके कारण;

सी) प्रबंधन द्वारा फैसले के कार्यान्वयन पर आधारित प्राक्कलनों सहित प्रमुख लेखाकरण प्रविष्टियाँ;

डी) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्राप्त वित्तीय विवरण में किये गये महत्वपूर्ण समायोजन;

ई) वित्तीय विवरण से संबंधित विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;

एफ) संबद्ध पार्टी के किन्हीं लेनदेनों का प्रकटीकरण;

जी) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप की अर्हताएँ;

6) मंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा।

7) किन्हीं महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उनसे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई पर सांविधिक व आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श

8) सांविधिक व आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के संबंध में प्रबंधन के साथ समीक्षा

9) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, विभाग के अध्यक्ष की वरीयता एवं कर्मचारी, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा की परिमित क्षेत्र व आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधि, यदि कोई हो तो उसकी पर्याप्तता की समीक्षा

10) धोखाधड़ी अथवा अनियमितता के संदेहास्पद अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की वास्तविक असफलता एवं उसके संबंध में मंडल के समक्ष रिपोर्टिंग जैसे मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किन्हीं आंतरिक जाँचों के निष्कर्षों की समीक्षा

11) लेखापरीक्षा की शुरुआत से पहले उसकी प्रवृत्ति एवं परिमिति एवं लेखापरीक्षा विचार-विमर्श पश्चात ध्यान देने योग्य मुद्दों की जानकारी हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा-परिचर्चा

12) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में वास्तविक दोषों के कारणों की जाँच

13) लेखापरीक्षा समिति की संदर्भित शर्तों में उल्लिखित अनुसार किसी अन्य गतिविधि का संचालन

14) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सी व ए जी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा

15) सार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति (सी ओ पी यू) की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा

16) स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संप्रेषण हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना

17) कंपनी में सभी संबद्ध पार्टी लेनदेनों की समीक्षा। इसके लिए, लेखापरीक्षा समिति किसी सदस्य को पदनामित कर सकती है, जो संबद्ध पार्टी के अनुमोदन पूर्व लेनदेन हेतु उत्तरदायी होगा।

18) लेखापरीक्षा प्रयासों की परिमिति की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की समीक्षा

19) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं वित्तीय स्थिति के विश्लेषण व प्रचालन परिणामों की समीक्षा

20) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबद्ध पार्टी लेनदेन विवरण की समीक्षा

21) प्रबंधन के पत्रों/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों के संबंध में जारी किये गये पत्रों की समीक्षा

22) आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा

23) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अर्थात अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी, अर्थात निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा; और

24) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति एवं निष्कासन की सूचना लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

25) विविध देनदारों की स्थिति की समीक्षा

26) निम्नलिखित के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक, यदि हो, तो और प्रबंधन के साथ विचार एवं समीक्षा

ए) कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण व संरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, एवं

बी) प्रबंधन की प्रतिक्रिया सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षक के संबद्ध निष्कर्ष एवं संस्तुति

27) निम्नलिखित के संबंध में प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार एवं समीक्षा

ए) पिछली लेखापरीक्षा संस्तुतियों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष;

बी) लेखापरीक्षा के दौरान गतिविधियों की परिमिति एवं आवश्यक जानकारी के संबंध में किन्हीं व्यवधानों सहित उत्पन्न कठिनाइयाँ;

सी) उपरोक्त के अलावा, लेखापरीक्षा समिति को सूचीगत करार के खंड 49 की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होगी:

ए) लेखापरीक्षा समिति, मुख्य वित्त अधिकारी (अर्थात पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा वित्तीय गतिविधियों का निर्वाह करनेवाले अथवा गतिविधियों की पूर्ति करनेवाले कोई अन्य व्यक्ति) की नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर अनुमोदन देगी।

बी) लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के संदेहों के निवारण हेतु उपस्थित रहना होगा; हालांकि यदि अध्यक्ष किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाते हैं तोवे लेखापरीक्षा समिति के किसी सदस्य को नामित कर सकते हैं; और

सी) लेखापरीक्षा समिति, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के उपयुक्त ऐसे (और खासकर वित्तीय मामलों के अध्यक्ष) कार्यपालक को आमंत्रित कर सकती है, हालाँकि कंपनी के किसी कार्यपालक की उपस्थिति के बगैर भी बैठक हो सकती है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष एवं सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रतिनिधि, आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हो सकते हैं।

नोट: कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत उपरोक्त परिच्छेद (सी) की आवश्यकताएँ अनुमोदित की गयी हैं। तदनुसार, उपरोक्त का कंपनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

डी) आर आई एन एल के निदेशक मंडल के अनुसार लेखापरीक्षा समिति उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित कार्य भी देखती है:

1) संस्तुति प्रवृत्ति :

ए) पूँजीगत व्यय हेतु ऋण सहित कार्यकारी पूँजीगत व्यवस्था एवं सावधि ऋणों से संबंधित संस्तुतियाँ

बी) अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी संस्तुतियाँ

सी) मंडल का अनुमोदन अपेक्षित नुकसानों को छोड़ने से संबंधित संस्तुतियाँ

2) लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचनाओं की समीक्षा :

ए) किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, अधिमान्य इश्यू आदि) के माध्यम से प्राप्त निधियों के उपयोग के विवरण, ऑफर संबंधी कागजात/विवरणिका/सूचना में उल्लिखित आशय से भिन्न आशयों के लिए निधियों के उपयोग के विवरण और पब्लिक अथवा राइट्स इश्यू से प्राप्त निधि के उपयोग का अनुश्रवण करनेवाले अनुश्रवण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा इस मामले में आगे बढ़ने हेतु मंडल के समक्ष प्रस्तुत उपयुक्त संस्तुतियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

बी) विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप नामांकन के आधार पर संविदाओं की समीक्षा।

ई. समिति की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी गतिविधि की जाँच

बी) किसी कर्मचारी से सूचना प्राप्त करना

सी) निदेशक मंडल के अनुमोदन की शर्त पर बाहरी विधिक अथवा अन्य व्यावसायिक सलाह लेना

डी) यदि आवश्यक हो तो संबद्ध अनुभव रखनेवाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना

ई) सजगता संकेतों की रक्षा करना।

एफ. लेखापरीक्षा समिति, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे किसी अन्य मामले का कार्य भी देखेगी।

अवधि : सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अनुच्छेद 4.4 के माध्यम से समय-समय पर जारी निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच का अंतराल चार (4) महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। बैठक में या तो लेखा परीक्षा के दो सदस्यों अथवा एक-तिहाई संख्या में सदस्यों को, जो भी अधिक हो, उपस्थित होना चाहिए। हालाँकि कम से कम दो स्वतंत्र सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए।

II संयोजन :

लेखापरीक्षा समिति में 31.03.2017 तक निम्नलिखित चार (4) स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

समिति के सदस्य	पद	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुनील गुप्ता	अध्यक्ष	9	8
श्री एस के श्रीवास्तव	सदस्य	9	9
श्री एस के मिश्रा	सदस्य	9	6
श्री के एम पद्मनाभन	सदस्य	9	7

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त) स्थाई रूप से आमंत्रित सदस्य हैं और आंतरिक लेखापरीक्षा व माल सत्यापन विभाग के अध्यक्ष आमंत्रित सदस्य हैं। लेखापरीक्षा समिति की बैठक में वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वार्षिक लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं विस्तार के संबंध में विचार-विमर्श के समय सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति के सचिव का कार्यभार संभालते हैं।

III. वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं उनमें उपस्थिति

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर लेखापरीक्षा समिति की नौ (9) बैठकें आयोजित हुई हैं :

क.सं.	बैठक सं.	दिनांक
1	62	11.04.2016
2	63	25.05.2016
3	64	02.07.2016
4	65	20.07.2016
5	66	24.08.2016
6	67	28.11.2016
7	68	22.12.2016
8	69	24.01.2017
9	70	04.03.2017

प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति संबंधी विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त मंडल की परवर्ती बैठकों में मंडल की जानकारी हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। मंडल की बैठक के दौरान लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणी, यदि कोई हो तो लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा मंडल को सूचित की जाती है।

3.2 नामांकन एवं प्रतिदान व नीति/मानव संसाधन समिति

नामांकन, प्रतिदान व नीति/मानव संसाधन समिति में 31.03.2017 तक तीन (3) स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।

कंपनी, एक सरकारी कंपनी है, अत: अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं प्रतिदान भारत सरकार द्वारा तय किये जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन कोष और निर्धारित सीमाओं के अनुरूप उसके वितरण की नीति के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रतिदान समिति का गठन किया गया। कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रतिदान समिति एवं नीति/मानव संसाधन समिति दोनों को मिलाते हुए नामांकन, प्रतिदान व नीति/मानव संसाधन समिति का पुनर्गठन किया। प्रतिदान समिति (आर सी) के मामलों के संबंध में निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) आमंत्रित किये जाते हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 11.04.2016 व 25.05.2016 को 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं। सदस्यों तथा उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	पद	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस के श्रीवास्तव	अध्यक्ष	2	2
श्री सुनील गुप्ता	सदस्य	2	2
श्री के एम पद्मनाभन	सदस्य	2	1

3.3 निगमित सामाजिक दायित्व व निरंतरता समिति

संयोजन :

निगमित सामाजिक दायित्व व निरंतरता समिति में 31.03.2017 तक तीन (3) स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 02.07.2016 व 28.11.2016 को 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं। सदस्यों व उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

निदेशक का नाम	पद	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री के एम पद्मनाभन	अध्यक्ष	2	2
श्री एस के श्रीवास्तव	सदस्य	2	2
श्री सुनील गुप्ता	सदस्य	2	1

नोट : समिति की बैठकों में निदेशक (कार्मिक), निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (प्रचालन) आमंत्रित सदस्य होते हैं।

3.4 अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति

अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति के पाँच (5) सदस्य हैं और एक स्वतंत्र निदेशक इसके अध्यक्ष हैं तथा अन्य चार (4) पूर्णकालिक निदेशक इसके सदस्य हैं। विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	पद
श्री एस के मिश्रा	अध्यक्ष
निदेशक (परियोजना)	सदस्य
निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
संबद्ध कार्यकारी निदेशक	सदस्य

समिति की आवश्यकता के आधार पर आवधिक बैठक होती है।

4.0 आम सभा की बैठकें

(i) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तिथि, समय व स्थान:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2013-14	29.09.2014	15.00 बजे	प्रशासनिक भवन आरआईएनएल/वीएसपी विशाखपट्टणम–31
2014-15	29.09.2015	11.00 बजे	
2015-16	29.09.2016	11.00 बजे	

(ii) क्या पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित किया गया: जी हाँ

दिनांक	विशेष रूप से पारित संकल्प का विवरण
29.09.2015	अपरिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करना
29.09.2014	कंपनी अधिनियम, 2013 की पुष्टि में कंपनी के विनियमों से युक्त संस्था के नये अंतर्नियमों को अपनाना
29.09.2014	आर आई एन एल के मंडल में अधिकतम 16 (सोलह) निदेशकों तक निदेशकों की संख्या को अनुमोदित करना
29.09.2014	अपरिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करना

नोट: 29.09.2016 को आयोजित वार्षिक आम बैठक हेतु 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित वर्तमान व भावी उधारों के संबंध में (i) प्रदत्त शेयर पूँजी की तुलना में अधिक मात्रा में उधार व कंपनी की मुक्त आरक्षित निधियों और (ii) कंपनी की चल व अचल परिसंपत्तियों की गिरवी के अवसर तथा/अथवा उनके प्रभार से संबंधित दो विशेष संकल्प रद्द किये गये।

(iii) चालू वर्ष की वार्षिक आम बैठक :

वित्तीय वर्ष	दिन व दिनांक	समय	स्थान
2016-17	बुधवार 27 सितंबर, 2017	11:00 बजे	प्रशासनिक भवन आरआईएनएल/वीएसपी विशाखपट्टणम

(iv) विशेष सामान्य बैठक एवं पारित विशेष संकल्प :

वर्ष के दौरान विशेष सामान्य बैठक आयोजित नहीं की गई।

5. प्रकटीकरण

(i) कंपनी के हितों के संदर्भ में बड़े पैमाने पर विवाद उत्पन्न करनेवाले पार्टी से संबंधित वास्तविक व महत्वपूर्ण लेन देन का प्रकटीकरण

कंपनी का अपने समर्थकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, अपनी सहायक कंपनियों अथवा संबद्ध व्यक्तियों आदि के साथ कंपनी के हित को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले विवाद जैसा कोई लेन-देन नहीं था।

(ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन संबंधी विवरण, सरकार द्वारा जारी किसी मार्गदर्शक सूत्र से संबंधित किसी मामले पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर लगाया गया अर्थदंड, आरोप का विवरण:

पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के दृष्टांत नहीं थे, सरकार द्वारा जारी किसी मार्गदर्शक सूत्र से संबंधित किसी मामले के संदर्भ में किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई अर्थदंड का आरोप/कंपनी के गुणदोष की व्याख्या नहीं की गयी।

(iii) आर आई एन एल की निगरानी तंत्र नीति

कंपनी में सजगता संकेत नीति के साथ निगरानी तंत्र को भी लागू किया गया है।

(iv) निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन संबंधी विवरण

कंपनी द्वारा निगमित अभिशासन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

(v) इस वर्ष एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये राष्ट्रपति के निदेशों एवं उनके अनुपालन का विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति का कोई निदेश जारी नहीं किया गया।

(vi) खाता वही में दर्ज व्यय संबंधी मद, जो व्यापार के आशय से भिन्न हों।

खाता वही में व्यय संबंधी ऐसा कोई मद दर्ज नहीं है, जो व्यापार के आशय से भिन्न हो।

(vii) वैयक्तिक प्रकृति का व्यय, जो निदेशक मंडल व उच्च प्रबंधन के लिए किया गया हो।

ऐसा कोई वैयक्तिक प्रकृति का व्यय नहीं है, जो निदेशक मंडल एवं उच्च प्रबंधन के लिए किया गया हो।

(viii) वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व कार्यालयीन व्यय का विवरण एवं वृद्धि के कारण

(रुपये करोड़ों में)

	विवरण	2016-17	2015-16	2015-16 की तुलना में वृद्धि/कमी के कारण
1	प्रशासनिक व कार्यालयीन व्यय	99.77	85.11	वृद्धि (संरक्षा व्यय में वृद्धि के कारण)
2	वित्तीय व्यय	767.74	676.70	वृद्धि (ऋण में वृद्धि के कारण)
3	कुल व्यय (लाभ व हानि खाते के अनुसार)	14767.07	11064.06	
4	कुल व्यय के % के रूप में प्रशासनिक व्यय (1÷3)	0.68%	0.77%	कमी (कुल व्यय में वृद्धि के कारण)
5	कुल व्यय के % के रूप में वित्तीय व्यय (%)(2÷3)	5.20%	6.12%	वृद्धि (ऋण में वृद्धि के कारण)

6. संचार के माध्यम

(i) त्रैमासिक परिणाम

कंपनी एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है, अत: कंपनी के त्रैमासिक परिणाम समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किये जाते। हालाँकि, उसे संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय (इस्पात मंत्रालय) और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ii) समाचारपत्र, जहाँ साधारणतया परिणाम प्रकाशित होते हैं

वार्षिक परिणामों का संक्षिप्त विवरण द हिंदू, ईनाडु (स्थानीय तेलुगु समाचारपत्र) आदि में प्रकाशित होते हैं।

(iii) कोई वेबसाइट, जहाँ प्रदर्शित होता हो

कंपनी के वेबसाइट (www.vizagsteel.com) में पिछले तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन के अंतर्गत वार्षिक परिणाम अपलोड किये गये हैं। वेबसाइट को इस तरह बनाया गया है कि विवरण का सरलता व शीघ्रतापूर्वक अवलोकन किया जा सके। वेबसाइट में वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी रूपांतर के साथ-साथ हिंदी रूपांतर भी रखा गया है।

(iv) क्या इसमें कार्यालय की प्रेस विज्ञप्तियाँ भी अपलोड की जाती हैं?

कंपनी के वेबसाइट (www.vizagsteel.com) में कार्यालय की प्रेस विज्ञप्तियाँ भी अपलोड की जाती हैं।

7. शेयरधारकों की जानकारी

(i) कंपनी के पंजीकरण का विवरण

कंपनी का भारत के आंध्रप्रदेश राज्य में पंजीकरण किया गया है। निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कंपनी को आवंटित निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) U27109AP1982GOI003404 है।

(ii) वार्षिक आम बैठक

तिथि: बुधवार, 27 सितंबर, 2017

समय: 11.00 बजे

स्थान: प्रशासनिक भवन, आर आई एन एल, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी), विशाखपट्टणम

(iii) वित्त वर्ष

कंपनी के लिए वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

(iv) लाभांश का भुगतान

वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं है।

(v) स्टॉक कोड: ISIN-INE508F01013

(vi) रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट सं.17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर
हैदराबाद-500 081, तेलंगाणा राज्य, भारत
दूरभाष: +91 40 4465 5000,
फैसिमेल: +91 40 2343 1551
ई-मेल: murali.m@karvy.com
वेबसाइट: www.karisma.karvy.com,
संपर्क सूत्र: श्री एम मुरली कृष्णा
सेबी पंजीकरण संख्या: INR000000221

(vii) शेयर हस्तांतरण प्रणाली

कंपनी, सरकारी कंपनी होने के नाते समस्त शेयर भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामितियों के प्रतिनिधित्व में केंद्र सरकार के संरक्षण में होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के नाम के शेयर भौतिक रूप में नहीं होते। नामितियों के नाम पर रखे गये शेयर भौतिक रूप में होते हैं। सरकारी कंपनियों के लिए लागू पद्धति के अनुसार नामितियों में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के अनुरूप भौतिक रूप से मौजूद शेयरों का नामितियों में हस्तांतरण होता है।

डीमैट व अन्य संबद्ध कार्यों के संचालन हेतु हैदराबाद के मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड को रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्टिंग प्रणाली, साप्ताहिक छायाचित्र प्रतिवेदनों के माध्यम से होती है।

(viii) 31.03.2017 तक ईक्विटी शेयरधारिता पद्धति

क्र.सं.	शेयरधारी का नाम	ईक्विटी शेयरों की संख्या
1	भारत के राष्ट्रपति (इस्पात मंत्रालय के माध्यम से कार्यरत)	488,98,45,400
2	श्री पो मधुसूदन	300
3	श्री पी सी महापात्रा	100
4	श्री डी एन राव	100
5	श्री पी रायचौधरी	100
6	श्री सरस्वती प्रसाद	100
7	श्रीमती उर्विला खाती	100
	कुल	**488,98,46,200**

कंपनी पूर्णत: सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है। सभी शेयर ऊपर क्र.सं.2 से 7 तक दिये गये अनुसार भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामितियों के अधीन हैं।

(ix) 31 मार्च, 2017 तक कंपनी की सहायक इकाइयाँ

(ए) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)

(बी) ओड़ीशा खनिज विकास निगम लिमिटेड (ओ एम डी सी)

(सी) विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (वी एस एल सी) (ओ एम डी सी व वी एस एल सी, ई आई एल की सहायक इकाइयाँ हैं)

(x) 31 मार्च, 2017 तक संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

(ए) रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड

(बी) इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

(सी) आर आई एन एल पॉवरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड

(डी) उत्तरबंगा आर आई एन एल रेल कारखाना लिमिटेड (यू आर आर के एल)*

* कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(3) के अधीन एम सी ए अभिलेख में नाम काट दिया गया है एवं राजपत्र की अधिसूचना की प्रतीक्षा है।

(xi) पत्र-व्यवहार हेतु पता

श्री दीपक आचार्य

सहायक महाप्रबंधक (सनदी लेखाकार) एवं कंपनी सचिव

कंपनी मामले विभाग, डी-12, डी ब्लॉक, दूसरा तल, प्रशासनिक भवन

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी), विशाखपट्टणम-530031

ई-मेल: csrinl@vizagsteel.com, वेबसाइट: www.vizagsteel.com

8. लेखापरीक्षा की अर्हताएँ

कंपनी को 2007-08 से लगातार पिछले दस (10) वर्षों तक नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक से 'शून्य' टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं।

9. मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

कंपनी स्वतंत्र निदेशकों/नये नियुक्त निदेशकों को स्कोप/सार्वजनिक उद्यम विभाग/आई पी ई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित करती रहती है।

10. कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन

कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अर्थात कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक) और मुख्य वित्त अधिकारी (अर्थात निदेशक (वित्त)) ने लेखापरीक्षा समिति की समीक्षा के अनुरूप वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों को प्रमाणित किया है। (प्रति संलग्न है) **(अनुलग्नक-3)**

11. निगमित अभिशासन प्रमाणन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2010 में जारी निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन को कंपनी के अभ्यासिक सचिव ने 2016-17 के लिए प्रमाणित किया है, जो इसके साथ संलग्न है एवं निदेशक प्रतिवेदन के **(अनुलग्नक-4)** के अंतर्गत दिया गया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
Rashtriya Ispat Nigam Limited
(A Government of India Undertaking)
CIN No. U27109AP1982GOI003404

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी ई ओ) और मुख्य वित्त अधिकारी (सी एफ ओ) के प्रमाणन

हम, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक **पो मधुसूदन** और मुख्य वित्त अधिकारी व निदेशक (वित्त) **वी वी वेणुगोपाल राव**, अपनी जानकारी और विश्वास के आधार पर यह प्रमाणित करते हैं कि:

1. हमने दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण व निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ-साथ तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाता व उससे संबंधित सभी अनुसूचियों एवं लेखा टिप्पणियों की समीक्षा की है।

2. हमारी जानकारी व सूचना के आधार पर, इन विवरणों में कोई असत्य तथ्य नहीं है अथवा जिन परिस्थितियों के अधीन विवरण तैयार किए गए हैं, उन परिस्थितियों के मद्देनजर विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक किसी तथ्य को निकाला नहीं गया है, जिससे विवरणों के संदर्भ में गुमराह किया जा सके।

3. हमारी जानकारी व सूचना के आधार पर, ये विवरण कंपनी के कार्यकलापों के सही व स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखाकरण मानकों और/या लागू कानूनों व विनियमों के अनुपालन में हैं।

4. हमारी जानकारी व विश्वास के आधार पर, इस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए लेन-देन में कोई जालसाजी, अवैधता अथवा कंपनी की आचरण संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है।

5. हम वित्त संबंधी जानकारी देने हेतु आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए बाध्य हैं तथा हमने वित्तीय जानकारी से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और ऐसी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के डिजाइन व प्रचालन में विसंगतियाँ, यदि कोई हों, जिनकी हमें जानकारी हो तथा जिन्हें सुधारने का हमने उपाय किया अथवा प्रस्ताव रखा हो, उनका लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकटीकरण किया है।

6. हमने कंपनी के लेखा परीक्षकों व आर आई एन एल के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षक समिति को विवरण प्रस्तुत किया है:
   - (क) वर्ष के दौरान वित्त संबंधी जानकारी देने हेतु आंतरिक नियंत्रणों में कोई विशेष परिवर्तन, यदि हों तो
   - (ख) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में सभी उल्लेखनीय परिवर्तन, यदि हों तो, वित्तीय विवरण संबंधी नोट में समाहित किए गए हैं।
   - (ग) वित्त संबंधी जानकारी देने हेतु कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में विशेष जालसाजी संबंधी दृष्टांत, जिसकी हमें जानकारी हो तथा जिसमें प्रबंधन व किसी कर्मचारी की विशेष भूमिका हो।

7. हम आगे घोषित करते हैं कि, मंडल के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मचारियों ने दि.31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-	ह/-
वी वी वेणुगोपाल राव	**पो मधुसूदन**
मु वि अ व निदेशक (वित्त)	मु का अ व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक : 01-09-2017

VIZAG STEEL
RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED
PRIDE of STEEL
A NAVRATNA COMPANY

Please send your reply to :
Room No.D-12
Main Administration Building,
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र, विशाखपट्टणम-530031
Visakhapatnam Steel Plant, Visakhapatnam - 530 031

Phones : +91 891 -2518249
TelFax : +91 891 -2518249
E-mail : dacharya@vizagsteel.com
Grams : 'UBEAM'
Mobile : +91 9493808723 /09437211629

Regd. Office : Visakhapatnam Steel Project, Administrative Building, Visakhapatnam - 530 031, INDIA.
पंजीकृत कार्यालय : विशाखपट्टणम इस्पात परियोजना, प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टणम-530031, भारत

निदेशक प्रतिवेदन का अनुलग्नक - 4

P.N. Rao & Co.
Company Secretaries

फ्लैट नं.206, द्वितीय तल, वी आई पी टॉवर्स
सी वी एम कंपाउंड, विशाखपट्टणम-530 003
फोन नं.90300 22803, 90300 22804
मोबाइल : 7032651934
ई-मेल : pnraoandco@gmail.com

निगमित अभिशासन हेतु दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण-पत्र

सेवा में

माननीय सदस्यगण

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

विशाखपट्टणम

1. हमने भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये का.ज्ञा.सं. 18 (8) /2005-जी.एम., दि.14 मई 2010 के तहत, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में, निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों, जो सभी केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए अनिवार्य बना दिए गए हैं, उनके अनुपालन हेतु राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम (गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी) द्वारा निगमित अभिशासन निबंधनों के अनुपालन की जाँच की।

2. निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच, निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अपनायी गयी कार्यविधि तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों का न तो लेखा-परीक्षण है और न ही विचारों का अभिव्यक्तीकरण।

3. हमारे विचार व सर्वोत्तम सूचनाओं तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त डी पी ई के दिशा-निर्देशों में निर्धारित अनुसार निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

4. आगे हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन भविष्य में व्यावहारिकता के लिए कंपनी का न कोई आश्वासन है और न ही सक्षमता या प्रभावोत्पादकता जिनके द्वारा प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलाप किए।

कृते पी एन राव एंड कंपनी
कंपनी सचिव

P. Narasimha Rao
17.08.2017

(पी नरसिंग राव)
प्रोप्राइटर
सी पी नं.2552

P.N. RAO & CO. Visakhapatnam COMPANY SECRETARIES

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक : 17.08.2017

निदेशक प्रतिवेदन का अनुलग्नक - 5

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन

(कंपनी नियम, 2014 के नियम 9 (निगमित सामाजिक दायित्व) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार प्रकटीकरण)

1. **निगमित सामाजिक दायित्व के तहत प्रस्तावित परियोजनाएँ या कार्यक्रम से संबंधित विवरण सहित कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति का संक्षिप्त विवरण और निगमित सामाजिक दायित्व नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रम के वेब-लिंक का संदर्भ :**

कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति प्रचालनरत कंपनी के विनिर्दिष्ट परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए बनायी गयी है। यह नीति कंपनी अधिनियम 2013 और तत्पश्चात जारी निगमित सामाजिक दायित्व नियम के अनुसार प्रक्रिया के अनुरूप अभिप्रेत है। आगे कंपनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग से जारी दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन किया जा रहा है।

नीति का सार :

निरंतरता पर उपयुक्त बल देते हुए कंपनी की नीति बनायी गयी है।

- इस नीति का नाम 'निगमित सामाजिक दायित्व व निरंतरता' (सी एस आर व एस) नीति के रूप में परिवर्तित किया गया।
- इस नीति में कंपनी की निरंतरता नीति सहित निरंतरता के लिए एक भाग का प्रावधान है।
- नीति के प्रारंभ में कार्यनीति में निरंतरता को शामिल करने के संबंध में स्पष्ट किया गया है, जबकि द्वितीयार्ध में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों के बारे में उल्लेख किया गया है।
- नीति की कार्य परिधि में कार्यकलापों की प्रकृति के साथ कार्यान्वयन क्षेत्र के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जिसमें स्थानीय क्षेत्र भी परिभाषित है।
- स्थानीय क्षेत्र और गैर-स्थानीय क्षेत्र के बीच व्यय से संबंधित सूचक अनुपात 80:20 विनिदिष्ट किया गया है।
- परियोजनाओं की पहचान, कार्यान्वयन के साथ अनुश्रवण को भी स्थान दिया गया है।
- कार्यनीति में गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी संगठनों के सहयोग से या आर आई एन एल सी एस आर न्यास के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वयन जैसे तीन विविध विकल्प भी विनिर्दिष्ट है।
- परियोजनाओं के मूल्यांकन से संबंधित शक्तियों का प्रत्यायोजन भी इसमें शामिल किया गया है।
- आर आई एन एल के साथ कार्य करने के लिए किसी भी गैर-सरकारी संगठन या न्यास के लिए न्यूनतम 5 वर्षों का नियमित अनुभव की आवश्यकता है।
- वर्ष के प्रारंभ में निगमित सामाजिक दायित्व समिति को प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रपत्र भी दिया जाता है।
- नीति का वेबलिंक : **https://www.vizagsteel.com/csr/csr-policy.pdf**

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल विकास, पर्यावरण, खेलों को बढ़ावा एवं ग्रामीण विकास जैसे ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में शुरू की गई परियोजनाओं से संबंधित जानकारी इस प्रकार है:

क्र.सं.	निगमित सामाजिक दायित्व परियोजना/कार्यक्रम/कार्यकलाप
शिक्षा	
1.	संयंत्र व खान के परिसर गाँवों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
2.	विशाखपट्टणम के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के वितरण के लिए भोजन वितरण वाहन एवं बर्तनों को संग्रह करने में अक्षयपात्रा न्यास को सहायता।
3.	विशाखपट्टणम के चंद्रामपालेम स्थित जिला परिषद हाई स्कूल के लिए 'पाठशालकि आभरणम' परियोजना के तहत 220 ड्यूयल मेज उपलब्ध कराना।
4.	विशाखपट्टणम जिले के परित: गाँवों और आदिवासी गाँवों के 500 लाभार्थियों के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम
5.	संयंत्र में और परिसर के विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अरुणोदया विशेष विद्यालय को सहयोग।
स्वास्थ्य	
6.	विशाखपट्टणम के किंग जार्ज अस्पताल के लिए बहु मंजिल अस्पताल परिसर का निर्माण एवं चिकित्सा उपकरण हेतु सहायता।
7.	कार्निया के संचयन के लिए अंबुलेंस के अधिग्रहण हेतु विशाखपट्टणम के मोहिसिन नेत्र बैंक को सहयोग।
स्वच्छता	
8.	गरमियों के महीनों के दौरान संयंत्र के पुनर्वास कालनियों व परित: गाँवों को पेयजल की आपूर्ति
9.	संयंत्र के परिसर गाँवों में पेयजल के आर ओ प्लांट्स की स्थापना
10.	महा विशाख नगर निगम को डंपर बिन, आदिवासी गाँव के लिए सौर बिजली आधारित जल प्रणाली उपलब्ध करना, ई-शौचालयों की स्थापना आदि जैसी स्वच्छ भारत परियोजनाएँ

कौशल विकास	
11.	अनुसूचित जनजाति युवा को औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालन (प्राथमिक व उच्च) में रोजगार आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण
12.	संयंत्र व खानों में पुनर्वास कॉलनियों एवं परित: गाँवों में व्यावसाथिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
पर्यावरण	
13.	विशाखपट्टणम के महा विशाख नगर पालिका निगम के चिह्नित क्षेत्रों में 'हरित विशाख' परियोजना के तहत ब्लॉक व एवेन्यू पौधारोपण
ग्रामीण विकास	
14.	विशाखपट्टणम जिले के सीतानगरम गाँव में सामुदायिक सभा भवन के निर्माण के लिए सहायता।
खेल	
15.	विशेष बच्चों के खेलों को प्रोत्साहित करना तथा खेल उपकरण के लिए सहयोग।

2. समिति का गठन

ए) निगमित सामाजिक दायित्व व निरंतरता (सी एस आर व एस) से संबंधित आर आई एन एल मंडल उप-समिति निगमित सामाजिक दायित्व समिति के रूप में कार्यरत है।

निगमित सामाजिक दायित्व व नियमितता से संबंधित मंडल उप-समिति में 3 सदस्य हैं और सभी तीन स्वतंत्र निदेशक हैं:

1. श्री के एम पद्मनाभन – अध्यक्ष
2. श्री एस के श्रीवास्तव – सदस्य
3. श्री सुनील गुप्ता – सदस्य

उपर्युक्त के अलावा निदेशक (कार्मिक), निदेशक (प्रचालन), निदेशक (वित्त) आमंत्रित सदस्य हैं और कंपनी सचिव इस समिति के सचिव है।

बी) निगमित सामाजिक दायित्व व निरंतरता से संबंधित मंडल की उप-समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दो बैठकें आयोजित की गई और निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाएँ/कार्यक्रम/कार्यकलाप की स्थिति पर समीक्षा की गयी तथा समयबद्ध तरीके से विविध निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाएँ/कार्यक्रम/कार्यकलाप को त्वरित गति से पूरा करने के लिए उपाय सुझाए गए। इसके अलावा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा निदेशकगण द्वारा इन सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों की प्रति माह समीक्षा की गयी ।

सी) निगमित सामाजिक दायित्व व निरंतरता से संबंधित मंडल की उप-समिति ने यह भी सुझाव दिया कि इन परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का प्रभाव/परिणाम का पता लगाने के क्रम में चार परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के आंकलन के लिए अध्ययन किया जाय और देखें कि परिकल्पितानुसार समुचित रूप से अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हुई कि नहीं।

3. पिछले तीन वित्त वर्षों के लिए कंपनी का औसतन निवल लाभ : रु.(-)211.04 करोड़

4. राशि का निर्धारित निगमित सामाजिक दायित्व व्यय (2%) : रु.शून्य

5. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान खर्च किए गए निगमित सामाजिक दायित्व का विवरण :

अ) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की जानेवाली कुल राशि : रु.13.75 करोड़
(पिछले वर्ष से अग्रसारित राशि रु.6.27 करोड़ सहित)

आ) खर्च नहीं की गई राशि यदि हों तो : रु.5.22 करोड़

इ) वित्त वर्ष के दौरान किए गए व्यय के प्रकार से संबंधित विवरण : **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।

6. यदि कंपनी द्वारा विगत तीन वर्षों के औसतन निवल लाभ का दो प्रतिशत या उससे संबंधित कुछ हिस्सा खर्च नहीं किया गया हों तो, कंपनी अपने मंडल प्रतिवेदन में खर्च न किए जाने से संबंधित कारण प्रस्तुत करें।

विगत दो वर्षों में प्राप्त हानि के दृष्टिगत कंपनी को निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के तहत सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप कोई राशि यानि तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसतन निवल लाभ के 2% राशि खर्च करने के लिए बाध्यता नहीं है। हालाँकि, लाभार्थियों के प्रति सामाजिक व आर्थिक रूप से महत्व रखनेवाले और सकारात्मक निगमित छवि को जारी रखने हेतु निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों की गति में निरंतरता बरतने के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 13.75 करोड़ रुपए (अग्रसारित राशि सहित) आवंटित किए गए।

7. निगमित सामाजिक दायित्व के उद्देश्य और कंपनी नीति के अनुपालन में निगमित सामाजिक दायित्व नीति का कार्यान्वयन और अनुश्रवण से संबंधित निगमित सामाजिक समिति का दायित्व विवरण

यह सूचित किया जाता है कि आर आई एन एल में कंपनी के निगमित सामाजिक दायित्व उद्देश्य एवं निगमित सामाजिक दायित्व व निरंतरता नीति के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित कार्यकलापों का कार्यान्वयन व अनुश्रवण का अनुपालन किया जाता है।

ह/-
(पो मधुसूदन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ह/-
के एम पद्मनाभन
(अध्यक्ष-निगमित सामाजिक दायित्व समिति)

अनुलग्नक–1

निगमित सामाजिक दायित्व–वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए व्यय संबंधी विवरण

क्र.सं.	चिह्नित सी एस आर परियोजना व कार्यकलाप	परियोजना शामिल क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र (2) विनिर्दिष्ट राज्य, जिला, जहाँ परियोजना या कार्यक्रम किए जा रहे हैं	परियोजना या कार्यक्रम की परिव्यय राशि (वजट) (रु.लाखों में)	परियोजनाओं या कार्यक्रम पर किया गया व्यय उपशीर्ष: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवर हेड खर्च (रु.लाखों में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (रु.लाखों में)	प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से व्यय की गई राशि
क्षेत्र : शिक्षा							
1	संयंत्र व खान के परित: गाँवों के गरीबी रेखा से नीचे के वच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान	शिक्षा	1. स्थानीय क्षेत्र 2. (i) विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश (ii) कृष्णा, आंध्र प्रदेश (iii) खम्मम, तेलंगाना	425.00	424.41	424.41	आर आई एन एल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
2	विशाखपट्टणम के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के वितरण के लिए भोजन वितरण वाहन एवं वितरण के लिए वर्तन प्राप्त करने में अक्षयपात्रा न्यास को सहायता करना	शिक्षा	1. स्थानीय क्षेत्र 2. विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश	11.00	9.46	9.46	अक्षयपात्रा न्यास
3	स्कूलों, महाविद्यालयों आदि में कक्षाओं, छात्रावास व्लॉक के साथ विविध फर्नीचर के रूप में शैक्षणिक मूल-संरचनागत सुविधाएँ प्रदान करना और प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम	शिक्षा	1. स्थानीय क्षेत्र 2.विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश	119.11	37.99	37.99	सर्वशिक्षा अभियान, आंध्रप्रदेश सरकार, सरकारी आई टी आई, गाजुवाका, विशाखपट्टणम, विस्टील महिला समिति, श्री साई सेवा न्यास, उक्कुनगरम, विशाखपट्टणम
4	संयंत्र में और परिसर के विभिन्न रूप से सक्षम वच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उपलव्ध कराने के लिए अरुणोदया विशेष विद्यालय को सहायता	शिक्षा	1. स्थानीय क्षेत्र 2. विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश	28.00	28.00	28.00	अरुणोदया विशेष शैक्षणिक सोसाइटी, उक्कुनगरम

5	शिक्षा एवं अन्य मूलसंरचनागत सुविधाएँ प्रदान करना	शिक्षा	1. अन्य क्षेत्र 2. गोंडा, उत्तर प्रदेश	66.45	23.11	23.11	एच एस सी एल
	क्षेत्र : स्वास्थ्य						
6	विशाखपट्टणम के किंग जार्ज अस्पताल में बहु मंजिल अस्पताल परिसर के निर्माण और चिकित्सा उपकरण के लिए सहायता प्रदान करना।	स्वास्थ्य	1. स्थानीय क्षेत्र 2. विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश	226.20	204.55	204.55	आंध्र प्रदेश चिकित्सा सेवा व मूलसंरचना विकास निगम (ए पी एम एस आई डी सी)
7	मोहिसीन नेत्र बैंक के लिए कार्नियाओं के संचयन हेतु अवुलेंस पाने के लिए सहायता और जग्गय्यपेटा चूनापत्थर खान के परित: गाँव में चिकित्सा शिविर।	स्वास्थ्य	1. स्थानीय क्षेत्र 2. (i) विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश (ii) कृष्णा, आंध्र प्रदेश	4.82	4.82	4.82	विशाखपट्टणम नेत्र बैंक और अनुसंधान प्रशिक्षण न्यास (वी ई बी ए आर टी) विशाखपट्टणम, आर आई एन एल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
	क्षेत्र : स्वच्छता						
8	संयंत्र व खान के परिसर गाँवों में आर ओ पेय जल प्लांट्स की स्थापना एवं संयंत्र के पुनर्वास कॉलनियों में ग्रीष्म मौसम में पेयजल की आपूर्ति	स्वच्छता	1.स्थानीय क्षेत्र 2.विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश	63.18	28.57	28.57	महा विशाख नगर निगम, विशाखपट्टणम
9	महा विशाख नगर निगम को डंपन विन जैसी स्वच्छ भारत परियोजनाएँ, जनजाति गाँव को सौर ऊर्जा आधारित पेयजल का प्रावधान व स्वच्छ पखवाड़ा कार्यकलाप, 'स्वच्छ विद्यालय' के तहत विद्यालयों में शौवालयों का निर्माण बाजार में ई-शौचालयों की स्थापना और अन्य कार्यकलाप	स्वच्छता	1. स्थानीय क्षेत्र 2. विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश	42.58	26.90	26.90	महा विशाख नगर निगम, ग्रामीण जलापूर्ति व स्वच्छता, आंध्र प्रदेश सरकार, सर्वशिक्षा अभियान, आंध्रप्रदेश सरकार, विस्टील महिला समिति

	क्षेत्र : कौशल विकास						
10	संयंत्र व खान के पुनर्वास कॉलनियों व परित: गाँवों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति युवा के लिए औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालन (प्राथमिक व उच्च) में रोजगार आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास	1. स्थानीय क्षेत्र 2. (i) विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश (ii) कृष्णा, आंध्र प्रदेश	21.14	10.65	10.65	जन शिक्षा संस्थान
	क्षेत्र : पर्यावरण						
11	'हरित विशाख परियोजना' के तहत विशाखपट्टणम के महा विशाख नगर निगम के चिह्नित क्षेत्रों में ब्लॉक व एवेन्यू पौधारोपण	पर्यावरण	1. स्थानीय क्षेत्र 2. विशाखपट्टणम, आंध्रप्रदेश	230.74	11.93	11.93	आर आई एन एल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
	क्षेत्र : खेल						
12	विशेष बच्चों के लिए खेल और खेल उपकरण के लिए सहयोग	खेल	1. स्थानीय क्षेत्र 2. (i) विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश (ii) नई दिल्ली	6.00	6.00	6.00	आर आई एन एल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
	क्षेत्र : ग्रामीण विकास						
13	संयंत्र व खान के परित: गाँवों में सामुदायिक सभागारों का निर्माण, सड़क निर्माण, नालों का निर्माण जैसे सामुदायिक विकास पहल	ग्रामीण विकास	1. स्थानीय क्षेत्र 2. विशाखपट्टणम, आंध्रप्रदेश	100.00	15.00	15.00	पंचायत राज, आंध्रप्रदेश सरकार, आर आई एन एल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
	क्षेत्र : कला व संस्कृति						
14	हिमाचल प्रदेश के लाहुल व स्पीती जिलों में ललित कलाओं का प्रोत्साहन	धरोहर, कला व संस्कृति का संरक्षण	1. अन्य क्षेत्र 2. लाहुल व स्पीती, हिमाचलप्रदेश	25.00	18.75	18.75	आयुक्त, लाहुल व स्पीती जिला, हिमाचल प्रदेश सरकार
	क्षेत्र : अन्य						
15	परियोजनाओं का प्रभावी आकलन व आवश्यक आकलन सर्वेक्षण आदि	अन्य	1. स्थानीय क्षेत्र 2. विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश	5.46	2.54	2.54	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखपट्टणम
			कुल	1374.68	852.68		

निदेशक प्रतिवेदन का अनुलग्नक - 6

प्रपत्र सं.एम जी टी-9

वार्षिक रिटर्न का सारांश

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के क्रम में)

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

i) सी आई एन	:	U27109AP1982GOI003404
ii) पंजीकरण की तिथि	:	18-02-1982
iii) कंपनी का नाम	:	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)
iv) श्रेणी	:	शेयरों के साथ लिमिटेड कंपनी
v) कंपनी की उप श्रेणी	:	संघ सरकार कंपनी
vi) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	:	प्रशासनिक भवन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी) विशाखपट्टणम-530 031, आंध्र प्रदेश फोन : 0891 - 2518249; फैक्स : 0891 - 2518249 ई मेल : dacharya@vizagsteel.com; csrinl@vizagsteel.com
vii) क्या कंपनी सूचीबद्ध है	:	नहीं
viii) पंजीकर्ता और स्थानांतरण अभिकर्ता का नाम व पता, यदि हों तो	:	कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं: 17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर हैदराबाद - 500081 040-44655000, 040-23431551 ई मेल : murali.m@karvy.com

II. कंपनी के मुख्य व्यापार कार्यकलाप

कंपनी के कारोबार में 10% या उससे अधिक योगदान देनेवाले सभी व्यापार कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

मुख्य उत्पाद/सेवाओं के नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कारोबार में प्रतिशत
बिक्री योग्य इस्पात व कच्चा लोहा	241-मूल लौह व इस्पात का विनिर्माण	96.17%

III. स्वामित्व, सहायक तथा सहभागी कंपनियों का विवरण

क.सं.	कंपनी का नाम व पता	सी आई एन/ जी एल एन	धारक/ सहायक/ सहभागी	शेयरों का %	कंपनी अधिनियम 2013 की लागू धारा
1	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल) "सौरभ अवासन", द्वितीय तल, ए जी-104,सेक्टर-2, साल्ट लेक, कोलकाता पश्चिम बंगाल - 700091	L65993WB1927GOI005532	सहायक	51	2(87)(ii)
2	दि विस्रा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (वी एस एल सी) "सौरभ अवासन", द्वितीय तल, ए जी-104, सेक्टर-2, साल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700091	L14100WB1910GOI001996	सहायक	50.27*	2(87)(ii)
3	दि ओदीशा खदान विकास कंपनी लिमिटेड (ओ एम डी सी) "सौरभ अवासन", द्वितीय तल, ए जी-104, सेक्टर-2, साल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700091	L51430WB1918GOI003026	सहायक	50.01 **	2(87)(ii)
4	रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड निचली मंजिल, पुराना स्वास्थ्य केंद्र, सेक्टर-2, उक्कुनगरम, विशाखपट्टणम -530031	U27101AP2009PTC064546	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
5	अंतर्राष्ट्रीय कोयला उद्यम प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल), 20वां तल, स्कोप मीनार, (कोर-2), नार्थ टावर, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092	U10100DL2009PTC190448	संयुक्त उद्यम	26.49	2(6)
6	आर आई एन एल पॉवरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लि., (आर पी टी पी एल) कमरा सं.31,"बी"ब्लॉक, प्रोजक्ट आफीस, विशाखपट्टणम, इस्पात संयंत्र, विशाखपट्टणम-530031	U28121AP2015PTC097211	संयुक्त उद्यम	50	2(6)

* वी एस एल सी में संयुक्त रूप से आर आई एन एल (0.21%), ई आई एल (50.01%) और बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (0.05%) के 50.27% शेयर हैं।

** ओ एम डी सी में ई आई एल के 50.01% शेयर हैं।

IV. शेयरधारण का पैटर्न (कुल ईक्विटी में प्रतिशत के रूप में ईक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयरधारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (दि.01.04.2016 तक)				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या (31.03.2017 तक)				वर्ष क दौरान % में परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. संरक्षक									
(1) भारतीय									
ए) वैयक्तिक*/ एच यू एफ	0	800	800	0.000016	0	800	800	0.000016	0
बी) केंद्र सरकार	4889845400	0	4889845400	99.999984	4889845400	0	4889845400	99.999984	0
सी) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डी) निकाय निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इ) बैंक/एफ आई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एफ)अन्य कोई....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल(ए) (1)	4889845400	800	4889846200	100	4889845400	800	4889846200	100	0
(2) विदेशी									
ए) एनआरआई-वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी) अन्य-वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी) निकाय निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डी) बैंक/एफ आई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इ) अन्य कोई....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल(ए) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
संरक्षकों का कुल शेयरधारण (ए)=(ए)(1)+(ए)(2)	4889845400	800	4889846200	100	4889845400	800	4889846200	100	0
बी) सार्वजनिक शेयरधारण									
1.संस्थान									
ए) साझाकोष	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी) बैंक/एफ आई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डी) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ई) उद्यम पूँजीगत निधि		0	0	0	0	0	0	0	0
एफ) बीमा कंपनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जी) एफ आई आई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एच) विदेशी उद्यम पूंजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आई)अन्य निधियाँ (सूचित करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल(बी) (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. गैर-संस्थान									
ए) निकाय निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी) वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नाममात्र की शेयर पूंजी रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारक (i) रु.1 लाख तक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) रु.1 लाख से									
अधिक.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी) अन्य (सूचित करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (बी) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयरधारण (बी) = (बी) (1) + (बी) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी. जी डी आर व ए डी आर के लिए संरक्षक के शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सकल कुल (ए+बी+सी)	4889845400	800	4889846200	100	4889845400	800	4889846200	100	0

ii) संरक्षक के शेयर

क सं	शेयरधारक के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (01/04/2016)			वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या (31/03/2017)			वर्ष के दौरान शेयरों में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	4889845400	99.999984	-	4889845400	99.999984	-	-
	भारत के राष्ट्रपति के नामिती							
2.	पो मधुसूदन	300	0.000006	-	300	0.000006	-	-
3.	पी सी महापात्रा	100	0.000002	-	100	0.000002	-	-
4.	टी वी एस के कुमार	100	0.000002	-	-	-	-	(0.000002)
5.	भारती एस सिहाग	100	0.000002	-	-	-	-	(0.000002)
6.	उर्विला खाती	100	0.000002	-	100	0.000002		
7.	डॉ जी बी एस प्रसाद	100	0.000002	-	-	-		(0.000002)
8.	डी एन राव	-	-	-	100	0.000002	-	0.000002
9.	पी रायचौधरी	-	-		100	0.000002	-	0.000002
10.	सरस्वती प्रसाद	-	-	-	100	0.000002	-	0.000002
कुल		4889846200	100.00	-	4889846200	100.00	-	-

iii) संरक्षकों के शेयरधारण में परिवर्तन (कृपया सूचित करें यदि कोई परिवर्तन न हो तो) .. कोई परिवर्तन नहीं है।

क्र सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/ बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	संरक्षकों की शेयरधारिता में कोई परिवर्त न नहीं है भारत के राष्ट्रपति 100% शेयरधारिता रखते हैं।			
	वर्ष के अंत में				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारण (निदेशकों, संरक्षकों और जी डी आर व ए डी आर शेयरधारकों के अलावा):

क्र सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल संख्या का %
	वर्ष के आरंभ में वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/ बोनस/स्वेट ईक्विटी बोनस आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	भारत के राष्ट्रपति 100% शेयरधरिता रखते हैं और अन्य व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से शेयर रखते हैं।			
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)				

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण :

क्र सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल का %
1.	**पो मधुसूदन**				
	वर्ष के आरंभ में	300	0.000006	-	-
	वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/ बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान संरक्षकों के शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी :	शून्य			
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	300	0.000006	300	0.000006

2.	**पी सी महापात्रा**				
	वर्ष के आरंभ में	100	0.000002	100	0.000002
	वृद्धि/कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002
3.	**टी वी एस कृष्णकुमार**				
	वर्ष के आरंभ में	100	0.000002	-	-
	वृद्धि/कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी: श्री डी एन राव को दि.**05.07.2016** को शेयर स्थानांतरण किया गया	100	0.000002	-	-
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	0	0	-	-
4.	**डॉ जी बी एस प्रसाद**				
	वर्ष के आरंभ में	100	0.000002	-	-
	वृद्धि/कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी: श्री पी रायचौधरी को दि.**23.02.2017** को शेयर स्थानांतरण किया गया	100	0.000002	-	-
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	0	0	-	-
5.	**डी एन राव**				
	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
	वृद्धि/कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी: **05.07.2016** को वदली द्वारा टी वी एस कृष्णकुमार से प्राप्त	100	0.000002	100	0.000002
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002
6.	**पी रायचौधरी**				
	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
	वृद्धि/कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी: **23.02.2017** को वदली द्वारा डॉ.जी बी एस प्रसाद से प्राप्त	100	0.000002	100	0.000002
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002

निदेशकों का शेयरधारण

1.	उर्विला खाती				
	वर्ष के आरंभ में	100	0.000002	100	0.000002
	वृद्धि/कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002
2.	सरस्वती प्रसाद				
	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
	वृद्धि/कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी: **23.02.2017** को बदली द्वारा भारती एस सिहाग से प्राप्त	100	0.000002	100	0.000002
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	100	0.000002	100	0.000002
3.	भारती एस सिहाग				
	वर्ष के आरंभ में	100	0.000002	-	-
	वृद्धि/कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी: **23.02.2017** को श्री सरस्वती प्रसाद को शेयर स्थानांतरण किया गया	100	0.000002	-	-
	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान अलग होने पर अलग होने की तारीख तक)	0	-	-	-

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उपर्युक्त शेयरधारण रखते हैं।

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोद्भूत परंतु भुगतान के लिए अदेय ब्याज को शामिल करते हुए कंपनी की ऋणग्रस्तता (₹ करोड़ों में)

विवरण	जमा को छोड़कर संरक्षित ऋण	असंरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धनराशि	4130.34	6260.78	शून्य	10391.12
ii) ब्याज देय परंतु भुगतान नहीं किया गया	0	0	शून्य	0
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु अदेय	17.10	14.66	शून्य	31.76
कुल (i+ii+iii)	**4147.44**	**6275.44**	शून्य	**10422.88**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• जोड़	3263.45	571.01	शून्य	3834.46
• कमी	0	0	शून्य	
निवल परिवर्तन	**3263.45**	**571.01**	शून्य	**3834.46**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धनराशि	7370.45	6835.10	शून्य	14205.55
ii) ब्याज देय परंतु भुगतान नहीं किया गया	0	0	शून्य	0
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु अदेय	40.44	11.35	शून्य	51.79
कुल (i+ii+iii)	**7410.89**	**6846.45**		**14257.34**

ऋणग्रस्तता में बैंकों से लिए गए उधार एवं वाणिज्यिक कागजात शामिल हैं और इसमें कार्यकारी पूंजी एवं केपेक्स उधार दोनों शामिल हैं।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (श्री)							
		पी मधुसूदन	पी सी महापात्रा	जी वी एस प्रसाद	डी एन राव	टी वी एस के कुमार	पी रायचौधरी	के सी दास	कुल
1	सकल वेतन								
(ए)	आय कर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में सूचित अनुसार वेतन	3311358	2908277	3252599	2759071	1643840	2759700	586125	17220970
(बी)	आय कर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	390038	432964	252118	306793	29935	235689	6450	1653987
(सी)	आय कर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टॉक विकल्प	0	0	0	0	0	0	0	0
3	स्वेट इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कमीशन	0	0	0	0	0	0	0	0
	- लाभ के % के रूप में	0	0	0	0	0	0	0	0
	- अन्य सूचित करें	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अन्य कृपया सूचित करें	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (ए)	3701396	3341241	*3504717	3065864	*1673775	2995389	592575	18874957
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	कंपनी के अधिनियम 2013 की धारा 197 के अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।							

सूचना : दि.01.04.2016 से 31.12.2016 तक डॉ.जी वी एस प्रसाद एवं दि.01.04.2016 से 31.05.2016 तक श्री टी वी एस कृष्ण कुमार तथा दि.01.01.2017 से 31.03.2017 तक श्री किशोर चंद दास का सकल वेतन

* कर योग्य सेवानिवृत्ति लाभों को मिलाकर

बी. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम (श्री)				
		एस के श्रीवास्तव	एस के मिश्रा	के एम पद्मनाभन	सुनील गुप्ता	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक					
	(ए) मंडल/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	680000	500000	460000	480000	2120000
	(बी) कमीशन	0	0	0	0	0
	(सी) अन्य	0	0	0	0	0
	कुल (बी) (1)	680000	500000	460000	480000	2120000
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक					
	(ए) मंडल/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	0	0	0	0	0
	(बी) कमीशन	0	0	0	0	0
	(सी) अन्य	0	0	0	0	0
	कुल (बी) (2)	0	0	0	0	0
	कुल (बी) (1)+(बी) (2)	680000	500000	460000	480000	2120000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	कंपनी के अधिनियम 2013 की धारा 197 के अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।				

सी) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रामिक

क्र. सं.	पारिश्रामिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (श्री)			कुल राशि (₹)
		सी ई ओ	कंपनी सचिव श्री दीपक आचार्य	सी एफ ओ* श्री जे श्रीनिवास राव	
1	सकल वेतन:				
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में सूचित प्रावधानों के अनुसार वेतन	0	1549065	1652901	3201966
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	0	178669	18323	196992
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ	0	0	0	0
2	स्टॉक विकल्प	0	0	0	0
3	स्वेट ईक्विटी	0			0
4	कमीशन: लाभ के % के रूप में	0	0	0	0
	- अन्य कृपया सूचित करें.....	0	0	0	0
	कुल	0	1727734	1671224	3398958

नोट : **31 अगस्त, 2016 से श्री जे श्रीनिवास राव, महा प्रबंधक (वि व ले), आर आई एन एल को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। 31.08.2016 से 31.03.2017 तक श्री जे श्रीनिवास राव का सकल वेतन**

VII. अपराध के लिए जुर्माना/दंड/समेकन : ..... शून्य

प्रकार	कंपनी के अधिनियम की धारा के अनुसार	संक्षिप्त विवरण	अपराध के लिए/जुर्माना/दंड समेकन पर लगाए गए शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आर डी/एनसीएलटी/कोर्ट)	यदि कोई अपील की गई हो तो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
समेकन					
बी.निदेशक					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
समेकन					
सी. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
समेकन					

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन आदि का प्रतिवेदन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुरूप जानकारी

ए) ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के उपाय अथवा उसका प्रभाव:

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम - 2001 के अनुरूप मेसर्स राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को ऊर्जा लेखापरीक्षा के आयोजन एवं सुधार के संभावित क्षेत्रों को पहचानने हेतु नियुक्त किया गया था। मेसर्स राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने प्रस्तुत किए गए अपने अंतिम लेखा प्रतिवेदन में कुल उपभोग की ऊर्जा में 0.3 गेगा कैलोरी/टन ठोस इस्पात तक की ऊर्जा बचत सहित सुधार के कई उपाय सुझाये हैं। इन सुझावों को लागू किया जा रहा है।

वर्ष 2016-17 के दौरान ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नवत उपाय किए गए हैं:

(ए) धमनभट्ठियों (बी एफ) में कुल ईंधन दर में 560.9 किलोग्राम/टन तप्तधातु से 537.2 किलोग्राम/टन तप्तधातु तक की कमी।

(बी) धमनभट्ठियों में कुल चूर्णित कोयला प्रेषण (पी सी आई) दर 5.1 किलोग्राम/टन तप्तधातु से बढ़कर 23.4 किलोग्राम/टन तप्तधातु तक हो चुकी है। धमनभट्ठी - 3 ने तो 41.9 किलोग्राम/टन तप्तधातु तक चूर्णित कोयला प्रेषण की दर हासिल की है।

(सी) धमनभट्ठी - 3 के टॉप प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टी आर टी) से विद्युत उत्पादन में 2.31 मेगावाट से 7.01 मेगावाट तक की वृद्धि।

(डी) इस्पात गलन शाला-2 से एल डी गैस की पुन:प्राप्ति में 14.0 सामान्य घनमीटर/टन ठोस इस्पात से 80 सामान्य घनमीटर/टन ठोस इस्पात तक की वृद्धि।

(ई) धमनभट्ठी गैस आधारित विद्युत संयंत्र (पी पी-2) से विद्युत उत्पादन में 0.31 मेगावाट से 17.35 मेगावाट तक की वृद्धि।

(एफ) कोक औवेन बैटरी - 4 के कोक ड्राई कूलिंग प्लांट में सी डी एम नामक परियोजना का सत्यापन पूरा हो चुका है। यू एन एफ सी सी सी वर्ष 2014-15 (अवधि: 13 अगस्त, 2014 से 12 अगस्त, 2015 तक) के लिए शीघ्र ही 70516 सी ई आर जारी करेगा।

(जी) ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के पुन:प्रमाणीकरण हेतु आई एस ओ: 50001 की लेखापरीक्षा कराई गई और मेसर्स बी वी सी आई ने अगले तीन वर्षों के लिए आई एस ओ:50001 का पुन: प्रमाणपत्र जारी किया।

(एच) इस्पात गलन शाला में एल डी गैस पाइपलाइन की प्रतिस्थापना।

ऊर्जा खपत (गेगा कैलोरी/टन ठोस इस्पात) व कार्बन डाई आक्साइड का उत्सर्जन (टन/टन ठोस इस्पात):

वर्ष	एस ई सी (गेगा कै./ट.ठो.इस्पात	कार्बन डाई ऑक्साइड (टन/ट.ठो.इस्पात)
2015-16	6.40	2.80
2016-17	6.39	2.79

अन्य पहल:

1. ऊर्जा संरक्षण की जारी योजनाएँ:

- धमनभट्ठी-2 में चूर्णित कोयला प्रेषण

2. ए) व्यर्थ ऊष्मा पुन:प्राप्ति प्रणाली (2016-17)

ऊर्जा बचत सुविधाएँ	इकाई	ऊर्जा बचत	ब्यॉलर कोयले की बचत (टन)	कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी (टन)
एल डी गैस पुन:प्राप्ति संयंत्र में कुल एल डी गैस पुन:प्राप्ति	सा मि घन मीटर	348.36	190552	299168
बैक प्रेशर टर्बाइन स्टेशन (बी पी टी एस) व सी ओ बी-4 टर्बाइन से कुल विद्युत उत्पादन	मे वा घंटे	201055	160844	252525
गैस एक्सपैंशन टर्बाइन स्टेशन (जी ई टी एस) व टॉप रिकवरी टर्बाइन (टी आर टी) से कुल विद्युत उत्पादन	मे वा घंटे	61974	49579	77839
सिंटर संयंत्र के स्ट्रेट लाइन कूलर (नीडो परियोजना) से व्यर्थ ऊष्मा पुन: प्राप्त कुल विद्युत उत्पादन	मे वा घंटे	7917	6334	9944

(सा घ मी - सामान्य मिलियन घनमीटर, मे वा घंटे - मेगावाट घंटे)

बी) ताप विद्युत संयंत्र में उप-उत्पाद गैसों का उपयोग (2016-17)

तापीय विद्युत संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन	इकाई	मूल्य	बॉयलर कोयले की बचत (टन)	CO_2 उत्सर्जन में कमी (टन)
कोकोवन गैस	सा घ मी	420.14	587916	923028
धमन भट्ठी गैस	सा घ मी	3222.96	832598	1307179

ii) कंपनी के द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम:

(ए) दिसंबर, 16 में कंपनी ने अपने परिसर की जमीन पर 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पी वी संयंत्र की स्थापना की।

(बी) कंपनी ने संगठन के स्थाई विकास और समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर स्वच्छ और हरित विद्युत उत्पादन हेतु सौर विद्युत प्रणाली की स्थापना की पहल की है।

(सी) कंपनी ने छत के ऊपर सौर पी वी संयंत्र स्थापित करके छत पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के उद्देश्य से 3 भवनों को चिन्हित किया है।

(डी) निजी विद्युत संयंत्र-2:

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने कम सांद्रता वाली धमनभट्ठी गैस आधारित 120 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र की स्थापना की है और यह परियोजना पूरी हो चुकी है तथा धमनभट्ठी गैस की उपलब्धता के अनुसार विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपस्करों पर पूँजी निवेश : शून्य

3. स्वच्छ विकास प्रणाली :

सी डी एम परियोजना की प्रगति का विवरण निम्नवत है:

1. परियोजना के पंजीकरण की स्थिति

(ए) धमनभट्ठी-3 के सी डी एम नामक "टॉप प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टी आर टी)" परियोजना का पंजीकरण यू एन एफ सी सी सी में 23 अप्रैल, 2014 को हुआ था।

(बी) सी डी एम "सी ओ बैटरी-4 के कोक शुष्क शीतलन संयंत्र में कोक शीतलन प्रक्रिया से विद्युत उत्पादन" नामक परियोजना का यू एन एफ सी सी सी में 13 अगस्त, 2014 को पंजीकृत किया गया था।

(सी) सी डी एम "हवा और गैस के पूर्वतापन हेतु बी एफ-3 के स्टोव्स से निकलने वाली फ्लू गैसों से व्यर्थ गैस की पुन:प्राप्ति" नामक परियोजना का यू एन एफ सी सी सी में 26 जनवरी, 2015 को पंजीकृत किया गया था।

2. परियोजनाओं के स्थिति का प्रमाणीकरण

सी डी एम "व्यर्थ धमनभट्ठी गैस के उपयोग से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन" नामक परियोजना को सकारात्मकता से विधिमान्य करते हुए पंजीकरण हेतु संस्तुति की गई। परंतु सी ई आर बाजार में मंदी की वजह से पंजीकरण शुल्क की प्रक्रिया को टाल दिया गया।

3. परियोजनाओं के सत्यापन की स्थिति

(ए) सी डी एम "कोक शुष्क शीतलन संयंत्र में कोक शीतलन प्रक्रिया से विद्युत उत्पादन" नामक परियोजना का सत्यापन पूरा किया गया। वर्ष 2014-15 (13 अगस्त, 2014 से 12 अगस्त, 2015 तक की अवधि हेतु) के लिए यू एन एफ सी सी सी 70516 सी ई आर जारी करेगा।

(बी) सी डी एम "कोक शुष्क शीतलन संयंत्र में कोक शीतलन प्रक्रिया से विद्युत उत्पादन" नामक परियोजना का सत्यापन पूरा किया गया। सी डी एम "टॉप प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टी आर टी)" नामक परियोजना के सत्यापन का कार्य अभी जारी है।

4. ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली:

ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली आई एस ओ: 50001 हेतु पुन: प्रमाणन लेखापरीक्षा की गई और मेसर्स बी वी सी आई ने अगले तीन वर्षों के लिए आई एस ओ: 50001 प्रमाण पत्र जारी किया।

5. ऊर्जा संरक्षण प्रणाली का प्रवर्तन हुआ: शून्य

बी) प्रौद्योगिकी आमेलन

(i) प्रौद्योगिकी आमेलन के प्रयास हुए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अपनी सभी परियोजनाओं में अत्याधुनिक सुविधाओं के आमेलन के कारण देश के इस्पात उद्योग में विशिष्टता प्राप्त है। निम्नलिखित मामलों में प्रौद्योगिकी का आमेलन किया गया:

ए. दक्षता, उपलब्धता, गुणवत्ता में सुधार आदि हेतु मौजूदा प्रक्रियाएँ/उपस्करों में सुधार किया गया।

बी. प्रमुख इकाइयों/उपस्करों का आधुनिकीकरण करने हेतु पुनरोद्धार और उन्नयन किया गया और इस भारी मरम्मत के दौरान तकनीकी सुधार लागू किए गए।

सी. उत्पादन क्षमता एवं आकार व बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप नई इकाइयों के उत्पादों की श्रेणी में सुधार हेतु संयंत्र की क्षमता को विस्तारित किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी पहचान/आमेलन हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए।

- भारत और विदेश के इस्पात संयंत्रों का अध्ययन दौरा
- संभावित तकनीकी आपूर्तिकारों से व्यक्तिगत चर्चा
- क्षेत्र विशेष के ख्यातिप्राप्त तकनीकी विशेषज्ञों से अभिरुचि अभिव्यक्ति/तकनीकी प्रस्तुतीकरण
- एल ई ओ (लर्निंग फ्राम ईच अदर) जैसी ज्ञान विनिमय कार्यशालाओं और तकनीक चिन्हीकरण व चयन पहल
- आलेखों, पेटेंटों और घटनाक्रमों की नियमित छानबीन।
- अध्ययन एवं बड़े ब्रेक डाउन आदि के समय अध्ययन व सहयोग हेतु परामर्शदाताओं/आंतरिक अभियांत्रिकी विशेषज्ञों/तकनीक आपूर्तिकारों का दौरा।
- उद्योग संबंधी संगोष्ठियाँ/सम्मेलन।
- विभिन्न व्यावसायिक संगठनों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, भारतीय उद्योग परिसंघ, विश्व इस्पात संघ आदि की सदस्य

(ii) उत्पादों में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात विकल्पों के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

जिन निम्नलिखित इकाइयों का प्रवर्तन/पुनरोद्धार हो चुका, स्थिरीकरण के अधीन हैं, उनसे मिले/मिलने वाले लाभ नीचे प्रस्तुत हैं।

क्षेत्र	प्रमुख इकाई	प्रौद्योगिकी	लाभ
1 विस्तारण इकाइयां :			
सिंटर उत्पादन	नया सिंटर संयंत्र-3	सर्कुलर कूलर व मल्टी स्लिट बर्नर	ऊर्जा दक्षता
		सिंटर कूलर से व्यर्थ ऊष्मा पुन: प्राप्ति	ऊर्जा खपत में कमी व विद्युत उत्पादन
लौह उत्पादन	नई धमनभट्ठी-3	प्रोफिलोमीटर	बेहतर प्रक्रिया नियंत्रण
		उच्च ताप क्षेत्र में कॉपर स्टेव्स व हर्थ बॉटम कूलिंग	बेहतर कैंपेन लाइफ
		चूर्णित कोयला प्रेषण	कोक उपभोग में कमी एवं उत्पादकता में सुधार
		ऑक्सीजन संवर्धन	
इस्पात उत्पादन	नया एल डी कन्वर्टर	कंबाइंड ब्लोइंग	फेर्रो एलॉय उपभोग में कमी, बेहतर उत्पादन प्राप्ति व गुणवत्ता
		द्वितीयक ऊष्मा आहरण प्रणाली	स्वच्छ पर्यावरण
		कोंटूर व बॉथ लेवल मापन	रिफ्रैक्टरी लाइफ का मापन
	नई सी सी एम	स्वचालित मोल्ड लेवल नियंत्रण	ब्रेक आउट में कमी
		इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्टीरर	स्वच्छ व समान इस्पात
		100% विलेट ढलाई	ऊर्जा की बचत
	इ ग शा व एल एच व आर एच	आर एच डी गैसर	कम हाइड्रोजन का इस्पात
मिल्स	वायर राड मिल-2	उच्चगति वायर रॉड मिल (105-110मी/सेकेंड)	उत्पादकता में बढ़ोत्तरी
		मिल नियंत्रण के साथ भट्ठी नियंत्रण का समेकन	ईंधन का बेहतर इष्टतमीकरण
	विशेष बार मिल	20-45 मिमी आकार में सीधे व क्वॉयल	वास्तविक उपभोक्ताओं के यहाँ व्यर्थ में कमी
		फ्री साइज रोलिंग	+/-0.1 मिमी सह्यता सहित ग्राहकों के अनुसार
	स्ट्रक्चरल मिल	75-175 मिमी स्ट्रक्चरल्स उत्पादन हेतु उच्चगति रफिंग स्टैंड	उत्पादकता में बढ़ोत्तरी
विद्युत संयंत्र	विद्युत संयंत्र -2	अधिशेष बी एफ गैस से प्रचालित बॉयलर	अधिशेष बी एफ गैस उपयोग व विद्युत उत्पादन की दक्षता में सुधार
सी आर एम पी	सी आर एम पी-2	वर्टिकल शॉफ्ट किल्न बेहतर पर्यावरण नियंत्रण	अधिक उत्पादकता, कम अनुरक्षण दर और
2 आधुनिकीकरण इकाइयाँ :			
सिंटर उत्पादन	सिंटर संयंत्र 1 व 2	सिंटर कूलर व ऊर्जादक्ष प्रदाह भट्ठी से व्यर्थ ऊष्मा पुन:प्राप्ति	ऊर्जा खपत में कमी
		बंद परिपथ में कोयले का क्रशिंग	विशिष्ट कोक खपत में कमी
लौह उत्पादन	धमनभट्ठी 1 व 2	उच्चताप क्षेत्र में कॉपर स्टेव्स एवं हर्थ बाटम का जलशीतलन	बेहतर कैंपेन लाइफ, रिफ्रैक्टरी में कमी एवं उत्पादन वृद्धि
		चूर्णित कोयला प्रेषण	कोक खपत में कमी और उत्पादकता में सुधार
		ऑक्सीजन संवर्धन	
इस्पात उत्पादन	एल डी कन्वर्टर	कंबाइंड ब्लाइंग	फेर्रो एलॉय की खपत में कमी, बेहतर उत्पादकता, बेहतर उत्पादन प्राप्ति और गुणवत्ता
		द्वितीयक ऊष्मा आहरण	स्वच्छ पर्यावरण व स्वच्छ इस्पात

3. अनुसंधान व विकास (आर एण्ड डी)

i) जिन विशेष क्षेत्रों में कंपनी द्वारा अनुसंधान व विकास कार्य किया गया

सामान्यत: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में अनुसंधान व विकास कार्य में प्रक्रिया में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, व्यर्थ प्रबंधन, लागत में कमी लाने, नए उत्पादों के विकास एवं नई तकनीक के विकास शामिल हैं।

ii) उपरोक्त अनुसंधान व विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ

ए) बारोन इस्पात श्रेणी का विकास

बारोन इस्पात श्रेणी का अधिक उपयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उच्च क्षमता वाले फास्टेनर्स, डैश पैनल, सीटों के चारों ओर सेफ्टी बार, डोर गार्ड बीम, आंतरिक बी-पिलर रिइन्फोर्समेंट, बंपर रिइन्फोर्समेंट आदि के बनाने में होता है। इस आंतरिक परियोजना का उद्देश्य **10बी21** एवं **15बी24** जैसे बारोन श्रेणी के इस्पात का विकास करके बेहतर निवल बिक्री लाभ कमाना है।

बी) वी एस पी द्वारा कार्बन डाई ऑक्साइड वेल्डिंग इस्पात श्रेणी का विकास

कार्बन डाई ऑक्साइड वेल्डिंग का उपयोग मुख्यत: निम्न कार्बन इस्पात के छड़ों और निम्न मिश्र इस्पात की संरचनाओं जैसे कि जलयानों, वाहनों, पुलों, कंटेनरों, निर्माण संबंधी मशीनों, व्वायलरों एवं निर्माण में किया जाता है। इस आंतरिक परियोजना के माध्यम से कार्बन डाई ऑक्साइड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड रॉड हेतु इस्पात का विकास किया जा रहा है। इस इस्पात में तार बनाने के लिए अच्छी खिंचाव योग्यता होनी चाहिए, ताकि इससे **0.8** से लेकर **0.6** मिली मीटर व्यास के तार बनाए जा सके।

सी) वी एस पी के बिल्लेटों और राउंडों के तप्त रोलिंग के दौरान दरारें आने के कारणों का पता लगाना।

इस परियोजना का उद्देश्य ब्लूमों के साथ-साथ बिल्लेटों में तप्त रोलिंग के पश्चात दरार आने की प्रवृत्ति के संभावित कारणों का पता लगाना है। अंतत: इससे त्रुटियों में कमी आएगी और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय धात्विक प्रयोगशाला, जमशेदपुर इसमें सहयोगी अनुसंधान भागीदार है।

डी) एस एम एस-**2** में इस्पात परिशुद्धीकरण प्रक्रिया के दौरान अल्युमिनियम खपत का इष्टतमीकरण।

इस परियोजना का उद्देश्य लागत प्रभावी (स्वच्छ इस्पात) उत्पादन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इस्पात गलनशाला में अल्युमिनियम की खपत का इष्टतमीकरण करना है। डाटा विश्लेषण के आधार पर कुल **6** उप मॉड्यूलों (मॉस बालेंस, कैरी ओवर स्लैग, फ्री इनर्जी मिनीमाइजेशन, टैपिंग के दौरान री-ऑक्सीडेशन, स्लैग डी-आक्सीडेशन, ऑक्सीजन इंगरेंस) का विकास किया गया है और उन्हें अल्युमिनियम की इष्टतम खपत के साथ संयोजित किया गया है।

ई) रिफ्रैक्टरी लाइनिंग से निजात पाने के लिए स्लैग/स्टील के आकस्मिक कंटेनरों का पुन: डिजाइनिंग।

इस परियोजना का उद्देश्य प्रति टन इस्पात उत्पादन में रिफ्रैक्टरी की विशिष्ट खपत को कम करना है, ताकि लागत में कमी आए और उत्पादन हेतु क्रेनों की उपलब्धता बढ़ सके। कार्यान्वयन के पश्चात आकस्मिक कंटेनरों की रिफ्रैक्टरी लाइनिंग और उसके लिए लगने वाली श्रमशक्ति से पूरी तरह निजात पाई जा सकेगी।

एफ) लेडल एवं टंडिश कवरिंग कंपाउंड के रूप में फ्लाई ऐश पेल्लेट के उपयोग का साध्यता अध्ययन

इस आंतरिक परियोजना का उद्देश्य इस्पात गलन शाला में फ्लाई ऐश के पेल्लेट/कणों से लेडल को कवरिंग के लिए उपयोग करना है। इससे फ्लाई ऐश जैसे एक औद्योगिक ठोस अपशिष्ट जो कोयले के जलने से उत्पन्न होता है उसके मूल्यसंवर्धन में मदद मिलेगी और यह वर्तमान में उपयोग होने वाली धान की भूँसी जैसा उड़ता नहीं, जिससे कार्य-स्थिति में सुधार होगा।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्त वर्ष की शुरुआत से मानते हुए पिछले तीन वर्षों में आयातित):

ए) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण:

नीडो परियोजना

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने नीडो की नमूना परियोजना के रूप में सिंटर मशीन **1** व **2** के स्ट्रेट लाइन कूलर से **20.6** मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए इस व्यर्थ ऊष्मा पुन:प्राप्ति प्रणाली को स्थापित किया है।

परियोजना जापान की नीडो के प्रौद्योगिकी सहयोग से स्थापित किया गया है।

परियोजना का प्रवर्तन व समेकन किया जा चुका है।

चूर्णित कोयला प्रेषण (पी सी आई)

कोकिंग कोयले की लगभग **90** प्रतिशत की जरूरतों को आयात से पूरा किया जाता है। कोक की खपत कम करने हेतु चीन गणराज्य के मेसर्स सी ई आर आई से चूर्णित कोयला प्रेषण तकनीक का आयात किया गया। धमनभट्ठी में नाइट्रोजन के माध्यम से अनुमानित **150-200** किग्रा/टन उच्च श्रेणी के चूर्णित नान कोकिंग कोयले के प्रेषण की परिकल्पना की गई है।

बी) आयात के वर्ष: नीडो परियोजना वर्ष **2013-14** और चूर्णित कोयला प्रेषण वर्ष **2015-16** में।

सी) क्या तकनीक को पूर्णत: अपना लिया गया है। "स्थापित और प्रवर्तित, आवश्यकता और साध्यता के अनुरूप उपयोग"

डी) यदि पूर्णत: अपनाया नहीं गया, किस क्षेत्र में आमेलन नहीं हुआ और उसके कारण। "अप्रयोज्य"

(iv) अनुसंधान व विकास पर व्यय:

ए)	पूँजी	:	**01.21** करोड़
बी)	राजस्व/आवर्ती	:	**22.31** करोड़
सी)	कुल	:	**23.52** करोड़
डी)	कुल कारोबार का कुल अनुसंधान व विकास व्यय	:	**0.18** प्रतिशत

सी) विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

वर्ष के दौरान रुपए **1057.32** करोड़ के विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ और वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का व्यय रुपए **4478.38** (**227.25** करोड़ रुपए विस्तारण गतिविधियों/पूँजीगत माल सहित) हुआ।

AGARWAL S. & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

119 व 127, वर्धमान स्टॉर सिटी माल
सेक्टर 7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
ई-मेल : sachinag1981@gmail.com
फोन : 011|45052182, मोबाइल : 9811549887

सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

दि.31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष की अवधि हेतु
(कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 204 (1) और कंपनी नियम
(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और प्रतिदान) 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (अब से आर आई एन एल/कंपनी कहा जाएगा) में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं बेहतर निगमित पद्धति से संबंधित अनुपालन का हमने सचिवीय लेखापरीक्षा की। सचिवीय लेखा इस प्रकार आयोजित की गई जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त आधार मिला और हम उस पर अपनी राय व्यक्त कर सके।

आर आई एन एल के खाताओं, कागजात, कार्यवृत्त संबंधी किताबों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्नों की जाँच और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी एवं उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध की गयी जानकारी के अनुसार हमारी जाँच के आधार पर हम एतद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि दि.31 मार्च 2017 को समाप्त शामिल वित्त वर्ष के दौरान निम्नांकित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं और उसके लिए बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग के लिए एतद्वारा बेहतर अनुपालन तंत्र भी बनाया गया है :

हमने दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रावधानों के अनुसार खाता, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और आर आई एन एल द्वारा फाइल किए गए रिटर्न और अन्य अनुरक्षित अभिलेखों की जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूतियाँ संविदाएँ (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एस सी आर ए') और उसके तहत बनाए गए नियम; **लागू नहीं**

(iii) जमा अधिनियम, 1996 और विनियम एवं उसके तहत बनाए गए उप-नियम; **लागू नहीं**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्य ऋण के संबंध में उसके तहत बनाए गए नियम एवं विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल अधिनियम ('सेबी अधिनियम') के तहत निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गए: **लागू नहीं**

(ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (शेयर एवं अधिग्रहणों को संतोषजनक अधिप्राप्ति) विनियम, 2011; **लागू नहीं**

(बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (आंतरिक व्यापार का प्रतिरोध) विनियम, 2015; **लागू नहीं**

(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (ऋण प्रतिभूतियों की जारी और सूचीबद्ध) विनियम; 2008; **लागू नहीं**

(डी) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से संबद्ध भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (मामला एवं शेयर स्थानांतरण अभिकरण पंजीकर्ता) विनियम, 1993; **लागू नहीं**

(ई) भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय मंडल (पूँजी व प्रकटीकरण की आवश्यकताओं की जारी) विनियम, 2009; **लागू नहीं**

(एफ) भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय मंडल (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; **लागू नहीं**

(जी) भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय मंडल (ईक्विटी शेयरों की गैर-सूचीबद्ध) विनियम, 2009; **लागू नहीं** और

(एच) भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय मंडल (प्रतिभूतियों की वापसी खरीदी) विनियम, **1998**; **लागू नहीं**

(vi) अन्य लागू योग्य कानून के तहत (उद्योग के लिए लागू अनुसार) आंतरिक अनुपालन प्रणाली के अधीन निम्न सूचीबद्धानुसार जाँच की जा रही कंपनी के अनुपालन/प्रक्रियाएँ/प्रणालियाँ आवधिक प्रमाणपत्र के आधार पर कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है :

1) खान अधिनियम, **1952**;

2) विधिक माप पद्धति अधिनियम, **2009**;

3) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, **1986**;

4) जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, **1974**;

5) वायु (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, **1981**;

6) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, **1884**;

7) जोखिम अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रहस्तन और ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम, **2008**;

8) विदेशी व्यापार विकास व विनियम अधिनियम, **1992**;

9) सीमाशुल्क अधिनियम, **1962**;

10) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, **1999** और उसके तहत बनाए गए नियम व विनिमय

हमने निम्नलिखित लागू खंडों का अनुपालन की जाँच की :

(ए) भारत की कंपनी सचिवों की संस्था द्वारा जारी सचिवीय मानक – सामान्यत: अनुपालन किया जाता है।

(बी) भारतीय प्रतिभूतियाँ विनिमय मंडल (कर्तव्यों की सूची व आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनिमय, **2015**, लागू नहीं

(सी) केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के लिए निगमित अभिशासन से संबंधित सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देश (सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देश)

समीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा उपर्युक्त सूचित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

हम आगे प्रस्तुत करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल पर्याप्त कार्य पालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के साथ गठित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना परिवर्तन किए जाते हैं।

सामान्यत:, मंडल बैठक की अनुसूची, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियों की पर्याप्त जानकारियाँ सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले भेजी जाती हैं और बैठक से पहले कार्यसूची पर अधिक जानकारी प्राप्त करने एवं स्पष्टीकरण देने हेतु एक प्रणाली बनाई गई है, ताकि बैठक में उनकी भागीदारी सार्थक हो सके। बैठकों के आयोजन के मामले में अल्पावधि सूचना पर कार्यसूची भेजी जाती है, बैठक में सदस्यों की उपस्थिति की सहमति ली जाती है।

बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की एकमत सहमति से मंडल/समिति बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों का अनुपालन किया जाता है।

आर आई एन एल को निदेशकों के मूल्यांकन के निष्पादन के संबंध में धारा **149** (**8**), जिसे कंपनी अधिनियम, **2013** की IV अनुसूची के अनुच्छेद VII व अनुच्छेद VIII के साथ पठित, का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना है। हालाँकि, निगमित कार्यकलाप मंत्रालय ने अपने दि.**5** जुलाई, **2017** की अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, **2013** की अनुसूची IV के अनुच्छेद VII के उप-अनुच्छेद (**3**) के खंड (ए) व (बी) व अनुच्छेद VIII के तहत अनुपालन की छूट दी।

हम आगे प्रस्तुत करते हैं कि कंपनी में अनुश्रवण और लागू कानूनों, नियमों, नियामकों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे प्रस्तुत करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में कोई विनिर्दिष्ट घटना नहीं घटी है।

कृते अगर्वाल एस. व असोसियेट्स

कंपनी सचिव

ह/-

सी एस करिश्मा सिंह

भागीदार

दिनांक : **25** जुलाई, **2017** — ए सी एस नं: **26054**

स्थान : नई दिल्ली — सी पी नं : **16055**

इस प्रतिवेदन को हमारे सम संख्यक दिनांक के हमारे पत्र, जिसके साथ "अनुलग्नक-ए" संलग्न किया गया है, के साथ पढ़ना चाहिए, जो इस प्रतिवेदन का समग्र भाग है।

"अनुलग्नक ए"

सेवा में

सदस्य,

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

इस पत्र के साथ हमारे समसंख्यक दिनांक पत्र पढ़ा जाय।

1. संचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अभिप्राय प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों के विषयों की यथार्थता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया। परीक्षण पद्धति के आधार पर ऐसी जाँच की गई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उससे सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य सुनिश्चित हुए हैं। हम मानते हैं कि हमारी राय व्यक्त करने के लिए हमने यथोचित प्रक्रियाओं और तरीकों का अनुसरण किया है।

3. हमने कंपनी के लेखाओं के वित्तीय अभिलेखों तथा पुस्तकों की यथार्थता तथा उपयुक्तता की जाँच नहीं की।

4. विधि, नियमों तथा विनियमों और घटनों की संभावनों आदि के अनुपालन के संबंध में हमें आवश्यकता के अनुसार प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

5. निगमित और अन्य लागू योग्य विधि, नियम, विनियम, मानक के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर जाँच पद्धतियों तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन न कंपनी की भावी व्यावहारिकता और न ही प्रभावोत्पादकता अथवा प्रभाविकता का आश्वासन देता है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का प्रबंधन किया है।

कृते अगर्वाल एस. व असोसियेट्स
कंपनी सचिव
ह/-
सी एस करिश्मा सिंह
भागीदार
ए सी एस नं: **26054**
सी पी नं : **16055**

दिनांक : **25** जुलाई, **2017**
स्थान : नई दिल्ली

राव व कुमार
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सदस्यों के सेवार्थ

स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक का प्रतिवेदन

हमने **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड** ("कंपनी") के स्टैंडएलोन वित्तीय ब्यौरे की लेखापरीक्षा की, जिसमें **31** मार्च **2017** को समाप्त हुए वर्ष के तुलन पत्र, लाभ व हानि संबंधित विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा लेखाविधि नीतियों के संक्षिप्त सारांश व अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल हैं।

स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण हेतु मात्र प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, **2013** ("अधिनियम") की धारा **134** (**5**) में उल्लिखित मामलों की आवश्यकताओं के अनुरूप इस स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा **133** के तहत कंपनी (खाता) नियम, **2014** में विनिर्देशित भारतीय लेखाकरण मानकों के साथ-साथ भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए जाने वाले भारतीय लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाहों का सही व निष्पक्ष विवरण देता हो, उसे तैयार करना कंपनी के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा; पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव और धोखाधड़ी से बचने एवं अन्य अनियमितताओं को पकड़ने; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन और उपयोग करने; उचित और दूरदर्शितापूर्ण अनुमान व फैसले लेने; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबद्ध लेखाकरण दस्तावेजों की परिशुद्धता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी ढंग से प्रचालित हों, और जो सही व निष्पक्ष विवरण देते हों तथा तथ्यपरक विवरण की त्रुटि, चाहे किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हो, उससे मुक्त हों, को बनाए रखने के तौर तरीकों को अपनाने एवं उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी इसमें शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा करते समय, हमने अधिनियम के प्रवधानों, लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण मानकों तथा इसके लिए बनाए गए अधिनियम के प्रवधानों और नियमों के अनुरूप जो तथ्य शामिल किए जाने हैं उनका ध्यान रखा है। हमने अधिनियम की धारा **143** (**10**) में विनिर्देशित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा आयोजित की है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की ऐसी योजना बनाएं एवं उसका निष्पादन इस ढंग से करें, ताकि, स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तथ्यात्मक रूप सए त्रुटिहीन हो सकें।

लेखापरीक्षा में क्रियान्वित प्रक्रियाएं वित्तीय ब्यौरे में राशियों एवं स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरणों के संबंध में लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए होती हैं। स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय के आधार पर चयनित की जाती हैं, जिसमें जोखिमपूर्ण मूल्यांकन सहित वित्तीय ब्यौरे में तथ्यपरक त्रुटियाँ, चाहे वे धोखेबाजी अथवा गलती से हों, समाहित होती हैं। उन जोखिमों का आकलन करते समय, स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कंपनी के पास प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संचालन हेतु पर्याप्त नियंत्रण उपायों के प्रति अपना मंतव्य रखने के बजाय हम, कंपनी द्वारा स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के अभिकल्प जो परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं उन्हें उपयुक्त मानते हैं।

लेखापरीक्षा में उपयोग किये जानेवाली लेखा विधि नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रस्तुत लेखा अनुमान की विश्वसनीयता के साथ-साथ स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय ब्यौरे के पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे हमारी लेखापरीक्षा मात्र को आधार बनाने के लिए पर्याप्त व उचित हैं।

राय:

हमारी राय और जानकारी तथा हमें प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुरूप आवश्यक पद्धति से वित्तीय ब्यौरा प्रदान करते हैं और सामान्यत: भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही व स्पष्ट दृष्टिकोण दर्शाते हैं;

- **31** मार्च, **2017**, तक मामले में कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति);
- उसके लाभ/हानि (अन्य सभी आय सहित वित्तीय निष्पादन);
- उसके नकद प्रवाह और;
- वर्ष के अंत में उस तारीख को इक्विटी में बदलाव।

मामलों पर बल:

भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणियों के संदर्भ में निम्नलिखित मामलों पर हम ध्यानाकर्षण चाहते हैं:

1. हुदहुद तूफान के कारण हुई क्षति के कारण किए गए व्यय के लेखाकरण के संदर्भ में भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या **25**।

   इन उपरोक्त मामलों में हमारी राय कोई भिन्न नहीं है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक जरूरतों का प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा **143** की उपधारा (**11**) के आलोक में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश **2016** ("आदेश") की आवश्यकताओं के अनुरूप आदेश के पैराग्राफ **3** व **4** में उल्लिखित मामले के संदर्भ में लागू अनुसार हमने "अनुलग्नक - ए", में एक विवरण प्रस्तुत किया है।

2. अधिनियम की धारा **143** (**3**) की आवश्यकताओं के अनुरूप हम प्रस्तुत करते हैं कि:

   ए. हमने अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी जानकारियों एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है।

   बी. हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित खाता बही की जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये खाता बही, जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया, उनसे प्राप्त खाता बही, उनके उपयुक्त विवरण जो हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त हैं के साथ कंपनी द्वारा अभी तक रखी गई हैं।

   सी. तुलनपत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण तथा रिपोर्ट में व्यवहृत इक्विटी में बदलाव का विवरण और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है उनसे प्राप्त विवरण के साथ खाता बही का विवरण मेल खाता है।

   डी. हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण से संबंधित तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण, कंपनी (लेखा) अधिनियम **2014** की धारा-**133** के नियम **7** के साथ पठित अनुसार विनिर्देशित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

   ई. केंद्र सरकार के दि.**21.10.2003** की सूचना सं.जी एस एस आर **829** (ई) द्वारा की गई अधिसूचना अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए धारा **164** (**2**) के प्रावधान लागू नहीं होते.

   एफ. कंपनी के वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उस नियंत्रण के संचालन प्रभाव के संदर्भ में इस प्रतिवेदन के "अनुलग्नक बी" का संज्ञान लिया जाय।

   जी. कंपनी नियम (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) **2014**, नियम **11** के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अन्य मामलों को शामिल करने के संबंध में हमारी राय और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं हमें प्रदान की गई व्याख्याओं के अनुसार:

   i. कंपनी ने अपने भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण में लंबित अभियोगों के वित्तीय प्रभाव का प्रकटीकरण किया है - भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी **39** देखें।

   ii. कंपनी ने यौगिक ठेका सहित कोई दीर्घकालिक ठेका नहीं दिया है जिससे कोई प्रत्यक्ष नुकसान हुआ हो।

   iii. कंपनी के पास निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि के लिए स्थानांतरण हेतु कोई जरूरी राशि शेष नहीं है।

   iv. कंपनी ने अपने स्वत्व के साथ-साथ **8** नवंबर **2016** से **30** दिसंबर **2016** के दौरान व्यवहृत विनिर्दिष्ट बैंक टिप्पणियों का भारतीय लेखाकरण मानक में आवश्यक प्रकटीकरण दिया है। फिर भी, कंपनी द्वारा अनुरक्षित एवं प्रबंधन द्वारा प्रदत्त खाता पुस्तक के आधार पर टिप्पणी संख्या **40** के अनुरूप ये प्रकटीकरण हैं या नहीं हम पर्याप्त व उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

3. अधिनियम की धारा **143** (**5**) के अनुरूप हम "अनुलग्नक - सी", में भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी में "अनुलग्नक - सी" मामले पर विवरण प्रस्तुत है।

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार
एफ आर एन **03089**एस
ह/-
सनदी लेखाकार वी वी राममोहन
भागीदार
एम नं. **18788**

दिनांक: 01-09-2017
स्थान: विशाखपट्टणम

अनुलग्नक ए - स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन

कंपनी के सदस्यों के लिए हमारे प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुलग्नक **31** मार्च **2017** को समाप्त वर्ष हेतु हैं, और हम प्रस्तुत करते हैं कि:

1. ए.	क्या कंपनी अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव कर रही है;	कंपनी, अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उपयुक्त अभिलेखों का रखरखाव कर रही है।
बी.	क्या प्रबंधन द्वारा इन अचल परिसंपत्तियों की नियत अंतरालों पर वास्तविक जाँच की गई है; क्या ऐसी जाँच के दौरान सामग्री से संबंधित विसंगतियाँ पाई गईं और यदि पाई गईं तो क्या उन्हें लेखा-वही में ठीक से दिखाया गया है;	प्रबंधन ने वर्ष के दौरान सभी परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच नहीं की है, लेकिन एक नियमित जाँच कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त है। ऐसी जाँच के दौरान सामग्री से संबंधित कोई विसंगति पाई नहीं गई।
सी.	क्या कंपनी के नाम पर अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख हुआ है? यदि नहीं तो विवरण दें।	भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार वित्तीय विवरण में टिप्पणी संख्या **3** को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं।
2	क्या प्रबंधन द्वारा समुचित अंतराल पर मालसूची की वास्तविक जांच की गई है और यदि जाँच के दौरान कोई तथ्यात्मक विसंगतियाँ पाई गईं, यदि हाँ तो क्या उसे लेखा-वही में ठीक से दिखाया गया है;	यथोचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची की वास्तविक जाँच की जा रही है। हमें बताया गया है कि वास्तविक विसंगतियों को लेखा पुस्तिका में दर्ज किया जाता है।
3	क्या कंपनी ने कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **189** के तहत संरक्षित अथवा गैर संरक्षित कोई ऋण किसी कंपनी, संस्था, लिमिटेड देयता भागीदार अथवा अन्य पार्टियों को पंजी में दर्ज करके दिया है, यदि हाँ तो,	अधिनियम की धारा **189** के अधीन बनाए गए रजिस्टर के अनुसार कंपनी ने संरक्षित अथवा असंरक्षित, किसी को/कंपनी/संस्था से अथवा, अन्य किसी पार्टियों को कोई ऋण न दिया है और न ही किसी से लिया है। अत: खंड **3** (iii) ए, बी व सी इस पर लागू नहीं होते।
ए.	क्या ऐसे ऋण मंजूरी के शर्त व निबंधन कंपनी के लिए अहितकर नहीं हैं:	लागू नहीं
बी.	क्या मूल धन और ब्याज का नियमित भुगतान तय किया गया है और क्या पुनर्भुगतान अथवा भुगतान नियमित रूप से हो रहे हैं;	लागू नहीं
सी.	यदि राशि शेष है, तो **90** दिनों से अधिक शेष राशि की मात्रा बताएं और क्या कंपनी ने मूलधन और ब्याज की वापसी हेतु समुचित कदम उठाए हैं।	लागू नहीं
4.	ऋण, निवेश और गारंटी के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **185** व **186** के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, यदि नहीं, तो उसका विवरण दें।	वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया, जिससे कि अधिनियम की धारा **185** के प्रावधान प्रभावित होते हों। हमें दी गई जानकारियों और व्याख्याओं के अनुसार अधिनियम की धारा **186** के तहत निवेश और गारंटी के मामले में किए गए प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।
5.	यदि कंपनी ने जमा स्वीकार किया है, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों तथा कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **73** से **76** अथवा कंपनी अधिनियम के अधीन बनाई गई अन्य किन्हीं लागू प्रावधानों का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं तो ऐसे उल्लंघनों की प्रकृति बताएं: क्या कंपनी के विधि मंडल अथवा राष्ट्रीय कंपनी	कंपनी ने जनता से किसी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।

	विधि ट्रिब्यूनल अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य न्यायालय अथवा किसी अन्य ट्रिब्यूनल से पारित आदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं? यदि नहीं,तो इस तरह के उल्लंघन को बताया जाए, कि क्या कंपनी के विधि मंडल अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश दिया है और उसका अनुपालन किया गया या नहीं।	
6.	केंद्र सरकार द्वारा विर्निदिष्ट कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **148** की उप-धारा (**1**) के अनुरूप लागत लेखा तैयार किया गया है और क्या ऐसे लेखाओं और अभिलेखों का उल्लेख एवं अनुरक्षण होता है?	कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **148** (**1**) में भारत सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेखा व लेखाकरण) नियम, **2014** के अनुसरण में कंपनी ने लागत अभिलेख तैयार किया है और उसे बरकरार रखा है।
7 ए.	क्या कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर के साथ-साथ उपयुक्त अन्य प्राधिकरणों के अविवादित सांविधिक बकायों का नियमित भुगतान कर रही है, यदि नहीं तो संबद्ध वित्त वर्ष में छ: महीनों से अधिक अवधि के कुल सांविधिक बकायों की देय तिथि से शेष राशि, लेखापरीक्षक को दर्शाना होगा।	कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर के साथ-साथ उपयुक्त अन्य प्राधिकरणों के अविवादित सांविधिक बकायों का सामान्य रूप से नियमित भुगतान कर रही है। हमें प्रदान की गई जानकारियों और व्याख्याओं के अनुरूप **31** मार्च **2017** तक के लेखावही के अनुसार कोई भी अविवादित सांविधिक देय अपने भुगतान की नियत तिथि से छ: महीनों से अधिक तक की अवधि हेतु शेष नहीं हैं।
बी.	जब किसी विवाद के कारण आयकर अथवा बिक्रीकर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्यवर्धित कर जमा नहीं किए गए हों, तब विवादित राशि और जिस फोरम में मामला लंबित हो, उसका उल्लेख किया जाए।	हमें प्रदान की गई जानकारियों और व्याख्याओं के अनुरूप वित्तवर्ष की समाप्ति तक आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर के विवादित देय जो जमा नहीं किए गए हैं उन्हें संलग्न सारणी में दर्शाया गया है।
8	क्या कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारी के बकायों के पुर्नभुगतान में वादाखिलाफी की है? यदि हाँ, तो अवधि व वादाखिलाफी की राशि सूचित की जाए (बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के मामले में ऋणदातावार विवरण दिया जाए)	हमें प्रदान की गई जानकारियों और अभिलेखों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक के देयों के भुगतान के बकायादार नहीं रही।
9	क्या पब्लिक इश्यू/फॉलो ऑन आफर (ऋण कारक सहित) और कारण सहित सावधि ऋण के माध्यम से धन की उगाही की गई है। यदि नहीं, तो विलंब/वादाखिलाफी और तदनुसार संशोधन, यदि कोई किया गया हो अथवा लागू हो, तो उसका विवरण दिया जाए।	वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार: ◆ कंपनी ने पब्लिक इश्यू/फालो-आन ऑफर (ऋण कारक सहित) के माध्यम से जनता से धन-उगाही नहीं की है। ◆ जिन उद्देश्यों से सावधि ऋण हेतु आवेदन किए गए थे वे प्राप्त हुए।
10	वर्ष के दौरान क्या कंपनी के द्वारा कोई जालसाजी अथवा कंपनी के साथ कोई जालसाजी उसके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परिलक्षित हुई है? यदि हाँ, तो प्रकृति और धनराशि की मात्रा सूचित की जाए।	हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के साथ अथवा कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी तरह की जालसाजी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और रिपोर्ट नहीं किया गया है।

11	कंपनी अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के साथ पठित अनुसूची 5 में अनिवार्यत: अनुमोदन के अनुसार क्या प्रबंधकीय प्रतिदान का भुगतान/दिया जाता है? यदि नहीं तो उसमें निहित राशि और उसे पुन: हासिल करने के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाया है, बताएँ।	केंद्र सरकार द्वारा दि.05.06.2015 को जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों पर धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते, इसलिए खंड 3(11) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
12	क्या देयताओं से निवटने के लिए निधि कंपनी ने सकल निजी पूँजी अनुपात 1:20 का अनुपालन किया है और क्या निधि कंपनी भारमुक्ति की बाध्यताओं से निवटने के लिए परिसंपत्तियों की तरलता 10% तक बनाई हुई है।	हमारी राय में कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
13	क्या लागू अनुसार सभी संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 एवं 177 का अनुपालन हो रहा है और लेखाकरण मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय विवरण में ब्यौरे का प्रकटीकरण किया जा रहा है?	हमें दी गई जानकारियों और व्याख्याओं के अनुसार सभी संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन में लागू अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 एवं 177 का अनुपालन हो रहा है और लेखाकरण मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय विवरण में ब्यौरे का प्रकटीकरण किया जा रहा है?
14	क्या कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई प्रिफरेंशियल आबंटन/ निजी तौर पर शेयर खरीदने अथवा पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स जारी किये हैं, यदि ऐसा है, तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन हुआ है और क्या जिस उद्देश्य के लिए धनराशि की उगाही की गई थी उसी उद्देश्य के लिए धनराशि का उपयोग किया गया है, यदि नहीं, तो विवरण दें।	हमें दी गई जानकारियों और व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने इस वर्ष कोई प्रिफरेंशियल आबंटन/निजी तौर पर शेयर खरीदने अथवा पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स जारी नहीं किये हैं।
15	क्या कंपनी ने निदेशकों अथवा अपने से जुड़े लोगों के साथ कोई गैर-नगदी लेन-देन किया है और यदि ऐसा है तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।	हमें दी गई जानकारियों और व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने इस वर्ष अपने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े लोगों के साथ कोई गैर-नगदी लेन-देन नहीं किया है
16	क्या कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I ए के अंतर्गत पंजीकृत करना आवश्यक है, और यदि ऐसा है, तो क्या पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया है।	हमारी राय में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I ए के अधीन कंपनी को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते राव व कुमार
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 03089एस
ह/-
सनदी लेखाकार वी वी राममोहन
भागीदार
एम नं. 18788

दिनांक: 01 सितंबर 2017
स्थान: विशाखपट्टणम

सी ए आर ओ के लिए क्रम संख्या 7 (बी) हेतु अपेक्षित सारणी

आयकर, विक्रीकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर के विवादित बकाया जो जमा नहीं किए गए है, निम्नप्रकार से हैं:

आर आई एन एल

संविधि का नाम	बकाया प्रकार	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	राशि (करोड़ रुपए)
वित्त अधिनियम, सीमा व उत्पाद अधिनियम	उत्पाद कर, सेवाकर व सेंवेट	आयुक्त (अपील)	3.24
-वही-	-वही-	सीस्टैट	111.82
-वही-	सीमा शुल्क	सीस्टैट	25.30
आँध्र प्रदेश सामान्य विक्रीकर अधिनियम व सी एस टी अधिनियम.	विक्री कर	स्टेट	2.11
-वही-	-वही-	माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश	912.15
विहार वैट अधिनियम	वैट	संयुक्त कर आयुक्त (जे सी टी)	0.05
ओड़िशा विक्री कर अधिनियम	विक्री कर	अपर आयुक्त, विक्रीकर, ओड़िशा	0.41
पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम	विक्री कर	डब्ल्यू बी सी टी ए	0.39
महाराष्ट्र वैट अधिनियम	विक्री कर	जे सी एस टी, अपील प्राधिकारी	0.14

अनुलग्नक - बी: स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन

31 मार्च **2017** को समाप्त वर्ष के संबंध में कंपनी के सदस्यों हेतु अनुलग्नक में संदर्भित अनुसार हम प्रतिपादित करते हैं कि:

हमने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के वित्तीय रिर्पोटिंग ब्यौरे की **31** मार्च **2017** तक लेखापरीक्षा, अपनी लेखापरीक्षा से मेल खाते उस दिन समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण से की।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

वित्तीय रिर्पोटिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखाकरण के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप वित्तीय नियंत्रण हेतु आंतरिक वित्तीय रिर्पोटिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना और उसे बनाए रखना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों का अनुपालन करने, उसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा करने, जालसाजियों एवं त्रुटियों से बचाव व पता लगाने, लेखाकरण के आँकड़ों की शुद्धता व पूर्णता बनाए रखने और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने के साथ-साथ ऐसी सक्षम आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, जो प्रभावशाली ढंग से संचालित हो और कारोबार को दक्षता से चला सके, की रूपरेखा बनाना और उसको क्रियान्वित करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा करते समय हमने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखाकरण (आई सी ए आई) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखाकरण हेतु जारी और कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **143** (**10**) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशात्मक टिप्पणी") और लेखाकरण मानक अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों तथा इसके लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुरूप जो तथ्य शामिल किए जाने हैं उनका ध्यान रखा, और जो मानक और दिशात्मक टिप्पणियाँ आवश्यक थीं, लेखाकरण करते समय हमने उनका अनुपालन नैतिकता और योजनाबद्ध तरीके से करते हुए वित्तीय रिर्पोटिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता को स्थापित करके सभी तरह से तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किया।

हमारी लेखापरीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के वित्तीय रिर्पोटिंग और उसकी प्रभावकारिता में लेखाकरण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रणालियां शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय नियंत्रण हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एक समझ बनाना, यथार्थ रूप से मौजूद खामियों के जोखिमों का आकलन करना तथा आकलित जोखिमों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प व संचालन दक्षता की जाँच व मूल्यांकन करना है। जालसाजी अथवा त्रुटियों के कारण भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण के यथार्थ विवरण में गलती के जोखिमों सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय के अनुसार ही हुआ है।

हम विश्वास करते हैं कि कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त साक्ष्य लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यता संदर्भ में तर्कसंगत आश्वासन और साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण प्रदान करने के लिए तैयार की जाती है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो:

- अभिलेखों का रखरखाव, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उसकी प्रकृति को तर्कसंगत विवरण के साथ सटीक और शुद्धता से दर्शा या जा सके।
- तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन आवश्यक रूप से अभिलेखित हो ताकि साधारणतया स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण बने और कंपनी में आने वाली प्राप्ति एवं होने वाले व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्राधिकृत तरीके से हो; और
- अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों का दुरुपयोग जिससे वित्तीय विवरण के तत्व प्रभावित हो सकते हों उसकी रोकथाम का तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में अंतर्निहित सीमाओं के कारण सांठ-गांठ अथवा अनुचित प्रबंधन के नियंत्रण करने के साथ-साथ त्रुटियों अथवा धोखाधड़ी के कारण आकड़ों में गलतबयानी व उसकी पहचान न होने की संभावना हो सकती है।इसी प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में किसी भावी मूल्यांकन के आकलनों में परिस्थितियों के बदलाव अथवा नीतियों के अनुसार अनुपालन अथवा प्रक्रियाओं के कारण विकृति आने के जोखिम भी हैं।

राय

हमारी राय में, कंपनी में सभी तरह से वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यह वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली **31** मार्च **2017** तक प्रभावी ढंग से संचालित है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए दिशात्मक टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के अनुरूप कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंड हैं।

कृते राव व कुमार
सनदी लेखाकार
एफ आर एन **03089**एस
ह/-
सनदी लेखाकार वी वी राममोहन
भागीदार
एम नं. **18788**

दिनांक: **01** सितंबर **2017**
स्थान: विशाखपट्टणम

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - सी:

कंपनी के सदस्यों हेतु जिस अनुलग्नक का संदर्भ **31** मार्च **2017** को समाप्त वर्ष के हमारे प्रतिवेदन में किया गया है, हम प्रतिपादित करते हैं:

1	क्या स्वतंत्र स्वामित्व एवं स्वतंत्र एकाधिकार हेतु कंपनी के पास क्रमश: भूमि के लिए स्वामित्व/पट्टा है? यदि नहीं तो कृपया बताएं कि कितनी भूमि के लिए स्वतंत्र स्वामित्व/पट्टा नहीं है।	भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार वित्तीय विवरण में टिप्पणी संख्या **3** को छोड़कर कंपनी के पास भूमि का स्वतंत्र स्वामित्व एवं पट्टाधारण हेतु स्पष्ट स्वामित्व और पट्टा है।
2	क्या ऋण से मुक्ति/कर्जमाफी/उधार/ब्याज आदि का मामला है, यदि हाँ तो उसका कारण व शामिल राशि?	वर्ष के दौरान **36.06** लाख रुपयों की ऋणमुक्ति के मामले हैं, प्रबंधन के अनुसार उनकी वसूली नहीं की जा सकती। वर्ष के दौरान ऋण/ब्याज से मुक्ति के मामले नहीं हैं। कंपनी में थर्ड पार्टियों के पास शेष पड़ी मालसूची समुचित अभिलेखन किया जाता है।
3	क्या थर्ड पार्टियों के पास शेष पड़ी मालसूची और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहारों/अनुदानों का समुचित अभिलेखन किया जाता है।	हमें दी गई जानकारियों एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्ष के दौरान सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से कोई उपहार/अनुदान प्राप्त नहीं हुए हैं।

कृते **राव व कुमार**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन **03089**एस
ह/-
सनदी लेखाकार वी वी राममोहन
भागीदार
एम नं. **18788**

दिनांक: **01** सितंबर **2017**
स्थान: विशाखपट्टणम

निदेशक प्रतिवेदन का अनुलग्नक-10

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, हैदराबाद

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
COMMERCIAL AUDIT AND EX-OFFICIO MEMBER,
AUDIT BOARD, HYDERABAD

पीडीसीए/ए/सी/डेस्क/2016-17/आर आई एन एल/1.01/209 दि.15 सितंबर 2017

सेवा में
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम

विषय: दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं एतद्वारा अग्रेषित करता हूँ कि दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 'शून्य' हैं।

2. वार्षिक लेखाओं के साथ टिप्पणी और लेखा परीक्षक प्रतिवेदन कंपनी के शेयरधारकों के सम्मुख प्रस्तुत करने की तारीख सूचित की जाए और बैठक की कार्यवाही की एक प्रति संलग्न की जाए।

3. लेखा परीक्षक प्रतिवेदन के साथ कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा एवं भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संघ सरकार को भेजने की तारीख की सूचना दी जाए, ताकि उसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके।

4. वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की दस प्रतियाँ समय पर भेजी जाएं।

इस पत्र व संलग्नकों के प्राप्त होने की पावती दी जाए।

भवदीय,

(एल टोचांग)
महा निदेशक

संलग्न: यथोपरि

महालेखाकार का कार्यालय परिसर, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.
A.G.'s Office Complex, Saifabad, Hyderabad - 500 004
e-mail : mabhyderabad@cag.gov.in

Grams : DIRCOMIT Fax : 040-23231318
Phone : 23233315, 23230415

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि दि.01 सितंबर 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के कार्यकारी दस्तावेजों को देखे बिना और कुछ चुनिंदा लेखांकन अभिलेखों की जांच तक सीमित थी। लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में कोई विशेष मद प्राप्त नहीं हुए जिन पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा सांविधिक लेखा परीक्षा के अनुपूरक प्रतिवेदन में कुछ जोड़ा जा सके।

कृते एवं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की तरफ से

(एल टोचांग)
महा निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा,
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल,
हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद
दि.15 सितंबर 2017

लुधियाना
चंडीगढ़
हमतल
देहरादून
दिल्ली
उत्तर
गाजियाबाद
फरीदाबाद
आगरा
जयपुर
कानपुर
पटना
अहमदाबाद
भोपाल
इंदौर
जबलपुर
कोलकाता
पूर्व
नागपुर
भुवनेश्वर
पश्चिम
मुंबई
पुणे
आंध्र
विशाखपट्टणम
हैदराबाद
विजयवाडा
बैंगलूरु
चेन्नई
दक्षिण
कोयंबतूर
कोच्चि
आई एम ओ
कोलंबो
संयंत्र
क्षेत्रीय कार्यालय - 05
शाखा कार्यालय - 25
सी एस ए - 05
खुदरे व्यापारी - 215

लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा

2016-17

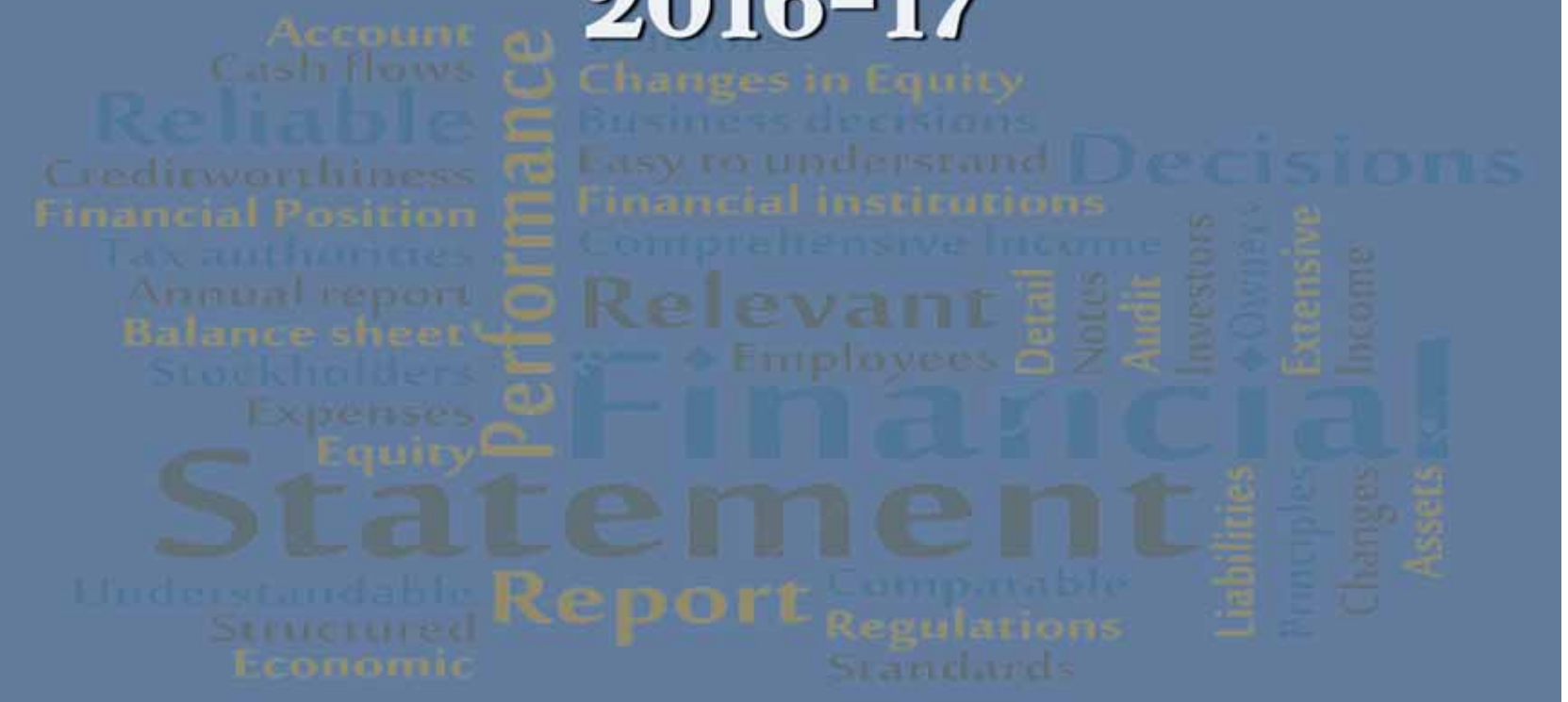

31 मार्च 2017 तक तुलन पत्र

₹ करोड़

विवरण	नोट्स	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
I परिसंपत्तियाँ				
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ				
(ए) संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर	3	12,902.88	11,917.66	5,745.15
(बी) चालू भारी मरम्मत कार्य	3	7,768.96	6,988.67	11,492.98
(सी) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	25.21	37.49	51.33
(डी) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	-	2.70	2.57
(ई) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश	5	740.88	697.59	601.69
(ii) ऋण	6	128.54	154.74	182.90
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	286.70	157.09	125.96
(एफ) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	8	242.41	-	-
(जी) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9	158.02	116.14	172.18
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**22,253.61**	**20,072.08**	**18,374.76**
चालू परिसंपत्तियाँ				
(ए) वस्तुसूची	10	4,766.85	3,810.60	5,095.77
(बी) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) व्यापार प्राप्य	11	878.80	956.78	1,034.10
(ii) नकद व नकद सम राशि	12	53.90	45.56	63.94
(iii) ऋण	6	-	-	0.38
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	276.26	282.21	292.61
(सी) अन्य कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	0.01	7.00	52.30
(डी) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	636.48	670.28	717.89
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**6,612.30**	**5,772.43**	**7,256.99**
कुल परिसंपत्तियाँ		**28,865.91**	**25,844.51**	**25,631.75**
II ईक्विटी व देयताएँ				
ईक्विटी				
(ए) ईक्विटी शेयर पूँजी	15	4,889.85	4,889.85	4,889.85
(बी) अन्य ईक्विटी	16			
आरक्षित व अधिशेष				
(i) आरक्षित व अधिशेष	16 ए	3,761.11	5,024.27	6,627.98
(ii) अन्य व्यापक आय	16 बी	(81.30)	(45.29)	-
कुल ईक्विटी		**8,569.66**	**9,868.83**	**11,517.83**
देयताएँ				
गैर-चालू देयताएँ				
(ए) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार	17	5,841.71	3,805.48	66.52
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	18	42.90	13.56	51.65
(बी) प्रावधान	19	964.06	853.59	557.14
(सी) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	8	-	202.37	324.45
(डी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	20	7.71	7.15	6.55
कुल गैर-चालू देयताएँ	6,856.38	**4,882.15**	**1,006.31**	
चालू देयताएँ				
(ए) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार	17	8,048.84	6,585.64	7,444.89
(ii) व्यापार देनदारियाँ	21	1,037.85	733.56	600.60
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	18	3,532.35	3,128.98	4,254.97
(iv) प्राप्तियाँ	22	138.38	54.17	31.42
(बी) प्रावधान	19	137.59	102.51	198.93
(सी) अन्य चालू देयताएँ	23	544.86	488.67	576.80
कुल चालू देयताएँ		**13,439.87**	**11,093.53**	**13,107.61**
कुल देयताएँ		**20,296.25**	**15,975.68**	**14,113.92**
कुल ईक्विटी व देयताएँ		**28,865.91**	**25,844.51**	**25,631.75**

1 से **43** तक के नोट्स वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं मंडल निदेशक की ओर से
ह/-
(पो मधुसूदन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ह/-
(दीपक आचार्य)
कंपनी सचिव

ह/-
(वी वी वेणु गोपाल राव)
निदेशक (वित्त)
एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

हमारे प्रतिवेदन समसंख्यक के अनुरूप
कृते मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.(एफ.आर.एन.) 003089S
ह/-
(सनदी लेखाकार वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम.सं.: 18788

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक : 01-09-2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

₹ करोड़

	विवरण	नोट्स	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
	आय			
I	प्रचालन से राजस्व	24	12,418.74	10,163.04
II	अन्य आय	25	260.29	348.92
III	कुल आय (I+II)		12,679.03	10,511.96
IV	व्यय			
	खपत की गई सामग्री की लागत	26	6,945.20	4,141.59
	परिसज्जित माल की वस्तुसूची में परिवर्तन एवं चालू कार्य	27	(397.54)	1,149.72
	उत्पाद शुल्क		1,277.56	1,143.40
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	2,163.83	1,881.87
	वित्त लागत	29	767.74	676.70
	मूल्यह्रास व ऋण परिशोधन व्यय	30	658.86	365.66
	अन्य व्यय	31	2,953.87	2,854.83
	कुल व्यय (IV)		14,369.53	12,213.78
V	विशेष मदों व कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		(1,690.49)	(1,701.82)
VI	विशेष मद		-	-
VII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		(1,690.49)	(1,701.82)
VIII	कर संबंधी व्यय/(साख):			
	चालू कर		-	-
	आस्थगित कर	8	(428.68)	(98.10)
	पिछले वर्ष के समायोजन		1.34	-
	कर संबंधी कुल व्यय/(साख) (VIII)	8	(427.34)	(98.10)
IX	जारी प्रचालन से वर्ष में लाभ/(हानि) (VII-VIII)		(1,263.16)	(1,603.72)
X	प्रचालन रोकने से वर्ष लाभ/(हानि)		-	-
XI	प्रचालन रोकने से कर संबंधी व्यय		-	-
XII	प्रचालन रोकने से (कर पश्चात) वर्ष में लाभ/(हानि) (X-XI)		-	-
XIII	अवधि (IX+XII) के लिए लाभ/(हानि)		(1,263.16)	(1,603.72)
XIV	अन्य व्यापक आय			
	(i) ऐसे मद, जिन्हें लाभ व हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति के पुन: माप	8	(52.10)	(69.27)
	(ii) ऐसे मदों के संबंध में आय कर, जिन्हें लाभ व हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता	8	16.10	23.97
	वर्ष में अन्य व्यापक आय, निवल आय कर		(36.00)	(45.29)
XV	वर्ष में कुल अन्य व्यापक आय (XIII+XIV)		(1,299.16)	(1,649.01)
XVI	₹ 10 प्रत्येक ईक्विटी शेयर के अर्जन/(हानि)	36		
	1.मूल (₹)		(2.58)	(3.28)
	2.मिश्रित (₹)		(2.58)	(3.28)

1 से 43 तक के नोट्स वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं मंडल निदेशक की ओर से
ह/-
(पो मधुसूदन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ह/-
(दीपक आचार्य)
कंपनी सचिव

ह/-
(वी वी वेणु गोपाल राव)
निदेशक (वित्त)
एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

हमारे प्रतिवेदन समसंख्यक के अनुरूप
कृते मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.(एफ.आर.एन.) 003089S
ह/-
(सनदी लेखाकार वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम.सं.: 18788

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक : 01-09-2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

ए. ईक्विटी शेयर पूँजी

₹ करोड़

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2015 तक शेष	4,889.85
2015-16 के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2016 तक शेष	**4,889.85**
2016-17 के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2017 तक शेष	**4,889.85**

बी. अन्य ईक्विटी

(₹ करोड़)

विवरण	आरक्षित व अधिशेष				कुल
	प्रतिधारित अर्जन	पूँजी शोधन आरक्षित	अधिमान्य शेयरों के शोधन हेतु आरक्षित	ओ सी आई के अन्य मद	
1 अप्रैल 2015 तक शेष	3,690.51	2,637.47	300.00	-	6,627.98
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय					
लाभ व हानि	(1,603.72)	300.00	(300.00)	-	(1,603.72)
अन्य व्यापक आय (निवल कर)	-		-	(45.29)	(45.29)
कुल व्यापक आय	**(1,603.72)**	**300.00**	**(300.00)**	**(45.29)**	**(1,649.01)**
31 मार्च 2016 तक शेष	**2,086.80**	**2,937.47**	**-**	**(45.29)**	**4,978.97**
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय					
लाभ व हानि	(1,263.16)	-	-		(1,263.16)
अन्य व्यापक आय (निवल कर)				(36.00)	(36.00)
कुल व्यापक आय	**(1,263.16)**	**-**	**-**	**(36.00)**	**(1,299.16)**
31 मार्च 2017 तक शेष	**823.64**	**2,937.47**	**-**	**(81.30)**	**3,679.81**

1 से 43 तक के नोट्स वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं मंडल निदेशक की ओर से
ह/-
(पो मधुसूदन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ह/-
(दीपक आचार्य)
कंपनी सचिव

ह/-
(वी वी वेणु गोपाल राव)
निदेशक (वित्त)
एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

हमारे प्रतिवेदन समसंख्यक के अनुरूप
कृते मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.(एफ.आर.एन.) 003089S
ह/-
(सनदी लेखाकार वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम.सं.: 18788

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक : 01-09-2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

₹ करोड़

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
वर्ष में (कर पूर्व) लाभ/(हानि)	(1,690.49)	(1,701.82)
निम्नलिखित हेतु समायोजन:		
मूल्यह्रास व ऋण परिशोधन व्यय	658.86	365.66
वित्तीय लागत	767.74	676.70
बैंकों से ब्याज के रूप में आय	(0.28)	(0.29)
लाभांश के रूप में आय	(0.15)	-
संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की बिक्री से (लाभ) हानि	(0.52)	(0.34)
एफ वी टी पी एल के रूप में परिभाषित वित्तीय प्रपत्रों से अप्राप्त निवल (लाभ)/हानि	84.21	22.74
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**(180.64)**	**(637.34)**
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन :		
वस्तुसूची में (वृद्धि) कमी	(956.25)	1,285.17
व्यापार प्राप्य व ऋणों में (वृद्धि) कमी	104.18	105.86
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) कमी	(123.66)	(20.73)
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) कमी	6.36	3.71
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) कमी	(5.12)	7.66
व्यापार देनदारियों में वृद्धि (कमी)	304.29	132.96
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि (कमी)	332.57	(244.70)
प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	93.45	130.76
गैर-चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	0.56	0.60
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	56.21	(88.13)
प्रचालन गतिविधियों में (प्रयुक्त)/से प्राप्त नकद	**(368.05)**	**675.83**
प्रदत्त आय कर (निवल प्रतिदाय)	44.57	85.25
प्रचालन गतिविधियों (ए) में (प्रयुक्त)/से प्राप्त निवल राशि	**(323.48)**	**761.08**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर का अधिग्रहण	(2,439.85)	(1,257.77)
संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की बिक्री की प्राप्तियाँ	0.65	0.40
बैंकों से प्राप्त ब्याज	0.28	0.29
सावधि जमाओं में निवेश	(0.80)	(0.90)
लाभांश के रूप में आय	0.15	-
निवेशों का अधिग्रहण	(43.29)	(95.90)
निवेश गतिविधियों (बी) में (प्रयुक्त)/से प्राप्त निवल नकद	**(2,482.86)**	**(1,353.88)**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
दीर्घकालिक उधारों (पुन: भुगतान) की प्राप्तियाँ	2,351.19	2,599.65
अल्पकालिक उधारों (पुन: भुगतान) की प्राप्तियाँ	1,463.20	(859.25)
अधिमान्य शेयरों का पुन: भुगतान	-	(300.00)
प्रदत्त ब्याज	(1,000.51)	(866.87)
वित्तीय गतिविधियों (सी) में (प्रयुक्त)/से प्राप्त निवल नकद	**2,813.88**	**573.53**
नकद व नकद सम राशि (ए+बी+सी) में निवल वृद्धि (कमी)	7.54	(19.28)
1 अप्रैल तक नकद व नकद सम राशि	34.69	53.97
31 मार्च तक नकद व नकद सम राशि	**42.23**	**34.69**
तुलन पत्र के अनुसार नकद व नकद सम राशि का समाधान	**31 मार्च 2017**	**31 मार्च 2016**
नकद प्रवाह विवरण के अनुसार नकद व नकद सम राशि	42.23	34.69
अन्य बैंक शेष, जो ऊपर नहीं दिखाये गये:		
- बैंक जमा, जिनकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक हो	3.96	3.72
- प्रधान मंत्री ट्रॉफी पुरस्कार निधि	7.71	7.15
तुलन पत्र के अनुसार नकद व नकद सम राशि	53.90	45.56

भारतीय लेखाकरण प्रणाली 7 के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत नकद प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
1 से 43 तक के नोट्स वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं मंडल निदेशक की ओर से
ह/-
(पो मधुसूदन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ह/-
(वी वी वेणु गोपाल राव)
निदेशक (वित्त)
एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(दीपक आचार्य)
कंपनी सचिव

हमारे प्रतिवेदन समसंख्यक के अनुरूप
कृते मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.(एफ.आर.एन.) 003089S
ह/-
(सनदी लेखाकार वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम.सं.: 18788

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक : 01-09-2017

31 मार्च 2017 तक स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

1. कंपनी परिदृश्य

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड मूलत: भारत में स्थापित कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी), विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश है। कंपनी में मुख्यत: इस्पात तथा तत्संबंधी उत्पादों का उत्पादन किया जाता है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

2.1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, ऐसे कुछ वास्तविक वित्तीय घटकों को छोड़कर, जिनका अंकित मूल्य पर मापन किया जाता है, प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत भारतीय लेखाकरण मानक ("Ind AS") तथा कंपनी अधिनियम, **2013** के प्रावधानों के अनुरूप बनाये गये हैं।

2.2 कार्यकारी व प्रस्तुति मुद्रा

स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण कंपनी की कार्यकारी मुद्रा एवं मुख्य आर्थिक परिवेश की मुद्रा, जिसमें कंपनी का प्रचालन होता है, उस भारतीय रुपये में प्रस्तुत किये जाते हैं। भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय विवरणों को शेयर तथा प्रति शेयर आंकड़े को छोड़कर निकटतम करोड़ तक समायोजित किया गया है।

2.3 प्राक्कलनों का उपयोग व निर्णय

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्राक्कलन तथा पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता है, जिनका परिसंपत्तियों व देयताओं के संबंध में वित्तीय विवरण की तिथि पर दर्ज राशि एवं आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्ट करने की अवधि के दौरान राजस्व व व्ययों की राशि पर प्रभाव पड़े। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं तथा वास्तविक परिणामों एवं प्राक्कलनों में अंतर, परिणाम प्राप्त अवधि में पहचाने गये हैं/पाये गये हैं।

2.4 वस्तुसूची

2.4.1 वस्तुसूची का मूल्य, कम लागत एवं निवल प्राप्त मूल्य पर लगाया गया है।

2.4.2 लागत निर्धारण का आधार :

ए) परिसज्जित/अर्द्ध-परिसज्जित उत्पाद, कच्चामाल - आवधिक भारित औसत लागत

बी) गौण कच्चेमाल, भंडार व हिस्से-पर्जे (जो पी पी ई की पूर्ति नहीं करते हों), फुटकर औजार - गतिशील भारित औसत लागत

सी) सभी सामग्री के परिवहन की लागत

2.4.3 अप्रचलित/अधिशेष/अचल वस्तुसूची के आवश्यक प्रावधान बनाये गये।

2.5 संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर (पी पी ई)

2.5.1 (ए) कंपनी द्वारा **01** अप्रैल **2015** तक अपना प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार करते समय पिछले जी ए ए पी मूल्य को 'अनुमानित लागत' के रूप में अपनाया गया है।

(बी) संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर का मूल्य संचित मूल्यह्रास व हानि को छोड़कर लगाया गया।

2.5.2 संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) उनका क्रय मूल्य;

(ii) परिसंपत्ति के अपेक्षित स्थान तक परिवहन एवं प्रबंधन द्वारा अपेक्षित अनुसार उसकी प्रचालन योग्य स्थिति हेतु कोई भी प्रत्यक्ष लागत;

(iii) मद को विघटित करके उसे हटाने एवं जहाँ पर मद लगा हो, उस क्षेत्र की पूर्वावस्था की प्राप्ति की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन, परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय अथवा किसी खास अवधि की वस्तुसूची के उत्पादन से भिन्न आशय हेतु उस अवधि में परिसंपत्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा किया गया व्यय कंपनी का दायित्व होता है;

(iv) निवल राजस्व में से संयंत्र की किसी विशेष इकाई के निर्माण, ट्रायल रन व्यय के मामले में प्रत्यक्ष रूप से दिखाये जाने योग्य/व्यय की जाने योग्य राशि।

2.5.3 पी पी ई के किसी मद की आंशिक प्रतिस्थापना की लागत स्वीकार्यता मापदंड की पूर्ति की शर्त पर संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के मद की अग्रसारित राशि के अंतर्गत दिखाई जाती है। परिणामस्वरूप, प्रतिस्थापित अंश की अग्रसारित राशि को दिखाया नहीं जाता।

2.5.4 संयंत्र की किसी विशेष इकाई के निर्माण के मामले में प्रत्यक्ष रूप से दिखाये जाने योग्य/व्यय किये जाने योग्य राशि को पी पी ई के आवंटन हेतु 'निर्माण के दौरान व्यय' के अधीन रखा जाता है और 'चालू भारी मरम्मत कार्य' के अधीन दिखाया जाता है।

2.5.5 संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर संबंधी मापदंड की पूर्ति करनेवाले सभी प्रमुख हिस्से-पुर्जो, सहायक उपस्कर, एवं सर्वीसिंग उपस्कर का पूँजीकरण किया जाता है।

2.5.6 **मूल्यह्रास:**

संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के प्रत्येक मद की अनुमानित उपयोगी कार्य- क्षमता के स्ट्रेट-लाइन आधार पर मूल्यह्रास दिखाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी कार्य -क्षमता एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा की जाती है एवं जहाँ पिछले आकलनों की तुलना में आकलनों में अंतर पाया जाता हो, वहाँ उसके अनुरूप लेखाकरण प्राक्कलन में परिवर्तन किया जाता है।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

2.6.1 संचित ऋणमुक्ति एवं नुकसान में से लागत को घटाकर अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमान लगाया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी कार्य-क्षमता की स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर ऋणमोचन किया जाता है।

2.6.2 सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के मामले में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके अवशिष्ट मूल्य व उपयोगी कार्य-क्षमता की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो लेखाकरण प्राक्कलनों में उन्हें दिखाया जाता है।

2.7 परिसंपत्तियों का अन्वेषण व मूल्यांकन (ई व ई परिसंपत्तियाँ)

2.7.1 अन्वेषण व मूल्यांकन संबंधी व्यय में जमीन के अन्वेषण के विधिक अधिकार की प्राप्ति पश्चात एवं तकनीकी साध्यता व खनिज संसाधन की प्राप्ति संबंधी वाणिज्यिक कार्य क्षमता के पूर्व निम्नलिखित हेतु प्रत्यक्ष रूप से होनेवाली लागत शामिल है:

- मौजूदा अन्वेषण आंकड़े से संबंधित अनुसंधान व विश्लेषण;
- भूवैज्ञानिक अध्ययन, अन्वेषण योग्य ड्रिलिंग व सैंपलिंग का निर्वहण;
- निकास व उपचार पद्धतियों की जाँच व परीक्षण;

और/अथवा

- पूर्व साध्यता व साध्यता अध्ययन का समेकन

2.7.2 अन्वेषण व मूल्यांकन संबंधी व्यय को व्यय ही माना जाता है, अन्यथा व्याज, अथवा वैकल्पिक तौर पर बिक्री के माध्यम से सफल विकास व समुपयोजन के तौर पर उसके उपयोग की अपेक्षा की जाती है, ऐसे मामले में उसे एक परिसंपत्ति माना जाता है।

2.7.3 अन्वेषण व मूल्यांकन परिसंपत्तियों का उनकी प्रकृति के अनुरूप मूर्त (संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अंतर्गत) अथवा अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तब तक नहीं किया जाता, जब तक कि उन्हें अन्वेषण व मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में नहीं दिखाया जाता। ये परिसंपत्तियाँ सी डब्ल्यू आई पी के अधीन जारी रहेंगी और एक बार अन्वेषण व मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में पहचाने जाने पर उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

2.7.4 पूँजीकृत मूल्यांकन व्यय के अग्रसारित मूल्य में कमी हेतु प्रबंधन द्वारा सालाना उसकी समीक्षा की जाती है।

2.8 सहायक व संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक व संयुक्त उद्यमों में निवेश की लागत के आधार पर गणना की जाती है। अस्थाई से भिन्न, मूल्य में कमी की जाती है।

2.9 वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स (वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं वित्तीय देयताएँ):

सभी वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स की शुरुआत में स्वच्छ मूल्य पर गणना की जाती है। वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स का वर्गीकरण व्यापार में उसके उपयोग के उद्देश्य के आधार पर निर्भर करता है। परवर्ती मापन के आशय हेतु कंपनी के वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, (ए) अप्राप्य वित्तीय इंस्ट्रमेंटस और (बी) प्राप्य वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स

ए) अप्राप्य वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स

(i) इस खंड के अधीन प्रतिभूति जमा, नकद व नकद सम राशि, कर्मचारी व अन्य अग्रिम, व्यापार प्राप्य एवं योग्य चालू व गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण किया जाता है।

(ii) इस खंड के अधीन ऋण व उधार, विभिन्न पार्टियों से संगृहीत जमा सहित व्यापार व अन्य देय एवं योग्य चालू व गैर-चालू वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण किया जाता है।

(iii) तत्पश्चात वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स को जहाँ भी लागू हो, प्रभावी व्याज पद्धति (ई आई आर) के उपयोग के माध्यम से नुकसान को कम करते हुए ऋणमोचन लागत के आधार पर अग्रसारित किया जाता है।

(iv) ऋणमोचन लागत पर दिखाये गये वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स के कारण स्वीकार्य लेनदेन लागत को ऐसे इंस्ट्रमेंट्स के स्वच्छ मूल्य में शामिल किया जाता है।

(बी) प्राप्त वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स

(i) व्युत्पन्नी वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं को प्रथमत: व्युत्पन्नी संविदा प्रवेश की तिथि से न्यायसंगत मूल्य पर दिखाया जाता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके न्यायसंगत मूल्य के अनुरूप उनका पुन: मापन किया जाता है।

(ii) किसी व्युत्पन्नी परिसंपत्ति व देयता के न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन, आय संबंधी विवरण में तत्काल दिखाया जाता है और अन्य व आय व व्यय में उसे शामिल किया जाता है।

(iii) नकदी प्रवाह बचाव: नकदी प्रवाह बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी बचाव इंस्ट्रमेंट के न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन अन्य व्यापक आय में दिखाये जाते हैं और बचाव-व्यवस्था की प्रभावी अवधि तक नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित राशि में ईक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं। न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन, बचाव-व्यवस्था की अप्रभावी अवधि तक लाभ व हानि के विवरण में दिखाये जाते हैं। यदि बचाव-व्यवस्था, लेखाकरण के बचाव संबंधी मापदंड की पूर्ति करने योग्य नहीं रह पाती है तो उसकी अवधि समाप्त की जाती है अथवा उसे बेच दिया जाता है, रद्द किया जाता है अथवा उसका उपयोग किया जाता है, तत्पश्चात संभवत: बचाव लेखाकरण बंद किया जाता है। नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित में पहले दिखाये गये संचित लाभ व हानि को संबद्ध पूर्वानुमानित लेनदेन के घटित होने पर लाभ व हानि के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है।

2.10 ह्रास

2.10.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(i) कंपनी, निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं ऋण जोखिम खुलासा पर ह्रास के मापन एवं पहचान हेतु प्रत्याशित ऋण हानि (ई सी एल) नमूने को अपनाती है:

- कर्ज के साधन, यानि वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन ऋण, ऋण सुरक्षा, जमा, और बैंक शेष, जहाँ भी ऋण मोचन लागत लागू हो, पर किया जाता है।
- व्यापार प्राप्य

(ii) कंपनी व्यापार प्राप्य, जिसका कोई वित्तपोषण घटक न हो, पर नुकसान भत्ते के ह्रास को पहचानने हेतु 'सरलीकृत पद्धति' अपना रहा है। सरलीकृत पद्धति के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा ऋण जोखिम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी शुरुआती पहचान से लेकर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर लाइफटाइम ई सी एल आधारित नुकसान भत्ते का ह्रास दिखाया जाता है।

2.10.2 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इसका मूल्यांकन किया जाता है कि गैर-वित्तीय परिसंपत्ति अथवा गैर-वित्तीय परिसंपत्ति समूह के ह्रास का कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण है कि नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद हो, तो कंपनी, ह्रास की मात्रा का आकलन लगाती है।

2.11 लागत पृथक्कीकरण:

अधिभार एवं अपशिष्ट सामग्री को हटाने हेतु किये गये व्यय की प्रकृति में लागत पृथक्कीकरण की गणना निम्नानुसार की गई है:

(ए) तैयार वस्तुसूची के रूप में प्रयुक्त पृथक्कीकरण कार्यविधि से लाभ के प्राप्त होने तक भारतीय लेखाकरण मानक **2**, वस्तुसूचियों के सिद्धांतों के अनुरूप उसकी गणना की जाती है।

(b) इस लाभ से अयस्क की प्राप्ति में सुधार होने तक पृथक्कीकरण गतिविधि को गैर-चालू परिसंपत्ति माना जाएगा।

2.12 आय कर:

आय कर व्यय में चालू व आस्थगित व्यय शामिल हैं। आय कर व्यय तब तक लाभ व हानि विवरण में दिखाया जाता है, जब तक कि वह ईक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से दिखाये गये मदों से संबंधित न हो।

2.13 राजस्व की पहचान

2.13.1 जब स्वामित्व की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ एवं अवसर तथा सामग्री के प्रभावी नियंत्रण, क्रेता के नाम पर हस्तांतरित किये जाते हैं, तब राजस्व को न्यायसंगत मूल्य पर दिखाया जाता है। बिक्री राजस्व का मापन निवल प्रतिलाभ, वट्टे व रिबेट के अनुरूप किया जाता है।

2.13.2 बाह्य अभिकरणों के विरुद्ध दावे की गणना वसूली की निश्चिति पर की जाती है।

2.13.3 सेवा प्रदान करने के माध्यम से उत्पन्न राजस्व को तब तक दिखाया जाता है, जब तक कि सेवा प्रदान की जाती है एवं विश्वसनीय तरीके से उसका आकलन किया जा सकता है।

2.13.4 प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर ब्याज संबंधी आय को दिखाया जाता है।

2.13.5 लाभांश उस समय दिखाये जाते हैं, जब उनकी प्राप्ति का अधिकार संपन्न होता हो।

2.13.6 निर्यात प्रोत्साहन, वसूली की निश्चिति पर दिखाये जाते हैं।

2.14 कर्मचारी लाभ

उपदान, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति निपटान लाभ, कर्मचारी परिवार लाभ योजना, छुट्टी भुनाना व दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के प्रावधान/देयताएँ रिपोर्टिंग तिथि के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किये गये हैं।

(i) परिणामी बीमांकिक लाभ/हानि के प्रभार लाभ व हानि विवरण में दिखाये जाते हैं;

(ii) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ (निश्चित लाभ योजना) से संबद्ध बीमांकिक लाभ/हानि अन्य व्यापक आय में दिखायी जाती है।

2.15 विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.15.1 विदेशी मौद्रिक मद रिपोर्टिंग तिथि पर रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम दर पर घोषित किये जाते हैं। विदेशी मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से विनिमय दर में उत्पन्न अंतर, लाभ व हानि खाते में दिखाये जाते हैं।

2.15.2 गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों व देयताओं को लेनदेन की तिथि पर विद्यमान विनिमय दर दिखाये जाते हैं।

2.16 उधार की लागत

2.16.1 विशेषक परिसंपत्तियों की प्राप्ति संबंधी उधार की लागत, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों हेतु स्रोतजन्य हो, वहाँ संबद्ध परिसंपत्तियों में पूँजीकृत की जाती है और अन्य मामलों में ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय पर उधार की भारित औसत लागत की गणना की जाती है।

2.16.2 दीर्घकालिक उधारों के संबंध में लेनदेन की लागत का प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग के माध्यम से संबद्ध ऋणों की समयावधि के लिए ऋणमोचन किया जाता है।

2.16.3 उधार की अन्य प्रकार की लागत वर्ष के दौरान व्यय मानी जाएगी।

3 संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर

ए. अग्रसारित राशि का निपटान

₹ करोड़

	विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधारित भूमि	रेलवे लाइन व साइडिंग	सड़क, पुल व पुलिया	भवन	संयंत्र व उपस्कर	फर्नीचर व फिक्स्चर	वाहन	विद्युतीय स्थापना	जलापूर्ति व निकास प्रणाली	विविध परिसंपत्तियाँ	कुल
सकल ब्लॉक	लागत व अनुमानित लागत (सकल अग्रसारित राशि)												
	1 अप्रैल 2015 तक शेष	55.76	1.65	236.42	194.61	1,312.67	11,227.12	25.71	17.03	747.01	607.31	197.29	14,622.58
	जोड़ व समायोजन	4.04	-	-	41.59	99.94	6,209.48	0.89	4.92	45.99	144.14	38.17	6,589.16
	विक्री व समायोजन	-	-	(0.15)	-	-	(7.96)	(0.07)	(0.07)	(0.15)	-	(0.18)	(8.58)
	31 मार्च 2016 तक शेष	**59.80**	**1.65**	**236.27**	**236.20**	**1,412.61**	**17,428.64**	**26.53**	**21.88**	**792.85**	**751.45**	**235.28**	**21,203.16**
	1 अप्रैल 2016 तक शेष	59.80	1.65	236.27	236.20	1,412.61	17,428.64	26.53	21.88	792.85	751.45	235.28	21,203.16
	जोड़ व समायोजन	0.12	-	53.08	22.36	57.28	1,352.44	0.51	9.94	104.65	35.10	37.60	1,673.08
	विक्री व समायोजन	-	-	(0.18)	-	-	(11.79)	(0.07)	(0.09)	(0.12)	-	(0.82)	(13.07)
	31 मार्च 2017 तक शेष	**59.92**	**1.65**	**289.17**	**258.56**	**1,469.89**	**18,769.29**	**26.97**	**31.73**	**897.38**	**786.55**	**272.06**	**22,863.17**
संचित मूल्यह्रास	संचित मूल्यह्रास												
	1 अप्रैल 2015 तक शेष	-	0.76	131.08	101.12	665.97	7,173.42	17.41	12.46	368.85	275.98	130.38	8,877.43
	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	0.03	8.30	21.99	28.37	254.00	1.52	1.23	52.87	25.45	20.66	414.41
	विक्री व समायोजन	-	-	(0.15)	-	-	(5.84)	(0.04)	(0.07)	(0.11)	-	(0.13)	(6.34)
	31 मार्च 2016 तक शेष	**-**	**0.79**	**139.23**	**123.11**	**694.34**	**7,421.57**	**18.89**	**13.62**	**421.61**	**301.43**	**150.91**	**9,285.50**
	1 अप्रैल 2016 तक शेष	-	0.79	139.23	123.11	694.34	7,421.57	18.89	13.62	421.61	301.43	150.91	9,285.50
	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	0.03	9.27	20.97	30.64	500.33	1.41	2.45	61.25	34.06	25.35	685.76
	विक्री व समायोजन	-	-	(0.17)	-	-	(9.87)	(0.04)	(0.08)	(0.08)	-	(0.73)	(10.97)
	31 मार्च 2017 तक शेष	**-**	**0.82**	**148.33**	**144.08**	**724.98**	**7,912.03**	**20.26**	**15.99**	**482.78**	**335.49**	**175.53**	**9,960.29**
निवल ब्लॉक	अग्रसारित राशि (निवल)												
	1 अप्रैल 2015 तक*	55.76	0.89	105.34	93.49	646.70	4,053.70	8.30	4.57	378.16	331.33	66.91	5,745.15
	31 मार्च/1 अप्रैल 2016 तक	59.80	0.86	97.04	113.09	718.27	10,007.07	7.64	8.26	371.24	450.02	84.37	11,917.66
	31 मार्च 2017 तक	59.92	0.83	140.84	114.48	744.91	10,857.26	6.71	15.74	414.60	451.06	96.53	12,902.88

* 1 अप्रैल 2015 तक का निवल ब्लॉक भारतीय लेखाकरण मानक परिवर्तनकाल की तिथि तक अनुमानित लागत का सूचक होता है। पिछले जी ए ए पी से सकल ब्लॉक व संचित हानि का परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत की बेहतर जानकारी हेतु निपटान किया गया है।

बी. वित्तीय पट्टों के अधीन रखी गई भूमि

कंपनी ने वित्तीय पट्टे करार के अधीन मुंबई में भूमि का अधिग्रहण किया है। पट्टाधृत भूमि से पट्टे से संबंधित दायित्वों की पूर्ति होती है। वित्तीय पट्टों के अधीन अधिग्रहित भूमि की सकल एवं अग्रसारित एवं उपरोक्त के अधीन समाहित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

₹ करोड़

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
लागत अथवा अनुमानित लागत	1.65	1.65	1.65
संचित मूल्यह्रास	(0.82)	(0.79)	(0.76)
निवल अग्रसारित राशि	0.83	0.86	0.89

सी. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि

- पट्टे के आधार पर विभिन्न अभिकरणों को आवंटित भूमि में **372.85** एकड़ (**31** मार्च **2016**: **372.93** एकड़, **1** अप्रैल **2015**: **367.07** एकड़) शामिल है।
- **39.99** करोड़ रुपये की लागत पर भूमि (**31** मार्च **2016**: **39.99** करोड़ रुपये, **1** अप्रैल **2015**: **39.99** करोड़ रुपये) भारत के राष्ट्रपति के नाम पर रखी गई है। कंपनी, परियोजना एवं तत्संबंधी प्रासंगिक उद्देश्यों की पूर्ति के क्रम में अधिग्रहित भूमि के उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मुख्तारनामा रखती है।
- भूमि में **0.03** करोड़ रुपये के (**31** मार्च **2016**: **0.03** करोड़ रुपये, **1** अप्रैल **2015**: **0.03** करोड़ रुपये) मूल्य की **12.5** एकड़ जमीन, जिसका नाम विवादग्रस्त है, शामिल है।
- आर आई एन एल द्वारा अधिग्रहित **62.05** एकड़ जमीन (माकवरम: **33.64**; माटूरु: **22.41** व रेवाका: **6**) ऋणभार से मुक्त नहीं है एवं उसका वास्तविक आधिपत्य अभी किया जाना है।

डी. निम्नलिखित भूमि का बिक्री विलेख अभी किया जाना है (करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
चेन्नई में स्टॉकयार्ड	2.37	2.37	2.37
नई दिल्ली में कार्यालय भवन	25.53	25.53	25.53
अहमदाबाद में कार्यालय भवन	0.18	0.18	0.18
कोलकाता में आवासीय भवन	0.95	0.95	0.95
हैदराबाद में संपर्क कार्यालय हेतु स्थल	1.30	1.30	1.30
	30.33	**30.33**	**30.33**

ई. मूल्यह्रास पद्धतियाँ एवं कार्य-क्षमता

संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के प्रत्येक मद की अनुमानित कार्य-क्षमता के आधार पर सीधे लाभ अथवा हानि में मूल्यह्रास पाया गया। चालू व तुलनात्मक अवधियों के लिए अनुमानित कार्य-क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
रेलवे लाइन व साइडिंग	15 वर्ष	15 वर्ष	15 वर्ष
सड़क, पुल व पुलिया	3-30 वर्ष	3-30 वर्ष	5-30 वर्ष
भवन	5-60 वर्ष	5-60 वर्ष	5-60 वर्ष
संयंत्र व उपस्कर	4-40 वर्ष	4-40 वर्ष	4-40 वर्ष
फिक्स्चर व फिटिंग	10 वर्ष	10 वर्ष	10 वर्ष
वाहन	6-8 वर्ष	6-8 वर्ष	6-8 वर्ष
विद्युतीय स्थापना	10 वर्ष	10 वर्ष	10 वर्ष
जलापूर्ति व निकास प्रणाली	15 वर्ष	15 वर्ष	15 वर्ष
विविध परिसंपत्तियाँ	3-15 वर्ष	3-15 वर्ष	3-15 वर्ष

₹ करोड़

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
मूल्यह्रास का आबंटन :		
निर्माण के दौरान व्यय	41.88	63.09
चालू वर्ष (लाभ अथवा हानि)	643.88	351.32
	685.76	414.41

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में मूल्यह्रास पद्धतियों, कार्य-क्षमताओं एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा की जाती है एवं यदि उपयुक्त हो तो उनका समायोजन किया जाता है।

एफ. चालू भारी मरम्मत कार्य

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
चालू भारी मरम्मत कार्य (संविदाकारों को जारी की गई सामग्री सहित)			
6.3 मिलियन टन विस्तारण	4,792.69	4,830.04	9,699.10
अन्य	2,552.28	1,811.15	1,112.80
घटाएँ: बंद की गई एस एल टी एम परियोजना व अन्य हेतु प्रावधान	(18.90)	(18.27)	(18.27)
	7,326.07	6,622.92	10,793.63
निर्माण के दौरान हुए व्यय के आवंटन की प्रतीक्षा है (नोट जी)	442.89	365.75	699.35
कुल	**7,768.96**	**6,988.67**	**11,492.98**

जी. निर्माण के दौरान हुए व्यय के आबंटन की प्रतीक्षा है।

₹ करोड़

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
प्रारंभिक शेष (ए)	365.75	699.35	479.00
वर्ष के दौरान व्यय:			
कर्मचारी प्रतिदान व लाभ	37.42	38.76	47.34
अन्य व्यय व प्रावधान	26.94	39.19	34.87
ब्याज संबंधी व्यय	7.70	7.19	10.84
मूल्यह्रास	41.88	63.09	124.69
घटाएँ :			
ब्याज प्राप्तियाँ	-	-	-
अन्य राजस्व	0.93	(1.23)	(0.65)
वर्ष के दौरान निवल व्यय (बी)	**114.87**	**147.00**	**217.09**
कुल (ए+बी)	**480.62**	**846.35**	**696.09**
घटाएँ: पी पी ई को आबंटित राशि	(37.73)	(480.60)	3.26
कुल	**442.89**	**365.75**	**699.35**

4 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

ए. अग्रसारित राशि का निपटान

(करोड़ रुपये)

	विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेअर	खनन अधिकार	कुल (i)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (ii)	कुल (i)+(ii)
सकल ब्लॉक	लागत अथवा अनुमानित लाग (सकल अग्रसारित राशि)					
	1 अप्रैल 2015 तक शेष	63.29	5.83	69.12	2.57	71.69
	जोड़ व समायोजन	0.50	-	0.50	0.13	0.63
	बिक्री व समायोजन	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2016 तक शेष	**63.79**	**5.83**	**69.62**	**2.70**	**72.32**
	1 अप्रैल 2016 तक शेष	63.79	5.83	69.62	2.70	72.32
	जोड़ व समायोजन	2.70	-	2.70	-	2.70
	बिक्री व समायोजन	(0.04)	-	(0.04)	(2.70)	(2.74)
	31 मार्च 2017 तक शेष	**66.45**	**5.83**	**72.28**	**-**	**72.28**
संचित मूल्यह्रास	संचित ऋण मोचन					
	1 अप्रैल 2015 तक शेष	13.44	4.35	17.79	-	17.79
	वर्ष के दौरान ऋण मोचन	14.06	0.28	14.34	-	14.34
	बिक्री व समायोजन	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2016 तक शेष	**27.50**	**4.63**	**32.13**	**-**	**32.13**
	1 अप्रैल 2016 तक शेष	27.50	4.63	32.13	-	32.13
	वर्ष के दौरान ऋण मोचन	14.70	0.28	14.98	-	14.98
	बिक्री व समायोजन	(0.04)	-	(0.04)	-	(0.04)
	31 मार्च 2017 तक शेष	**42.16**	**4.91**	**47.07**	**-**	**47.07**
निवल ब्लॉक	अग्रसारित राशि (निवल)					
	1 अप्रैल 2015 को	49.85	1.48	51.33	2.57	53.90
	31 मार्च 2016/1 अप्रैल 2016 को	36.29	1.20	37.49	2.70	40.19
	31 मार्च 2017 को	24.29	0.92	25.21	-	25.21

* 1 अप्रैल 2015 तक का निवल ब्लॉक भारतीय लेखाकरण मानक परिवर्तनकाल की तिथि तक अनुमानित लागत का सूचक होता है। पिछले जी ए ए पी से सकल ब्लॉक व संचित हानि का परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत की बेहतर जानकारी हेतु निपटान किया गया है।

बी. ऋण मोचन पद्धतियाँ व कार्य-क्षमता

ऋणमुक्ति को अमूर्त परिसंपत्तियों के प्रत्येक मद की अनुमानित उपयोगी कार्य-क्षमता के स्ट्रेट-लाइन आधार पर लाभ व हानि के अंतर्गत दिखाया जाता है। चालू व तुलनात्मक अवधि के लिए अनुमानित उपयोगी कार्य-क्षमता नीचे प्रस्तुत है:

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
कंप्यूटर सॉफ्टवेअर	4 वर्ष	4 वर्ष	4 वर्ष
खनन अधिकार	20 वर्ष	20 वर्ष	20 वर्ष

5 निवेश

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
ए. गैर-चालू निवेश			
उद्धृत ईक्विटी शेयर			
ईक्विटी शेयरों की लागत - सहायक कंपनी			
736,638 (31 मार्च 2016: 736,638; 1 अप्रैल 2015: 736,638) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड के ईक्विटी शेयर	361.03	361.03	361.03
182,927 (31 मार्च 2016: 182,927; 1 अप्रैल 2015: 182,927) दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड* में प्रत्येक ₹ 10 ईक्विटी शेयर	-	-	-
कुल	**361.03**	**361.03**	**361.03**
गैर उद्धृत ईक्विटी शेयर			
ईक्विटी शेयरों की लागत - सहयोगी			
336,357,143 (31 मार्च 2016: 281,357,143; 1 अप्रैल 2015: 1,400,000) इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में प्रत्येक ₹ 10 ईक्विटी शेयर	336.35	281.36	1.40
ईक्विटी शेयरों की लागत - संयुक्त उद्यम			
100,000 (31 मार्च 2016: 100,000; 1 अप्रैल 2015: 100,000) रिनमॉयल फेर्रो एलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड में प्रत्येक ₹ 10 ईक्विटी शेयर	0.10	0.10	0.10
3,400,000 (31 मार्च 2016: 100,000; 1 अप्रैल 2015: शून्य) आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड में प्रत्येक ₹ 10 ईक्विटी शेयर	3.40	0.10	-
ईक्विटी शेयरों की लागत - अन्य			
2,280 (31 मार्च 2016: 2,280; 1 अप्रैल 2015: 2,280) फ्री प्रेस हाउस लिमिटेड** में प्रत्येक ₹ 10 ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00
1 (31 मार्च 2016: 1; 1 अप्रैल 2015: 1) अनकापल्लि ग्रामीण विद्युत सहकारी संघ में प्रत्येक ₹ 100 ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00
कुल	**339.85**	**281.56**	**1.50**
ईक्विटी इंस्ट्रमेंट्स (ए) में कुल निवेश	**700.88**	**642.59**	**362.53**
बी. अन्य निवेश			
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ईक्विटी शेयरों में निवेश हेतु अग्रिम	40.00	55.00	239.16
कुल अन्य निवेश (बी)	**40.00**	**55.00**	**239.16**
सी. निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान	-	-	-
कुल निवेश (ए+बी-सी)	**740.88**	**697.59**	**601.69**
उद्धृत निवेशों का कुल वही मूल्य	361.03	361.03	361.03
उद्धृत निवेशों# का कुल बाजार मूल्य	NA	NA	NA
गैर उद्धृत निवेशों का कुल मूल्य	339.85	281.56	1.50
निवेशों के मूल्य में हुए नुकसान की कुल राशि	-	-	-

नोट:

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार, कंपनी ने सहायक व संयुक्त उद्यमों में अपने निवेश की लागत के मापन के विकल्प का उपयोग किया है।

*दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड में निवेश की राशि 1000 रुपये है, हालाँकि शून्य के रूप में समायोजित किया गया।

**फ्री प्रेस हाउस लिमिटेड में निवेश की राशि 2280 रुपये है, हालाँकि शून्य के रूप में समायोजित किया गया।

**अनकापल्लि ग्रामीण विद्युत सहकारी संघ में निवेश की राशि 100 रुपये है, हालाँकि शून्य के रूप में समायोजित किया गया।

शेयर बाजार में उद्धृत राशि की अनुपलब्धता के कारण उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सका।

सहायक कंपनी में हिस्सेदारी

कंपनी का नाम	व्यापार स्थल	स्वामित्व हिस्सेदारी %	संबंध
ईस्टर्न इंवेस्टमेंट लिमिटेड ("ई आई एल")	कोलकाता, भारत	51%	सहायक कंपनी
दि ओड़ीशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड ("ओ एम डी सी")	कोलकाता, भारत	50%	ई आई एल की सहायक कंपनी
दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड ("बी एस एल सी")	कोलकाता, भारत	50%	ई आई एल की सहायक कंपनी

सहायक कंपनियों व संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी

कंपनी का नाम	व्यापार स्थल	स्वामित्व हिस्सेदारी %	संबंध	समेकन अधीन लेखाकरण पद्धति
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	नई दिल्ली, भारत	26%	सहयोगी	ईक्विटी पद्धति
रिनमॉयल फेर्रो एलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड	विशाखपट्टणम, भारत	50%	संयुक्त उद्यम	ईक्विटी पद्धति
आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड	विशाखपट्टणम, भारत	50%	संयुक्त उद्यम	ईक्विटी पद्धति

6 ऋण

(असंरक्षित व वेहतर माने गये ऋण, जिन्हें अन्यत्र नहीं दिखाया गया हो) (करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
गैर-चालू ऋण			
कर्मचारियों को ऋण	40.95	35.97	32.95
आंध्र प्रदेश औद्योगिक मूलसंरचना निगम (ए पी आई आई सी) को ऋण	87.59	118.77	149.95
	128.54	154.74	182.90
नुकसान भत्ता	-	-	-
कुल दीर्घकालिक ऋण	**128.54**	**154.74**	**182.90**
चालू ऋण			
ऋण पर दी गयी सामग्री	-	-	0.38
	-	-	0.38
नुकसान भत्ता			
कुल अल्पकालिक ऋण	-	-	**0.38**

(i) निदेशकों/अधिकारियों द्वारा लिये गये ऋण की देय राशि	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) निजी कंपनियों द्वारा लिये गये ऋण की देय राशि, जिनमें कंपनी के निदेशक निदेशक हैं	शून्य	शून्य	शून्य

ऋण की राशि वहुत ही कम होने के वावजूद साख संबंधी जोखिम के होने के कारण जो ऋण वेहतर माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे नुकसान भत्ते की आवश्यकता हो, उनके नुकसान भत्ते की भारतीय लेखाकरण मानक, वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स के आधार पर गणना की गई है।

7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
प्रतिभूति जमा	165.68	55.72	46.07
प्रोद्भूत ब्याज			
- कर्मचारियों को ऋण	20.42	18.83	16.52
- ए पी आई आई सी को ऋण	100.45	82.35	63.17
अन्य अग्रिम	0.15	0.19	0.20
कुल गैर-चालू अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**286.70**	**157.09**	**125.96**
दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वता:			
- कर्मचारियों को ऋण	19.65	19.16	18.12
- ए पी आई आई सी को ऋण	31.18	31.18	31.18
प्रोद्भूत ब्याज			
- कर्मचारियों को ऋण	2.29	1.84	1.44
- अन्य	19.80	15.43	9.25
प्रतिभूति जमा	117.65	107.33	107.32
संबद्ध पार्टियों को अग्रिम			
-इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.10	0.50	2.11
-रिनमॉयल फेर्री एलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड	1.21	1.46	1.46
वसूल करने योग्य दावे (निवल प्रावधान:2017: 51.97 करोड़ रुपये, 2016:53.28 करोड़ रुपये, 2015: 52.64 करोड़ रुपये)	81.21	100.44	116.02
अन्य प्राप्तियाँ	3.17	4.87	5.71
कुल चालू अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**276.26**	**282.21**	**292.61**
(i) निदेशकों/अधिकारियों द्वारा लिये गये अग्रिम की देय राशि	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) निजी कंपनियों द्वारा लिये गये अग्रिम की देय राशि, जहाँ कंपनी के निदेशक निदेशक हों	1.31	1.96	3.57

8 आय कर

ए. लाभ व हानि में दिखाई गई राशि

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
चालू कर		
चालू अवधि	-	-
आस्थगित कर		
अस्थाई परिवर्तनों की शुरुआत व प्रत्यावर्तन	(178.59)	(98.10)
कर संबंधी दर में कमी	(47.38)	-
पूर्व में न दिखाये गये कर नुकसानों की पहचान	(202.71)	-
पूर्व वर्ष का कर		
पूर्व वर्ष से संबंधित कर	1.34	-
कर संबंधी व्यय	**(427.34)**	**(98.10)**

बी. अन्य व्यापक आय में दिखाया गया आय कर

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निश्चित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुन: मापन		
कर पूर्व	(52.10)	(69.27)
कर (व्यय)/लाभ	16.10	23.97
निवल कर	(36.00)	(45.29)
कर संबंधी व्यय	**16.10**	**23.97**

सी. कर संबंधी प्रभावी दर का समाधान

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
कर पूर्व लाभ	(1,690.49)	(1,701.82)
कंपनी के देशीय कर दर के अनुरूप प्रयुक्त कर (चालू वर्ष 30.9% एवं पिछले वर्ष 34.608%)	(522.36)	(588.97)
कर संबंधी दर में कमी	(47.38)	-
निम्न मदों के कारण कर प्रभाव:		
कर व्यय, जिनकी कटौती नहीं की जा सकती	3.77	2.68
एस ओ पी एल में जमा न की गई आय	0.17	0.21
वैज्ञानिक अनुसंधान में कमी	(0.06)	-
निवेश भत्ते में कमी	(4.40)	-
आयकर से छूट प्राप्त आय	(0.05)	(0.15)
चालू-वर्ष संबंधी नुकसान, जिसमें आस्थगिर कर परिसंपत्ति नहीं दिखाई गई	344.72	504.97
पूर्व में न दिखाये गये कर नुकसानों से प्रभावित कर की पहचान	(202.71)	-
पिछले वर्ष से संबंधित कर	1.34	-
अन्य	(0.39)	(16.84)
	(427.34)	(98.10)

(i) 31 मार्च, 2017 एवं 2016 को समाप्त वर्षों के लिए कंपनी की भारित औसत कर दर क्रमश: 30.9% और 34.608% थी।

(ii) **31** मार्च **2025** को चालू वर्ष के नुकसान, जिनके लिए बही खाते में कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति नहीं दिखाई गई हो, **31** मार्च **2025** को समाप्त होनेवाली है (पूर्व वर्ष: **31** मार्च **2024**).

डी. दिखाई गई आस्थगित कर परिसंपत्ति व देयताएँ

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
आस्थगित कर देयताएँ			
खाता बही में दर्ज मूल्यह्रास/ऋणमुक्ति पर आयकर के अधीन अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/ऋणमुक्ति की अधिकता	1,734.58	1,266.39	792.48
अन्य	-	-	-
कुल आस्थगित कर देयताएँ (ए)	1,734.58	1,266.39	792.48
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
उपदान का प्रावधान	4.32	-	4.35
संदेहास्पद ऋण, अग्रिम, दावे, अन्य का प्रावधान	26.10	30.79	30.50
एम ए टी साख की हकदारी	242.41	242.41	242.41
अनावशोषित मूल्यह्रास	1,457.28	774.60	162.16
अनावशोषित नुकसान	202.71	-	-
अन्य	44.17	16.22	28.62
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (बी)	1,976.99	1,064.02	468.04
निवल आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति) (ए-बी)	(242.41)	202.37	324.45

9 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
पूँजीगत अग्रिम	95.82	47.58	99.91
अन्य			
पूर्व प्रदत्त व्यय			
ए पी आई आई सी को ऋण	43.12	47.32	51.52
कर्मचारियों को ऋण	19.09	21.24	20.75
कुल	**158.02**	**116.14**	**172.18**

10 वस्तुसूची : (प्रबंधन द्वारा लिये गये व प्रमाणित अनुसार)

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
कच्चामाल	1,258.80	1,222.38	1,109.93
जोड़ें: परिवहन/निरीक्षण के अधीन	895.23	561.88	771.33
घटाएँ: कमी हेतु प्रावधान	(419.07)	(346.17)	(413.30)
	1,734.96	**1,438.09**	**1,467.96**
अर्द्ध-परिसज्जित/परिसज्जित उत्पाद	2,340.33	1,844.05	3,129.95
जोड़ें: परिवहन/निरीक्षण के अधीन	3.61	29.42	-
	2,343.94	**1,873.47**	**3,129.95**
भंडार व हिस्से-पुर्जे	664.65	514.89	524.81
जोड़ें: परिवहन/निरीक्षण के अधीन	63.24	24.38	9.41
घटाएँ: पुराने व गैर-चलते मदों का प्रावधान	(39.94)	(40.23)	(36.36)
	687.95	**499.04**	**497.86**
कुल	**4,766.85**	**3,810.60**	**5,095.77**

नोट: वस्तुसूची का मूल्यांकन (लेखाकरण नीति 4.0 के अनुरूप मूल्यांकित)

(i) वर्ष के दौरान किसी भी समय वास्तविक जाँच द्वारा पहचानी गई कमियों/अधिकता के विधिवत समायोजन पश्चात खाता बही शेष के अनुरूप परिसज्जित/अर्द्ध परिसज्जित उत्पादों की शेष मात्रा दिखाई गई है।

(ii) खदान अयस्क की समाप्त होती मात्रा व खदानों में अस्वीकृत मात्रा हेतु लेखाओं में कोई क्रेडिट दर्ज नहीं है।

(iii) चूँकि कोक ब्रीज का उपयोग आंतरिक खपत के अधीन की जाती है, अत: धात्विक कोक की उत्पादन लागत के 60% के अनुरूप उसका मूल्य लगाया गया।

(iv) डंप यार्ड में धमन भट्ठी ग्रेनुलेटेड स्लैग (मात्रा 6699110.18 टन), जिसका कोई मूल्य निर्धारित न हो, की मात्रा के मामले को छोड़कर कोक व अन्य उप-उत्पादों का मूल्य, जहाँ लागत का निर्धारण नहीं किया जा सकता, वहाँ निवल प्राप्य मूल्य के अनुरूप लगाया गया और जहाँ निवल प्राप्य मूल्य उपलब्ध न हो, वहाँ लागत के अनुरूप लगाया गया।

(v) लौह स्क्रेप व इस्पात स्क्रेप के उत्पादन की मात्रा लेखाओं में वास्तविक सर्वेक्षण/प्राक्कलन के आधार पर दिखाई गई और उसका मूल्य कच्चे लोहे की लागत व कच्चे लोहे के देशीय निवल प्राप्य मूल्य की लागत के अनुरूप क्रमश: 75% व 90% लगाया गया।

(vi) नट कोक की लागत, धमन भट्ठी कोक की उत्पादन लागत का 90% लगायी गयी।

11 व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
असंरक्षित, बेहतर माने गये	878.80	956.78	1,034.10
संदेहास्पद	20.98	21.03	21.59
	899.78	977.81	1,055.69
घटाएँ: नुकसान भत्ता			
संदेहास्पद	(20.98)	(21.03)	(21.59)
कुल	**878.80**	**956.78**	**1,034.10**

नोट:

(i) निदेशकों/अधिकारियों द्वारा लिये गये ऋण की देय राशि - - -

(ii) निजी कंपनियों द्वारा लिये गये ऋण की देय राशि, जहाँ कंपनी के निदेशक निदेशक हैं - - -

(iii) व्यापार प्राप्य के संबंध में ऋण व मुद्रा संबंधी जोखिम, एवं नुकसान भत्तों के प्रति कंपनी की स्थिति का विवरण नोट **38** में दिया गया।

12 नकद व नकद सम राशि

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
उपलब्ध चैक	32.88	20.17	51.36
उपलब्ध नकद	0.06	0.03	0.04
बैंकों में शेष:			
- चालू खाता	9.29	14.49	2.57
- जमा खाता	3.96	3.72	3.42
- प्रधान मंत्री पुरस्कार निधि	7.71	7.15	6.55
कुल	**53.90**	**45.56**	**63.94**

कंपनी द्वारा बैंकों में की गई जमाओं में आवधि जमा शामिल हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा किसी भी समय पूर्व सूचना अथवा प्रधान को अर्थदंड के बिना निकाला जा सकता है।

13 अन्य कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अग्रिम आय कर [शून्य करोड़ रुपये के कर प्रावधान का निवल; (31 मार्च 2016: [1] शून्य करोड़ रुपये; 1 अप्रैल 2015: [1] 21.70 करोड़ रुपये)	0.01	7.00	52.30
कुल	**0.01**	**7.00**	**52.30**

14 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
संबद्ध पार्टियों को अग्रिम			
- विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	15.79	8.76	4.98
- ईस्टर्न इंवेस्टमेंट लिमिटेड	-	0.20	-
पूँजीगत अग्रिम से भिन्न अग्रिम			
- सरकारी विभाग	498.06	499.37	537.48
- संविदाकार (निवल प्रावधान:2017: 0.29 करोड़ रुपये ,2016: 0.20 करोड़ रुपये, 2015 : 0.20 करोड़ रुपये)	7.19	16.53	18.10
- आपूर्तिकार (निवल प्रावधान:2017:4.46 करोड़ रुपये,2016: 4.09 करोड़ रुपये, 2015 :3.70 करोड़ रुपये)	31.91	39.92	34.39
- कर्मचारी (निवल प्रावधान:2017:0.04 करोड़ रुपये,2016: 0.16 करोड़ रुपये,2015 : 0.16 करोड़ रुपये)	17.06	16.00	37.39
- अन्य (निवल प्रावधान:2017: 7.47 करोड़ रुपये,2016: 11.53 करोड़ रुपये,2015 : 11.19 करोड़ रुपये)	9.15	55.71	57.50
अन्य			
- पूर्व प्रदत्त व्यय			
कर्मचारियों को ऋण	3.28	3.27	3.78
ए पी आई आई सी को ऋण	4.20	4.20	4.21
अन्य	10.35	6.49	7.37
- बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ (हानि का निवल प्रावधान)	0.12	0.12	0.12
- निर्यात लाभ प्राप्य	39.37	19.71	12.57
कुल	**636.48**	**670.28**	**717.89**

15 शेयर पूँजी

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्राधिकृत		
4,890,000,000 (31 मार्च 2016: 4,890,000,000) प्रत्येक 10 रुपये के ईक्विटी शेयर	4,890.00	4,890.00
3,110,000,000 (31 मार्च 2016: 3,110,000,000) प्रत्येक 10 रुपये के 7% गैर-संचित शोधन योग्य अधिमान्य शेयर	3,110.00	3,110.00
	8,000.00	8,000.00
जारी, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी		
4,889,846,200 (31 मार्च 2016: 4,889,846,200) प्रत्येक 10 रुपये के ईक्विटी शेयर	4,889.85	4,889.85
कुल	**4,889.85**	**4,889.85**

1 अप्रैल 2015 को प्रत्येक 10 रुपये के 300,000,000 अर्थात 7% गैर-संचित शोधन योग्य अधिमान्य शेयर थे, जिन्हें वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान शेयरों का पूर्णत: शोधन किया गया था। (नोट 16)

(i) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ व अंत में शेष ईक्विटी शेयरों की संख्या का निपटान :

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	शेयरों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)	शेयरों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	4,889,846,200	4,889.85	4,889,846,200	4,889.85
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**4,889,846,200**	**4,889.85**	**4,889,846,200**	**4,889.85**

ईक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें व अधिकार

कंपनी के पास मात्र एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जो प्रत्येक 10 रुपये के सममूल्य पर ईक्विटी शेयर माने जाते हैं। शेयरधारक बैठक की तिथि तक कंपनी के अभिलेखों में सूचित अनुसार ईक्विटी शेयर के प्रत्येक शेयरधारक, शेयरधारक बैठक में वोट देने हेतु प्रस्तुत सभी मामलों के लिए अपने प्रत्येक शेयर के निमित्त एक वोट देने का हकदार है। कंपनी लाभांश की घोषणा करके भारतीय मुद्रा में उसका भुगतान करती है। कंपनी निदेशक मंडल की संस्तुति के अनुरूप वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा कर सकती है।

कंपनी के विघटन के मामले में ईक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण पश्चात कंपनी की कोई शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। हालाँकि वर्तमान में ऐसी कोई अधिमान्य राशि नहीं है। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखी गई ईक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात के अनुरूप किया जाएगा।

(ii) ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या में 5% से अधिक शेयर रखनेवाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक 10 रुपये के ईक्विटी शेयर	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %
भारत के राष्ट्रपति	4,889,846,200	100%	4,889,846,200	100%

(iii) 31 मार्च 2017/31 मार्च 2016 तक कंपनी के पास कोई धारण कंपनी नहीं है।

(iv) रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पूर्व के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान -

- कंपनी ने नकद के आशय से भिन्न किसी आशय के लिए किसी शेयर का आबंटन नहीं किया है।
- कंपनी ने न ही बोनस शेयर जारी किये हैं अथवा न ही ऐसा कोई शेयर खरीदा है।

16 अन्य ईक्विटी

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 March 2017	31 March 2016
(ए) आरक्षित व अधिशेष		
प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,086.80	3,690.51
जोड़ें: लाभ व हानि विवरण के अनुसार अधिशेष	(1,263.16)	(1,603.72)
वर्ष के अंत तक शेष	**823.64**	**2,086.80**
अन्य आरक्षित राशि		
पूँजीगत शोधन आरक्षित राशि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,937.47	2,637.47
अवधि के दौरान मूवमेंट	-	300.00
वर्ष के अंत तक शेष	**2,937.47**	**2,937.47**
अधिमान्य शेयर पूँजी के शोधन हेतु आरक्षित राशि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	300.00
अवधि के दौरान जोड़ी गई राशि	-	(300.00)
वर्ष के अंत तक शेष	-	-
कुल आरक्षित व अधिशेष (ए)	**3,761.11**	**5,024.27**
(बी) अन्य व्यापक आय		
निश्चित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुन: मापन		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(45.29)	-
निश्चित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुन: मापन	(36.00)	(45.29)
वर्ष के अंत में शेष	**(81.30)**	**(45.29)**
कुल अन्य व्यापक आय (बी)	**(81.30)**	**(45.29)**
कुल अन्य ईक्विटी (ए+बी)	**3,679.81**	**4,978.97**

17 उधार

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
गैर-चालू उधार			
बैंकों से सावधि ऋण			
-संरक्षित बैंक ऋण	5,365.10	3,318.54	66.52
-असंरक्षित बैंक ऋण	476.61	486.94	-
अधिमान्य शेयरों का शोधन (असंरक्षित) - चालू परिपक्वता	-	-	285.08
सावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	315.00	-	1,139.32
	6,156.71	3,805.48	1,490.92
घटाएँ: अन्य वित्तीय देयताओं में शामिल राशि - चालू	(315.00)	-	(1,424.40)
कुल गैर-चालू उधार	**5,841.71**	**3,805.48**	**66.52**
चालू उधार			
बैंकों से ऋण			
-संरक्षित कार्यकारी पूँजीगत उधार			
(चालू परिसंपत्तियों को गिरवी रखने के माध्यम से)	1,690.35	811.80	1,133.86
-असंरक्षित कार्यकारी पूँजीगत उधार	2,280.21	1,541.62	1,085.89
-असंरक्षित सावधि ऋण	-	860.05	1,489.78
-असंरक्षित विदेशी मुद्रा देयताएँ	2,101.15	2,090.62	2,252.25
वाणिज्यिक पत्र (असंरक्षित)	1,977.13	1,281.55	1,483.11
गैर चालू उधार	**8,048.84**	**6,585.64**	**7,444.89**

ब्याज दर, विदेशी मुद्रा एवं नकदी के मामले में कंपनी की स्थिति की जानकारी नोट **38** में दी गई।

ए. निबंधन व पुन: भुगतान की समयावधि

- कंपनी की परिसंपत्तियों से संबंधित प्रथम ऋण-भार की सममात्रा के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राथमिक जमानत के माध्यम से संरक्षित राशि एवं कंपनी चालू परिसंपत्तियों को छोड़कर चल संयंत्र व मशीनरी एवं सभी अन्य चल परिसंपत्तियों से संबंधित प्रथम ऋणभार की सममात्रा के अनुरूप संपार्श्विक जमानत की राशि में से ऋण की राशि भारतीय रुपये में **1200** करोड़ रुपये है। ऋण का पुन: भुगतान लगातार तिमाही किश्तों में व्यवस्थित ढंग से किया जाना है है और आखिरी किश्त का भुगतान वित्त वर्ष **2021-22** की अंतिम तिमाही में किया जाना है।
- कंपनी की चालू परिसंपत्तियों को छोड़कर चल संयंत्र व मशीनरी एवं सभी अन्य चल परिसंपत्तियों से संबंधित प्रथम ऋणभार की सममात्रा के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राथमिक जमानत की राशि में से ऋण की राशि भारतीय रुपये में **3731.25** करोड़ रुपये है। ऋण का पुन: भुगतान लगातार तिमाही किश्तों में व्यवस्थित ढंग से किया जाना है और आखिरी किश्त का भुगतान **31** मार्च **2031** के किया जाना है।
- कंपनी की चालू परिसंपत्तियों को छोड़कर चल संयंत्र व मशीनरी एवं सभी अन्य चल परिसंपत्तियों से संबंधित प्रथम ऋणभार की सममात्रा के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राथमिक जमानत के माध्यम से संरक्षित राशि में से ऋण की राशि भारतीय रुपये में **433.85** करोड़ रुपये है। ऋण का पुन: भुगतान लगातार तिमाही किश्तों में व्यवस्थित ढंग से किया जाना है और आखिरी किश्त का भुगतान **31** मार्च **2031** के किया जाना है।
- **476.61** करोड़ रुपये के बराबर एक्जिम बैंक का यू एस डालर **73.50** मिलियन गैर संरक्षित ऋण एकबारगी पुन: भुगतान के रूप में **10** दिसंबर **2018** तक देय है।

बी.	निदेशकों व अन्यों द्वारा गारंटीकृत ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
सी.	ऋण व ब्याज के पुन: भुगतान में चूक	शून्य	शून्य	शून्य

डी. प्रतिदेय अधिमान्य शेयर

कंपनी के पास **1** अप्रैल **2015** तक **10** रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य सहित **30** करोड़ गैर-संचित प्रतिदेय अधिमान्य शेयर थे। अधिमान्य शेयर का **31** मार्च **2016** तक सममूल्य पर अनिवार्यत: प्रतिदेय हैं एवं कंपनी इन शेयरों के धारकों को इनकी परिपक्वता तिथि तक वितरणयोग्य लाभों की उपलब्धता की शर्त पर प्रतिवर्ष **7%** सममूल्य दर पर लाभांश के भुगतान हेतु बाध्य है। **31** मार्च **2016** तक शेयरों का पुन: भुगतान किया गया है।

18 अन्य वित्तीय देयताएँ

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
गैर-चालू अन्य वित्तीय देयताएँ			
प्रतिभूति जमा	13.51	13.05	18.66
अन्य देयताएँ	29.39	0.51	32.99
कुल गैर-चालू अन्य वित्तीय देयताएँ	**42.90**	**13.56**	**51.65**
चालू अन्य वित्तीय देयताएँ			
दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता:			
- सावधि ऋण	315.00	-	1,139.32
- प्रतिदेय अधिमान्य शेयर	-	-	285.08
प्रोद्भूत व्याज, जो उधारों से संबंधित देय नहीं है	51.79	31.76	6.52
बयाना जमा राशि, प्रतिभूति व अन्य जमा	271.89	232.47	202.68
पूँजीगत ऋणदाता	198.26	244.93	89.65
अन्य वित्तीय देयताएँ*	2,695.41	2,619.82	2,531.72
कुल चालू अन्य वित्तीय देयताएँक	**3,532.35**	**3,128.98**	**4,254.97**

* अन्य वित्तीय देयताओं में कार्यपालक व गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण **499.43** करोड़ रुपये (पिछले वर्ष **433.08** करोड़ रुपये) का प्रावधान

वित्तीय देयताओं से संबंधित कंपनी की मुद्रा व चलनिधि जोखिम स्थिति का विवरण नोट **38** में दिया गया।

19 प्रावधान

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
गैर-चालू प्रावधान			
कर्मचारी लाभ का प्रावधान			
प्रतिपूरक अनुपस्थिति की देयता	302.00	262.90	76.64
सेवानिवृत्ति लाभ की देयता	428.74	364.72	254.83
कर्मचारी परिवार लाभ योजना की देयता	190.03	176.69	170.06
सेवा पुरस्कारों की देयता	39.81	37.87	39.21
छुट्टी यात्रा रियायत की देयता	-	8.05	13.17
कर्मचारी लाभ के कुल प्रावधान (ए)	**960.58**	**850.23**	**553.91**
अन्य प्रावधान			
खान बंद करने से संबंधित दायित्व का प्रावधान	3.48	3.36	3.23
कुल अन्य प्रावधान (बी)	**3.48**	**3.36**	**3.23**
कुल गैर-चालू प्रावधान (ए+बी)	**964.06**	**853.59**	**557.14**
चालू प्रावधान			
कर्मचारी लाभ का प्रावधान			
उपदान की देयता	13.99	-	12.57
प्रतिपूरक अनुपस्थिति की देयता	50.94	43.35	133.50
सेवानिवृत्ति लाभ की देयता	30.95	25.89	20.13
कर्मचारी परिवार लाभ योजना की देयता	33.64	27.90	25.49
सेवा पुरस्कारों की देयता	3.80	3.74	4.23
छुट्टी यात्रा रियायत की देयता	4.27	1.63	2.67
कर्मचारी लाभ के कुल प्रावधान (ए)	**137.59**	**102.51**	**198.59**
अन्य प्रावधान			
संपदा कर का प्रावधान	-	-	0.34
कुल अन्य प्रावधान (बी)	**-**	**-**	**0.34**
कुल चालू प्रावधान (ए+बी)	**137.59**	**102.51**	**198.93**

अन्य प्रावधानों में गति

(करोड़ रुपये)

विवरण	खान बंद करने का दायित्व
1 अप्रैल 2015 को शेष	3.23
वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	0.13
31 मार्च 2016 को शेष	**3.36**
1 अप्रैल 2016 को शेष	3.36
वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	0.12
31 मार्च 2017 को शेष	**3.48**

खान बंद करने का दायित्व

खान में प्रचालन आरंभ करने से संबंधित कंपनी के भावी दायित्व के मद्देनजर खान बंद करने से संबंधित दायित्व हेतु प्रावधान दिखाया गया।

खान का नाम	पट्टे की समाप्ति
जग्गय्यपेटा	8-जुलाई-2030
माधारम	13-जुलाई-2030
गर्भम	7-अक्टूबर-2032

20 अन्य गैर चालू देयताएँ

(करोड़ रुपये)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
आस्थगित आय	7.71	7.15	6.55
कुल	**7.71**	**7.15**	**6.55**

ए. आस्थगित आय

प्रधान मंत्री ट्रॉफी, इस्पात मंत्री ट्रॉफी, और इस्पात मंत्री विकास निधि से प्राप्त राशि 4 करोड़ रुपये है और इसका विशेष प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जाना है तथा वर्तमान में इसे आस्थगित आय के रूप में दिखाया गया है। साथ ही, इस राशि का धीरे-धीरे ऋणमोचन हेतु उपयोगा किया जाएगा और तब तक इसे व्यय के रूप में दिखाया जाएगा।

21 व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
व्यापार प्राप्य			
- एम एस एम ई	35.31	55.30	29.08
- अन्य	1,002.54	678.26	571.52
कुल	**1,037.85**	**733.56**	**600.60**

सभी व्यापार प्राप्य 'वर्तमान' के हैं।

व्यापार प्राप्य संबंधी कंपनी की मुद्रा व चलनिधि जोखिम स्थिति का विवरण नोट **38** में प्रस्तुत है।

नोट : सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत 'आपूर्तिकार' से संबंधित जानकारी

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
(i) वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकार को भुगतान हेतु शेष देय राशि			
- मूलधन	Nil	Nil	Nil
- ब्याज	Nil	Nil	Nil
(ii) वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद किये गये भुगतान और उससे संबंधित ब्याज	Nil	Nil	Nil
(iii) भुगतान में विलंब की अवधि हेतु देय ब्याज की राशि, जिसमें अधिनियम में निर्धारित ब्याज जोड़ा नहीं गया है	Nil	Nil	Nil
(iv) वर्ष के अंत तक प्रोद्भूत ब्याज एवं भुगतान नहीं की गई शेष राशि	Nil	Nil	Nil
(v) परवर्ती वर्ष में उस तिथि तक ब्याज की और देय राशि, जब तक कि ऐसे ब्याज का वास्तव में भुगतान किया गया हो	Nil	Nil	Nil

22 व्युत्पन्नी राशि-देयताएँ

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
ब्याज दर अदला-बदली	-	0.36	-
विदेशी मुद्रा संविदाएँ	138.38	53.81	31.42
कुल	**138.38**	**54.17**	**31.42**

23 अन्य चालू देयताएँ

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
पहले प्राप्त आय	2.09	2.21	2.97
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	181.67	199.01	180.81
विधिक देयताएँ	361.09	285.99	391.61
अन्य अग्रिम	0.01	1.46	1.41
कुल	**544.86**	**488.67**	**576.80**

देयताओं में ई पी सी जी योजना के तहत पूँजीगत माल के आयात एवं हिस्से पुर्जे के संबंध में संरक्षित किये जा रहे **69.04** करोड़ रुपये के शुल्क (**31.03.2017** तक) की सीमाशुल्क देयता शामिल है, जिसके लिए निर्यात दायित्वों की पूर्ति अभी की जानी है।

24 प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)		
देशीय बिक्री	11,655.49	11,084.08
घटाएँ: ट्रायल रन उत्पादन की बिक्री (सी डब्ल्यू आई पी को हस्तांतरित)	(388.27)	(1,406.30)
	11,267.22	9,677.78
निर्यात बिक्री	1,050.82	1,186.50
घटाएँ: ट्रायल रन उत्पादन की बिक्री (सी डब्ल्यू आई पी को हस्तांतरित)	(0.72)	(804.94)
	1,050.10	381.56
उत्पादों की कुल बिक्री (ए)	12,317.32	10,059.34
बी.अन्य परिचालन राजस्व		
आंतरिक खपत	29.68	35.60
निर्यात लाभ	38.66	37.96
अन्य	33.08	30.14
कुल अन्य परिचालन राजस्व (बी)	101.42	103.70
प्रचालन से कुल राजस्व (ए+बी)	12,418.74	10,163.04

ए. स्टॉक व बिक्री

31 मार्च 2017

विवरण	प्रारंभिक स्टॉक		बिक्री		अतिम स्टॉक	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
कच्चा लोहा	5,607	10.40	146,970	311.25	6,310	15.73
ब्लूम	141,128	369.23	591,279	1,473.12	138,018	405.93
बिलेट	13,401	36.51	22,187	65.86	7,924	24.75
परिसज्जित उत्पाद	158,358	454.59	2,970,070	9,995.44	142,215	479.77
विविध*						
- कोक व कोक उत्पाद	719,263	667.83	172,239	182.21	618,790	906.87
- अन्य	1,117,558	334.90	1,392,160	289.43	1,662,748	510.89
कुल		1,873.47		12,317.32		2,343.94

31 मार्च 2016

विवरण	प्रारंभिक स्टॉक		बिक्री		अतिम स्टॉक	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
कच्चा लोहा	99,002	213.62	207,184	375.01	5,607	10.40
ब्लूम	86,414	240.16	128,856	296.72	141,128	369.23
बिलेट	32,038	99.71	39,307	111.98	13,401	36.51
परिसज्जित उत्पाद	331,234	1,211.86	2,675,811	8,883.50	158,358	454.59
विविध*						
- कोक व कोक उत्पाद	715,694	874.02	126,517	104.88	719,263	667.83
- अन्य	1,065,743	490.58	1,436,157	287.26	1,117,558	334.90
कुल		3,129.95		10,059.34		1,873.47

(*) ऑर्गन गैस, आक्सीजन गैस एवं नाइट्रोजनगैस की मात्रा टी एच सी यू एम में है।

उप नोट:

(i) अंतिम स्टॉक में परेषण/प्रहस्तन अभिकरणों की परेषण/प्रहस्तन अभिकरणों की अभिरक्षा में स्थित 53018.88 टन शामिल है, जिसका मूल्य 197.72 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष 47407.706 टन, मूल्य 153.08 करोड़ रुपये).

(ii) अंतिम स्टॉक के आंकड़े आंतरिक खपत, पूँजीगत कार्य, कमी/अधिक मात्रा के समायोजन पश्चात दिया गया है।

(iii) अन्य में उप-उत्पाद, ऑक्जिलरी शॉप, लौह व इस्पात स्क्रेप, त्रुटिपूर्ण, तप्त धातु, आकारित लौह अयस्क, सकल सिंटर व वेस मिक्स शामिल हैं।

25 अन्य आय

(करोड़ रुपये)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
ब्याज संबंधी आय :		
बैंक	0.28	0.29
कर्मचारियों को ऋण	8.87	8.91
अन्य	56.94	85.84
ईक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पर लाभांश संबंधी आय	0.15	-
किराये की वसूली	30.99	29.14
परिनिर्धारित हर्जाना	104.19	27.03
संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की बिक्री पर निवल अभिलाभ	0.52	0.34
अनपेक्षित प्रावधानों को रद्द करना	9.14	0.35
विविध प्राप्तियाँ (नीचे का नोट देखें) *	49.21	197.02
कुल	**260.29**	**348.92**

नोट:

*हुदहुद तूफान के कारण हुई क्षति के लिए **354.03** करोड़ रुपये हमारे संशोधित दावे के निमित्त बीमा कंपनी द्वारा **2015-16** तक 'लेखागत भुगतान' के रूप में **140.25** करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया, जिसे पूर्व वर्षों में दिखाया गया। हुदहुद तूफान के कारण हुई क्षति से संबंधित व्यय को अलग-अलग से पहचानते हुए दिखाना कठिन है, अत: उसे विभिन्न प्रमुख लेखा शीर्षों के तहत दिखाया गया।

26 खपत की गई सामग्री की लागत

(करोड़ रुपये)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
कच्चामाल		
कोयला	4,593.87	2,997.01
कोक व कोक ब्रीज	33.42	-
लौह अयस्क	2,402.69	2,312.42
लाइम स्टोन	162.52	184.23
डोलोमाइट	125.60	129.19
सिलिको मैंगनीज	333.24	267.71
फेर्रो सिलिकॉन	51.98	52.24
अल्यूमिनियम	82.93	67.90
मैंगनीज अयस्क	2.38	2.76
पेट्रोलियम कोक	19.02	17.54
समुद्री जल मैग्नेसाइट	15.70	27.28
अन्य	30.38	21.06
कुल	**7,853.73**	**6,079.34**
जोड़ें: ट्रायल रन उत्पादन से प्राप्त	244.01	837.50
घटाएँ: ट्रायल रन उत्पादन हेतु प्रयुक्त सामग्री	(1,088.58)	(2,715.31)
घटाएँ: अंतर लेखा समायोजन-कच्चामाल खनन लागत	(63.96)	(59.94)
कुल	**6,945.20**	**4,141.59**

27 परिसज्जित माल की वस्तुसूची में परिवर्तन एवं कार्य-प्रगति

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक स्टॉक	1,873.47	3,129.95
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	(2,343.94)	(1,873.47)
	(470.47)	1,256.48
घटाएँ: स्टॉक के उत्पाद शुल्क में वृद्धि/(कमी)	72.93	(106.76)
कुल	**(397.54)**	**1,149.72**

नोट :

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निवल प्राप्य मूल्य के अनुरूप वस्तुसूची की लागत का मूल्यांकन	241.23	965.54
निवल प्राप्य मूल्य के अनुरूप वस्तुसूची की लागत का मूल्यांकन	229.37	726.43
व्यय रूप में प्रभारित वस्तुसूची का अवलेखन	**11.86**	**239.11**

28 कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन	1,835.73	1,616.94
भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	160.68	149.24
कर्मचारी कल्याण संबंधी व्यय	167.41	115.69
कुल	**2,163.83**	**1,881.87**

नोट:

(i) कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय, जो ऊपर शामिल नहीं है एवं जो निम्न में प्रभारित:

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
पूँजीगत कार्य प्रगति/निर्माण के दौरान व्यय		
वेतन	89.46	149.75
भविष्य निधि व अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान	8.06	12.01
कर्मचारी कल्याण संबंधी व्यय	8.14	17.36
कुल	**105.66**	**179.12**

29 वित्तीय लागत

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय देयताओं से संबंधित व्यय :		
विदेशी मुद्रा सुविधा	157.70	182.90
बैंक ऋण व वाणिज्यिक पत्र	602.01	463.86
अन्य	5.60	27.44
अन्य उधार संबंधी लागत	2.43	2.50
कुल	**767.74**	**676.70**

नोट:

(i) वित्तीय लागत संबंधी व्यय, जो ऊपर शामिल नहीं है एवं जो निम्न में प्रभारित :

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
पूँजीगत कार्य प्रगति/निर्माण के दौरान व्यय		
ब्याज - बैंक	252.80	215.41
कुल	**252.80**	**215.41**

(ii) सामान्य उधार के मामले में, 2016-17 के लिए उधार संबंधी लागत की भारित औसत दर 10.40% है (वित्त वर्ष 2015-16: 10.69%)।

30 समाप्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास व ऋणमोचन व्यय

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर का मूल्यह्रास	643.88	351.32
अमूर्त परिसंपत्तियों का ऋणमोचन	14.98	14.34
कुल	**658.86**	**365.66**

31 अन्य व्यय

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
भंडार व हिस्से पुर्जे की खपत	484.55	564.36
विद्युत व ईंधन (नोट **31.1** देखें)	1,062.49	875.41
मरम्मत व अनुरक्षण (नोट **31.2** देखें)	353.81	299.74
लेखापरीक्षकों को प्रतिदान (नोट **31.3** देखें)	0.24	0.27
किराया	2.50	2.26
दर व शुल्क	14.23	14.53
बीमा	22.78	22.42
प्रहस्तन व स्क्रेप की पुन: प्राप्ति	154.29	187.57
जावक भाड़ा	531.00	583.21
अनुसंधान व विकास व्यय	0.41	0.91
प्रावधान		
भंडार में कमी/खराब सामग्री/पुरानी सामग्री/अप्रयुक्त सामग्री	2.24	4.40
संदेहास्पद अग्रिम व दावे	1.70	1.22
संदेहास्पद ऋण	0.08	0.04
अन्य	0.63	-
बट्टे खाते डालना		
बट्टे खाते डाली गई संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की विक्री पर हानि	1.97	2.17
भंडार में कमी/खराब सामग्री/पुरानी सामग्री/अप्रयुक्त सामग्री	0.19	0.03
संदेहास्पद अग्रिम व दावे	0.05	0.04
बट्टे खाते डाला गया अलाभकारी खान व्यय	7.88	-
अशोध्य ऋण	-	0.06
विविध	75.82	36.07
एफ वी टी पी एल में नामित वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स पर निवल (अभिलाभ)हानि	84.21	22.74
दान	1.75	2.63
विविध व्यय (नोट **31.4** देखें)	151.06	234.74
कुल	**2,953.87**	**2,854.83**

31.1 विद्युत व ईंधन

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
अधिप्राप्त विद्युत	475.05	405.51
कोयला	584.79	466.05
फर्नेस ऑयल/एल एस एच एस/एल डी ओ	2.65	3.85
कुल	**1,062.49**	**875.41**

विद्युत व ईंधन की लागत में संयंत्र में विद्युत उत्पादन की लागत एवं आंतरिक खपत किये जानेवाले कुछ ईंधन तत्वों की उत्पादन लागत शामिल नहीं है। तत्संबंधी व्यय प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

31.2 मरम्मत व अनुरक्षण

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
संयंत्र व उपस्कर	193.55	129.76
भवन	30.11	34.38
अन्य	130.15	135.60
कुल	**353.81**	**299.74**

31.3 लेखापरीक्षकों को प्रतिदान

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक के रूप में - सांविधिक लेखापरीक्षा	0.18	0.15
दूसरी हैसियत से		
कराधान मामले	0.02	0.02
अन्य सेवा	0.01	0.06
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.03	0.04
कुल	**0.24**	**0.27**

31.4 विभिन्न व्यय

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
तकनीकी सेवा	10.20	8.80
यात्रा व्यय	62.18	62.22
मुद्रण व लेखन सामग्री	1.99	2.19
डाक व दूरभाष	4.24	4.48
जल प्रभार	68.38	50.75
विधिक व्यय	1.93	1.29
बैंक प्रभार	3.16	1.06
सामुदायिक विकास कल्याण	6.78	6.10
संरक्षा व्यय	81.05	66.14
मनोरंजन व्यय	1.78	1.14
विज्ञापन	13.20	9.25
विलंब शुल्क व घाट भाड़ा	0.97	14.90
आई एस ओ लेखापरीक्षा व्यय	0.04	0.04
बिक्री व्यय	11.81	9.67
विनिमय दर में अंतर (निवल)	(116.63)	(3.28)
कुल	151.07	234.75

31.5 निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय किये जाने हेतु अपेक्षित राशि	शून्य	शून्य
(बी) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		
- निर्माण/किसी परिसंपत्ति का अधिग्रहण	0.03	शून्य
- उपरोक्त से भिन्न आशय हेतु	8.53	8.73
कुल	8.56	8.73

31.6 व्यय, जो अन्य व्यय में शामिल नहीं किया गया है और जो निम्नलिखित हेतु प्रभारित हो: (करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष केलिए
पूँजीगत कार्य की प्रगति/निर्माण के दौरान व्यय		
विद्युत व ईंधन	2.52	4.96
मरम्मत व अनुरक्षण - संयंत्र व उपस्कर एवं अन्य	-	0.72
संरक्षा व्यय	2.96	3.91
यात्रा व्यय	4.75	5.03
डाक, तार व दूरभाष	0.22	0.15
जल प्रभार	16.98	26.75
विज्ञापन	0.64	0.78
तकनीकी परामर्शदाता	0.14	-
कुल	**28.21**	**42.30**

32 अनुपालन संबंधी विवरण

ये कंपनी के प्रथम अलग वित्तीय विवरण हैं, जिन्हें भारतीय लेखाकरण मानक एवं भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुरूप तैयार किया गया है: भारतीय लेखाकरण मानक को पहली बार अपनाया गया है।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (आई जी ए ए पी), जो पहले जी ए ए पी था, के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित अनुसार भारत में सामान्यत: स्वीकृत भारतीय लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप संव्यवहार किया गया। इस संव्यवहार से कंपनी के रिपोर्टेड तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह किस प्रकार प्रभावित हुए, इसकी व्याख्या नोट 43 में दी गयी है।

वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल द्वारा 1 सितंबर, 2017 को जारी किये जाने हेतु प्राधिकृत हैं।

33 आकलन व फैसले का उपयोग

अगले वित्त वर्ष में वास्तविक समायोजन जैसे महत्वपूर्ण जोखिम वाली धारणा एवं अनुमान संबंधी अनिश्चितताओं को निम्नलिखित नोट्स में शामिल किया गया है:

नोट 8 – कर संबंधी हानियों का उपयोग

नोट 34 – निश्चित लाभ दायित्वों का मापन

नोट्स 19 एवं 39 – प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

34 कर्मचारी लाभ

(i) सेवानिवृत्ति लाभ योजना हेतु अंशदान

सेवानिवृत्ति लाभ योजना (नियुक्ति पश्चात लाभ - निश्चित अंशदान योजना) के रूप में 6.48 करोड़ रुपये (31 मार्च 2016: 6.16 करोड़ रुपये) लाभ व हानि खाते के विवरण में और 0.35 करोड़ रुपये चालू पूँजीगत कार्य में 0.35 करोड़ रुपये (31 मार्च 2016: 0.66 करोड़ रुपये) दिखाये गये।

(ii) नियुक्ति पश्चात लाभ का सामान्य विवरण

ए) भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दर पर एक अलग न्यास को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जहाँ निधियों का स्वीकृत प्रतिभूति जमा में निवेश किया जाता है। न्यास को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सभी सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना होगा। निवेशों के प्रतिलाभ आधारित अंशदान की ब्याज दर में घोषित दर की तुलना में कमी लाने तक कंपनी का दायित्व सीमित है। निश्चित लाभ योजनाओं से कंपनी को दीर्घकालिक जोखिम, मुद्रा संबंधी जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) संबंधी जोखिम जैसे बीमांकिक जोखिम होते हैं।

बी) उपदान

कंपनी में भारत की निश्चित लाभ उपदान योजना है, जो उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 द्वारा संचालित होती है। उपदान योजना कम से कम 5 वर्ष तक लगातार सेवा करनेवाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति/कंपनी से अलग होते समय सेवा पूर्ण किये हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 15 दिन के वेतन के हकदार बनाती है। उपदान की निश्चित लाभ योजना एकल उपदान न्यास, जो कंपनी से विधिक रूप से अलग है, द्वारा संचालित होती है।

उपदान हेतु कंपनी द्वारा पूर्णत: निधि की व्यवस्था की जाती है। निधि की आवश्यकताएँ योजना की निधि संबंधी नीतियों में निर्धारित उपदान निधि के बीमांकिक मापन पर आधारित होती हैं। योजना में कर्मचारी का अंशदान नहीं होता।

सी) सेवानिवृत्ति निपटान लाभ

सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके आश्रित एवं सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारी के आश्रित भी अपने स्थाई निवास स्थान तक यात्रा व परिवहन व्यय के हकदार होते हैं।

डी) सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ

सेवानिवृत्त कर्मचारी को कंपनी के अस्पताल में/स्वास्थ्य बीमा नीति के तहत चिकित्सा लाभ की सुविधा दी जाती है।

ई) विदाई योजना

कंपनी से सेवानिवृत्त प्रत्येक कर्मचारी को 10 ग्राम सोना दिया जाता है। यह योजना कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए लागू है।

(iii) नियुक्ति पश्चात निश्चित लाभ दायित्व के संबंध में 'कर्मचारी लाभ' के मामले में भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अधीन अपेक्षित अनुसार अन्य प्रकटीकरण

- उपदान

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	779.01	764.97
प्रदत्त लाभ	(46.58)	(39.28)
चालू सेवा लागत	7.51	10.38
ब्याज की लागत	59.70	58.88
दायित्व संबंधी बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	26.62	(15.94)
वर्ष के अंत में शेष	**826.26**	**779.10**
योजना परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य का समाधान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	790.86	753.66
योजना में दिये गये अंशदान	1.60	11.31
प्रदत्त लाभ	(46.58)	(39.28)
प्रत्याशित प्रतिलाभ	60.70	57.69
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक अभिलाभ/(हानि)	5.68	7.48
वर्ष के अंत में शेष	**812.27**	**790.86**
निवल निश्चित लाभ देयता (परिसंपत्ति)	**13.99**	**(11.85)**
लाभ व हानि में दिखाया गया व्यय		
चालू सेवा लागत	7.51	10.38
ब्याज की लागत	(1.00)	0.44
गत सेवा अभिलाभ	-	-
ब्याज संबंधी आय	-	-
	6.51	10.82
अन्य व्यापक आय में दिखाये गये पुन: मापन		
निश्चित लाभ दायित्व संबंधी बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	26.62	(15.19)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ एवं ब्याज संबंधी आय में अंतर - (अभिलाभ)/हानि	(5.68)	(7.48)
	20.94	**(22.67)**
योजना परिसंपत्तियाँ		
नकद व नकद सम राशि	1.82	-
बीमाकर्ता द्वारा जुटाई गई निधि	810.45	790.86

2017-18 में कंपनी द्वारा निश्चित लाभ योजना में ₹ 13.99 करोड़ के अंशदान के भुगतान का अनुमान है।

- सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	348.26	237.80
प्रदत्त लाभ	(5.70)	(7.37)
चालू सेवा लागत	14.25	9.73
ब्याज संबंधी लागत	27.29	18.26
दायित्व पर बीमांकिक हानि / (अभिलाभ)	30.12	89.84
वर्ष के अंत में शेष	**414.22**	**348.26**
लाभ व हानि में दिखाया गया व्यय		
चालू सेवा लागत	14.25	9.73
ब्याज संबंधी लागत	27.29	18.26
गत सेवा अभिलाभ	-	-
ब्याज संबंधी आय	-	-
	41.54	**27.99**
अन्य व्यापक आय में दिखाये गये पुन: मापन		
निश्चित लाभ दायित्व संबंधी बीमांकिक (अभिलाभ) /हानि	30.12	89.84
	30.12	**89.84**

- सेवानिवृत्ति निपटान लाभ

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	42.35	37.16
प्रदत्त लाभ	(3.23)	(2.60)
चालू सेवा लागत	2.03	1.79
ब्याज संबंधी लागत	3.22	2.80
दायित्व पर बीमांकिक हानि / (अभिलाभ)	1.10	3.20
वर्ष के अंत में शेष	**45.46**	**42.35**
लाभ व हानि में दिखाया गया व्यय		
चालू सेवा लागत	2.03	1.79
ब्याज संबंधी लागत	3.22	2.80
गत सेवा अभिलाभ	-	-
	5.25	**4.58**
अन्य व्यापक आय में दिखाये गये पुन: मापन		
निश्चित लाभ दायित्व संबंधी बीमांकिक (अभिलाभ) /हानि	1.10	3.20
	1.10	**3.20**

- विदाई योजना

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	35.48	34.12
प्रदत्त लाभ	(1.21)	(1.01)
चालू सेवा लागत	0.88	0.85
ब्याज संबंधी लागत	2.75	2.62
दायित्व पर बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	(0.06)	(1.10)
वर्ष के अंत में शेष	**37.85**	**35.48**
लाभ व हानि में दिखाया गया व्यय		
चालू सेवा लागत	0.88	0.85
ब्याज संबंधी लागत	2.75	2.62
गत सेवा अभिलाभ	-	-
	3.64	**3.47**
अन्य व्यापक आय में दिखाये गये पुन: मापन		
निश्चित लाभ दायित्व संबंधी बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(0.06)	(1.10)
	(0.06)	**(1.10)**

बीमांकिक धारणा

रिपोर्टिंग तिथि पर मूलधन बीमांकिक अनुमान (भारित औसत के रूप में घोषित):

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
बट्टा दर	7.40%	7.90%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि दर	7.00%	7.00%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	7.40%	7.90%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	5.00%	5.00%

अस्थिरता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर संबद्ध किसी बीमांकिक मान्यता में अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए में उपयुक्त संभावित परिवर्तनों से निश्चित लाभ दायित्व हुआ है और चालू सेवा लागत की राशि निम्नानुसार है:

- उपदान

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
1. अनुमानित बट्टे दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	(29.42)	31.16	(10.55)	30.27
- चालू सेवा लागत	(0.85)	0.24	(3.33)	(2.34)
2. अनुमानित वेतन वृद्धि दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	3.18	(3.30)	21.96	(3.25)
- चालू सेवा लागत	(0.28)	(0.34)	(2.43)	(3.27)

- सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
1. अनुमानित वट्टे दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	(32.17)	36.17	(27.07)	30.38
- चालू सेवा लागत	1.38	4.18	3.41	5.76
2. अनुमानित चिकित्सा मुद्रास्फीति दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	37.76	(33.73)	31.87	(28.50)
- चालू सेवा लागत	4.25	1.32	5.83	3.35

- सेवानिवृत्ति निपटान लाभ

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
अनुमानित वट्टे दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	(1.71)	1.82	(1.64)	1.75
- चालू सेवा लागत	0.07	0.24	0.17	0.33

- विदाई योजना

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
अनुमानित वट्टे दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	(1.78)	1.93	(1.69)	1.82
- चालू सेवा लागत	0.01	0.11	(0.01)	0.08

हालाँकि योजना के अंतर्गत प्रत्याशित नकद प्रवाह के पूर्ण वितरण को विश्लेषण हेतु विचार में नहीं लिया जाता, लेकिन उससे दिये गये अनुसार अस्थिरता अनुमान लगाया जा सकता है।

iv. भविष्य निधि :

वर्ष के दौरान भविष्य निधि हेतु कंपनी द्वारा प्रदत्त/देय अंशदान की राशि लाभ व हानि के विवरण में दिखाई गई। कंपनी के भविष्य निधि न्यास को कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 17 एवं विभिन्न प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत छूट दी गई है। छूट देने से संबंधित शर्तों के अनुरूप नियोक्ता को वेहतर करना होगा और न्यास द्वारा सांविधिक दर की तुलना में घोषित ब्जाय दर में कोई विसंगति हो तो उसकी भरपाई करनी होगी। कंपनी निकट भविष्य में कंपनी की परिसंपत्तियों एवं निधियों तथा निवेश संबंधी प्रतिलाभ के मामले में आगे किसी दायित्व की अपेक्षा नहीं करती है। इस नोट को नोट सं (34)(ii) (ए) के साथ पढ़ा जाय।

35 पूँजीगत प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य है कि निवेशक, ऋणदाता का विश्वास एवं बाजार में अपनी स्थिति बनाये रखने तथा व्यापार में भावी विकास हेतु एक सशक्त पूँजीगत आधार का अनुरक्षण किया जाय।

कंपनी 'समायोजित ईक्विटी' में 'समायोजित निवल ऋण' के अनुपात के उपयोग के माध्यम से पूँजी का अनुश्रवण करती है। इसके लिए समायोजित निवल ऋण को ब्याज वाले ऋण सहित कुल देयताओं एवं उधार तथा वित्तीय पट्टों के तहत दायित्व, कम नकद व नकद सम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। समायोजित ईक्विटी में नकद प्रवाह बचाव राशि व लागत बचाव राशि हो तो उसकी मात्रा में संचित राशि से भिन्न ईक्विटी के सभी घटक शामिल हैं।

रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के समायोजित निवल ऋण का ईक्विटी अनुपात निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
कुल देयताएँ	18,503.65	14,267.22	12,418.63
घटाएँ: नकद व नकद सम राशि	53.90	45.56	63.94
समायोजित निवल ऋण	18,449.75	14,221.66	12,354.69
कुल ईक्विटी	8,569.66	9,868.83	11,517.83
घटाएँ: लागत बचाव	-	-	-
समायोजित ईक्विटी	8,569.66	9,868.83	11,517.83
समायोजित निवल ऋण का समायोजित ईक्विटी अनुपात	2.15	1.44	1.07

36 प्रति शेयर अर्जन

मूल अर्जन प्रति शेयर

निम्न विभाजन के माध्यम से मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना:

- समूह के स्वामियों को स्रोतजन्य लाभ
- वित्त वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा:

ईक्विटी शेयरधारकों को स्रोतजन्य लाभ की गणना एवं मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना हेतु बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
i. ईक्विटी शेयरधारकों को स्रोतजन्य लाभ / (हानि) (₹ करोड़)	(1,263.16)	(1,603.72)
ii. वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	4,889,846,200	4,889,846,200
iii. अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹)	10	10
मूल व डाइल्यूटेड ई पी एस (₹)	(2.58)	(3.28)

वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई संभाव्य डाइल्यूटिव ईक्विटी शेयर नहीं हैं।

37 पट्टा

ए. पट्टाकर्ता के नाम पर परिचालन पट्टा

कंपनी ने रद्द करने योग्य परिचालन पट्टे के तहत पट्टा देने की सुविधा प्रदान की है। अत: कंपनी के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 17 के प्रावधानों के अनुसार पट्टे संबंधी आय के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

बी. पट्टेदार के नाम पर परिचालन पट्टा

कंपनी ने रद्द करने योग्य पट्टे करार के अधीन विभिन्न कार्यालयों के पट्टे लिये हैं। अत: कंपनी को भारतीय लेखाकरण मानक 17 के प्रावधानों के अनुसार भावी पट्टे भुगतानों के प्रकटीकरण की अवश्यकता नहीं है।

38 वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स - न्यायसंगत मूल्य व जोखिम प्रबंधन

ए. लेखाकरण वर्गीकरण व न्यायसंगत मूल्य

निम्न सारणी से अग्रसारित राशि एवं वित्तीय परिसंपत्तियों व वित्तीय देयताओं के न्यायसंगत मूल्य एवं न्यायसंगत मूल्य अनुक्रम में उनके स्तर सहित विवरण प्रस्तुत है:

31 मार्च 2017

(करोड़ रुपये)

विवरण	अग्रसारित राशि					न्यायसंगत मूल्य			
	न्यायसंगत मूल्य द्वारा प्रतिरक्षित इंस्ट्रमेंट्स	एफ वी टी पी एल, अन्य में अनिवार्यत:	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋणमोचन लागत	अन्य वित्तीय देयताएँ - ऋणमोचन लागत	कुल अग्रसारित राशि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
न्यायसंगत मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
अन्यों में निवेश*		0.00			0.00				
	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
न्यायसंगत मूल्य पर न मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
प्रतिभूति जमा*			283.33		283.33				-
कर्मचारियों को ऋण			60.60		60.60				-
ऋण व अग्रिम			118.77		118.77				-
व्यापार प्राप्य*			878.80		878.80				-
प्रोद्भूत ब्याज*			142.96		142.96				-
नकद व नकद सम राशि*			53.90		53.90				-
अन्य प्राप्य*			84.38		84.38	-	-	-	-
	-	-	1,622.74	-	1,622.74	-	-	-	-
न्यायसंगत मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताएँ									
ब्याज दर स्वैप		-			-	-	-	-	-
विनिमय वायदा संविदा		138.38			138.38	-	138.38	-	138.38
	-	138.38	-	-	138.38	-	138.38	-	138.38
न्यायसंगत मूल्य पर न मापी गई वित्तीय देयताएँ*									
संरक्षित बैंक ऋण				7,847.06	7,847.06		-		-
असंरक्षित बैंक ऋण				4,381.36	4,381.36				-
वाणिज्यिक पत्र				1,977.13	1,977.13				-
प्रोद्भूत ब्याज				51.79	51.79				-
प्रोद्भूत आय				2.09	2.09				-
व्यापारिक देय				1,037.85	1,037.85				-
प्राप्त प्रतिभूति जमा				13.51	13.51				-
बयाना जमा राशि				271.89	271.89				-
दावों के निमित्त देय राशि				-	-				-
पूँजीगत लेनदार				198.26	198.26				-
अन्य देयताएँ				2,724.80	2,724.80	-		-	-
	-	-	-	18,505.74	18,505.74	-	-	-	-

* वित्तीय विवरण में दिखाई गई इन वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स की अग्रसारित राशि अपने न्यायसंगत मूल्य के नजदीक हैं।

31 मार्च 2016

(करोड़ रुपये)

विवरण	अग्रसारित राशि								
	न्यायसंगत मूल्य द्वारा प्रतिरक्षित इंस्ट्रमेंट्स	एफ वी टी पी एल, अन्य में अनिवार्यत:	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ- ऋणमोचन लागत	अन्य वित्तीय देयताएँ- ऋणमोचन लागत	कुल अग्रसारित राशि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
न्यायसंगत मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
अन्य में निवेश*		0.00			- 0.00	-	-	-	-
	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
न्यायसंगत मूल्य पर न मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
प्रतिभूति जमा*			163.05		163.05				
कर्मचारियों को ऋण			55.13		55.13				
ऋण व अग्रिम			149.95		149.95	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य*			956.78		956.78				
प्रोद्भूत ब्याज*			118.45		118.45				
नकद व नकद सम राशि*			45.56		45.56	-	-	-	-
अन्य प्राप्य*			105.31		105.31				
	-	-	1,594.23	-	1,594.23	-	-	-	-
न्यायसंगत मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताएँ									
ब्याज दर स्वैप		0.36			0.36	-	0.36	-	0.36
विनिमय वायदा संविदा		53.81			53.81		53.81		53.81
-	54.17	-	-	54.17	-	54.17	-	54.17	
नायसंगत मूल्य पर न मापी गई वित्तीय देयताएँ*									
संरक्षित बैंक ऋण				4,617.28	4,617.28	-	-	-	-
असंरक्षित बैंक ऋण				4,492.29	4,492.29				
वाणिज्यिक पत्र				1,281.55	1,281.55	-	-	-	-
प्रोद्भूत ब्याज				31.76	31.76				
प्रोद्भूत आय				2.21	2.21				
व्यापारिक देय				733.56	733.56				
प्राप्त प्रतिभूति जमा				13.05	13.05				
बयाना जमा राशि				232.47	232.47				
दावों के निमित्त देय राशि				-	-				
पूँजीगत लेनदार				244.93	244.93				
अन्य देयताएँ				2,620.33	2,620.33				
	-	-	-	14,269.43	14,269.43	-	-	-	-

* वित्तीय विवरण में दिखाई गई इन वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स की अग्रसारित राशि अपने न्यायसंगत मूल्य के नजदीक हैं।

1 अप्रैल 2015

(₹ करोड़)

विवरण	अग्रसारित राशि								
	न्यायसंगत मूल्य द्वारा प्रतिरक्षित इंस्ट्रमेंट्स	एफ वी टी पी एल, अन्य में अनिवार्यत:	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ -ऋणमोचन लागत	अन्य वित्तीय देयताएँ- ऋणमोचन लागत	कुल अग्रसारित राशि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
न्यायसंगत मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ					-	-	-	-	-
अन्य में निवेश*		0.00			0.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
न्यायसंगत मूल्य पर न मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
प्रतिभूति जमा*			153.39		153.39	-	-	-	-
कर्मचारियों को ऋण			51.07		51.07				
ऋण व अग्रिम			181.51		181.51				
व्यापार प्राप्य*			1,034.10		1,034.10				
प्रोद्भूत ब्याज*			90.38		90.38				
नकद व नकद सम राशि*			63.94		63.94	-	-	-	-
अन्य प्राप्यि*			121.73		121.73				
	-	-	**1,696.12**	-	**1,696.12**	-	-	-	-
न्यायसंगत मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताएँ									
विनिमय वायदा संविदा		31.42			31.42		31.42		31.42
	-	**31.42**	-	-	**31.42**	-	31.42	-	31.42
न्यायसंगत मूल्य पर न मापी गई वित्तीय देयताएँ*									
संरक्षित बैंक ऋण				2,339.70	2,339.70	-	-	-	-
असंरक्षित बैंक ऋण				4,827.92	4,827.92				
वाणिज्यिक पत्र				1,483.11	1,483.11				
प्रतिदेय अधिमान्य शेयर				285.08	285.08				
प्रोद्भूत ब्याज				6.52	6.52				
प्रोद्भूत आय				2.97	2.97				
व्यापार प्राप्य				600.60	600.60	-	-	-	-
प्राप्त प्रतिभूति जमा				18.66	18.66	-	-	-	-
बयाना जमा राशि				202.68	202.68				
दावों के निमित्त देय राशि				-	-				
पूँजीगत लेनदार				89.65	89.65				
अन्य देयताएँ				2,564.71	2,564.71				
	-	-	-	**12,421.60**	**12,421.60**	-	-	-	-

* वित्तीय विवरण में दिखाई गई इन वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स की अग्रसारित राशि अपने न्यायसंगत मूल्य के नजदीक हैं।

बी. न्यायसंगत मूल्य का मापन

तुलन पत्र के न्यायसंगत मूल्य पर मापे गये वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स के न्यायसंगत मूल्य के मापन स्तर **2** व **3** में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक एवं प्रयुक्त महत्वपूर्ण अदृश्य निविष्टि का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

प्रकार	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण अदृश्य निविष्टि	महत्वपूर्ण अदृश्य निविष्टि व न्यायसंगत मापन का अंतर संबंध
विनिमय वायदा संविदा	वायदा कीमत निर्धारण: रिपोर्टिंग तिथि पर उद्धृत वायदा विनिमय दर के अनुरूप न्यायसंगत मूल्य निर्धारित किया जाता है	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
ब्याज दर स्वैप	स्वैप माडेल: रिपोर्टिंग तिथि पर उद्धृत स्वैप दर के अनुरूप न्यायसंगत मूल्य निर्धारित किया जाता है	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
वित्तीय देयताएँ	बट्टागत नकद प्रवाह: मूल्यांकन माडेल हेतु प्रत्याशित भुगतान के वर्तमान मूल्य, जोखिम-समायोजित बट्टे दर के अनुरूप दिये गये बट्टे को विचार में लिया जाता है	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

सी. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन ढाँचा

वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स के मामले में कंपनी विभिन्न जोखिमों का सामना कर रही है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताओं का श्रेणीवार विवरण नोट **38** ए में दिया गया है। मुख्यत: बाजार जोखिम, साख जोखिम और चलनिधि जोखिम आदि जोखिम के प्रकार हैं। कंपनी के जोखिम प्रबंधन का समन्वय कार्य मुख्यालय में निदेशक मंडल के सहयोग से किया जाता है और वित्तीय बाजार की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करते हुए कंपनी की अल्पावधि से मध्यावधि नकद प्रवाह को संरक्षित करने पर सक्रिय ध्यान दिया जाता है। दीर्घावधि वित्तीय निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक प्रतिलाभ प्राप्त किये जाते हैं। कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का उपयोग न सट्टे व्यापार हेतु करती है और न ही उन्हें सही विकल्प मानती है। महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों के कंपनी पर प्रभाव का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

कंपनी पर वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स से उत्पन्न निम्न जोखिमों का प्रभाव रहता है:

i) साख जोखिम

ii) चलनिधि जोखिम

iii) बाजार जोखिम

i) साख जोखिम

साख जोखिम से किसी ग्राहक अथवा वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स के किसी प्रतिपक्षकार के संविदागत दायित्वों की पूर्ति में असफल हो जाने, तथा मुख्यत: ग्राहकों; एवं ऋणों से कंपनी को होनेवाली प्राप्तियों के कारण उत्पन्न वित्तीय हानि अभिप्रेत हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रसारित राशि से साख जोखिम का अधिकतम प्रभाव स्पष्ट होता है।

व्यापार प्राप्य और ऋण

कंपनी मुख्यत: प्रत्येक ग्राहक की वैयक्तिक विशेषताओं के कारण ही साख जोखिम से प्रभावित हुई है। हालाँकि, प्रबंधन भी उद्योग, जहाँ ग्राहक कार्य करते हों, के साथ जुड़े ऋणों सहित अपने ग्राहक आधार के साख जोखिम के प्रभाव के घटकों पर विचार करती है।

नुकसान दरों की गणना, बकाया राशि को क्रमिक चरणों में बट्टे खाते में डालते हुए प्राप्य की संभावना के आधार पर 'रोल दर' पद्धति के उपयोग के माध्यम से की जाती है। रोल दर की गणना, सामान्य साख जोखिम विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों पर प्रभाव हेतु अलग से की जाती है।

व्यापार प्राप्य एवं ऋणों के संदर्भ में ह्रास भत्ते में उतार-चढ़ाव

व्यापार प्राप्य एवं ऋणों के संदर्भ में ह्रास भत्ते में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है: (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
1 अप्रैल को शेष	21.03	21.59
अपलेखित राशि	-	-
ह्रास भत्ते का निवल मापन	(0.05)	(0.56)
31 मार्च को शेष	**20.98**	**21.03**

नकद व नकद सम राशि

दि.31 मार्च, 2017 तक (दि.31 मार्च, 2016: 45.56 करोड़ रुपए, दि.1 अप्रैल, 2015: 63.94 करोड़ रुपए) कंपनी के पास 53.90 करोड़ रुपए का नकद और नकद सम राशि है। नकद व नकद सम राशि सिर्फ उच्च श्रेणी के बैंकों में रखी गई है।

नकद व नकद सम राशि के नुकसान का माप 12–माह की अनुमानित हानि के आधार पर किया गया है, जो अल्पावधि प्रभाव को दर्शाता है। कंपनी मानती है कि नकद और नकद सम राशि पर प्रतिपक्षकारों के वाह्य साख रेटिंग के आधार पर साख जोखिम का प्रभाव कम होता है।

व्युत्पन्न

व्युत्पन्नों की प्रविष्टि केवल उच्च श्रेणी के अनुसूचित बैंकों में की गई है।

ii) चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम से ऐसा जोखिम अभिप्रेत है, जिससे कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं के साथ जुड़े दायित्वों की पूर्ति में कठिनाई महसूस होती है, जिनका निपटान नकद अथवा किसी वित्तीय परिसंपत्ति को देने के माध्यम से किया जाता है। चलनिधि के प्रबंधन के प्रति कंपनी का रवैया यथासंभव यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त चलनिधि होगी, जिससे सामान्य अथवा तनावपूर्ण दोनों स्थितियों में कंपनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाये बिना अस्वीकार्य नुकसान भरे बगैर देयता की पूर्ति की जा सके।

कंपनी का उद्देश्य अपना नकद व नकद सम राशि को वित्तीय देयताओं (व्यापार प्राप्य से भिन्न) के संदर्भ में अपेक्षित नकद प्रवाह की अधिकता के स्तर पर बनाये रखना है। कंपनी व्यापार प्राप्य एवं अन्य वित्तीय देयताओं के संबंध में अपेक्षित नकद बहिर्गमन के साथ-साथ व्यापार प्राप्य व ऋण पर अपेक्षित नकद प्रवाह के स्तर का भी अनुश्रवण करती है।

चलनिधि जोखिम का प्रभाव

रिपोर्टिंग तिथि पर दीर्घावधि वित्तीय देयताओं की शेष संविदागत परिपक्वता का विवरण नीचे प्रस्तुत है। यह राशि मूल राशि का सूचक है, जो सकल व बट्टागत नहीं है तथा जिसमें निवल करारों का प्रभाव शामिल नहीं है।

31 मार्च 2017 (₹ करोड़)

विवरण	संविदागत नकद प्रवाह					
	रखाव राशि	कुल	12 महीने अथवा कम	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
संरक्षित बैंक ऋण	5,365.10	5,365.10	-	430.05	1,550.40	3,384.65
असंरक्षित बैंक ऋण	476.61	476.61	-	476.61	-	-
	5,841.71	5,841.71	-	906.66	1,550.40	3,384.65
व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-
अन्य वायदा विनिमय संविदा	138.38	138.38	138.38	-	-	-
	138.38	138.38	138.38	-	-	-

31 मार्च 2017 (करोड़ रुपये)

विवरण	संविदागत नकद प्रवाह					
	अग्रसारित राशि	कुल	12 महीने अथवा कम	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
संरक्षित बैंक ऋण	3,318.54	3,318.54	-	300.00	3,018.54	-
असंरक्षित बैंक ऋण	486.94	486.94	-	-	486.94	-
	3,805.48	3,805.48	-	300.00	3,505.48	-
व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
ब्याज दर स्वैप	0.36	0.36	0.36	-	-	-
अन्य वायदा विनिमय संविदा	53.81	53.81	53.81	-	-	-
	54.17	54.17	54.17	-	-	-

1 अप्रैल 2015 (करोड़ रुपये)

विवरण	संविदागत नकद प्रवाह					
	अग्रसारित राशि	कुल	12 माह अथवा कम	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
संरक्षित बैंक ऋण	66.52	66.52	-	-	-	66.52
	66.52	66.52	-	-	-	66.52
व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
अन्य वायदा विनिमय संविदा	31.42	31.42	31.42	-	-	-
	31.42	31.42	31.42	-	-	-

इन वित्तीय देयताओं को छोड़कर, यह अपेक्षित नहीं है कि परिपक्वता विश्लेषण में शामिल नकद प्रवाह विशेष रूप से पहले अथवा विभिन्न राशियों में हो।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है, जो बाजार की कीमतों में परिवर्तनों - जैसे विदेशी विनिमय दर, ब्याज दर और ईक्विटी दर से प्रभावित होता है - जिससे कंपनी की आय अथवा वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स के धारकों का मूल्य प्रभावित होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अनुकूलतम प्रतिलाभ के समय स्वीकार्य मापदंडों के अधीन बाजार जोखिम प्रभाव का प्रबंधन व नियंत्रण करना होता है।

कंपनी बाजार जोखिम से निपटने के लिए व्युत्पन्नों का उपयोग करती है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी मुद्रा जोखिम से तब तक प्रभावित होगी, जब तक मुद्रा एवं क्रय, विक्रय व ऋण में असमानता हो। कंपनी की कार्यकारी मुद्रा रुपया है। इन लेनदेनों का संचालन मुख्यत: रुपए में होता है, जो कंपनी की कार्यकारी और प्रस्तुति मुद्रा भी है।

कंपनी नकद जोखिम से बचने, अधिकांशत: रिपोर्टिंग तिथि की तुलना में एक वर्ष से कम परिपक्वता की अवधि से निपटने हेतु वायदा विनिमय संविदा का उपयोग करती है।

यू एस डालर बैंक ऋण की मूल राशि से संबंधित मुद्रा जोखिम, जिनकी बचाव पूर्णत: वायदा विनिमय, जिनकी परिपक्वता की तिथि ऋण की चुकौती की देय तिथि ही हो, के उपयोग के माध्यम से की गयी हैं। ये संविदाएँ व्युत्पन्नी संविदाएँ मानी गई हैं।

ब्याज दर जोखिम

कंपनी का उद्देश्य ब्याज की निर्धारित/अस्थिर दर के संतुलन को बनाये रखने के माध्यम से ब्याज दर जोखिम को कम करना है।

ब्याज दर जोखिम का प्रभाव

प्रबंधन को दिखाये गये कंपनी के ब्याज धारित वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स का ब्याज दर विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
नियत दर इंस्ट्रमेंट्स			
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	128.54	154.74	182.90
वित्तीय देयताएँ	5,947.69	4,495.02	5,192.64
	6,076.23	4,649.76	5,375.54
परिवर्ती दर इंस्ट्रमेंट्स			
वित्तीय देयताएँ	8,257.86	5,896.10	3,458.09
	8,257.86	**5,896.10**	**3,458.09**

परिवर्ती दर इंस्ट्रमेंट्स का नकद प्रवाह अस्थिरता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर ब्याज दर में 100 आधार विंदुओं के समुचित रूप से संभाव्य परिवर्तन से ईक्विटी एवं लाभ अथवा हानि की राशि में निम्न सूचित अनुसार वृद्धि हुई/कमी आई)। इस विश्लेषण से अन्य परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया, खासकर विदेशी मुद्रा संबंधी विनिमय दर स्थिर रही।.

(करोड़ रुपये)

विवरण	लाभ अथवा हानि		ईक्विटी, कर पूर्व	
	100 बी पी वृद्धि	100 बी पी कमी	100 बी पी वृद्धि	100 बी पी कमी
31 मार्च 2017				
परिवर्ती-दर इंस्ट्रमेंट्स	(61.56)	61.56	(61.56)	61.56
31 मार्च 2016				
परिवर्ती-दर इंस्ट्रमेंट्स	(38.05)	38.05	(38.05)	38.05

39 आकस्मिक देयताएँ व प्रतिबद्धताएँ

आकस्मिक देयताएँ

ए.कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं दिखाया गया (करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
संविदाकार/आपूर्तिकार/ग्राहक			
केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम	5.68	79.47	75.30
केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम से भिन्न	650.37	586.52	640.16
स्थानीय प्राधिकारी - राज्य सरकार	426.81	380.28	206.34
विक्री कर मामले*	1,012.86	1,006.70	1,905.37
आय कर	191.42	195.57	214.02
सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क	246.85	227.46	180.45
अन्य - केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम से भिन्न	433.68	392.67	392.81
कुल	**2,967.66**	**2,868.67**	**3,614.45**

*माल के हस्तांतरण संबंधी सामग्री परिवहन पर कोई देयता अपेक्षित नहीं है और अंतिम विक्री पर विक्री कर का भुगतान किया जाता है।

बी. न्यायालयों के विचाराधीन भूमि अधिग्रहण से संबंधित दावे: - राशि निर्धारण योग्य नहीं है

सी. जहाँ भी लागू हो स्ट्रक्चरल कार्य पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की देयता - राशि निर्धारण योग्य नहीं है

डी. विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा जारी कारण बताओ सूचना, जिन्हें आकस्मिक देयता नहीं माना गया

प्रतिबद्धता

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
पूँजीगत लेखा के अंतर्गत निष्पादित की जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसे नहीं दिखाया गया हो	5,715.52	6,172.26	5,520.20
कुल	**5,715.52**	**6,172.26**	**5,520.20**

40 निर्दिष्ट बैंक के धारित नोट्स (एस बी एन), जिनका 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि में लेनदेन किया गया

(करोड़ रुपये)

विवरण	एस बी एन*	अन्य विमुद्रीकरण नोट्स	कुल
8 नवंबर 2016 को हाथ में शेष नकद (अग्रदाय नकद को छोड़ते हुए)	202,000	183,048	385,048
जोड़ें: स्वीकृत प्राप्तियाँ**	83,000	116,831,235	116,914,235
घटाएँ: स्वीकृत भुगतान	(500)	(97,119,739)	(97,120,239)
घटाएँ: बैंक में जमा की गई राशि	(284,500)	(19,705,473)	(19,989,973)
30 दिसंबर 2016 को हाथ में शेष नकद	-	189,071	189,071

* 'निर्दिष्ट बैंक नोट्स' से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ.3407 (ई), दि.8 नवंबर, 2016 में दिया गया वही अर्थ अभिप्रेत है।

** स्वीकृत प्राप्तियों में कर्मचारियों को दिये गये अग्रदाय अग्रिम की राशि, जो खर्च नहीं की गयी हो, एवं अस्पताल की रसीद शामिल हैं।

नोट: उपरोक्त में तृतीय पक्षों से कंपनी के खाते में प्रशिक्षण शुल्क एवं संपदा/अतिथि गृह शुल्क आदि की रसीद के निमित्त नकद रूप में सीधे जमा की गई राशि शामिल नहीं है।

41 संबद्ध पार्टी

ए. संबद्ध पार्टियों की सूची एवं संबंध की प्रकृति

संबद्ध पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	देश
ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)	सहायक कंपनी	भारत
ओड़ीशा खनिज विकास निगम	ई आई एल की सहायक कंपनी	भारत
दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	ई आई एल की सहायक कंपनी	भारत
दि बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड (परिसमापन अधीन)	ई आई एल की सहायक कंपनी	भारत
रिनमॉयल फेर्री एलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	भारत
आर आई एन एल पॉवरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	भारत
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल)	सहयोगी कंपनी	भारत
मिनास डे वेंगा लिमिटाडा	आई सी वी एल की सहायक कंपनी	मारिशस

बी-I. 31 मार्च 2017 तक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

संबद्ध पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति
श्री पोन्नपल्लि मधुसूदन	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री पी सी महापात्रा	निदेशक (परियोजना)
श्री डी एन राव	निदेशक (प्रचालन)
श्री प्रवीर रायचौधरी	निदेशक (वाणिज्य)
श्री किशोर चंद्र दास	निदेशक (कार्मिक)

बी-II. 31 मार्च 2017 तक स्वतंत्र निदेशक

संबद्ध पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति
श्री एस के श्रीवास्तव	स्वतंत्र निदेशक
श्री एस के मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक
श्री के एम पद्मनाभन	स्वतंत्र निदेशक
श्री सुनील गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक

सी. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की सेवानिवृत्ति पश्चात योजनाएँ

संबद्ध पार्टी का नाम	देश
आर आई एन एल कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास	भारत
विशाखपट्टणम इस्पात परियोजना कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
आर आई एन एल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि न्यास	भारत

डी. समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पार्टियों के साथ लेनदेन

(करोड़ रुपये)

संबद्ध पार्टी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल)	ईक्विटी शेयर की प्राप्ति	55.00	279.96
आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड	ईक्विटी शेयर की प्राप्ति	3.30	0.10
ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)	लाभांश से आय	0.15	-
आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड	प्रदत्त शेयर पूँजी अग्रिम	3.30	0.10
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल)	प्रदत्त शेयर पूँजी अग्रिम	40.00	95.80
दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	क्रय	5.56	4.74
मिनास डे वेंगा लिमिटाडा	क्रय	20.74	44.46
मिनास डे वेंगा लिमिटाडा	विलंब शुल्क/प्रेषण	0.04	0.08
दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	आपूर्तिकार को अग्रिम	7.02	3.50
दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	आपूर्तिकार से प्राप्त ब्याज-अग्रिम	0.92	0.44
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल)	वसूली योग्य वेतन	0.40	0.66
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल)	वेतन की प्रतिपूर्ति	0.87	0.56
ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)	वित्तीय देयता का निपटान	0.05	-
ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)	अग्रिम की वापसी	0.19	-
रिनमॉयल फेर्रो एलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड	अग्रिम की वापसी	0.25	-
आर आई एन एल कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास	न्यास में अंशदान	1.60	11.31
विशाखपट्टणम इस्पात परियोजना कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	न्यास में अंशदान	135.17	124.89
आर आई एन एल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि न्यास	न्यास में अंशदान	6.83	6.83

ई. बकाया शेष (असंरक्षित & बेहतर माना गया) (करोड़ रुपये)

संबद्ध पार्टी का नाम	विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड	सहायक कंपनी में निवेश	361.03	361.03
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स (पी) लिमिटेड	सहयोगी कंपनी में निवेश	336.36	281.36
आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम में निवेश	3.40	0.10
रिनमॉयल फेर्रो एलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम में निवेश	0.10	0.10
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स (पी) लिमिटेड	शेयरों के निमित्त अग्रिम	40.00	55.00
रिनमॉयल फेर्रो एलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1.21	1.46
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स (पी) लिमिटेड	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.10	0.50
ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	0.19
दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	वसूली योग्य अग्रिम	15.79	8.76
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स (पी) लिमिटेड	अन्य वित्तीय देयता	0.07	-
ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड	अन्य वित्तीय देयता	-	0.05
मिनास डे बेंगा लिमिटाडा	देय राशि	3.23	0.08
दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	देय राशि	0.10	0.78
दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	अन्य वित्तीय देयता	-	0.05
आर आई एन एल कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास	अन्य वित्तीय देयता/(परिसंपत्ति)	13.99	(11.86)
विशाखपट्टणम इस्पात परियोजना कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	अन्य वित्तीय देयता	11.57	10.92
आर आई एन एल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि न्यास	अन्य वित्तीय देयता	0.57	0.57

नोट: (करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
बकाया शेष राशि से संबंधित संदेहास्पद ऋणों का प्रावधान	शून्य	शून्य

एफ. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त क्षतिपूर्ति व बैठक शुल्क (करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	1.44	1.78
सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ	0.24	0.27
अन्य दीर्घावधि लाभ	0.26	0.39
अवधि समाप्ति लाभ	-	-
शेयर-आधारित भुगतान	-	-
स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क	0.21	0.12
	2.15	2.56

42 ए) कंपनी के व्यापार का आशय सिर्फ एक ही व्यापार श्रेणी, अर्थात मुख्यत: इस्पात उत्पादों का उत्पादन करना ही है, जिससे जुड़े जोखिम व प्रतिलाभ प्रमुखत: एक जैसा ही हैं। आगे, कंपनी के लिए भौगोलिक रूप से ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिससे कोई खतरा व प्रतिलाभ हो। हालाँकि, भारतीय लेखाकरण मानक-108 'श्रेणी रिपोर्टिंग' के अनुसार श्रेणीवार सूचना राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण में दी गई है। अत: श्रेणीवार सूचना का अलग विवरण इस स्टैंडलोन वित्तीय विवरण में नहीं दी गई है।

बी) ऋण व अग्रिम, व्यापार देय/व्यापार प्राप्य/अन्य देयों के वास्तविक हिस्से के संदर्भ में, शेष की पुष्टि की माँग के साथ पत्र भेजे गये और शेष की पुष्टि के संबंध में कोई वास्तविक विसंगति नहीं पाई गई।

सी) चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि में जहाँ भी आवश्यक हो पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: व्यवस्थित/पुन: संग्रहीत किया गया है।

43 भारतीय लेखाकरण मानक को अपनाने से संबंधित स्पष्टीकरण

नोट 32 एवं नोट 2 में निर्धारित लेखाकरण नीतियों में दिये गये अनुसार ये भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप तैयार किये गये कंपनी के प्रथम स्टैंडलोन वित्तीय विवरण हैं। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने अधिनियम की धारा 133 एवं अधिनियम ('पूर्व जी ए ए पी') के अन्य संबद्ध प्रावधानों के अधीन निर्धारित अनुसार कंपनी नियम (लेखाकरण मानक) 2006 के अनुरूप स्टैंडलोन वित्तीय विवरण बनाया है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडलोन वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की तुलनात्मक जानकारी एवं प्रारंभिक भारतीय लेखाकरण मानक अपनाने की तिथि, अर्थात 1 अप्रैल 2015 के तुलन पत्र सहित नोट 2 में निर्धारित लेखाकरण नीतियों को अपनाया गया है।

कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 को भारतीय लेखाकरण मानक तुलन पत्र तैयार करने एवं 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करने में पूर्व जी ए ए पी के अनुसार तैयार किये गये स्टैंडलोन वित्तीय विवरण में पहले दर्ज राशि को समायोजित किया है। इस नोट से कंपनी द्वारा पूर्व जी ए ए पी के अनुरूप तैयार किये गये वित्तीय विवरण में प्रमुख समायोजन एवं पूर्व जी ए ए पी से भारतीय लेखाकरण मानक अपनाने के कारण उसका कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह पर प्रभाव स्पष्ट होते हैं।

वैकल्पिक छूट एवं अनिवार्य छूट का उपयोग

ये वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने निम्नलिखित वैकल्पिक छूट व अनिवार्य छूट का उपयोग किया है।

ए. वैकल्पिक छूट का उपयोग

1. संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर, चालू कार्य एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ

भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुरूप कोई कंपनी निम्नलिखित का चयन कर सकती है:

i) परिवर्तन की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के किसी मद को उसके न्यायसंगत मूल्य पर मापना एवं उसके न्यायसंगत मूल्य को उस तिथि पर उसकी अनुमानित लागत मानना

ii) परिवर्तन की तिथि तक अथवा उससे पहले संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के किसी मद के पूर्व जी ए ए पी पुन: मूल्यांकन का, पुन: मूल्यांकन की तिथि पर अनुमानित लागत के रूप में उपयोग, बशर्ते कि पुन: मूल्यांकन की तिथि पर पुन: मूल्यांकन निम्नलिखित अनुरूप व्यापक तुलना योग्य हो

- न्यायसंगत मूल्य;
- अथवा लागत या भारतीय लेखाकरण मानक के अधीन समायोजित मूल्यह्रास लागत, जैसे सामान्य अथवा विशिष्ट कीमत सूचकांक में अंतर

भारतीय लेखाकरण मानक 38 के मान्य मापदंड की पूर्ति करनेवाली अमूर्त परिसंपत्तियाँ (मूल लागत के विश्वसनीय मापन सहित); और भारतीय लेखाकरण मानक 38 के पुन: मूल्यांकन मापदंड (विद्यमान सक्रिय बाजार सहित) हेतु ऊपर (i) एवं (ii) के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की चयन प्रक्रिया उपलब्ध है

iii) भारतीय लेखाकरण मानक को अपनाने की तिथि पर यदि परिवर्तन की तिथि पर कार्यकारी मुद्रा में कोई परिवर्तन न हो तो, संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियों एवं निवेश संपत्तियों (जो पूर्व जी ए ए पी के अनुरूप मापी जाती हैं और भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अधीन निर्धारित अनुसार बंद करने से संबंधित देयताओं के समायोजन पश्चात) के अग्रसारित मूल्य का उपयोग।

भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकार्य अनुसार, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के सभी मदों के लिए पूर्व जी ए ए पी के अधीन अग्रसारित मूल्य जारी रखने के विकल्प का चयन किया है। यही चयन प्रक्रिया चालू पूँजीगत कार्य व अमूर्त परिसंत्तियों के लिए भी अपनाई गई है। उपरोक्त अनुसार संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अग्रसारित मूल्य बंद करने से संबंधित देयताओं के समायोजन पश्चात के हैं।

बी. अनिवार्य छूट

1. प्राक्कलन

भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार, कंपनी द्वारा भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप पहले वित्तीय विवरण में प्रस्तुत तुलनात्मक अवधि की समाप्ति पर भारतीय लेखाकरण मानक को अपनाने की तिथि पर किसी कंपनी के प्राक्कलन, मामला जैसा भी हो, जब तक कि उनमें किसी त्रुटि का वस्तुपरक साक्ष्य न हो, तब तक पूर्व जी ए ए पी के अनुरूप उसी तिथि के प्राक्कलनों के बराबर होने चाहिए। हालाँकि, प्राक्कलन लेखाकरण नीतियों में कोई परिवर्तन दिखाने हेतु समायोजित किये जाने चाहिए।

भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार, जहाँ भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप कंपनी द्वारा कुछ प्राक्कलन अपेक्षित हैं और जो पूर्व जी ए ए पी के अनुसार नहीं बनाये गये, ऐसे प्राक्कलन परिवर्तन की तिथि पर विद्यमान शर्तों के (भारतीय लेखाकरण मानक के प्रारंभिक तुलन पत्र की तैयारी हेतु) अनुरूप अथवा तुलनात्मक अवधि के अंत तक (भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु) बनाये जायें।

भारतीय लेखाकरण मानक के अधीन कंपनी के प्राक्कलन उपरोक्त आवश्यकता के अनुरूप हैं। स्टैंडलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में विचार में लिये गये प्रमुख प्राक्कलन, जो पूर्व जी ए ए पी के अधीन अपेक्षित नहीं थे, का विवरण निम्नानुसार है:

ए) एफ वी टी पी एल एवं/अथवा एफ वी ओ सी आई में अग्रसारित वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स का न्यायसंगत मूल्यांकन
बी) ऋणमोचन लागत में अग्रसारित वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स के वट्टागत मूल्य का निर्धारण
सी) प्रत्याशित साख हानि माडेल आधारित वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास
डी) डीकमिशनिंग लागत की देयता का वट्टागत मूल्य

2. वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण व मापन

भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुरूप यह अपेक्षित है कि किसी कंपनी द्वारा इस मानक को अपनाने की तिथि पर विद्यमान तथ्यों व स्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का मूल्यांकन किया जाय। आगे, यह मानक इसे अपनाने की तिथि पर विद्यमान तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर ऋणमोचन लागत में गणना की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मापन की, यदि पूर्वव्यापी प्रभाव व्यवहार्य न हो तो, स्वीकृति देती है।

तदनुसार, कंपनी ने इस मानक को अपनाने की तिथि पर विद्यमान तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का निर्णय लिया है। ऋणमोचन लागत पर गणना की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन पूर्वव्यापी प्रभाव सहित, जहाँ ऐसा संभव न हो को छोड़कर, किया गया है।

सी. ईक्विटी का समाधान

(करोड़ रुपये)

विवरण	नोट्स	परिवर्तन की तिथि 1 अप्रैल 2015			31 मार्च 2016		
		पूर्व जीएएपी	भारतीय लेखाकरण मानक को अपनाने पर समायोजन	भारतीय लेखाकरण मानक	पूर्व जीएएपी	भारतीय लेखाकरण मानक को अपनाने पर समायोजन	पूर्व जीएएपी
परिसंपत्तियाँ							
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ							
संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर	ए,बी	5,305.41	439.74	5,745.15	11,826.39	91.27	11,917.66
चालू भारी मरम्मत कार्य	ए	11,492.98	-	11,492.98	6,979.93	8.74	6,988.67
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ		51.33	-	51.33	37.49	-	37.49
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		2.57	-	2.57	2.70	-	2.70
वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
निवेश	सी	362.53	239.16	601.69	642.59	55.00	697.59
ऋण	सी,डी,जी	926.53	(743.63)	182.90	649.79	(495.05)	154.74
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	सी	-	125.96	125.96	-	157.09	157.09
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	सी	81.32	90.86	172.18	100.43	15.71	116.14
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**18,222.67**	**152.09**	**18,374.76**	**20,239.32**	**(167.24)**	**20,072.08**
चालू परिसंपत्तियाँ							
वस्तुसूची		5,179.51	(83.74)	5,095.77	3,907.50	(96.90)	3,810.60
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	एच						
व्यापार प्राप्य		1,035.43	(1.33)	1,034.10	958.11	(1.33)	956.78
नकद व नकद सम राशि		63.94	-	63.94	45.56	-	45.56
ऋण	सी,ई	3,259.83	(3,259.45)	0.38	3,440.21	(3,440.21)	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	सी	-	292.61	292.61	-	282.21	282.21
अन्य कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		-	52.30	52.30	-	7.00	7.00
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	सी,डी	98.75	619.14	717.89	147.79	522.49	670.28
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**9,637.46**	**(2,380.47)**	**7,256.99**	**8,499.17**	**(2,726.74)**	**5,772.43**
कुल परिसंपत्तियाँ		**27,860.13**	**(2,228.38)**	**25,631.75**	**28,738.49**	**(2,893.98)**	**25,844.51**
ईक्विटी व देयताएँ							
ईक्विटी							
ईक्विटी शेयर पूँजी	एफ	5,189.85	(300.00)	4,889.85	4,889.85	-	4,889.85
अन्य ईक्विटी							
आरक्षित व अधिशेष	एम	6,404.08	223.90	6,627.98	4,983.35	40.91	5,024.27
अन्य व्यापक आय	आई	-	-	-	-	(45.29)	(45.29)
कुल ईक्विटी		**11,593.93**	**(76.10)**	**11,517.83**	**9,873.20**	**(4.38)**	**9,868.83**
देयताएँ							
गैर-चालू देयताएँ							
वित्तीय देयताएँ							
उधार		66.52	-	66.52	3,805.48	-	3,805.48
अन्य वित्तीय देयताएँ	सी	-	51.65	51.65	-	13.56	13.56
प्रावधान		557.14	-	557.14	853.59	-	853.59
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	जे	444.89	(120.44)	324.45	448.30	(245.93)	202.37
अन्य गैर-चालू देयताएँ	सी	138.27	(131.72)	6.55	109.81	(102.66)	7.15
कुल गैर-चालू देयताएँ		**1,206.82**	**(200.51)**	**1,006.31**	**5,217.18**	**(335.03)**	**4,882.15**
चालू देयताएँ							
वित्तीय देयताएँ							
उधार		7,444.89	-	7,444.89	6,585.64	-	6,585.64
व्यापार एवं अन्य देय	ए	600.60	-	600.60	733.56	-	733.56
अन्य वित्तीय देयताएँ	सी	-	4,254.97	4,254.97	-	3,128.98	3,128.98
व्युत्पन्न	ई		31.42	31.42		54.17	54.17
प्रावधान	सी	34.61	164.32	198.93	-	102.51	102.51
अन्य चालू देयताएँ	सी,ई	6,979.28	(6,402.47)	576.80	6,328.91	(5,840.23)	488.67
कुल चालू देयताएँ		**15,059.38**	**(1,951.76)**	**13,107.61**	**13,648.11**	**(2,554.57)**	**11,093.53**
कुल देयताएँ		**16,266.20**	**(2,152.28)**	**14,113.92**	**18,865.29**	**(2,889.60)**	**15,975.68**
कुल ईक्विटी व देयताएँ		**27,860.13**	**(2,228.38)**	**25,631.75**	**28,738.49**	**(2,893.98)**	**25,844.51**

डी. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का समाधान (करोड़ रुपये)

विवरण	नोटस	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
		पूर्व जी ए ए पी	भारतीय लेखाकरण मानक को अपनाने पर समायोजन	भारतीय लेखाकरण मानक
राजस्व				
प्रचालन से राजस्व	एल	9,019.63	1,143.40	10,163.04
अन्य आय	के	317.73	31.20	348.92
कुल आय		9,337.36	1,174.60	10,511.96
व्यय				
खपत की गई सामग्री की लागत		4,141.59		4,141.59
परिसज्जित उत्पादों की वस्तुसूची में परिवर्तन एवं चालू कार्य		1,149.72	-	1,149.72
उत्पाद शुल्क	एल		1,143.40	1,143.40
कर्मचारी लाभ व्यय	आई,के	1,923.20	(41.33)	1,881.87
वित्तीय लागत	एफ,जी	650.70	26.00	676.70
मूल्यह्रास व ऋणमोचन व्यय	बी	346.81	18.86	365.66
अन्य व्यय	ई	2,913.34	(58.52)	2,854.83
कुल व्यय		11,125.36	1,088.42	12,213.78
पूर्वावधि मद व कर पूर्व लाभ		(1,788.00)	86.18	(1,701.82)
पूर्वावधि मद	ए	(370.77)	370.77	0.00
कर पूर्व लाभ		(1,417.23)	(284.59)	(1,701.82)
चालू कर		-	-	-
आस्थगित कर	जे	3.41	(101.51)	(98.10)
आय कर व्यय		3.41	(101.51)	(98.10)
जारी प्रचालन से वर्ष में लाभ (हानि)		(1,420.64)	(183.08)	(1,603.72)
प्रचालन बंद करने से वर्ष में लाभ (हानि)		-	-	-
प्रचालन बंद करने से कर व्यय		-	-	-
प्रचालन बंद करने (कर पश्चात) से वर्ष में लाभ (हानि)		-	-	-
वर्ष के लिए लाभ (हानि)		(1,420.64)	(183.08)	(1,603.72)
अन्य व्यापक आय				
मद, जिनका लाभ अथवा हानि के बाद पुन:वर्गीकरण नहीं किया जाएगा				
निश्चित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुन: मापन	आई	-	(69.27)	(69.27)
मदों पर आय कर, जिसका लाभ अथवा हानि के बाद पुन:वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	आई	-	23.97	23.97
वर्ष के लिए अन्य आय, निवल आय कर		-	(45.29)	(45.29)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		(1,420.64)	(228.37)	(1,649.01)

ई. समाधानों के नोटस

ए. पूर्वावधि मदों का पुन: विवरण

भारतीय लेखाकरण मानक के अधीन, कंपनी को निम्न प्रकार से पहचानी गई वास्तविक पूर्वावधि त्रुटियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रस्तुत करना होगा:

ए) प्रस्तुत पूर्वावधि (यों) की तुलनात्मक राशि, जिसमें त्रुटि पाई गई हो:

बी) यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्वावधि से पहले हुई हो तो प्रस्तुत पूर्वावधि से पहले की अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देयताओं एवं ईक्विटी का फिर से विवरण प्रस्तुत करना। पूर्व जी ए ए पी के अंतर्गत, पूर्वावधि मदों को, जिस वर्ष के दौरान पहचाने गये हैं, उसी वर्ष के लाभ व हानि विवरण में दिखाया गया।

बी. भंडार व हिस्से पुर्जे का पूँजीकरण

भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार, कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की परिभाषा की पूर्ति करनेवाले भंडार का पूँजीकरण किया गया है।

सी.वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पुन: वर्गीकरण

भारतीय लेखाकरण मानक के अंतर्गत, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का तुलन पत्र के आधार पर प्रकटीकरण करना होगा। पूर्व जी ए ए पी के अंतर्गत, यह अपेक्षित नहीं था। इस प्रकार, भारतीय लेखाकरण मानक 32 एवं 109 के अनुरूप वित्तीय परिसंपत्ति अथवा देयता के स्वीकृति मापदंड की पूर्ति करनेवाली सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पुन: वर्गीकरण किया गया है एवं तुलन पत्र में अलग से दिखाया गया है।

डी. ऋणमोचन लागत पर कर्मचारी ऋण

भारतीय लेखाकरण मानक **109** के आधार पर, कर्मचारियों के ऋण रूप में वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग के माध्यम से ऋणमोचन लागत पर दिखाई गई हैं।

ई. व्युत्पन्न

भारतीय लेखाकरण मानक **109** के अनुसार, व्युत्पन्नी इंस्ट्रूमेंट्स का मार्क टू मार्केट पद्धति के उपयोग के माध्यम से न्यायसंगत मूल्य पर मापा गया है।

एफ. अधिमान्य शेयरों का न्यायसंगत मूल्यांकन

भारतीय लेखाकरण मानक **109** के आधार पर, अधिमान्य शेयरों के रूप में वित्तीय देयताओं की गणना प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग के माध्यम से ऋणमोचन लागत पर की गई है।

जी. ए पी आई आई सी को दिये गये ऋण का न्यायसंगत मूल्यांकन

भारतीय लेखाकरण मानक **109** के आधार पर, ऋण के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग के माध्यम से ऋणमोचन लागत पर गणना की गई है।

एच. व्यापार प्राप्य का प्रावधान

भारतीय लेखाकरण मानक **109** के आधार पर, संदेहास्पद ऋणों से संबंधित भत्ता प्रत्याशित ऋण हानि नमूने के आधार पर दर्ज किया गया है।

आई. बीमांकिक अभिलाभ व हानि

भारतीय लेखाकरण मानक के अंतर्गत, नियुक्ति पश्चात परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित सभी बीमांकिक अभिलाभ व हानि अन्य व्यापक आय में दिखाये जाते हैं। पूर्व जी ए ए पी के तहत, कंपनी ने बीमांकिक अभिलाभ व हानि को लाभ अथवा हानि में दिखाया है। हालाँकि, इससे **1** अप्रैल **2015** अथवा **31** मार्च **2016** तक कुल व्यापक आय एवं कुल ईक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

जे. आय कर

पूर्व जी ए ए पी के तहत, वर्ष के दौरान लेखा आय एवं कर योग्य आय के बीच सामयिक अंतराल, अर्थात 'आय विवरण पद्धति' के उपयोग के माध्यम से आस्थगित कर की गणना की जाती है।

भारतीय लेखाकरण मानक के तहत, किसी परिसंपत्ति व देयता की अग्रसारित राशि के बीच अस्थाई अंतर के आधार पर आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र एवं उसके कर आधार में की जाती है। इसे 'तुलन पत्र पद्धति' के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के आधार पर कंपनी को सभी भारतीय लेखाकरण मानक समायोजनों पर अतिरिक्त आस्थगित कर दिखाना होगा, क्योंकि इन्हीं से खाता एवं कर संबंधी बहियों में अस्थाई अंतर दिखाई देने लगेंगे।

के. किराये के रूप में आय

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप, कर्मचारियों से किराये के रूप में आय कर्मचारी संबंधी व्यय के रूप में मानते हुए किराये के न्यायसंगत मूल्य पर दिखाई गई है।

एल. उत्पाद शुल्क

पूर्व जी ए ए पी के अधीन, माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री के निवल उत्पाद शुल्क के रूप में दिखाया गया। भारतीय लेखाकरण मानक के अधीन, माल की बिक्री के प्रस्तुत आंकड़े में उत्पाद शुल्क भी शामिल है। उत्पाद शुल्क को लाभ व हानि विवरण में व्यय के रूप में दिखाया गया। इससे **31** मार्च **2016** को समाप्त वर्ष के लिए प्रचालन से राजस्व एवं व्यय में वृद्धि हुई। **31** मार्च **2016** को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय एवं ईक्विटी अपरिवर्तित रही।

एम. संरक्षित अर्जन

उपरोक्त परिवर्तन से कुल ईक्विटी निम्नानुसार बढ़ी (कम हुई):

(₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2016
ऋणमोचन लागत पर कर्मचारी ऋण	0.04	0.16
व्युत्पन्न	(2.98)	13.38
पूर्वावधि मद	374.32	-
न्यायसंगत मूल्य पर देयता के रूप में दर्ज अधिमान्य शेयर	(285.08)	-
भंडार व हिस्से पुर्जे व अन्य का पूँजीकरण	(18.31)	(5.58)
समर्थकारी परिसंपत्तियों का पूँजीकरण	-	8.74
व्यापार प्राप्य पर विदेशी मुद्रा समायोजन	-	(0.06)
प्रधानमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार	(6.55)	(7.15)
ए पी आई आई सी को ऋण का न्यायसंगत मूल्यांकन	(14.23)	(16.07)
व्यापार प्राप्य का प्रावधान	(1.33)	(1.33)
उपरोक्त समायोजनों पर कर प्रभाव	(121.97)	3.52
कुल ईक्विटी में वृद्धि/(कमी)	**(76.10)**	**(4.38)**

सहायक कंपनियाँ व संयुक्त उद्यम

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल (मंडल) ने सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के कार्य की समीक्षा की। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया गया है, जो वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है। आगे, प्रत्येक सहायक, सहयोगी कंपनी एवं संयुक्त उद्यम के निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय विवरण की विशेषताएँ इस प्रतिवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र ए ओ सी-1 में प्रस्तुत हैं।

सहायक कंपनियाँ:

1. ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड: (ई आई एल)

कंपनी की आय मुख्यत: (i) सहायक कंपनी ओ एम डी सी सहित विभिन्न कंपनियों के शेयरों में निवेश के लाभांश, (ii) बैंकों में सावधि जमा तथा बंध पत्र जमाओं से संबंधित ब्याज से प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान ओड़ीशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड (ओ एम डी सी) से प्राप्त लाभांश संबंधी आय 2015-16 के 1.33 करोड़ रुपये की तुलना में 0.80 करोड़ रुपये थी। 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का कुल राजस्व 1.62 करोड़ रुपये (कर पश्चात लाभ) और 1.60 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय सहित 2.85 करोड़ रुपये है।

2. ओड़ीशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड: (ओ एम डी सी)

वर्ष 2016-17 के दौरान लौह अयस्क व मैंगनीज अयस्क का कोई उत्पादन और प्रेषण नहीं हुआ। मुख्य आय सावधि जमाओं के ब्याज से हुई थी, जो कम ब्याज दर के कारण कम हो गई। परिणामस्वरूप, अन्य आय पूर्व वित्त वर्ष के 70.01 करोड़ रुपये की तुलना में 63.19 करोड़ रुपये के साथ कम रही। कर पश्चात लाभ पूर्व वर्ष के 19.38 करोड़ रुपये की तुलना में 12.36 करोड़ रुपये रहा। कुल व्यापक आय पूर्व वर्ष के 10.63 करोड़ रुपये की तुलना में 5.86 करोड़ रुपये रहा।

3. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड: (बी एस एल सी)

बी एस एल सी का बिक्री कारोबार इस्पात संयंत्रों द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान कम खरीद के कारण 31 मार्च 2017 को समाप्त चालू वर्ष के लिए पूर्व वर्ष के 38.49 करोड़ रुपये की तुलना में 36.11 करोड़ रुपये के साथ कम रहा। प्रचालन से वर्ष के लिए 17.73 करोड़ रुपये की हानि हुई एवं 31.03.2017 तक संचित हानि 193.20 करोड़ रुपये रही।

संयुक्त उद्यम

1. आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड:

भारत के दो नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम, अर्थात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) और पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी आर पी टी पी एल, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन 19 अगस्त, 2015 को आंध्र प्रदेश राज्य के अधिकार क्षेत्र में गठित की गई है। आर पी टी पी एल आंध्र प्रदेश के विशाखपट्टणम में स्थित होने का लाभ उठाते हुए ट्रांसमिशन लाइन टावर विनिर्माण इकाई की स्थापना हेतु पहले चरण का परियोजना कार्य शुरु करने वाला है। शुरुआत में 1,20,000 टन फेब्रिकेटेड व गैल्वनाइज्ड ट्रांसमिशन लाइन टावर व टावर पार्ट्स की उत्पादन क्षमता के साथ संयंत्र की स्थापना की जाएगी। मेसर्स मेकॉन को पी एम सी परामर्शदाता एवं साथ ही 'पर्यावरण क्लियरेंस/एन ओ सी/स्थापना व संबद्ध सेवाओं की सहमति' हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यस्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया और उत्पादन इकाई का स्थापना कार्य चल रहा है।

संयुक्त उद्यम कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी और प्रदत्त पूँजी 31.03.2017 तक क्रमश: 50.0 करोड़ रुपये और 6.8 करोड़ रुपये है।

2. रिनमॉयल:

कंपनी फेर्रो एलॉय्स संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया में है। परियोजना को प्रचालन सक्षम बनाने के लिए कंपनी कम दरसूची पर विद्युत आपूर्ति का मामला आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष उठाते आ रही है। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने कम से कम शुरुआत के पाँच वर्षों के लिए कम विद्युत दर का मामला आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया है। यद्यपि सकारात्मक उत्तर अभी प्राप्त होना है, परियोजना के प्रचालन सक्षम विकल्पों के अन्वेषण के प्रयास जारी हैं।

सहयोगी कंपनी

आई सी वी एल

आई सी वी एल मारीशस में आई सी वी एल, मारीशस के नाम पर 100% हिस्सेदारी रखता है, जिसकी आस्ट्रेलिया में 100% उप अनुषंगी सहायक कंपनी रिवर्सडेल माइनिंग (प्राइवेट) लिमिटेड (आर एम एल) है, जो मिनास डि बेंगा मारीशस लिमिटेड (मोजांबिक में संयुक्त उद्यम द्वारा प्रचालित कोयला खान) में 65% हिस्सेदारी रखती है। बेंगा में खनन गतिविधि के संचालन हेतु संविदाकारों की संविदा 31 दिसंबर, 2015 को समाप्त होने तथा कंपनी में खनन उपस्कर की अनुपलब्धता के कारण प्रचालन कार्य बंद है।

बेंगा में प्रचालन एवं उसके प्रचालनगत व वित्तीय क्षमता की समीक्षा हेतु नियुक्त परामर्शदाता ने खनन प्रचालन पुन: प्रारंभ करने की संस्तुति दी है और आगे यह भी राय व्यक्त की कि बी ओ ओ आधार पर विद्युत संयंत्र की स्थापना से लाभदायिकता और बढ़ेगी।

16 दिसंबर, 2016 को आयोजित मंडल की बैठक में प्रचालन चालू करने का निर्णय लिया गया और - ए) खनन प्रचालन; बी) कोयले के परिवहन; सी) कोल डंप के अनुश्रवण व पुन: स्थापना; डी) 20 वर्ष तक कोयले लिंकेज संबंधी प्रतिबद्धता के साथ बी ओ ओ के आधार पर विद्युत संयंत्र की स्थापना - हेतु वैश्विक निविदा जारी करने का निर्णय लिया गया। वैश्विक निविदा जारी की गई और परिवहन व अनुश्रवण एवं कोल डंप की पुन: स्थापना हेतु निविदा को अंतिम रूप दिया गया तथा खनन प्रचालन संबंधी निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

खनन प्रचालन बंद करने के दौरान, कंपनी ने राजस्व की प्राप्ति हेतु तापीय कोयले की बिक्री की है और 341050 टन तापीय कोयले की बिक्री की है तथा यू एस डालर 17.87 मिलियन राजस्व प्राप्त किया है। 140000 टन तापीय कोयले की निविदा को शीघ्र ही अंतिम रूप देने की अपेक्षा है।

खनन प्रचालन अक्टूबर 17/नवंबर 17 तक शुरु होने का अनुमान है और पूर्ण रूप से उत्पादन मई 18/जून 18 तक प्राप्त किया जाएगा।

करोड़ रुपये

वित्तीय विशेषताएँ

सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों व आर आई एन एल समूह (समेकित) का वित्तीय निष्पादन	सहायक कंपनियाँ (स्टैंडलोन)*						सहयोगी कंपनी		आर आई एन एल समूह	
	ई आई एल		ओ एम डी सी		वी एस एल सी		आई सी वी एल (समेकित)		समेकित	
	(करोड़ रुपये)		(करोड़ रुपये)		(करोड़ रुपये)		(करोड़ रुपये)		(करोड़ रुपये)	
विवरण	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
प्रचालन से राजस्व	1.68	2.24	63.19	70.01	36.11	38.49	0.00	0.00	12511.07	10266.04
वित्तीय प्रभार, कर, मूल्यह्रास/ऋणमोचन (पी बी आई टी डी ए) पूर्व लाभ	2.37	1.94	17.21	26.22	(16.35)	(15.13)	23.12	(427.33)	(280.37)	(763.06)
घटाएँ: वित्तीय प्रभार	0.01	0.00	0.00	0.00	1.16	1.28	89.91	6.15	767.99	677.54
मूल्यह्रास/ऋणमोचन (पी बी टी डी ए) पूर्व लाभ	2.36	1.94	17.21	26.22	(17.51)	(16.41)	(66.79)	(433.48)	(1048.36)	(1440.60)
घटाएँ: मूल्यह्रास	0.00	0.00	4.85	6.84	0.22	0.23	0.13	0.08	663.93	372.74
कराधान (पी बी टी) पूर्व निवल लाभ	2.36	1.94	12.36	19.38	(17.73)	(16.64)	(66.92)	(433.56)	(1712.29)	(1813.34)
कराधान का प्रावधान	0.74	0.28	5.80	8.44	0.00	0.00	0.40	0.00	(420.80)	(89.38)
कर पश्चात गैर-नियंत्रक ब्याज पूर्व लाभ/(हानि) (पी ए टी)	1.62	1.66	6.56	10.94	(17.73)	(16.64)	(67.33)	(433.56)	(1291.49)	(1723.96)
वर्ष के दौरान गैर-नियंत्रक ब्याज पूर्व कुल व्यापक आय	1.60	1.66	5.86	10.63	(17.74)	(16.17)	(64.06)	(324.76)	(1327.37)	(1740.26)
लाभांश कर सहित लाभांश का भुगतान	0.35	0.00	1.92	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.86
सामान्य आरक्षित राशि में हस्तांतरण	0.08	0.00	0.59	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.54

*आंतरिक कंपनी के विलोपन के बिना सहायक कंपनियों की स्टैंडलोन वित्तीय स्थिति

प्रपत्र ए ओ सी-I

(कंपनी नियम (लेखा), 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसार)

सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं का विवरण

भाग "ए": सहायक कंपनियाँ (करोड़ रुपये)

1	क्र.सं.	1	2	3
2	सहायक कंपनी का नाम	ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)	दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (ई आई एल की सहायक कंपनी)	दि ओड़ीशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड (ई आई एल की सहायक कंपनी)
3	संवद्ध सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो तो	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि जैसा ही अर्थात 31 मार्च 2017		
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संवद्ध वित्त वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा व विनिमय दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
5	शेयर पूँजी	1.44	87.29	0.60
6	आरक्षित व अधिशेष	270.16	(193.17)	840.2
7	कुल परिसंपत्तियाँ	273.4	10.84	978.8
8	कुल देयताएँ	1.8	116.72	138.00
9	निवेश	261.19	0.00	2.83
10	कारोबार/कुल आय	1.68	36.11	63.18
11	कराधान पूर्व लाभ	2.36	(17.73)	12.36
12	कराधान का प्रावधान	0.74	0.00	5.8
13	कराधान पश्चात लाभ	1.62	(17.73)	6.56
14	प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0
15	शेयरधारिता %	51.00%	50.22%*	50.01

* ई आई एल के माध्यम से शेयरधारिता प्रतिशत 50.01 और सीधे 0.21%

1 सहायक कंपनियों का नाम, जहाँ प्रचालन अभी शुरु होना है — शून्य

2 सहायक कंपनियाँ, जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया अथवा जिन्हें बेच दिया गया — शून्य

भाग 'बी' सहयोगी कंपनियाँ व संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों व संयुक्त उद्यमों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

क्र.सं.	विवरण	रिनमॉयल फेर्रो एलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी (प्राइवेट) लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि जैसा ही अर्थात 31 मार्च 2017		
2	वर्ष के अंत तक कंपनी द्वारा			
	सहयोगी/संयुक्त उद्यमों में रखे गये शेयर	100000	336357143	3400000
	सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (करोड़ रुपये)	0.10	336.35	3.40
	शेयरधारिता %	50.00%	26.47%	50.00%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	संयुक्त उद्यम	सहयोगी कंपनी	संयुक्त उद्यम
4	सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम को समेकित न किये जाने का कारण	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुरूप शेयरधारिता का स्रोतजन्य निवल मूल्य (करोड़ रुपये)	0.07	540.67	3.40
6	वर्ष के दौरान लाभ/हानि (-)			
	i. समेकन हेतु विचारगत	-0.03	-17.82	शून्य
	ii. समेकन हेतु जिन्हें विचार में नहीं लिया गया	-0.02	-49.50	शून्य

1 सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम, जहाँ प्रचालन अभी शुरु होना है -

(i) रिनमॉयल फेर्रो एलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड

(ii) आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी (प्राइवेट) लिमिटेड

2 सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम, जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया अथवा जिन्हें बेच दिया गया - शून्य

कृते निदेशक मंडल व उनकी ओर से

ह/-
(पो मधुसूदन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ह/-
(वी वी वेणुगोपाल राव)
निदेशक (वित्त)
एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(दीपक आचार्य)
कंपनी सचिव

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक : 01-09-2017

निदेशक प्रतिवेदन का अनुलग्नक - 9

राव व कुमार
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

मेसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

भारतीय लेखाकरण मानक समेकित वित्तीय ब्यौरे का प्रतिवेदन

हमने मेसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (अब से "स्वामित्व कंपनी" के रूप में संदर्भित) और इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों (स्वामित्व कंपनी एवं इसके अनुषंगी कंपनी तथा संयुक्त उद्यम के सामूहिक रूप से "समूह" कहलाएंगे, जिसमें मेसर्स ईस्टर्न इंवेस्टमेंट लिमिटेड (ई आई एल) अपनी अनुषंगियों (मेसर्स ओड़िशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओ एम डी सी), (मेसर्स विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (वी एस एल सी) एवं (मेसर्स बोर्रया कोल कंपनी लिमिटेड), और इसकी सहयोगी कंपनियाँ (मेसर्स बुर्राकुर कोल कंपनी लिमिटेड) व (मेसर्स करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड) तथा स्वामित्व कंपनी के संयुक्त उद्यम, (मेसर्स रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड) तथा (मेसर्स आर आई एन एल पॉवरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड), और इसकी सहायक कंपनी मेसर्स इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिलाकर **31** मार्च **2017** तक के समेकित तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ-हानि का समेकित विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण और तब समाप्त वर्ष में इक्विटी में बदलाव के विवरण, और विशिष्ट लेखाकरण नीतियों के सारांश तथा व्याख्या योग्य अन्य जानकारियों (जो अब "समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित है) का लेखाकरण किया।

समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम **2013** (अब "अधिनियम" के रूप में उल्लिखित) की आवश्यकता के अनुरूप, अन्य समग्र आय सहित, इक्विटी में बदलाव विवरण एवं समूह के अपने सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के समेकित नकद प्रवाहों तथा कंपनी नियम (लेखा), **2014** की धारा **133**, के साथ पठित नियम **7** के अनुरूप लेखाकरण मानक के विनिर्दिष्ट मानकों सहित एवं सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। जैसा कि उपर कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा; पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव और धोखाधड़ी से बचने एवं अन्य अनियमितताओं को पकड़ने; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन करने और उपयोग करने; उचित और दूरदर्शितापूर्ण अनुमान लगाने व फैसले लेने; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबद्ध लेखाकरण दस्तावेजों की परिशुद्धता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी ढंग से प्रचलित हों, और जो सही व निष्पक्ष विवरण देते हों तथा तथ्यपरक विवरण की त्रुटि, चाहे किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हो, उससे मुक्त हों, को बनाए रखने के तौर तरीकों को अपनाने एवं उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कंपनी के संबद्ध मंडल के निदेशकों की है, जो समूह में शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण के संबंध में राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा करते समय, हमने अधिनियम के प्रवधानों, लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण मानकों तथा इसके लिए बनाए गए अधिनियम के प्रवधानों और नियमों के अनुरूप जो तथ्य शामिल किए जाने हैं उनका ध्यान रखा है।

हमने अधिनियम की धारा **143** (**10**) में विनिर्देशित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा आयोजित की है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की ऐसी योजना बनाएं एवं उसका निष्पादन इस ढंग से करें, ताकि समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण सभी प्रकार से त्रुटिहीन हो एवं इसके लिए उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो सके।

लेखापरीक्षा में क्रियान्वित प्रक्रियाएं, समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण में राशियों एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरणों के संबंध में लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए होती हैं। वित्तीय विवरणों में प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय के आधार पर चयनित की जाती हैं, जिसमें जोखिमपूर्ण मूल्यांकन सहित समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण में तथ्यपरक त्रुटियाँ, चाहे वे धोखेबाजी अथवा गलती से हों, समाहित होती हैं। उन जोखिमों का आकलन करते समय, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कंपनी के पास प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संचालन हेतु पर्याप्त नियंत्रण उपायों के प्रति अपना मंतव्य रखने के बजाय हम, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के अभिकल्प की परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं उन्हें उपयुक्त मानते हैं। लेखापरीक्षा में उपयोग की जानेवाली लेखाविधि नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रस्तुत लेखा अनुमान की विश्वसनीयता के साथ-साथ समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण के पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण हेतु हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे अन्य मामलों के अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (ए) से संदर्भित प्रतिवेदन हेतु अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी मान्य राय हेतु पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मान्य राय का आधार:

(1) मेसर्स ईस्टर्न इंवेस्टमेंट लिमिटेड (मेसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) के संदर्भ में

ए. कंपनी अधिनियम 2013 के एस.177 और कंपनी नियम के (मंडल की बैठक व उसकी शक्तियाँ) 2014 के नियम 6 व 7 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को एक लेखा समिति का गठन करना होता है, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी ने लेखा समिति का गठन नहीं किया है।

बी. कंपनी के पास भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के 10 रुपए/शेयर की दर वाले 0.33 लाख मूल्य के 200 शेयर हैं। हालाँकि इन शेयरों का प्रत्यक्षीकरण नहीं किया गया है, अत: ऐसे मूल शेयरों के बाजार मूल्य के संबंध में आशंका उत्पन्न होती है। यदि उपरोक्त के प्रभाव को लिया गया होता तो वर्ष के लाभ में 0.33 लाख रुपए कम होते।

सी. पश्चिम बंगाल सरकार ने हावड़ा के लारेंस प्रापर्टी बोर्रया में कुल 76.77 एकड़ जमीन में से लगभग 27.58 एकड़ क्षेत्रफल की जमीन का अधिग्रहण किया है तथा शेष जमीन के अधिग्रहण हेतु नोटिस प्राप्त हुई है। जिला न्यायालय ने कंपनी द्वारा इस आवंटन हेतु क्षतिपूर्ति देने की अपील का समर्थन किया है। शेष भू-भाग के अधिग्रहण हेतु शहरी भूमि (सीलिंग व निबंधन) अधिनियम के अनुसार नोटिस प्राप्त हुई है और कंपनी द्वारा उस पर प्रतिरोध किया गया है। वर्तमान में उस भूमि पर स्थानीय निवासियों का कब्जा है और इसीलिए विवरण नहीं दिया गया है।

(2) बोर्रया कोयला कंपनी लिमिटेड, जो मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, वह परिसमापन की स्थिति में है और दिनांक 05 अक्टूबर 2015 को कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप सभी बही खाता और दस्तावेज उसके सरकारी खरीददार के अधिकार में चले गए हैं। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखाकरण मानक 28 के अनुरूप उल्लिखित कंपनी और संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों के खाते तैयार नहीं किए जा सके और समेकित समूह खाते में शामिल नहीं किया जा सके।

मेसर्स दि बुर्राकुर कोल कंपनी लिमिटेड एवं मेसर्स दि करनपुरा डेवलपमेंट लिमिटेड के मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी होने के नाते अभी परिसमापन के अधीन हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक 28 के प्रावधानों के अनुरूप इन संयुक्त ऊद्यमों एवं सहयोगियों में निवेश लेखा समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण में समेकित किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार ईस्टर्न इंवेस्टमेंट लिमिटेड की अनुषंगी मेसर्स दि ओड़िशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी ने मेसर्स ईस्टर्न इंडिया मिनरल्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम बनाया है। भारतीय लेखाकरण मानक 28 के अनुसार इस संयुक्त उद्यम के खाते का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में निवेश होना चाहिए था।

चूँकि भारतीय लेखाकरण मानक 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों के उपरोक्त खातों का समेकन नहीं हुआ है, अत: हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(3) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अनुषंगी मेसर्स ओड़िशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के संदर्भ में:

ए. अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख के साथ-साथ पट्टे का स्वामित्व उपलब्ध नहीं कराया गया।

बी. सितंबर 2010 से कंपनी के खनन पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया गया है और उन खदानों में तभी से खनन कार्य ठप्प पड़ा है। इस भूमि पर बने स्थाई ढ़ाँचों जैसे भवन व अन्य सिविल ढ़ाँचों, सड़कें, रेलवे साइडिंग्स आदि के धारक मूल्य और खनन अधिकार के साथ-साथ ऐसे पट्टे की भूमि और संपत्ति का धारक मूल्य का परिशोधन नवीनीकरण नहीं होने तक नहीं होगा। अत: ब्यौरे के अभाव में ऐसी परिसंपत्तियों की वास्तविक राशि का आकलन नहीं हो सका।

सी. खनन कार्य नहीं होने से खाते में दर्शाए गए संयंत्र, मशीनरी एवं उपस्कर तथा दीर्घकाल से स्पंज आयरन संयंत्र बंद होने के कारण उपयोग में नहीं हैं। इस प्रकार तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों को चालू हालत में लाने के प्रावधान करने की आवश्यकता है।

डी. जिन खदानों का प्रचालन निलंबित है और पट्टे की अवधि का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उनमें पर्याप्त मात्रा में वृहद मरम्मत कार्य चल रहा है। इस प्रकार 43.79 लाख रूपए का व्यय बेकार हो गया प्रतीत हो रहा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

ई. कंपनी ने मेसर्स ईस्ट इंडिया मिनरल्स लिमिटेड (ई आई एम एल) के मामले में प्रबंधन हेतु मेसर्स ऊषा (इंडिया) लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम बनाया है। हालाँकि कुछ समय में ही कंपनी ने उपरोक्त कंपनी के वित्तीय नियंत्रण को खो दिया। मामले पर विवाद चल रहा है और कंपनी की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। कंपनी द्वारा संयुक्त उद्यम में किए गए रुपए 281.10 लाख मूल्य के निवेश की होने वाली हानि को नहीं बताया गया है।

एफ. समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण के लेखाकरण नीति की कथित टिप्पणी 2.5.3 के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया (i) अचल वस्तुसूची का प्रावधान नहीं किया गया है। कच्चेमाल व परिसज्जित माल की वस्तुसूची सन 2009-10 से ही लेखा में धारित है। ओड़िशा सरकार के राज्य खनिज विभाग द्वारा गतिरोध खड़ा

करने से कंपनी ऐसी वस्तुसूची का उपयोग अथवा बिक्री नहीं कर पा रही है। (ii) आगे, पिछले खाते से धारित होने के कारण कच्चेमाल के भंडार को लागत माना गया। (iii) परिसज्जित माल का मूल्यांकन भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) द्वारा दिए गए नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है। (iv) जैसाकि अगले बारह महीनों के दौरान वस्तुसूची में बदलाव अनिश्चित है, अत: इसे चालू संपत्ति नहीं माना जाना चाहिए।

जी. अग्रिम, प्राप्तियों तथा देयों के संदर्भ में बकाए पुष्टि के अधीन हैं। आवश्यकतानुसार पार्टी से सुलह से यदि कोई समायोजन हो तो उसकी पुष्टि अभी निश्चित नहीं है।

मान्य विचार

ऊपर के अनुच्छेद में जिन मामलों में प्रभाव की व्याख्या की गई है, उन्हें छोड़कर हमारे विचार और प्राप्त श्रेष्ठतम जानकारियों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त समेकित भारतीय लेखाकरण मानक विवरण अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप भारतीय लेखाकरण मानक के निम्नलिखित मामलों सहित सूचनाएँ और सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के पुष्टि हेतु सत्य व स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है।

i. 31 मार्च, 2017, को समूह की स्थिति (वित्तीय स्थिति);
ii. इसके लाभ/हानि (अन्य वहुग्राही आय सहित वित्तीय निष्पादन);
iii. इसके नकद प्रवाह और;
iv. उस तिथि को समाप्त वर्ष में इक्विटी में बदलाव।

मामलों पर बल

ए. मेसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड नामक धारक कंपनी के संदर्भ में, हम भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण में हुदहुद तूफान से हुए नुकसान के कारण किए गए व्यय के लेखाकरण के संबंध में की गई टिप्पणी 26 पर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

बी. बोब्ली के औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित फैक्टरी के निमार्ण में देरी के संबंध में है, जो गठन अर्थात 29 जुलाई, 2009 से 8 साल बाद, अभी प्रबंधन के नोट में कहा गया है कि प्रस्तावित इकाई का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। अत: हम समझते हैं कि यह एक जारी चिंतनीय मुद्दा हैं और तदनुसार रिपोर्ट कर रहे हैं।

सी. मेसर्स ओड़िशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी जो मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, उसके पट्टे का नवीनीकरण और ओड़िशा सरकार एवं केंद्र सरकार से जरूरी स्वीकृति नहीं होने के कारण अभी भी खनन कार्य ठप्प पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में खनन कार्य करने के संदर्भ में तथ्यपरक अनिश्चितता का संकेत मिलता है, हालाँकि इस संदर्भ में जारी चिंतनीय मुद्दे को आधार मानते हुए मुख्यत: कंपनी के प्रबंधन द्वारा खदान को चालू करने और उसमें खनन कार्य करने की पहल के मद्देनजर समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

डी. मेसर्स दि ओड़िशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी जो मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अनुषंगी है, के मामले में उसके चालू देयताओं में रुपए 40.86 लाख के संपत्ति कर हेतु प्रावधान के रूप में कुल मिलाकर बकाया संपत्ति कर 509 लाख रुपए, अनिवार्य किराया 365.16 लाख रुपए और बाह्य किराया 102.98 लाख रुपए शामिल है। जरूरी कागजातों के अभाव में देयताएँ अनुमान आधारित हैं।

ई. मेसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों में से एक मेसर्स दि ओड़िशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने संयुक्त उद्यमों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान एस-129 के अनुरूप समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया।

एफ. अनुषंगी कंपनी ओ एम डी सी के वस्तुसूची के मूल्यांकन के संदर्भ में और अनुषंगी कंपनी बी एस एल सी तथा सहयोगी आई सी वी एल के संपत्तियों के मूल्याह्रास के संदर्भ में, कंपनी द्वारा इन बदलावों हेतु पद्धति का निर्धारण नहीं किया गया है और समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

अन्य मामले

ए. हमने मेसर्स ईस्टर्न इनवेस्ट लिमिटेड नामक स्वामित्व वाली कंपनी और इसके अनुषंगी मेसर्स दि ओड़िशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, मेसर्स बोर्रया कोल कंपनी लिमिटेड, मेसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियाँ जैसे कि दि करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, मेसर्स दि बुर्राकुर कोल कंपनी लिमिटेड तथा स्वामित्व वाली कंपनी की सहयोगी कंपनी मेसर्स इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी कंपनी इंटरनेशनल कोल वेंचर्स, मारीशस, आई वी सी एल जांबेजे (मारीशस) लिमिटेड, आई सी वी एल वेंचर्स (मारीशस), प्रोमार्क सर्विसेज लिमिटेड, वेंगा पावर प्लांट (मारीशस) लिमिटेड, आई सी वी एल जांबेजे एल डी ए, (मोजांबिक) और आई सी वी एल की संयुक्त उद्यम मेनास दे वेंगा मारीशस लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी कंपनी मेनास दे वेंगा एल डी ए (मोजांबिक) तथा स्वामित्व वाली कंपनी की अन्य संयुक्त उद्यम कंपनियाँ मेसर्स रिनमॉयल फेर्रो एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड, जिन कंपनियों के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारियों में 31 मार्च 2017 तक समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण में रुपए 1002.92 करोड़ की कुल परिसंपत्तियाँ, कुल राजस्व रुपए 101.52 करोड़ हैं, उसका लेखापरीक्षा नही किया है। समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का निवल हानि रुपए 20.27 करोड़ माना गया है।

ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाओं का लेखाकरण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनका प्रतिवेदन प्रबंधन के द्वारा हमें प्रदान किया

गया और समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के तहत हमारे प्रतिवेदन में जो इन अनुषंगियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं एवं सहयोगियों के संदर्भ में जो राशि व प्रकटीकरण किया गया है, जो उपरोक्त अनुषंगियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं एवं सहयोगियों के संदर्भ में है, वह हमारे विचार में मूलत: अन्य लेखापरीक्षकों के लेखाकरण प्रतिवेदन के आधार पर है।

समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण और नीचे अन्य विधिक व नियामकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपरोक्त मामलों के संदर्भ में कोई संशोधन नहीं किया गया है एवं हमारे किए गए कार्य के प्रति विश्वसनीयता तथा अन्य लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारियों के संबंध हमारी राय भिन्न नहीं है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक जरूरतों का प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143 (3) के आलोक में हम प्रस्तुत करते हैं, कि:

ए. हमने अपनी श्रेष्ठतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी जानकारियाँ एवं स्पष्टीकरण मांगा और प्राप्त किया है।

बी. हमारी राय में, उपरोक्त अनुच्छेद में व्याख्यायित "मान्य राय के आधार पर" को छोड़कर, विधि द्वारा अपेक्षित खाता बही की जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये खाता बही, जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया, उनसे प्राप्त खाता बही, उनके उपयुक्त विवरण जो हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त थे।

सी. समेकित तुलनपत्र, लाभ-हानि का समेकित विवरण तथा समेकित नकद प्रवाह विवरण और इस प्रतिवेदन संबंधी सहमति में शामिल लेखा खाते के इक्विटी में बदलाव के समेकित विवरण तथा जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है उनसे प्राप्त विवरण के साथ खाता बही का विवरण मेल खाता है।

डी. हमारी राय में, उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक प्रतिवेदन विवरण, कंपनी (लेखा) अधिनियम 2014 की धारा-133 के नियम 7 के साथ पठित अनुसार विनिर्देशित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

ई. केंद्र सरकार के दि.21.10.2003 की सूचना सं.जी एस एस आर 829 (ई) द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते।

एफ. कंपनी के वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उसके नियंत्रण के संचालन प्रभाव के संदर्भ में इस प्रतिवेदन के "अनुलग्नक ए" का संज्ञान लिया जाय।

जी. कंपनी नियम (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) 2014, नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अन्य मामलों को शामिल करने के संबंध में हमारी राय और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं हमें प्रदान की गई व्याख्याओं के अनुसार:

i. समूह ने अपने वित्तीय स्थिति पर लंबित अभियोगों के प्रभाव का वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण किया है - वित्तीय विवरण की टिप्पणी 40 देखें;

ii. समूह ने यौगिक ठेका सहित कोई दीर्घकालिक ठेका नहीं दिया है, जिससे कोई प्रत्यक्ष नुकसान हुआ हो।

iii. भारत में शामिल अनुषंगी कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा व संरक्षा निधि के लिए स्थानांतरण हेतु जरूरी राशि स्थानांतरित करने में देरी हुई है।

देरी घटनाक्रम	लाख रु.	स्थानांतरण की देयतिथि	स्थानांतरण की वास्तविक तिथि
अदत्त/2008-09 के अदावी लाभांस (ईस्टर्न इंवेस्टमेंट लिमिटेड)	16.47	04-12-2016	19-01-2017
अदत्त/2008-09 के अदावी लाभांश (ओ एम डी सी लिमिटेड)	34.20	04-12-2016	07-02-2017

IV. कंपनी ने 08 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि हेतु होल्डिंग्स कंपनियों के साथ-साथ बैंकों के विनिर्दिष्ट टिप्पणियों सहित समेकित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप अपना वित्तीय विवरण का आवश्यक प्रकटीकरण किया है और ये सब स्वामित्व कंपनी व अनुषंगी कंपनियों के संरक्षित दस्तावेजों के अनुरूप हैं, समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 43 देखें। हालाँकि इसके स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के संदर्भ में इसके प्रबंधन द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत और कंपनी द्वारा संरक्षित लेखाकरण दस्तावेज के प्रकटीकरण से हम पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके।

2. अधिनियम की धारा 143 (5) की आवश्यकता के अनुरूप हम समूह के लिए "अनुलग्नक -बी," में भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार विवरण प्रस्तुत करते है।

कृते राव व कुमार
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 03089एस

ह/-
(सनदी लेखाकार वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम नं. 18788

दिनांक: 1 सितंबर 2017
स्थान : विशाखपट्टणम

राव व कुमार
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन

स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का अनुलग्नक - ए:

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के संबंध में कंपनी के सदस्यों हेतु अनुलग्नक में संदर्भित अनुसार हम प्रतिपादित करते हैं कि:

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि हेतु कंपनी के समेकित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण के संयोजन के क्रम में हमने मेसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (अब जिसका उल्लेख "स्वामित्व वाली कंपनी' के रूप में होगा) और उस समय तक भारत में जुड़ी उसकी अनुषंगी कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनियों का लेखाकरण किया है। मेसर्स इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों के संदर्भ में उनके भारत के बाहर स्थापित होने के फलस्वरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्तता का मामला प्रयोज्य नहीं है और इस प्रकार यह प्रतिवेदन केवल भारत में जुड़ी कंपनियों से संबंधित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

स्वामित्व वाली कंपनी, उसकी अनुषंगी कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से भारत में स्थापित कंपनियों का संबद्ध निदेशक मंडल, वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण के आंतरिक नियंत्रण हेतु दिशात्मक निदेश के तत्वों के अनुरूप कंपनी द्वारा स्थापित पद्धतियों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करने व उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस दायित्व में डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो कंपनी की नीतियों, उसकी परिसंपत्तियों की रक्षा करते हुए उसमें होने वाले धोखाधड़ी व त्रुटियों रोकता व बचाता हो, लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता को सुव्यवस्थित एवं कारोबार को चलाने की दक्षता सुनिश्चित करता हो तथा अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएँ प्रदान करता हो, शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा करते समय हमने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखाकरण (आई सी ए आई) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखाकरण हेतु जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशात्मक टिप्पणी") और लेखाकरण मानक अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों तथा इसके लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुरूप जो तथ्य शामिल किए जाने हैं उनका ध्यान रखा। जो मानक और दिशात्मक टिप्पणियाँ आवश्यक थीं, लेखाकरण करते समय हमने उनका अनुपालन नैतिकता और योजनाबद्ध तरीके से करते हुए वित्तीय रिर्पोटिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता को स्थापित करके सभी तरह से तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किया।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिर्पोटिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रभावकारिता में लेखाकरण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रणालियां शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय नियंत्रण हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एक समझ बनाना, यथार्थ रूप से मौजूद खामियों के जोखिमों का आकलन करना तथा आकलित जोखिमों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प व संचालन दक्षता की जाँच व मूल्यांकन करना है। जालसाजी अथवा त्रुटियों के कारण भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण के यथार्थ विवरण में गलती के जोखिमों सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय के अनुसार ही हुआ है।

हम विश्वास करते हैं कि कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त साक्ष्य लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यता के संदर्भ में तर्कसंगत आश्वासन और साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण प्रदान करने के लिए तैयार की जाती है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो:

- अभिलेखों का रखरखाव, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उसकी प्रकृति को तर्कसंगत विवरण के साथ सटीक और शुद्धता से दर्शाया जा सके।
- तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन आवश्यक रूप से अभिलेखित हो ताकि साधारणतया स्वीकृत सिद्धांत भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण बने और कंपनी में आने वाली प्राप्ति एवं होने वाले व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्राधिकृत तरीके से हो; और
- अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों का निपटारे के लिए रोकथाम व समय पर पहचान के लिए तर्कसंगत आश्वासन देता हो, जिससे भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण प्रभावित हो सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में अंतर्निहित सीमाओं के कारण सांठ-गांठ अथवा अनुचित प्रबंधन के नियंत्रण करने के साथ-साथ त्रुटियों अथवा धोखाधड़ी के कारण आकड़ों में गलतबयानी व उसकी पहचान न होने की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में किसी भावी मूल्यांकन के आकलनों में परिस्थितियों के बदलाव अथवा नीतियों के अनुसार अनुपालन अथवा प्रक्रियाओं के कारण विकृति आने के जोखिम भी हैं।

राय

हमारी राय में, स्वामित्व कंपनी, उसकी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों तथा सहयोगी कंपनियों के पास सभी प्रकार से वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली है तथा इस प्रकार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखाकरण हेतु जारी दिशात्मक निदेश के अनुसार वित्तीय रिर्पोटिंग के लिए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के लिए स्थापित वित्तीय रिर्पोटिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली **31** मार्च **2017** तक प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

अन्य मामले

भारत में स्थापित एक (**1**) सहायक कंपनी, और दो (**2**) संयुक्त नियंत्रित कंपनियों के मामले में वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का औचित्य व प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में अधिनियम की धारा **143**(**3**)(i) के अधीन हमारे उपरोक्त प्रतिवेदन भारत में स्थापित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।

कृते राव व कुमार
सनदी लेखाकार
एफ आर एन **03089**एस

हस्ताक्षर/-

(सनदी लेखाकार वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम नं. **18788**

दिनांक: **1** सितंबर **2017**
स्थान : विशाखपट्टणम

राव व कुमार
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - बी:

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के संबंध में स्वामित्व कंपनी के सदस्यों हेतु हमारे प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुलग्नक के अनुसार हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अनुरूप निम्नानुसार प्रतिपादित करते हैं:

विवरण:

1) भूमि के मामले में क्या कंपनी के पास स्वामित्व और पट्टे का क्रमश:अधिकार पत्र/पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो कृपया विना पूर्ण स्वामित्व और पट्टा विलेख वाली भूमि का क्षेत्रफल बताएँ।

लेखापरीक्षकों के अभिप्राय:

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड:

भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 3 को छोड़, कंपनी के पास स्वामित्व और पट्टे विलेख भूमि का अधिकार पत्र/पट्टा विलेख है।

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड:

	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	कार्ययोजना
ए	प्रबंधन के द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार कंपनी की भूमि विवादग्रस्त है और अनधिकृत लोगों द्वारा कब्जाई हुई है। कंपनी ने जाँच हेतु हमें भूमि संबंधी अधिकार पत्र नहीं उपलब्ध कराया, भूमि की कीमत रुपए 3.40 लाख (निवल एकमुश्त)को अचल परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।	दिनांक 27-02-2017 को दो सदस्ययी समिति बौरिया, उलुबेरिया के लारेंस प्रापर्टी का दौरा किया। चक्कासी, मौजा-बौरिया, जे एल नं. 4, थाना-बौरिया, जिला हावड़ा में लगभग 49.19 एकड़ जमीन लारेंस इन्वेस्टमेंट एण्ड प्रापर्टी कंपनी लिमिटेड की है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा सी एल बी 396 के अनुसार दि. 4 सितंबर 1984 को सममेलन आदेश से इस भूखंड का मालिकाना हक ई आई एल के पक्ष में दिया है। लेकिन इस संपत्ति का ई आई एल के नाम पर दाखिल खारिज होना अभी शेष है। बौरिया के भूमि अभिलेख प्राधिकारी एवं नगरपालिका प्राधिकारी से मिलकर इस संपत्ति से संबंधित भू-कर व नगरपालिका-कर के भुगतान पर निर्णय लेने और उस पर आगे की कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सदस्यीय एक उप समिति का गठन किया गया है।
बी	प्रबंधन के द्वारा प्रदान की सूचनाओं और व्याख्याओं के अनुसार भूमि जो अचल संपत्तियों के प्रमुख खंड में है वह विवादग्रस्त है। कंपनी ने जाँच हेतु हमें भूमि संबंधी अधिकार पत्र नहीं उपलब्ध कराया, भूमि की कीमत रुपए 29 लाख (निवल एकमुश्त)को अचल परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।	दो सदस्यीय एक समिति दि.29-03-2017 व 30-03-2017 को बिल्डिंग एवं रेलवे साइडिंग के साथ-साथ ब्लॉक एण्ड डेवलपमेंट सोनपोर प्रापर्टी हेतु बी सी सी एल व ई सी एल के कार्यालयों का दौरा किया। उपरोक्त भूमि का अधिकार पत्र ई आई एल के पास मौजूद नहीं हैं। केंडा का सोनपोर प्रापर्टी जिसे अब सोनपोर बाजारी के नाम से जाना जाता है, कोयला धारित (अधिग्रहण एवं विकास)अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एस 06434 पूर्व के तहत उसे 28-08-85 से ई सी एल में मिला दिया गया है। चोरा मंगलपोर नाम से जाना जानेवाला रेलवे साइडिंग अब मेसर्स ई सी एल के साथ है और सोनपोरबाजारी को सेवा प्रदान करता है। ई आई एल की पुस्तक में जो संपत्ति दर्शाई गयी थी, कहा जा रहा है कि उसे वापस ले लिया गया और कोल नेशनलाइजेशन अधिनियम 1972 व 1973 के तहत मेसर्स बी सी सी एल तथा मेसर्स ई सी एल को आबंटित कर दिया गया। फिर भी मेसर्स बी सी सी एल तथा मेसर्स ई सी एल से अभिलेखिय साक्ष्य प्राप्त करना शेष है। मेसर्स बी सी सी एल तथा मेसर्स ई सी एल और आसनसोल एवं धनबाद के निकट कोयला नियंत्रक कार्यालय से संबीधत अभिलेख प्राप्त करने हेतु दो सदस्ययी एक समिति गठित की गई है।
सी	कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और व्याख्याओं के अनुसार, वर्ष के दौरान उसके द्वारा उस भूमि का कोई वास्तविक जाँच सर्वे नहीं किया गया।	---

दि ओड़िशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

स्वामित्व कंपनी के 207.135 एकड़ भूमि का अधिकार पत्र जिसकी पुस्तक मूल्य रुपए 28,020 और 56.372 एकड़ पट्टे वाली भूमि के पट्टा विलेख का पुस्तक मूल्य रुपए 1,96,77,000 है, उसे हमारी जाँच के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया

दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड

6 ब्लॉकों जैसे ब्लॉक-1, ब्लॉक-2, ब्लॉक-3, ब्लॉक-4, ब्लॉक-6 और ब्लॉक-11, में फैले कंपनी (बी एस एल सी) को खनन पट्टा के लिए कुल 1099.303 हेक्टेयर भूमि दी गई थी, जो 29.02.2000 को समाप्त हो गई। तत्पश्चात, ओड़िशा सरकार ने पत्र सं. III(एल डी)/एस एम-77/2013/3861 दिनांक 01.05.2015 एवं उसके बाद पत्र सं.III((एल डी)/एस एम-77/2013/7033 दिनांक 29.07.2015 के तहत 793.043 हेक्टेयर में फैले केवल एक ब्लॉक अर्थात ब्लॉक-11 के लिए पट्टा विलेख हेतु निदेश दिया, क्योंकि कंपनी अन्य ब्लॉकों को ऐसे ही छोड़ रखा था। ब्लॉक-11 के कुल 739.043 हेक्टेयर भूमि में से 571.121 हेक्टेयर सतही भूमि पर खनन व अन्य संबंधित गतिविधियों हेतु सुंदरगढ़ के जिलाधिकारी से खनन अधिकार प्राप्त किया गया। सतही भूमि अधिकार क्षेत्र 571.121 हेक्टेयर में से 104.925 हेक्टेयर भूमि का अधिकार पत्र है। बी एस एल सी को अधिकार पत्र की भूमि पर स्वत्व विलेख (सेल डीड) प्राप्त हुआ। तहसीलदार विरमित्रपुर से 95.277 हेक्टेयर भूमि हेतु दाखिल खारिज (रिकार्ड ऑफ राइट) प्राप्त किया गया है और शेष 9.648 हेक्टेयर अधिकार पत्र की भूमि के दाखिल खारिज की प्रक्रिया चल रही है। 571.121 हेक्टेयर सतही भूमि अधिकार क्षेत्र में से क्रमश: 25.523 हेक्टेयर और 4.722 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमित एवं विवादग्रस्त है। विभिन्न न्यायालयों में निष्कासन के मामले लंबित हैं। पट्टा विलेख तैयार करते समय भुवनेश्वर में स्थित ओड़िशा सरकार के खान विभाग के निदेशक कार्यालय के द्वारा अधिकार पत्र हेतु सर्वेक्षण व सीमांकन कार्य किया गया है। बी एस एल सी के खनन योजना को 2013-18 तक के लिए भुवनेश्वर के आई बी एम, ने अनुमोदन दिया है। जगदा में खनन पट्टा समाप्त हो चुकी एक अन्य 1.522 हेक्टेयर क्षेत्रफल की खनन अधिकार पत्र प्राप्त भूमि है, जो बी एस एल सी के अधिकार क्षेत्र में है।

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी के पास स्वामित्व अथवा पट्टा विलेख की कोई भूमि नहीं है, अत: इस संदर्भ में कुछ सूचित करना नहीं है।

रिनमॉयल फेर्रो एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी के पास स्वामित्व अथवा पट्टा विलेख की कोई भूमि नहीं है, अत: इस संदर्भ में कुछ सूचित करना नहीं है।

आर आई एन एल पॉवरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लमिटेड

अप्रयोज्य क्योंकि तुलन पत्र के समय तक कंपनी के पास कोई भूमि नहीं है।

2) क्या किसी प्रकार के ऋण/उधार/ब्याज आदि की माफी/समाप्ति का कोई मामला है, यदि हाँ तो उसका कारण और राशि।

लेखापरीक्षकों के अभिप्राय:

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड:

वर्ष के दौरान रुपए 36.06 लाख के डूबंत कर्जमाफी का मामला है, जो प्रबंधन के अनुसार जो वसूलने लायक नहीं है। वर्ष के दौरान ऋण/ब्याज माफी का कोई मामला नहीं है। .

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड:

वर्ष के दौरान ऋण/उधार/ब्याज आदि की माफी नही हुई।

दि ओड़िशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

ऋण/उधार/ब्याज आदि की माफी नही हुई।

दीर्घकाल से बकाया संदेहास्पद वसूली हेतु प्रावधान किए गए हैं।

दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड

वर्ष के दौरान ऋण/उधार/ब्याज आदि की माफी नही हुई।

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

ऋण/ब्याज आदि की माफी कोई मामला नही हुई। अत: सूचित करने लायक कुछ नहीं है।

रिनमॉयल फेर्रो एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड

वित्त वर्ष के दौरान ऋण/उधार/ब्याज आदि की माफी नही हुई।

आर आई एन एल पॉवरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लमिटेड

वित्त वर्ष के दौरान ऋण/उधार/ब्याज आदि की माफी नही हुई।

3) क्या अन्य लोगों के पास पड़ी हुई वस्तुसूची और सरकार अथवा अन्य प्राधिकारों से प्राप्त उपहार/अनुदान(नों) हेतु समुचित रिकार्ड रखा जाता है?

लेखापरीक्षकों के अभिप्राय:

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड:

कंपनी में अन्य लोगों के पास पड़ी हुई वस्तुसूची का समुचित रिकार्ड रखा जाता है। हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्ष के दौरान सरकार अथवा अन्य प्राधिकारों से कोई उपहार/अनुदान नहीं प्राप्त हुआ है।

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड:

कंपनी के पास कोई वस्तुसूची नहीं है, अत: कोई टिप्पणी नहीं है।

दि ओड़िशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

उपलब्ध रिकार्डों एवं हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार अन्य लोगों के पास कोई वस्तुसूची शेष/पड़ी हुई नहीं है और लेखारीक्षा की अवधि के दौरान सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड

कंपनी मात्र मरम्मत के उद्देश्य से कभी-कभी वस्तुसूची अन्य लोगों को भेजती है। अन्य लोगों के पास पड़ी हुई वस्तुसूची का समुचित रिकार्ड रखा जाता है।

वर्ष के दौरान सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

अन्य लोगों के पास न कोई वस्तुसूची है और न ही कोई उपहार प्राप्त हुआ है। अत: रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है।

रिनमॉयल फेर्रो एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी के पास कोई वस्तुसूची नहीं है, अत: कोई टिप्पणी नहीं है।

आर आई एन एल पॉवरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लमिटेड

अन्य लोगों के पास न कोई वस्तुसूची है और न ही सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकार से कोई उपहार प्राप्त हुआ है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन उप-निर्देश

1) जाँची गई ग्रेच्युटी और कर्मचारियों के अन्य लाभ के संदर्भ में बीमांकिक देयताओं की गणना के संदर्भ में प्रबंधन के अनुमान और रिपोर्ट क्या समान और तर्कसंगत तथा बीमांकिक मूल्यांकन के लिए मुनीम को दिए गए आँकड़े सही, पूर्ण एवं वैध हैं?

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड:

कंपनी के द्वारा हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार बीमांकित देयताओं और कर्मचारियों के अन्य लाभ की गणना में प्रतिशत बढ़ोत्तरी के संदर्भ में प्रबंधन का अनुमान तर्कसंगत है और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए बीमांकित मूल्यांकन के आँकड़े सही, पूर्ण और वैध हैं।

दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड

ग्रैच्यूटी देयता, अर्जित छुट्टी देयता तथा बीमार छुट्टी देयता के लिए बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है। वेतन में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का अनुमान था। कंपनी के वित्तीय स्थिति के मद्देनजर इस तरह के अनुमान तर्कसंगत हैं। कंपनी के द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन हेतु मुनीम को प्रदान किए गए आँकड़ों के स्रोत कंपनी कर्मचारी डाटा बेस प्राप्त किए गए जो सही, पूर्ण और वैध प्रतीत होते हैं।

कृते राव व कुमार
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 03089एस

हस्ताक्षर/-

(सनदी लेखाकार वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम नं. 18788

दिनांक: 1 सितंबर 2017
स्थान : विशाखपट्टणम

समेकन एवं प्रबंधन के उत्तर के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी

	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	
ए)	सहायक कंपनी मेसर्स बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड के परिसमापन हो जाने एवं आधिकारिक परिसमापक द्वारा कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर, 2005 के आदेश के अनुरूप सभी खाता बही एवं अभिलेखों के अपने अधिकार में लेने के कारण कंपनी के वित्तीय परिणामों के गैर समेकन के तथ्य के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। परिणामस्वरूप, उपरोक्त कंपनी का कोई लेखा न ही तैयार किया गया है और न ही समेकित लेखाओं में दर्ज किया गया है। चूँकि लेखाकरण मानक-23 एवं लेखाकरण मानक-27 के अनुरूप क्रमश: लेखा समेकित नहीं किया गया है, अत: इस पर हम टिप्पणी दर्ज नहीं कर सकते। (आर आई एन एल के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद 2 देखें।)	मेसर्स बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड का परिसमापन हो गया है एवं आधिकारिक परिसमापक द्वारा कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर, 2005 के आदेश के अनुरूप सभी खाता बही एवं अभिलेखों को अपने अधिकार में ले लिया गया है। दि बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड के खाता बही एवं अभिलेखों की अनुपस्थिति में लेखाओं का समेकन नहीं किया जा सका एवं इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।
बी)	ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड की सहयोगी कंपनियाँ दि बुर्राकुर कोल कंपनी लिमिटेड एवं दि करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का परिसमापन होने जा रहा है। हालाँकि सहयोगी कंपनियों में निवेश के लेखाकरण के संबंध में लेखाकरण मानक-23 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण में इन कंपनियों के लेखाओं का समेकन नहीं किया गया है। ऐसे ही ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी ओड़ीशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड ने ईस्ट इंडिया मिनरल्स लिमिटेड के नाम से संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु उषा इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम संबंधी करार किया। इस संयुक्त उद्यम कंपनी के लेखाओं का भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक-27 के अनुरूप समेकन किया जाना चाहिए था। चूँकि लेखाकरण मानक-23 एवं लेखाकरण मानक-27 के अनुरूप क्रमश: लेखा समेकित नहीं किया गया है, अत: इस पर हम टिप्पणी दर्ज नहीं कर सकते। (आर आई एन एल के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद 2 देखें।)	लेखाकरण मानक 23 से 'सहयोगी कंपनियों में निवेश का समेकित वित्तीय विवरण में लेखाकरण' अभिप्रेत है। दि बुर्राकुर कोल कंपनी लिमिटेड एवं दि करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड दोनों में ई आई एल की शेयरधारिता 39.93% है। बुर्राकुर कोल कंपनी लिमिटेड एवं दि करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड दोनों में निवेश का निवेश से संबंधित नोट सं.10 में प्रकटीकरण किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुन:संरचना योजना के अनुरूप संदर्भित दोनों कंपनियाँ प्रचालन क्षमता की दृष्टि से बंद होनेवाली हैं। न्यायालय के आदेश के अनुसार दि बुर्राकुर कोल कंपनी लिमिटेड एवं दि करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का परिसमापन किया जा चुका है। ई आई एम एल का मामला कंपनी कानून मंडल एवं उच्च न्यायालय के विचाराधीन में है, अत: वित्तीय विवरण ओ एम डी सी में उपलब्ध नहीं हैं। ई आई एम एल सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, अत: सूचीबद्धता करार के प्रावधान लागू नहीं होते।
सी)	कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं कंपनी (मंडल की बैठक एवं उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 व 7 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा लेखापरीक्षा समिति का गठन किया जाना होगा। लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी द्वारा कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई है। (आर आई एन एल के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद 1 (ए) देखें।)	20.10.2013 से स्वतंत्र निदेशकों की सेवावधि की पूर्ति पश्चात ई आई एल के मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। अत:, लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया। ई आई एल के एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं। हमारी कंपनी भारत सरकार से मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध कर रही है। मामला प्रक्रियाधीन है।

डी)	कंपनी, भारत एर्थ मूवर्स लिमिटेड में प्रत्येक 10 रुपये का 200 शेयर रखती है, जिनका मूल्य 0.33 लाख रुपये लगाया गया। हालाँकि ऐसे शेयरों का अभी डीमेटीरियलाइज नहीं हुआ है, अत: ऐसे वास्तविक शेयरों के बाजारी मूल्य के प्रति संदेह व्यक्त किये जा रहे हैं। उपरोक्त प्रभाव के कारण वर्ष के दौरान लाभ 0.33 लाख रुपये तक कम हुआ है। (आर आई एन एल के लेखापरीक्षा प्रतिवदेन का अनुच्छेद 1(बी) देखें।)	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स में डीमैट खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। जितना जल्दी डीमैट खाता खोला जाएगा, भारत एर्थ मूवर्स लिमिटेड के शेयर अमर्तिकृत किए जाएँगे।
ई)	पश्चिम बंगाल सरकार ने हावड़ा के बौरिया के लारेंस की कुल 76.77 एकड़ भूमि संपत्ति में से लगभग 27.58 एकड़ मापित भूमि का अधिग्रहण किया है और शेष भूमि भाग के अधिग्रहण हेतु सूचना भी मिली। ऐसे अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए कंपनी का अपील भी जिला न्यायाधीश द्वारा समर्थन किया गया तथा नगरीय भूमि (सीमा व विनियम) अधिनियम के तहत शेष भूमि के अधिगहण के लिए नोटीस के रूप में प्राप्त सूचना भी कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया गया है। वर्तमान में यह भूमि स्थानीय आवासियों के कब्जे में अप्राधिकृत रूप में है एवं तत्पश्चात लेखा में उसका प्रभाव नहीं दिखाया गया। (आर आई एन एल के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद 1 (सी) देखें।)	दि.07.03.83 को हावड़ा के जिला न्यायाधीश द्वारा ऐसे अधिग्रहण के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के संबंध में कंपनी के अपील का समर्थन किया गया है। वही खाते में ऐसे अधिग्रहण से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाया गया है। नगरीय भूमि (सीमा व विनियम) अधिनियम के तहत भूमि के शेष भाग के अधिग्रहण के लिए नोटीस के प्राप्त में प्राप्त सूचना के प्रति कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया गया है। शेष भूमि शाश्वत निर्माणों के साथ स्थानीय आवासियों के कब्जे में अप्राधिकृत रूप से है। भूमि राजस्व बकायों के भुगतान के लिए कदम उठाए गए तथा संपत्ति के परिवर्तन के पश्चात आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।
एफ)	पट्टेदारी सहित अचल संपत्तियों के मूल दस्तावेज भी अन्य लेखापरीक्षक को एक सहायक कंपनी दि ओड़िशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड के संबंध में उनकी जाँच के लिए उपलब्ध नहीं किए गए। (आर आई एन एल के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद 3 (ए) देखें।)	ओ एम डी सी के नाम से स्पष्ट रूप से उल्लिखित अभिलेख राजस्व विभाग में उपलब्ध है। खान कार्यालय में प्रति उपलब्ध है। ऐसे अभिलेख के आधार पर ओ एम डी सी द्वारा राज्य सरकार को भूमि कर का भुगतान किया जा रहा है।
जी)	एक सहायक कंपनी के संबंध में दि ओड़िशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड के खनन पट्टे का नवीकरण सितंबर, 2010 से नहीं किया गया है और तब से उन खानों में प्रचालन कार्य भी रोके गए। उपर्युक्त के दृष्टिगत, अन्य लेखापरीक्षक के अभिप्राय से भवन और अन्य सिविल निर्माण, सड़क, रेलवे साइडिंग्स आदि जैसे शाश्वत संरचनाओं के अग्रसारित मूल्य, ऐसे पट्टेसर भूमि निर्माण तथा खनन अधिकारों को भी ऐसे पट्टेदार भूमि तथा संपत्तियों के अग्रसारित मूल्य के साथ ऐसे खनन पट्टों के नवीकरण न होने तक प्रतिशोधन किया गया है। विवरण प्राप्त करने के लिए ऐसी परिसंत्तियों का सटीक मूल्य का आंकलन नहीं किया जा सका। (आर आई एन एल के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद 3 (बी) देखें।)	ऐसे पट्टेदार भूमि में निर्मित भवन, सिविल निर्माण, सड़क, रेलवे साइडिंग आदि जैसे शाश्वत संरचनाओं का अग्रसारित मूल्य खान खोलने और खनन कार्यकलापों को पुन:प्रारंभ करने हेतु तथा 'कार्यशाली संस्था' की भावना से वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा तथा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वर्षों के पहले ही निर्धारितानुसार मूल्यह्रास किया गया।

एच)	एक सहायक कंपनी दि ओड़िशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड के संबंध, खनन प्रचालन को रोकने और अधिक समय से स्पांज लौह संयंत्र के समीप रहने के कारण लेखाओं में दिखाए गए संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर उपयोग में नहीं है। ऐसे तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, चालू स्थिति में परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना के लिए प्रावधान बनाना होगा। (आर आई एन एल के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद **3** (सी) देखें।)	खनन प्रचालन और स्पांज लौह संयंत्रों को रोकने के बावजूद, कंपनी को नियमित अंतरिम में उपस्करों की चालू स्थिति को बनाए रखने के लिए सामान्य तौर पर खर्च करना पड़ता है।
आई)	एक सहायक कंपनी दि ओड़िशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड के संबंध में, जिन खानों का निलंबन किया गया और जिन खानों की पट्टे अवधि का नवीकरण नहीं किया गया, उन खानों के संबंध में वस्तुगत भाग में पूँजीगत कार्य चालू है। मूलसंरचना के लिए **43.79** लाख रुपए की संभावित व्यय के तहत व्यवस्था करनी होगी। (आर आई एन एल के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद **3** (डी) देखें।)	कंपनी माने गए विस्तारण के आधार पर खानों की शुरूआत का अनुमान लगा रहा है। शुरूआत होने पर जारी कार्य के तहत पूँजी को समाप्ति के उपरांत पूँजीगत माना जाएगा। हालाँकि, कंपनी राशि का पुन:आकलन करेगा और यदि आवश्यक हो तो, बाद की अवधि के लिए प्रावधान पर विचार करेगा।
जे)	एक सहायक कंपनी दि ओड़िशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड के मामले में, कंपनी मेसर्स उषा (इंडिया) लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम का गठन किया है, जिसके माध्यम से मेसर्स ईस्ट इंडिया मिनरल्स लिमिटेड (ई आई एम एल) के कार्यकलापों का प्रबंधन किया जाएगा। हालाँकि, समय बीतने पर उपरोक्त कंपनी पर किसी प्रकार का वित्तीय नियंत्रण खो दिया। मामला अभी विवादास्पद है और उपरोक्त कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने रु.**281.10** लाख का संयुक्त उद्यम में अपने निवेश के मूल्य में संभावित हानि की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया। (आर आई एन एल के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुच्छेद **3** (ई) देखें।)	मामला अभी न्यायाधीन है। कंपनी ने मेसर्स ईस्ट इंडिया मिनरल्स लिमिटेड के वित्तीय आंकड़ों में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता को विचार में नहीं लिया। आगे, वित्तीय नियंत्रण की स्थिति, संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि में संभावित हानि तब तक गणन योग्य नहीं है, जब तक कानूनी विवाद का निपटारा नहीं हो जाता है। कंपनी और उषा (इंडिया) लिमिटेड दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन के अनुसरण में और भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अनुमोदन से एक संयुक्त उद्यम ईस्ट इंडिया मिनरल्स लिमिटेड का गठन किया गया। समझौता ज्ञापन के अनुसार, दि.**22.7.1992** को आयोजित विशेष सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन से ई आई एम एल ने प्रदत्त पूँजी के तहत **26%** राशि का आवंटन किया, जो प्रत्येक रु.**10** के अंकित मूल्य के **10** ईक्विटी शेयर का भुगतान किया और प्रत्येक रु.**10** के अंकित मूल्य के **28,11,000** के ईक्विटी शेयर को प्रत्येक के केवल रु.**1** के रूप में भुगतान को प्रारंभिक तौर पर विचार में लिया। ऐसा इसलिए किया गया कि कंपनी कुछ सुविधाओं को प्रयोगार्थ प्राधिकृत करने पर विचार किया, जिसमें ओर साइजिंग और प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने के लिए भूमि का एक हिस्सा का अधिकार शामिल है। इसके लिए ओ एम डी सी द्वारा कोई वित्तीय लागत की जरूरत नहीं है। इस मामले के तहत यह माना जाता है कि संयुक्त उद्यम के लिए कोई वित्तीय भुगतान जरूरी नहीं था। अत:, लेखा में प्रावधान को कानूनी विवाद के निपटान तक टाला जाय।
के)	एक सहायक कंपनी दी ओदिशा खनिज विकास निगम लिमिटेड के मामले में समेकित वित्तीय विवरण के लेखाकरण नीति के नोट सं ए (**5**) के प्रति ध्यान आकर्षित किया जाता है। उपरोक्त नोट में दिये	प्रबंधन में खनन कार्य एवं खनन गतिविधियों को शुरु करने के लिए कदम उठा लिया। कच्चे माल और परिसज्जित सामान के वस्तुसूची को लागत और आई बी एम की कीमतों (लागत/आई बी एम कीमत जो भी कम हो)

	गये नीति के विरुद्ध (i) अचल वस्तुसूची के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। वर्ष **2009-10** से कच्चे माल और परिसज्जित समान के वस्तुसूची को लेखा में अग्रसारित किया गया। ओदिशा सरकार के राज्य खन्न विभाग द्वारा प्रस्तुत अवरोध के कारण कंपनी ऐसी वस्तुसूची का उपयोग व विक्री करने में असमर्थ है। (ii) आगे कच्चे माल की मात्रा को लागत के रूप में विचार में लिया गया जैसे की पहले की लेखाओं में दिखाया गया था। (iii) परिसज्जित वस्तु का मूल्यांकन भारतीय खन्न ब्यूरो (आई बी एम) के अद्यतन प्रतिवेदन में दिये गये कीमत के अनुसार किया गया। आगे चूकि अगले बारह महीनों के अंदर वस्तुसूची के परिवर्तन में कोई निश्चितता नहीं है अत: इसे चालू परिसंपत्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। (आर आई एन एल के लेखा प्रतिवेदन के अनुच्छेद **3** (एफ) का संदर्भ लें)	पर क्रमश: निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए कि खनन गतिविधियां किसी भी समय शुरु हो सकती हैं। चूकि कच्चा माल, परिसज्जित समान जिसे किसी भी वक्त वेचा जा सकता है, अत: उसे अचल समान के रूप में विचार में नहीं लिया गया है।
(एल)	एक सहायक कंपनी दी ओदिशा खनिज विकास निगम लिमिटेड के मामले में अग्रिम, प्राप्य और देय में शेष के मामले में पुष्टि की जानी है। किसी समायोजन का प्रभाव आवश्यकतानुसार वर्तमान में पार्टी की सहमति के साथ समाधान गणन योग्य नहीं है। (आर आई एन एल के लेखा प्रतिवेदन के अनुच्छेद **3** (जी) का संदर्भ लें)	शेष की पुष्टि के संबंध में कंपनी नियमित अंतराल पर और वर्ष के अंत में भी पार्टियों के साथ पत्राचार कर रहा है। पार्टियों से अभी तक पुष्टि प्राप्त नहीं हुई अत: वित्त वर्ष में आदेश पर विचार करते हुए कोई समायोजन नहीं किया गया है।

निदेशक प्रतिवेदन का अनुलग्नक-12

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, हैदराबाद

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
COMMERCIAL AUDIT AND EX-OFFICIO MEMBER,
AUDIT BOARD, HYDERABAD

डीजीसीए/ए/सी/डेस्क/2016-17/आर आई एन एल/1.01(ए)/213 दि.20 सितंबर 2017

सेवा में
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम

विषय: दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं एतद्वारा अग्रेषित करता हूँ कि दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम के समेकित वित्तीय विवराण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 'शून्य' हैं।

2. वार्षिक लेखाओं के साथ टिप्पणी और लेखा परीक्षक प्रतिवेदन कंपनी के शेयरधारकों के सम्मुख प्रस्तुत करने की तारीख सूचित की जाए और बैठक की कार्यवाही की एक प्रति संलग्न की जाए।

3. लेखा परीक्षक प्रतिवेदन के साथ कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा एवं भारत सरकार के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ केंद्र सरकार को भेजने की तारीख की सूचना दी जाए, ताकि उसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके।

4. वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की दस प्रतियाँ समय पर भेजी जाएं।

इस पत्र व संलग्नकों के प्राप्त होने की पावती दी जाए।

भवदीय,

(एल टोचांग)
महा निदेशक

संलग्न: यथोपरि

महालेखाकार का कार्यालय परिसर, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.
A.G.'s Office Complex, Saifabad, Hyderabad - 500 004
e-mail : mabhyderabad@cag.gov.in

Grams : DIRCOMIT Fax : 040-23231318
Phone : 23233315, 23230415

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत धारा 129 (4) के साथ पठित अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के साथ पठित धारा 129 (4)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित धारा 129 (4) के तहत धारा 143 (10) में निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि दि.01 सितंबर 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के पठित धारा 129 (4)अंतर्गत दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम के समेकित वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, उसके अनुषंगी, सहयोगी कंपनियों एवं अनुलग्नक में सूचीबद्ध संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों का अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु उस समाप्त हुए वर्ष हेतु संयुक्त उद्यम कंपनी आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के कार्यकारी दस्तावेजों को देखे बिना और कुछ चुनिंदा लेखांकन अभिलेखों की जांच तक सीमित थी। लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में कोई विशेष मद प्राप्त नहीं हुए जिन पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा सांविधिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कुछ जोड़ा जा सके।

कृते एवं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की तरफ से

(एल टोचांग)
महा निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा,
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल,
हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद
दि.20 सितंबर 2017

अनुलग्नक

सहयोगी कंपनियाँ

1. ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोलकाता और उसकी सहयोगी कंपनियाँ
   (ए) दि ओदीशा खदान विकास निगम, कोलकाता
   (बी)दि बिसरा लाइमस्टोन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता

संयुक्त नियंत्रण हकदारी

1. रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड, वोव्विलि

सहयोगी

1. इंटरनेशनल कोयला वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

दि.31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
I परिसंपत्तियाँ				
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ				
(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	12,919.74	11,936.01	5,766.84
(बी) चालू भारी मरम्मत कार्य	3	7,770.19	6,990.32	11,494.76
(सी) निवेश संपत्ति	4	0.07	0.07	0.08
(डी) गुडविल	5	149.49	149.49	149.49
(इ) अन्य अमूर्त संपत्तियाँ	5	66.47	82.36	98.33
(एफ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	-	2.70	2.57
(जी) निवेशकों द्वारा ईक्विटी की गणना	41	480.04	438.74	371.18
(एच) वित्तीय संपत्तियाँ				
(i) निवेश	6	45.36	59.63	120.64
(ii) ऋण	7	129.41	155.58	183.70
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	287.29	157.68	126.54
(आई) आस्थगित परिसंपत्तियाँ (निवल)	9	233.76	-	-
(जे) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	10	161.09	119.87	174.90
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		22,242.91	20,092.45	18,489.03
चालू परिसंपत्तियाँ				
(ए) वस्तुसूची	11	4,790.86	3,834.16	5,125.64
(बी) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश	6	-	3.00	0.24
(ii) व्यापार प्राप्य	12	881.19	963.57	1,034.10
(iii) नकद और नकद समराशि	13	867.76	853.80	845.40
(iv) ऋण	7	0.29	0.35	0.66
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	307.12	303.13	317.67
(सी) अन्य कर संपत्तियाँ	14	59.69	67.80	103.71
(डी) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	15	623.19	663.69	715.89
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		7,530.10	6,689.50	8,143.31
कुल परिसंपत्तियाँ		29,773.01	26,781.95	26,632.34
II ईक्विटी और देयताएँ				
ईक्विटी				
(ए) ईक्विटी शेयर पूंजी	16	4,889.85	4,889.85	4,889.85
(बी) अन्य ईक्विटी	17			
(i) आरक्षित व अधिशेष	17 (A)	3,842.89	5,127.07	6,847.89
(ii) अन्य व्यापक आय	17 (B)	(51.76)	(16.42)	-
(i) कंपनी के स्वामी को सोतजन्य ईक्विटी		8,680.98	10,000.50	11,737.74
(ii) गैर नियंत्रित ब्याज	42	581.44	590.62	595.50
कुल ईक्विटी		9,262.42	10,591.11	12,333.24
देयताएँ				
गैर चालू देयताएँ				
(ए) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार	18	5,841.71	3,805.48	66.52
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	19	42.90	13.56	51.65
(बी) प्रावधान	20	985.45	872.96	574.09
(सी) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	9	-	210.72	331.86
(डी) अन्य गैर चालू देयताएँ	21	7.71	7.15	6.55
कुल गैर चालू देयताएँ		6,877.77	4,909.87	1,030.67
चालू देयताएँ				
(ए) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार	18	8,048.84	6,585.64	7,444.89
(ii) व्यापार देय	22	1,061.76	752.97	616.33
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	19	3,576.41	3,171.40	4,293.60
(iv) व्युत्पन्न	23	138.38	54.17	31.42
(बी) प्रावधान	20	200.62	155.18	249.06
(सी) अन्य कर देयताएँ	14	32.28	36.79	29.45
(डी) अन्य चालू देयताएँ	24	574.53	524.82	603.68
कुल चालू देयताएँ		13,632.82	11,280.97	13,268.43
कुल देयताएँ		20,510.59	16,190.84	14,299.10
कुल ईक्विटी और देयताएँ		29,773.01	26,781.95	26,632.34

1 से 47 तक का नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(पो मधुसूदन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ह/-
(दीपक आचार्य)
कंपनी सचिव

ह/-
(वी वी वेणुगोपाल राव)
निदेशक (वित्त)
और
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. (एफ आर एन) 003089एस

ह/-
(सी ए वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम सं: 18788

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक: 01.09.2017

दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	नोट्स	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
	आय			
I	प्रचालन से राजस्व	25	12,511.07	10,266.04
II	अन्य आय	26	262.85	350.41
III	कुल आय (I+II)		12,773.92	10,616.45
IV	व्यय			
	खपत की गयी सामग्री की लागत	27	6,939.65	4,136.86
	परिसज्जित वस्तु और जारी कार्य की वस्तु सूची में परिवर्तन	28	(398.04)	1,155.86
	उत्पाद शुल्क		1,277.56	1,143.40
	कर्मचारी लाभ व्यय	29	2,207.30	1,925.47
	वित्तीय लागत	30	767.99	677.54
	मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय	31	663.93	372.74
	अन्य व्यय	32	3,009.98	2,903.06
	कुल व्यय (IV)		14,468.37	12,314.91
V	निवेशकों द्वारा गणना की गई ईक्विटी के लाभ/हानी का हिस्सा	41	(17.85)	(114.87)
VI	कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV+V)		(1,712.29)	(1,813.34)
VII	कर व्यय/(जमा)			
	चालू कर		5.78	7.63
	आस्थगित कर		(427.99)	(97.01)
	पूर्व वर्ष समायोजन		1.41	-
	कुल कर व्यय/(जमा) (VII)	9	(420.80)	(89.38)
VIII	प्रचालन जारी रखने के कारण वर्ष के लिए लाभ/हानि (VI-VII)		(1,291.49)	(1,723.96)
IX	प्रचालन बंद रखने के कारण अवधि में लाभ/हानि		-	-
X	प्रचालन बंद रखने का कर व्यय		-	-
XI	प्रचालन बंद करने से वर्ष के लिए लाभ/हानि (कर पश्चात)(IX-X)		-	-
XII	अवधि के लिए लाभ/हानि (VIII+XI)		(1,291.49)	(1,723.96)
XIII	अन्य व्यापक आय			
	(i) लाभ व हानि में पुन:वर्गीकृत न किए जानेवाले मद			
	(ए) निश्चित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) का पुन: मापन		(53.22)	(69.27)
	(ए) लाभ व हानि में पुन:वर्गीकृत न किए जानेवाले मदों का आय कर	16.48	24.13	
	(ii) लाभ व हानि में पुन:वर्गीकृत किए जानेवाले मद			
	(ए) निवेशकों द्वारा गणना की गई ईक्विटी के अन्य व्यापक आय का हिस्सा	0.86	28.83	
	(बी) लाभ व हानि में पुन:वर्गीकृत किए जानेवाले मदों का आय कर	-	-	
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय कर, निवल आय कर		(35.88)	(16.31)
XIV	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय कर (XII+XIII)		(1,327.37)	(1,740.26)
	लाभ के हकदार:			
	(i) कंपनी के स्वामी		(1,283.58)	(1,719.87)
	(ii) अनियंत्रित ब्याज		(7.91)	(4.09)
	वर्ष के लिए लाभ		(1,291.49)	(1,723.96)
	निम्नलिखित के लिए सोतजन्य अन्य व्यापक आय :			
	(i) कंपनी के स्वामी		(35.34)	(16.42)
	(ii) अनियंत्रित ब्याज		(0.54)	0.12
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		(35.88)	(16.31)
	निम्नलिखित के लिए सोतजन्य कुल व्यापक आय			
	(i) कंपनी के स्वामी		(1,318.91)	(1,736.29)
	(ii) अनियंत्रित ब्याज		(8.46)	(3.97)
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		(1,327.37)	(1,740.26)
XV	प्रत्येक रु10 के लिए ईक्विटी शेयर का अर्जन (हानि)			
	1. मूल (रुपए)	37	(2.62)	(3.52)
	2. डयल्यूटेड (रुपए)		(2.62)	(3.52)

1 से 47 तक का नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह/-
(पो मधुसूदन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ह/-
(दीपक आचार्य)
कंपनी सचिव

ह/-
(वी वी वेणुगोपाल राव)
निदेशक (वित्त)
और
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. (एफ आर एन) 003089एस
ह/-
(सी ए वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम सं: 18788

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक: 01.09.2017

दि.31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

ए.ईक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2015 तक शेष	4,889.85
वर्ष 2015-16 के दौरान ईक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2016 तक शेष	4,889.85
वर्ष 2016-17 के दौरान ईक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2017 तक शेष	4,889.85

बी.अन्य ईक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष						ओसीआई के मद	कंपनी के स्वामी के कुल स्रोतजन्य	एन सी आई के स्रोतजन्य	कुल
	प्रतिधारित आय	पूंजीगत आरक्षित राशि का शोधन	अधिमन्य शेयर शोधन हेतु आरक्षित राशि	पूंजीगत आरक्षित राशि	आरबीआई अधिनियम के अनुसार आरक्षित निधि (विशेष आरक्षित)	सामान्य आरक्षित	ओ सी आई के अन्य मद			
1 अप्रैल 2015 तक शेष	3,907.46	2,637.47	300.00	(0.46)	0.48	2.94	-	6,847.89	595.50	7,443.39
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल समग्र आय										
लाभ व हानि	(1,720.56)	300.00	(300.00)	-	0.15	0.54	-	(1,719.87)	(4.09)	(1,723.96)
अन्य समग्र आय (निवल कर)	-	-	-	-	-	-	(16.42)	(16.42)	0.12	(16.30)
कुल समग्र आय	(1,720.56)	300.00	(300.00)	-	0.15	0.54	(16.42)	(1,736.29)	(3.97)	(1,740.26)
लाभांश वितरण कर सहित लाभांश	(0.95)	-	-	-	-	-	-	(0.95)	(0.91)	(1.86)
31 मार्च 2016 तक शेष	2,185.95	2,937.47	-	(0.46)	0.63	3.48	(16.42)	5,110.65	590.62	5,701.27
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कुल समग्र आय										
लाभ व हानि	(1,284.01)	-	-	-	0.09	0.34	-	(1,283.58)	(7.91)	(1,291.49)
अन्य समग्र आय (निवल कर)	-	-	-	-	-	-	(35.34)	(35.34)	(0.54)	(35.88)
कुल समग्र आय	(1,284.01)	-	-	-	0.09	0.34	(35.34)	(1,318.91)	(8.46)	(1,327.37)
लाभांश वितरण कर सहित लाभांश	(0.60)	-	-	-	-	-	-	(0.60)	(0.72)	(1.32)
31 मार्च 2017 तक शेष	901.34	2,937.47	-	(0.46)	0.72	3.82	(51.76)	3,791.13	581.44	4,372.58

1 से 47 तक का नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
(पो मधुसूदन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ह/-
(वी वी वेणुगोपाल राव)
निदेशक (वित्त)
और
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. (एफ आर एन) 003089एस
ह/-
(सी ए वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम सं: 18788

ह/-
(दीपक आचार्य)
कंपनी सचिव

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक: 01.09.2017

दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का समेकित विवरण

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व)	(1,712.29)	(1,813.34)
समायोजन में:		
मूल्यह्रास और ऋणमोचन व्यय	663.93	372.74
वित्तीय लागत	767.99	677.54
निवेशकों द्वारा ईक्विटी की गणना के (लाभ)/हानि का हिस्सा	17.85	114.87
बैंकों से प्राप्त ब्याज आय	(0.28)	(0.29)
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर (लाभ)हानि	(0.52)	(0.34)
एफ वी टी पी एल के रूप में वित्तीय निवल (लाभ)हानि	84.22	22.74
परिसंपत्ति और देयताओं में परिवर्तन के पहले प्रचालन लाभ	**(179.11)**	**(626.08)**
परिसंपत्ति और देयताओं में परिवर्तन:		
वस्तुसूची में (वृद्धि)/कमी	(956.70)	1,291.48
व्यापार प्राप्य और ऋणों में (वृद्धि)/कमी	108.62	98.96
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(133.61)	(16.60)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	40.51	52.20
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(41.21)	55.02
व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी	308.79	136.64
अन्य वित्तीय देयताओं में (वृद्धि)/कमी	144.83	82.31
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	104.72	135.72
गैर-चालू देयताओं में (वृद्धि)/कमी	0.56	0.60
अन्य -चालू देयताओं में (वृद्धि)/कमी	49.70	(78.84)
प्रचालन कार्यकलापों से उत्पान्न/(उपयोग में) निवल नकद	**(552.91)**	**1,131.41**
भुगतान किया गया आय कर (वापसी का निवल)	(4.48)	50.89
प्रचालन कार्यकलापों से उत्पन्न/(उपयोग में)निवल नकद (ए)	**(557.39)**	**1,182.30**
निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का अर्जन	(2,202.95)	(1,650.99)
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री से प्राप्ति	0.65	0.40
बैंकों से प्राप्त ब्याज	0.28	0.29
सावधि जमा में निवेश	(7.95)	(24.82)
निवेश का अर्जन	(41.03)	(95.35)
निवेश कार्यकलापों से उत्पन्न/(उपयोग में) निवल नकद (बी)	**(2,251.00)**	**(1,770.47)**
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
दीर्घकालिक उधार से (भुगतान) प्राप्ति	2,352.13	2,599.29
अल्पकालिक उधार से (भुगतान) प्राप्ति	1,463.20	(859.25)
प्रदत्त अंतरिम लाभांश	(1.32)	(1.86)
अधिमान्य शेयरों का पुन: भुगतान	-	(300.00)
प्रदत्त ब्याज	(999.60)	(866.44)
वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न/(उपयोग में) निवल नकद (बी)	**2,814.41**	**571.74**
नकद में निवल कमी और नकद सम (ए+बी+सी)	6.02	(16.43)
1 अप्रैल में नकद एवं नकद सम	39.62	56.05
31 मार्च में नकद एवं नकद सम	**45.64**	**39.62**
तुलन पत्र के अनुसार नकद का समाधान और नकद सम	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
नकदप्रवाह विवरण के अनुसार नकद एवं नकद सम	45.64	39.62
उपर्युक्त में अन्य बैंकों के शेष को विचार में नहीं लिया गया		
- 3 महीनों से ज्यादा परिपक्वता के साथ बैंक जमा	807.61	795.45
- 12 महीनों से ज्यादा परिपक्वता के साथ बैंक जमा	1.00	6.31
- प्रतिबंधित शेष	13.51	12.42
तुलन पत्र के अनुसार नकद एवं नकद सम	867.76	853.80

भारतीय लेखाकरण मानक 107 के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति में नकद प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
1 से 47 तक का नोट वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(पो मधुसूदन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ह/-
(वी वी वेणुगोपाल राव)
निदेशक (वित्त)
और
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(दीपक आचार्य)
कंपनी सचिव

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स राव व कुमार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. (एफ आर एन) 003089एस
ह/-
(सी ए वी वी राम मोहन)
भागीदार
एम सं: 18788

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक: 01.09.2017

31 मार्च 2017 का समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

1. कंपनी परिदृश्य

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भारत में स्थापित एक कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी), विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश है। इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी का और इसके सहायक कंपनियों (समूह के रूप में संदर्भित) और सहायक एवं संयुक्त उद्यम कंपनियों में समूह के स्वामित्व का विवरण शामिल है। समूह मुख्यत: इस्पात व इससे संबंधित उत्पादों के उत्पादन से जुड़ा है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

2.1 तैयारी का आधार

वित्तीय समेकित विवरण, ऐसे कुछ वास्तविक वित्तीय घटकों को छोड़कर, जिनका उचित मूल्य पर मापन किया जाता है, प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत भारतीय लेखाकरण मानक ("Ind AS") तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप बनाये गये हैं।

2.2 कार्यकारी व प्रस्तुत मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण रुपए मुद्रा में दिखाया गया है जो कंपनी का कार्यकारी मुद्रा है और प्रमुख आर्थिक परिवेश की मुद्रा है, जिसमें कंपनी का प्रचालन होता है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय विवरणों को शेयर तथा प्रति शेयर आंकड़े को छोड़कर निकटतम करोड़ तक समायोजित किया गया है।

2.3 प्राक्कलनों का उपयोग व निर्णय

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्राक्कलन तथा पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता है, जिनका परिसंपत्तियों व देयताओं के संबंध में वित्तीय विवरण की तिथि पर दर्ज राशि एवं आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्ट करने की अवधि के दौरान राजस्व व व्ययों की राशि पर प्रभाव पड़ता है। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं तथा वास्तविक परिणामों एवं प्राक्कलनों के बीच अंतर को अवधि के अंदर पहचाने गये है, जिसमें परिणाम की जानकारी है/समायोजित की गई है।

2.4 समेकन का आधार

ए. व्यापार संयोजन

दि.1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात व्यापार संयोजन (सामान्य नियंत्रित व्यापार संयोजन को छोड़ते हुए)

भारतीय लेखाकरण मानक में परिवर्तन के अंश के रूप में समूह ने संबद्ध भारतीय लेखाकरण मानक को लागू करने का निर्णय लिया। दि.1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात गठित व्यापार संयोजनों के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 103 को अपनाया गया। नियंत्रण को समूह के प्रति स्थानांतरित करने के पश्चात भारतीय लेखाकरण मानक 103 के अनुसार समूह ने अधिग्रहण पद्धति का उपयोग करते हुए इन व्यापार संयोजनों का लेखाकरण किया गया। व्यापार संयोजन के लिए परिवर्तित पद्धति सामान्यत: अंकित मूल्य पर माफी जाती है। व्यापार संयोजन के लिए हस्तांतरित पद्धति को सामान्यत: उचित मूल्य पर पहचाने योग्य निवल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की नियंत्रण प्राप्ति (प्राप्ति ताारीख) की तारीख को मापन किया जाता। इस प्रक्रिया से प्राप्त सुनाम का विश्लेषण वर्ष में हानि के संबंध में किया जाता है। क्रय में समायोजन से प्राप्त किसी प्रकार के लाभ को ओ सी आई के रूप में दिखाया गया है और पूंजीगत रिजर्व के रूप में ईक्विटी में संचित किया गया है। क्रय समायोजन के परिणाम स्वरूप स्पष्ट कारण और साक्ष्य उपलब्ध होने पर व्यापार संयोजन का वर्गीकृत किया जाता है। अन्यथा लाभ को पूंजीगत रिजर्व के रूप में ईक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है। लेनदेन लागत को ऋण की जारी या ईक्विटी प्रतिभूतियों से संबंधित स्तर तक छोड़ते हुए अर्जन के रूप में व्यय में दिखाया गया।

अधिग्रहणकर्ता के साथ पूर्व स्थित संबंध के निपटान से संबंधित राशि हस्तांतरण पद्धति में शामिल नहीं है। ऐसी राशि सामान्य रूप से लाभ व हानि के रूप में दिखायी गयी।

किसी भी प्रकार के आकस्मिक मदों का मापन अधिग्रहण की तारीख को उचित मूल्य पर किया जाता है। यदि आकस्मिक मद ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत वित्तीय लिखत की परिभाषा से मेल खाता तो उसे दायित्व के रूप में चुकाना पड़ता है। तब तदनुसार उसका पुन:मापन नहीं किया जाता और ईक्विटी के अंतर्गत निपटान की गणना की जाती है। अन्य आकस्मिक मदों का प्रत्येक की रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर पुन:मापन किया जाता है और आकस्मिक मद के उचित मूल्य में परिवर्तन के मामले में उसे लाभ व हानि में दिखाया जाता है।

यदि कोई व्यापार संयोजन चरणबद्ध तरीके से संचालित हों तो, कोई पुराने अधिग्रहणकर्ता के पूर्व ईक्विटी स्वामित्व का पुन:मापन उनके अधिग्रहण की तारीख के उचित मूल्य पर किया जाता है और फलस्वरूप प्राप्त अधिलाभ या हानि को उपयुक्तानुसार लाभ व हानि या अन्य संचित आय में दिखाया जाता है।

दि.1 अप्रैल 2014 के पूर्व के व्यापार संयोजनाएँ

ऐसे व्यापार संयोजनाओं के संबंध में, सुनाम पहचानी गयी उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय जी ए ए पी के तहत निर्दिष्ट अमूर्त मदों के पुन:वर्गीकरण के लिए समायोजित समूह के पूर्व लेखाकरण पद्धति के अधीन है।

बी. सहायक कंपनियाँ :

आर आई एन एल अपने स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन संस्थाओं का समेकन करता है। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में नियंत्रण प्रारंभ तारीख से तब तक शामिल किए जाते हैं, जब तक कंपनी का नियंत्रण समाप्त नहीं होता है।

सी. गैर-नियंत्रित स्वामित्व

अधिग्रहण की तारीख से पहचाने योग्य निवल परिसंपत्तियों को अधिग्रहणकर्ता के हिस्से के अनुपात के अनुसार एन सी आई का मापन किया गया।

डी. नियंत्रण का नुकसान

जब समूह सहायक कंपनी पर अपना नियंत्रण खोता है, तब सहायक कंपनी की परिसंपत्तियाँ और देयताएँ एवं एन सी आई से संबंधित कोई तथा ईक्विटी के अन्य घटक नहीं दिखाए जाते हैं। पूर्व सहायक कंपनी में रोक रखी गयी कोई हिस्सा हों तो, उसे नियंत्रण की समाप्ति की तारीख के उचित मूल्य पर मापित किया जाता है। संभावित कोई अभिलाभ या नुकसान को लाभ व हानि में दिखाया जाता है।

ई. ईक्विटी में लेखांकित निवेश

समूह का ईक्विटी में लेखांकित निवेशक में स्वामित्व के तहत सहायक और संयुक्त उद्यम में स्वामित्व शामिल हैं। ईक्विटी पद्धति का उपयोग करने हेतु सहायक और संयुक्त उद्यम के स्वामित्व को शामिल किया गया है। प्रथमत: उसे लागत के रूप में दिखाया गया, जिसमें लेनदेन लागत शामिल है। तदुपरांत प्रारंभिक पहचान के लिए, समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के लाभ व हानि का हिस्सा शामिल है एवं ईक्विटी में लेखांकित निवेश को अन्य संचित आय का महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण स्थगन की तारीख तक गणना किया गया है।

एफ. समेकन पर हटाए गए लेनदेन

अंतर समूह शेष और लेनदेन और अंतर समूह लेनदेन से उत्पन्न कोई अप्राप्त आय और व्यय को हटाया गया। समूह में निवेशक के स्वामित्व के स्तर तक निवेशन के विरुद्ध निवेशकों के ईक्विटी में लेखांकित निवेश के साथ लेनदेन से उत्पन्न अप्राप्त अभिलाभ का हटाया गया। अप्राप्त हानि का भी अप्राप्त अभिलाभ के अनुसार उस स्तर तक हटाया, जहाँ तक ह्रास का कोई प्रमाण प्राप्त न हो।

2.5 वस्तुसूची

2.5.1 वस्तुसूची का मूल्य, कम लागत एवं निवल प्राप्त मूल्य पर लगाया गया है।

2.5.2 लागत निर्धारण का आधार :

ए) परिसज्जित/अर्द्ध-परिसज्जित उत्पाद, कच्चामाल - आवधिक भारित औसत लागत

बी) गौण कच्चेमाल, भंडार व हिस्से-पुर्जे (जो पी पी ई की पूर्ति नहीं करते हों) फुटकर औजार - गतिशील भारित औसत लागत

सी) परिवहन के अधीन सभी सामग्री की लागत

2.5.3 अप्रचलित/अधिशेष/अचल वस्तुसूची के आवश्यक प्रावधान बनाये गये।

2.6 संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर (पी पी ई)

2.6.1 ए) कंपनी द्वारा 01 अप्रैल 2015 तक अपना प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार करते समय पिछले जी ए ए पी मूल्य को 'अनुमानित लागत' के रूप में अपनाया गया है।

(बी)संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर का मूल्य संचित मूल्यह्रास व हानि को छोड़कर लगाया गया।

2.6.2 संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) उनका क्रय मूल्य;

(ii) परिसंपत्ति के अपेक्षित स्थान तक परिवहन एवं प्रबंधन द्वारा अपेक्षित अनुसार उसकी प्रचालन योग्य स्थिति हेतु कोई भी प्रत्यक्ष लागत;

(iii) मद को विघटित करके उसे हटाने एवं जहाँ पर मद लगा हो, उस क्षेत्र की पूर्वावस्था की प्राप्ति की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन, परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय अथवा किसी खास अवधि की वस्तुसूची के उत्पादन से भिन्न आशय हेतु उस अवधि में परिसंपत्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा किया गया व्यय कंपनी का दायित्व होता है;

(iv) निवल राजस्व में से संयंत्र की किसी विशेष इकाई के निर्माण, ट्रायल रन व्यय के मामले में प्रत्यक्ष रूप से दिखाये जाने योग्य/व्यय की जाने योग्य राशि।

2.6.3 पी पी ई के किसी मद की आंशिक प्रतिस्थापना की लागत स्वीकार्यता मापदंड की पूर्ति की शर्त पर संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के मद की अग्रसारित राशि के अंतर्गत दिखाई जाती है। परिणामस्वरूप, प्रतिस्थापित अंश की अग्रसारित राशि को दिखाया नहीं जाता।

2.6.4 संयंत्र की किसी विशेष इकाई के निर्माण के मामले में प्रत्यक्ष रूप से दिखाये जाने योग्य/व्यय किये जाने योग्य राशि को पी पी ई के आवंटन हेतु 'निर्माण के दौरान व्यय' के अधीन रखा जाता है और 'चालू भारी मरम्मत कार्य' के अधीन दिखाया जाता है।

2.6.5 संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर संबंधी मापदंड की पूर्ति करनेवाले सभी प्रमुख हिस्से-पुर्जो, वैकल्पिक उपस्कर, एवं सर्वीसिंग उपस्कर का पूँजीकरण किया जाता है।

2.6.6 मूल्यह्रास:

संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के प्रत्येक मद की अनुमानित उपयोगी कार्य- क्षमता के स्ट्रेट-लाइन आधार पर मूल्यह्रास दिखाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी कार्य -क्षमता एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा की जाती है एवं जहाँ पिछले आंकलनों की तुलना में आकलनों में अंतर पाया जाता हो, वहाँ उसके अनुरूप लेखाकरण प्राक्कलन में परिवर्तन किया जाता है।

2.7 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

2.7.1 संचित ऋणमुक्ति एवं नुकसान में से लागत को घटाकर अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमान लगाया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी कार्य-क्षमता की स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर ऋणमोचन किया जाता है।

2.7.2 सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के मामले में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके अवशिष्ट मूल्य व उपयोगी कार्य-क्षमता की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो लेखाकरण प्राक्कलनों में उन्हें दिखाया जाता है।

2.7.3 व्यापार संयोजन से उत्पन्न सुनाम का परिशोधन नहीं किया गया और वार्षिक ह्रास के लिए परीक्षण किया गया। तदुपरांत कम लागत पर संचित नुकसान ह्रास का मापन किया गया।

2.8 परिसंपत्तियों का अन्वेषण व मूल्यांकन (ई व ई परिसंपत्तियाँ)

2.8.1 अन्वेषण व मूल्यांकन संबंधी व्यय में भूमि के अन्वेषण के विधिक अधिकार की प्राप्ति पश्चात एवं तकनीकी साध्यता व खनिज संसाधन की प्राप्ति संबंधी वाणिज्यिक कार्य क्षमता के पूर्व निम्नलिखित हेतु प्रत्यक्ष रूप से होनेवाली लागत शामिल है:

- मौजूदा अन्वेषण आंकड़े से संबंधित अनुसंधान व विश्लेषण;
- भूवैज्ञानिक अध्ययन, अन्वेषण योग्य ड्रिलिंग व सैंपलिंग का निर्वहण;
- निकास व उपचार पद्धतियों की जाँच व परीक्षण; और/अथवा
- पूर्व साध्यता व साध्यता अध्ययन का समेकन

2.8.2 अन्वेषण व मूल्यांकन संबंधी व्यय को तब तक व्यय ही माना जाता है, जब तक ब्याज, अथवा वैकल्पिक तौर पर बिक्री के माध्यम से सफल विकास व दोहन के तौर पर उसके उपयोग की अपेक्षा की जाती है। ऐसे मामले में उसे एक परिसंपत्ति माना जाता है।

2.8.3 अन्वेषण व मूल्यांकन परिसंपत्तियों का उनकी प्रकृति के अनुरूप मूर्त (संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अंतर्गत) अथवा अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तब तक नहीं किया जाता, जब तक कि उन्हें अन्वेषण व मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में नहीं दिखाया जाता। ये परिसंपत्तियाँ सी डब्ल्यू आई पी के अधीन जारी रहेंगी और एक बार अन्वेषण व मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में पहचाने जाने पर उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

2.8.4 पूँजीकृत मूल्यांकन व्यय के अग्रसारित मूल्य में कमी हेतु प्रबंधन द्वारा सालाना उसकी समीक्षा की जाती है।

2.9 सहायक व संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक व संयुक्त उद्यमों में निवेश की लागत के आधार पर गणना की जाती है। अस्थाई से भिन्न, मूल्य में कमी की जाती है।

2.10 वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स (वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं वित्तीय देयताएँ):

सभी वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स की शुरुआत में उचित मूल्य पर गणना की जाती है। वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स का वर्गीकरण व्यापार में उसके उपयोग के उद्देश्य के आधार पर निर्भर करता है। परवर्ती मापन के आशय हेतु कंपनी के वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, (ए) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स और (बी) व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स

ए) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स

(i) इस खंड के अधीन प्रतिभूति जमा, नकद व नकद सम राशि, कर्मचारी व अन्य अग्रिम, व्यापार प्राप्य एवं योग्य चालू व गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण किया जाता है।

(ii) इस खंड के अधीन ऋण व उधार, विभिन्न पार्टियों से संगृहीत जमा सहित व्यापार व अन्य देय एवं योग्य चालू व गैर-चालू वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण किया जाता है।

(iii) तत्पश्चात वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स को जहाँ भी लागू हो, प्रभावी ब्याज पद्धति (ई आई आर) के उपयोग के माध्यम से नुकसान को कम करते हुए ऋणमोचन लागत के आधार पर अग्रसारित किया जाता है।

(iv) ऋणमोचन लागत पर दिखाये गये वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स के कारण स्वीकार्य लेनदेन लागत को ऐसे इंस्ट्रमेंट्स के उचित मूल्य में शामिल किया जाता है।

(बी) व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स

(i) व्युत्पन्नी वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं को प्रथमत: व्युत्पन्नी संविदा प्रवेश की तिथि से न्यायसंगत मूल्य पर दिखाया जाता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके न्यायसंगत मूल्य के अनुरूप उनका पुन: मापन किया जाता है।

(ii) किसी व्युत्पन्नी परिसंपत्ति व देयता के न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन, आय संबंधी विवरण में तत्काल दिखाया जाता है और अन्य व आय व व्यय में उसे शामिल किया जाता है।

(iii) नकद प्रवाह बचाव: नकद प्रवाह बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी बचाव इंस्ट्रमेंट के न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन अन्य व्यापक आय में दिखाये जाते हैं और बचाव-व्यवस्था की प्रभावी अवधि तक नकद प्रवाह बचाव आरक्षित राशि में ईक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं। न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन, बचाव-व्यवस्था की अप्रभावी अवधि तक लाभ व हानि के विवरण में दिखाये जाते हैं। यदि बचाव-व्यवस्था, लेखाकरण के बचाव संबंधी मापदंड की पूर्ति करने योग्य नहीं रह पाती है तो उसकी अवधि समाप्त की जाती है अथवा उसे बेच दिया जाता है, रद्द किया जाता है अथवा उसका उपयोग किया जाता है, तत्पश्चात संभवत: बचाव लेखाकरण बंद किया जाता है। नकद प्रवाह बचाव आरक्षित में पहले दिखाये गये संचित लाभ व हानि को संबद्ध पूर्वानुमानित लेनदेन के घटित होने पर लाभ व हानि के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है।

2.11 ह्रास

2.11.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(i) कंपनी, निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं ऋण जोखिम खुलासा पर ह्रास के मापन एवं पहचान हेतु प्रत्याशित साख हानि (ई सी एल) नमूने को अपनाती है:

- कर्ज के साधन, यानि वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन ऋण, ऋण सुरक्षा, जमा, और बैंक शेष, जहाँ भी ऋण मोचन लागत लागू हो, पर किया जाता है।
- व्यापार प्राप्य

(ii) कंपनी व्यापार प्राप्य, जिसका कोई विशेष वित्तीय घटक न हो, पर नुकसान भत्ते के ह्रास को पहचानने हेतु 'सरलीकृत पद्धति' अपना रहा है। सरलीकृत पद्धति के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा ऋण जोखिम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी शुरुआती पहचान से लेकर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर लाइफटाइम ई सी एल आधारित नुकसान भत्ते का ह्रास दिखाया जाता है।

2.11.2 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इसका मूल्यांकन किया जाता है कि गैर-वित्तीय परिसंपत्ति अथवा गैर-वित्तीय परिसंपत्ति समूह के ह्रास का कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण है कि नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद हो, तो कंपनी, ह्रास हानि की मात्रा का आकलन करती है।

2.12 लागत पृथक्कीकरण:

अधिभार एवं अपशिष्ट सामग्री को हटाने हेतु किये गये व्यय की प्रकृति में लागत पृथक्कीकरण की गणना निम्नानुसार की गई है:

(ए) तैयार वस्तुसूची के रूप में प्रयुक्त पृथक्कीकरण कार्यविधि से लाभ के प्राप्त होने तक भारतीय लेखाकरण मानक 2, वस्तुसूचियों के सिद्धांतों के अनुरूप उसकी गणना की जाती है।

(बी) इस लाभ से अयस्क की प्राप्ति में सुधार होने तक पृथक्कीकरण गतिविधि को गैर-चालू परिसंपत्ति माना जाएगा।

2.13 आय कर:

आय कर व्यय में चालू व आस्थगित व्यय शामिल हैं। आय कर व्यय तब तक लाभ व हानि विवरण में दिखाया जाता है, जब तक कि वह ईक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से दिखाये गये मदों से संबंधित न हो।

2.14 राजस्व की पहचान

2.14.1 जब स्वामित्व की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ एवं अवसर तथा सामग्री के प्रभावी नियंत्रण, क्रेता के नाम पर हस्तांतरित किये जाते हैं, तब राजस्व को न्यायसंगत मूल्य पर दिखाया जाता है। बिक्री राजस्व का मापन निवल प्रतिलाभ, बट्टे व रिबेट के अनुरूप किया जाता है।

2.14.2 बाह्य अभिकरणों के विरुद्ध दावे की गणना वसूली की निश्चिति पर की जाती है।

2.14.3 सेवा प्रदान करने के माध्यम से उत्पन्न राजस्व को तब तक दिखाया जाता है, जब तक कि सेवा प्रदान की जाती है एवं विश्वसनीय तरीके से उसका आकलन किया जा सकता है।

2.14.4 प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर ब्याज संबंधी आय को दिखाया जाता है।

2.14.5 लाभांश उस समय तक दिखाये जाते हैं, जब उनकी प्राप्ति का अधिकार संपन्न होता हो।

2.14.6 निर्यात प्रोत्साहन, वसूली की निश्चिति पर दिखाये जाते हैं।

2.15 कर्मचारी लाभ

उपदान, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति निपटान लाभ, कर्मचारी परिवार लाभ योजना, छुट्टी भुनाना व दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के प्रावधान/देयताएँ रिपोर्टिंग तिथि के बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किये गये हैं।

(i) परिणामी बीमांकित लाभ/हानि के प्रभार लाभ व हानि विवरण में दिखाये जाते हैं;

(ii) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ (निश्चित लाभ योजना) से संबद्ध बीमांकित लाभ/हानि अन्य व्यापक आय में दिखायी जाती है।

2.16 विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.16.1 विदेशी मौद्रिक मद रिपोर्टिंग तिथि पर रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम दर पर घोषित किये जाते हैं। विदेशी मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से विनिमय दर में उत्पन्न अंतर, लाभ व हानि खाते में दिखाये जाते हैं।

2.16.2 गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों व देयताओं को लेनदेन की तिथि पर विद्यमान विनिमय दर दिखाये जाते हैं।

2.17 उधार की लागत

2.17.1 विशेषक परिसंपत्तियों की प्राप्ति संबंधी उधार की लागत, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों हेतु स्रोतजन्य हो, वहाँ संबद्ध परिसंपत्तियों में पूँजीकृत की जाती है और अन्य मामलों में ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय पर उधार की भारित औसत लागत की गणना की जाती है।

2.17.2 दीर्घकालिक उधारों के संबंध में लेनदेन की लागत का प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग के माध्यम से संबद्ध ऋणों की समयावधि के लिए ऋणमोचन किया जाता है।

2.17.3 उधार की अन्य प्रकार की लागत वर्ष के दौरान व्यय मानी जाएगी।

2.18 निवेश संपदा

निवेश संपदा ऐसी संपदा है, जो किराए के अर्जन और/या पूँजी मूल्यवृद्धि के लिए (निर्माणाधीन संपदा ऐसे उद्देश्यों सहित) रखी गयी है। प्रारंभ में निवेश संपदा की गणना लेनदेन लागत सहित लागत के रूप में की गयी है। प्रारंभिक पहचान के पश्चात, भारतीय लेखाकरण मानक 105 के अनुरूप बिक्री के लिए रखे गए अनुसार वर्गीकृत किए जानेवाले मापदंड से मेलखानेवालों को छोड़कर निवेश संपदा का मापन लागत पद्धति के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।

निवेश की संपदा, निपटाने पर या निवेश की संपदा को शाश्वत रूप से उपयोग से वंचित करने पर और निपटान के कारण भविष्य में किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ का अनुमन नहीं किए जाने पर नहीं दिखायी जाती है। संपदा (निवल निपटान कार्यवाही और परिसंपत्तियों की अग्रसारित राशि के अंतर के रूप में गणना की गयी संपदा) को अमान्य मानेजाने की स्थिति में अधिलाभ या नुकसान उत्पन्न होने के संदर्भ में उस संपदा को अमान्य की जाने की अवधि में लाभ व हानि में शामिल किया जाता है।

3 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

अग्रसारित राशि का समाधान

(₹ करोड़)

	विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टे पर भूमि	रेल्वे लाइन और साइडिंग	सड़क, सेतु और पुल	भवन	संयंत्र और उपस्कर	फर्नीचर और फिक्चरर्स	वाहन	विद्युत स्थापना	जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली	विविध परिसंपत्तियाँ	कुल
निवल ब्लॉक	**लागत एवं अनुमानित लागत (सकल अग्रसारित राशि)**												
	1 अप्रैल, 2015 तक शेष	55.88	1.93	238.77	196.90	1,323.59	11,230.22	26.90	17.04	748.27	607.31	197.46	14,644.27
	जोड और समायोजन	4.04	-	0.32	41.59	99.94	6,209.54	0.89	4.92	45.99	144.14	38.17	6,589.54
	विक्री और समायोजन	-	-	(0.15)	-	(0.00)	(8.42)	(0.07)	(0.07)	(0.15)	-	(0.18)	(9.04)
	31 मार्च, 2016 तक शेष	**59.92**	**1.93**	**238.94**	**238.49**	**1,423.53**	**17,431.35**	**27.72**	**21.89**	**794.11**	**751.45**	**235.45**	**21,224.77**
	1 अप्रैल, 2016 तक शेष	59.92	1.93	238.94	238.49	1,423.53	17,431.35	27.72	21.89	794.11	751.45	235.45	21,224.77
	जोड और समायोजन	0.12	-	53.08	22.36	57.28	1,352.44	0.53	9.94	104.66	35.10	37.61	1,673.12
	विक्री और समायोजन	-	-	(0.18)	-	(0.15)	(11.81)	(0.07)	(0.09)	(0.12)	-	(0.82)	(13.24)
	31 मार्च, 2017 तक शेष	**60.04**	**1.93**	**291.84**	**260.85**	**1,480.66**	**18,771.97**	**28.17**	**31.74**	**898.65**	**786.55**	**272.25**	**22,884.65**
संचित मूल्यह्रास	**संचित मूल्यह्रास**												
	1 अप्रैल, 2015 तक शेष	-	0.76	131.08	101.12	665.97	7,173.42	17.41	12.46	368.85	275.98	130.38	8,877.43
	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	0.07	8.72	23.56	28.62	254.30	1.70	1.23	53.23	25.45	20.78	417.68
	विक्री और समायोजन	-	-	(0.15)	-	-	(5.84)	(0.04)	(0.07)	(0.11)	-	(0.13)	(6.34)
	31 मार्च, 2016 तक शेष	**-**	**0.83**	**139.65**	**124.68**	**694.59**	**7,421.88**	**19.07**	**13.62**	**421.97**	**301.43**	**151.03**	**9,288.76**
	1 अप्रैल, 2016 तक शेष	-	0.83	139.65	124.68	694.59	7,421.88	19.07	13.62	421.97	301.43	151.03	9,288.76
	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	0.07	9.62	21.07	30.89	500.57	1.59	2.45	61.43	34.06	25.37	687.11
	विक्री और समायोजन	-	-	(0.17)	-	-	(9.87)	(0.04)	(0.08)	(0.08)	-	(0.73)	(10.97)
	31 मार्च, 2017 तक शेष	**-**	**0.90**	**149.10**	**145.76**	**725.48**	**7,912.58**	**20.63**	**15.99**	**483.33**	**335.49**	**175.67**	**9,964.91**
निवल ब्लॉक	**अग्रसारित राशि (निवल)**												
	1 अप्रैल, 2015*	55.88	1.17	107.69	95.78	657.62	4,056.81	9.49	4.58	379.42	331.33	67.08	5,766.84
	31 मार्च, 2016	59.92	1.10	99.28	113.80	728.94	10,009.47	8.64	8.27	372.14	450.02	84.42	11,936.01
	31 मार्च, 2017	60.04	1.03	142.74	115.09	755.19	10,859.40	7.55	15.75	415.33	451.06	96.58	12,919.74

* 1 अप्रैल, 2015 का निवल ब्लॉक भारतीय लेखाकरण मानक की लागू तिथि के अनुरूप अनुमानित लगत से संबंधित है। पिछले जी ए ए पी का सकल ब्लॉक व संचित मूल्यह्रास परिसंत्तियों की वास्तविक लागत को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से दिया गया है।

बी. वित्तीय पट्टे के अधीन रखी गई भूमि

समूह द्वारा वित्तीय पट्टे करार के अधीन मुम्बई में भूमि का अधिग्रहण किया गया। पट्टागत भूमि में पट्टे से संबंधित दायित्व शामिल हैं। वित्तीय पट्टे के अधीन अधिगृहीत भूमि की सकल और निवल अग्रसारित राशि और उपर्युक्त में शामिल मद निम्नवत हैं :

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
लागत और अनुमानित लागत	1.93	1.93	1.93
संचित मूल्यह्रास	(0.90)	(0.83)	(0.76)
निवल अग्रसारित राशि	**1.03**	**1.10**	**1.17**

सी. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि

- पट्टे के आधार पर विविध अभिकरणों को आवंटित भूमि में **372.85** एकड़ भूमि (**31** मार्च, **2016**:**372.93** एकड़, **1** अप्रैल, **2015**: **367.07** एकड़) शामिल है
- **39.99** करोड़ (**31** मार्च, **2016**: **39.99** करोड़ रुपए, **1** अप्रैल, **2015**: **39.99** करोड़ रुपए) की लागत की भूमि भारत के माननीय राष्ट्रपति के नाम पर है। परियोजना और उससे संबंधित आकस्मिक आशयों के लिए अधिगृहीत भूमि के उपयोगार्थ भारत सरकार द्वारा कंपनी को मुक्तारनामा जारी किया गया।
- इस भूमि में **0.03** करोड़ (**31** मार्च, **2016**:**0.03** करोड़, **1** अप्रैल,**2015**: **0.03** करोड़) रुपए की राशिवाली **12.5** एकड़ भूमि शामिल है, जिसका अधिकार विवाद के अधीन है।
- **62.05** एकड़ (माकवरम **33.64**, माटूरु **22.41** एवं रेवका **6**) अधिगृहित भूमि अभी खाली नहीं है और अधिकार क्षेत्र में लेने का कार्य शेष है।
- दि लारेंस इन्वेस्टमेंट्स एण्ड प्रोपर्टी कं लिमिटेड के पास हाउड़ा के बौरिया के चस्कासी में जूट मिलों के आवासन (वर्ष **1980** में गिराकर निपटाया गया) **76.77** एकड़ की भूमि की संपदा थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने दि.**25.08.76** को लगभग **27.58** एकड़ क्षेत्र मापित भूमि का अधिग्रहण किया। ऐसे अधिग्रहण के तहत क्षतिपूर्ति देने हेतु हावड़ा के जिला न्यायाधीश द्वारा दि.**07.03.83** को कंपनी के अपील का समर्थन किया गया है। वही खाते में ऐसे अधिग्रहण का प्रभाव नहीं दिखाया गया।
- नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियम) अधिनियम के तहत से प्राप्त सूचना के रूप में भूमि के शेष भाग के अधिग्रहण के लिए ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा दूसरी सूचना का भी प्रतिरोध किया गया। स्थानीय निवासियों द्वारा अप्राधिकृत रूप से भूमि के इस भाग पर कब्जा किया गया, जिसमें पक्के निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। अप्राधिकृत निवासियों को निकालने के लिए संबद्ध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के साथ आवश्यक विधिक कदम भी उठाए गए।

डी. निम्नलिखित भूमि का बिकी विलेख अभी किया जाना है

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
चेन्नई में स्टॉक यार्ड	2.37	2.37	2.37
नई दिल्ली में कार्यालय भवन	25.53	25.53	25.53
अहमदाबाद में कार्यालय भवन	0.18	0.18	0.18
कोलकात्ता में आवासीय भवन	0.95	0.95	0.95
हैदराबाद में संपर्क कार्यालय हेतु जगह	1.30	1.30	1.30
	30.33	30.33	30.33

ई. निम्नलिखित भूमि के मामले में पट्टा विलेख कार्य संपन्न नहीं हुए:

मुकद्दमा/विवाद के मामले के तहत सहायक कंपनियों की निर्दिष्ट चल परिसंपत्तियों में भूमि, भवन, रेलवे स्लाइडिंग आदि शामिल हैं और समेकित वित्तीय विवरणों में इनका अंतिम प्रभाव की गणना नहीं की गयी है।

एफ. मूल्यह्रास पद्धतियां और उपयोगी कार्यक्षमता:

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की प्रत्येक हिस्से की उपयोगी कार्यक्षमता का आंकलन स्ट्राइट लाइन आधार पर लाभ व हानि में मूल्यह्रास के तहत दिखाया गया है। चालू और तुलनत्मक अवधियों के लिए अनुमानित उपयोगी कार्यक्षमता निम्नवत है:

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
रेल्वे लाइन और साइडिंग	15 वर्ष	15 वर्ष	15 वर्ष
सड़क, पुल और पुलिया	3-30 वर्ष	3-30 वर्ष	5-30 वर्ष
भवन	5-60 वर्ष	5-60 वर्ष	5-60 वर्ष
संयंत्र और उपस्कर	4-40 वर्ष	4-40 वर्ष	4-40 वर्ष
फिक्चर्स और फिटिंग्स	10 वर्ष	10 वर्ष	10 वर्ष
वाहन	6-8 वर्ष	6-8 वर्ष	6-8 वर्ष
विद्युत स्थापना	10 वर्ष	10 वर्ष	10 वर्ष
जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली	15 वर्ष	15 वर्ष	15 वर्ष
विविध परिसंपत्तियाँ	3-15 वर्ष	3-15 वर्ष	3-15 वर्ष

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
मूल्यह्रास का आबंटन :		
निर्माण के दौरान व्यय	41.88	63.09
चालू वर्ष (लाभ व हानि)	645.23	354.59
	687.11	417.68

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास पद्धतियां, उपयोगी कार्यदक्षता और अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार समायोजन किया जाता है:

जी. चालू भारी मरम्मत कार्य:

(रुपये करोड़ों में)

चालू भारी मरम्मत कार्य की लागत में प्रधानत: स्वत: निर्मित सयंत्र और उपस्कर शामिल हैं

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
चालू भारी मरम्मत कार्य: (ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री सहित)			
6.3 एम टी विस्तारण	4,792.69	4,830.04	9,699.10
अन्य	2,554.05	1,812.92	1,114.70
घटाएं: रद्द किए गए एस एल टी एम परियोजना हेतु प्रावधान	(18.90)	(18.27)	(18.27)
घटाएं: पूँजी पर ह्रास हानि			
लाभ व हानि में जारी कार्य को दिखाया गया	(0.55)	(0.12)	(0.12)
	7,327.30	6,624.57	10,795.41
निर्माण के दौरान व्यय, जिनका आवंटन किया जाना (नोट एच)	442.89	365.75	699.35
कुल	**7,770.19**	**6,990.32**	**11,494.76**

एच निर्माण के दौरान व्यय, जिसका आबंटन किया जाना है (रुपये करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
प्रारंभिक शेष (ए)	365.75	699.35	479.00
वर्ष के दौरान व्यय :			
कर्मचारी प्रतिदान और लाभ	37.42	38.76	47.34
अन्य व्यय और प्रावधान	26.94	39.19	34.87
ब्याज व्यय	7.70	7.19	10.84
मूल्यह्रास	41.88	63.09	124.69
घटाएँ :			
ब्याज प्राप्ति	-	-	-
अन्य राजस्व	0.93	(1.23)	(0.65)
वर्ष के दौरान निवल व्यय (बी)	114.87	147.00	217.09
कुल (ए +बी)	480.62	846.35	696.09
घटाएं : अचल परिसंपत्तियों को आवंटित राशि	(37.73)	(480.60)	3.26
कुल	442.89	365.75	699.35

4. निवेश संपत्ति

ए.अग्रसारित राशि का समाधान (रुपये करोड़ों में)

विवरण	निवेश संपत्ति
लागत और अनुमानित लागत (सकल अग्रसारित राशि)	
1 अप्रैल, 2015 को शेष	0.08
जोड़ और समायोजन	
31 मार्च 2016 को शेष	0.08
1 अप्रैल, 2016 को शेष	0.08
जोड़ और समायोजन	-
31 मार्च 2017 को शेष	0.08
संचित मूल्यह्रास	-
1 अप्रैल, 2015 को शेष	-
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.00
31 मार्च 2016 को शेष	0.00
1 अप्रैल, 2016 को शेष	0.00
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	0.00
31 मार्च 2017 को शेष	0.00
अग्रसारित राशि	
1 अप्रैल, 2015 को	0.08
31 मार्च 2016 को	0.07
31 मार्च 2017 को	0.07

दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड द्वारा रखी गई निवेश संपत्ति इस प्रकार है :

- पूर्व जी ए ए पी के अधीन निवेश संपत्ति का मूर्त परिसंत्ति के भवन ब्लॉक के तहत वर्गीकरण किया गया है।
- वी एस एल सी के नाम पर भवन को एक सहायक कंपनी को किराया पर दिया गया। वी एस एल सी ने अपने व्यापार के आशय के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहा है और न ही निकट भविष्य में उसे वेचना भी चाहता है।
- निवेश संपत्ति ओदिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को किराये पर दिए गए अतिथि गृह के पिछले जी ए ए पी के अनुसार अग्रसारित राशि है। किसी भी स्वतंत्र मूल्यांकन विशेषज्ञ द्वारा वर्ष के दौरान ऐसी निवेश संपत्ति का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। अत: निवेश संपत्ति के न्यायसंगत मूल्यांकन के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

5. अमूर्त परिसंपत्ति

ए. अग्रसारित राशि का समाधान

(रुपये करोड़ों में)

	विवरण	गुडविल (i)	कंप्यूटर साफ्टवेयर (ii)	खदान अधिकार (iii)	कुल [(ii)+(iii)]	विकास के अधीन मूर्त परिसंपत्तियाँ (iv)	कुल [(ii)+(iii)+(iv)]
सकल ब्लॉक	लागत एवं अनुमानित लागत) (सकल अग्रसारित राशि)						
	1 अप्रैल, 2015 को शेष	149.49	63.29	52.83	116.12	2.57	118.69
	जोड़ और समायोजन	-	0.50	1.67	2.17	0.13	2.30
	बिक्री और समायोजन	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2016 को शेष	**149.49**	**63.79**	**54.50**	**118.30**	**2.70**	**121.00**
	1 अप्रैल, 2016 को शेष	149.49	63.79	54.50	118.30	2.70	121.00
	जोड़ और समायोजन	-	2.70	0.11	2.81		2.81
	बिक्री और समायोजन	-	(0.04)	0.00	(0.04)	(2.70)	(2.74)
	31 मार्च, 2017 को शेष	**149.49**	**66.45**	**54.61**	**121.06**	-	**121.06**
संचित मूल्यह्रास	संचित परिशोधन						
	1 अप्रैल, 2015 को शेष	-	13.44	4.35	17.79	-	17.79
	वर्ष के लिए परिशोधन	-	14.06	4.09	18.15	-	18.15
	बिक्री और समायोजन	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2016 को शेष	-	**27.50**	**8.44**	**35.94**	-	**35.94**
	1 अप्रैल, 2016 को शेष	-	27.50	8.44	35.94	-	35.94
	वर्ष के लिए परिशोधन	-	14.70	3.99	18.69	-	18.69
	बिक्री और समायोजन	-	(0.04)		(0.04)	-	(0.04)
	31 मार्च, 2017 को शेष	-	**42.16**	**12.43**	**54.59**	-	**54.59**
निवल ब्लॉक	अग्रसारित राशि (निवल)						
	1 अप्रैल, 2015 को	149.49	49.85	48.48	**98.33**	2.57	**100.90**
	31 मार्च, 2016/1 अप्रैल, 2016 को	149.49	36.29	46.07	**82.36**	2.70	**85.06**
	31 मार्च, 2017 को	149.49	24.29	42.18	**66.47**	-	**66.47**

* 1 अप्रैल 2015 तक का निवल ब्लॉक भारतीय लेखाकरण मानक परिवर्तनकाल की तिथि तक अनुमानित लागत का सूचक है। पिछले जी ए ए पी से सकल ब्लॉक व संचित परिशोधन का प्रकटीकरण परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से किया गया है।

दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड द्वारा रखी गयी अग्रसारित अमूर्त परिसंपत्ती के संबंध में :

- खदानों के प्रचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु और तदनुसार उनके पट्टों के आवंटन के लिए किए गए व्यय को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया है।

दि ओदिशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा रखी गयी अमूर्त परिसंपत्तियों की अग्रसारित राशि के संबंध में : –

- वाणिज्यिक प्रचालन (यानि प्राथमिक एवं पूर्व प्रचालित व्यय के रूप में)के लिए खदान को तैयार करने में पूर्वापेक्षित और विकास व्यय को पूँजीगत किया गया।
- अपने पट्टे के आवंटन के पश्चात खदान को प्रचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय को खनन अधिकार शीर्ष के तहत अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूँजीगत किया गया। यद्यपि कंपनी के खनन पट्टे की अवधि समाप्त हुई, लेकिन कंपनी अभी सब खानों पर स्वामित्व अधिकार रखता है और समीप भविष्य में खानों के नवीकरण होने की आशा रखती है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, खनन पट्टे की संभाव्यता की प्रत्याशा से 10 से 20 वर्षों की अवधि में खनन अधिकारों का परिशोधन किया गया है।

बी. ऋण मोचन पद्धतियाँ व कार्य-क्षमता

ऋणमुक्ति को अमूर्त परिसंपत्तियों के प्रत्येक मद की अनुमानित उपयोगी कार्य-क्षमता के स्ट्रेट-लाइन आधार पर लाभ व हानि के अंतर्गत दिखाया जाता है। चालू व तुलनात्मक अवधि के लिए अनुमानित उपयोगी कार्य-क्षमता नीचे प्रस्तुत है:

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	4 वर्ष	4 वर्ष	4 वर्ष
खदान अधिकार	20 वर्ष	20 वर्ष	20 वर्ष

6.निवेश

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
ए. गैर चालू निवेश			
ईक्विटी शेयर की लागत - अन्य			
फ्री प्रेस हाउस लिमिटेड* में प्रत्येक एक रुपए के 2,280 (31 मार्च, 2016 : 2,280 : 1अप्रैल, 2015 : 2,280) ईक्विटी शेयर		-	-
अनकापल्लि रूरल इलक्ट्रिकल कोपरेटिव सोसाइटी* में प्रत्येक सौ रुपए के 1 (31 मार्च, 2016 : 1; 1 अप्रैल, 2015 :1) ईक्विटी शेयर	-	-	-
ईस्ट इंडिया मिनरल लिमिटेड# में प्रत्येक दस रुपयों के 2,811.010 ईक्विटी शेयर	2.81	2.81	2.81
दि वोरिया कंपनी लिमिटेड (परिसमापन)** में प्रत्येक एक रुपए के 84,640 ईक्विटी शेयर	0.07	0.07	0.07
निवेश ** के मूल्य में हानि की कुल राशि	(0.07)	(0.07)	(0.07)
कुल	**2.81**	**2.81**	**2.81**
ईक्विटी इंस्ट्रमेंट में कुल निवेश (ए)	**2.81**	**2.81**	**2.81**
बी. अन्य निवेश			
(आई) कोट किया गया निवेश			
ए) ईक्विटी इंस्ट्रमेंट में निवेश (सभी पूर्ण प्रदत्त)			
टिटागढ़ वेगन लिमिटेड (पूर्व के टिटागढ़ उद्योग लिमिटेड) *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 10 रुपए के 615 शेयर)	0.17	0.17	0.17
आइ टी सी लिमिटेड प्रत्येक 1 रुपये के साधारण शेयर (31 मार्च, 2017 ,31 मार्च, 2016 , और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 10 रुपए के 15,000 शेयर)	0.63	0.49	0.49
डी पी एस सी लि., (पूर्व के दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लि) 31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 10 रुपए के 344, 770 शेयर)	1.54	0.60	0.58
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 10 रुपए के 1000 शेयर)	0.01	0.00	0.01
रिलायन्स इंडस्ट्रीस लिमिटेड $ (31 मार्च, 2017, 31 मार्च,2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 10 रुपए के 86 शेयर)	0.01	0.01	0.01
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015) : प्रत्येक 10 रुपए के 200 शेयर)	0.03	0.02	0.02
दि असोसियेटेड सिमेंट कंपनी लिमिटेड (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल,2015 : प्रत्येक 10 रुपए के 400 शेयर)	0.06	0.06	0.06
जे एस डवल्यू लिमिटेड (पूर्व के जिंदल विजयनगर स्टील) (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015) : प्रत्येक 10 रुपए के 30 शेयर	0.00	0.00	0.00
इस्पात प्रोफाइल्स लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 10 रुपए के 500 शेयर)	0.00	0.00	0.00
एच डी एफ सी बैंक (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 10 रुपए के 1500 शेयर)	0.22	0.16	0.15
कुल - ईक्विटी इंस्ट्रमेंट में कोट किया गया निवेश (ए)	**2.65**	**1.51**	**1.49**
बी) सरकार की प्रतिभूति में निवेश			
8.85% आई डी बी आई ओमनी बांड्स (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 1,000,000 के 20 यूनिट्स)	-	-	2.00
9.05% हुडको 2016 बांड (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 1,000,000 के 10 यूनिट्स)	-	-	1.00
8.95% गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बांड (31 मार्च, 2016 : 100,000 अंकित मूल्य के 40 बांड्स और 1 अप्रैल, 2015 : 100,000 अंकित मूल्य के 100 बांड्स)	-	0.42	0.74
कुल - सरकार की प्रतिभूति में कोट किया गया निवेश (बी)	**-**	**0.42**	**3.74**

सी. पारस्परिक निधि में निवेश (रुपये करोड़ों में)

मास्टर शेयर- यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015: प्रत्येक 10 रुपए के 2,800 यूनिट)	0.03	0.02	0.03
पूजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (मास्टर गैन 1992) (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 10 रुपए के 3,000 यूनिट)	0.03	0.03	0.03
कुल-पारस्परिक निधि में कोट किया गया निवेश (सी)	**0.06**	**0.05**	**0.06**
(ii) कोट न किया गया निवेश			
ए) ईक्विटी इनस्ट्रमेंट्स में निवेश (सभी पूर्णत: प्रदत्त)			
दि बुर्रकुर कोल कंपनी लिमिटेड (परिसमापन में) *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 10 रुपए के 475,300 शेयर)	0.41	0.41	0.41
दि किन्निसन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 100 रुपए के 25,645 शेयर)	0.27	0.27	0.27
यूनियन जूट कंपनी लिमिटेड*** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 100 रुपए के 18,028 शेयर)	0.25	0.25	0.25
कुमारधुभी फैरक्ले एवं सिलिका वर्कस लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 10 रुपए के 146,764 शेयर)	0.20	0.20	0.20
ईस्ट्रन न्यूज पेपर (पूर्व के चोरा इनवेस्टमेंट कं.लि.,) (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 10 रुपए के 83 शेयर)	0.00	0.00	0.00
होल्मन क्लिमेक्स मैनुफेक्चरिंग लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 10 रुपए के 123,598 शेयर)	0.10	0.10	0.10
दि करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 10 रुपए के 79,850 शेयर)	0.06	0.06	0.06
वर्डस जूट एवं एक्सपोर्ट लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल ,2015: प्रत्येक 100 रुपए के 4,650 शेयर)	0.05	0.05	0.05
सिजुवा (झरय्या) इलेट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 10 रुपए के 73,232 शेयर)	0.05	0.05	0.05
वुडलैंड मल्टी स्पेशाल्टी अस्पताल लिमिटेड (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 10 रुपए के 1950 शेयर)	0.00	0.00	0.00
श्री अरविंद्रा सहयोग समिति लिमिटेड (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 100 रुपए के 1 शेयर पूर्णत: प्रदत्त)	-	-	-
कलिंगा सिमेंट लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 100 रुपए के 6000 शेयर पूर्णत: प्रदत्त)	0.00	0.00	0.00
कुल ईक्विटी शेयरों में न कोट किया गया निवेश (ए)	1.39	1.39	1.39

बी) अधिमान्य शेयर में निवेश

7% वर्डस जूट व एक्सपोर्टस लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 100 रुपए के 263 शेयर पूर्णत: प्रदत्त)	0.00	0.00	0.00
5.5% कुमारधुभी फैरक्ले व सिलिका वर्कस लिमिटेड (द्वितीय अधिमान्य) *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 100 रुपए के 1260 शेयर पूर्णत: प्रदत्त)	0.01	0.01	0.01
9.5% कुमारधुभी इंजीनीयगि वर्कस लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 100 रुपए के 50 शेयर पूर्णत:प्रदत्त)	0.00	0.00	0.00
अधिमान्य शेयरों में कोट न किया गया कुल निवेश (बी)	**0.01**	**0.01**	**0.01**
सी) ऋणपत्रों में निवेश			
8% कुमारधुभी इंजीनीयगि वर्कस लिमिटेड *** (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 500 रुपए के 58 यूनिटस)	0.00	0.00	0.00
ऋणपत्रों में कोट न किया गया कुल निवेश (सी)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
अंतर्राष्ट्रीय कोयला उद्यम प्राइवेट लिमिटेड (डी) के ईक्विटी शेयरों में निवेश के लिए अग्रिम	40.00	55.00	112.70
कोट किया गया निवेश की संकलित राशि और बाजार मूल्य	2.72	1.98	5.29
कोट न किया गया निवेश की संकलित राशि	41.40	56.40	114.10
निवेश के मूल्य में संकलित हानि	(1.57)	(1.57)	(1.57)
कुल अन्य निवेश (बी)	**42.55**	**56.82**	**117.82**
कुल गैर-चालू निवेश (ए)+(बी)	**45.36**	**59.63**	**120.64**
चालू निवेश			
i) कोट किया गया निवेश			
ए) सरकारी जमानती में निवेश			
8.85% आई डी बी आई ओमनी बांड (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 1,000,000 रुपए के 20 यूनिट)	-	2.00	-
7.7% आई डी बी आई आर.आई.ओमनी बांड-II (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 : प्रत्येक 10,00,000 रुपए के 1 यूनिट)	-	-	0.10
9.05% हुडको 2016 बांड (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 प्रत्येक 1,000,000 रुपए के 10 यूनिट)	-	1.00	-
7.61% राज्य विकास ऋण (एस डी एल) 2016 (31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015: प्रत्येक 100 रुपए के 14000 यूनिट)	-	-	0.14
कुल चालू निवेश	**-**	**3.00**	**0.24**
कोट न किए गए निवेश का संकलित मूल्य	2.81	2.81	2.81
निवेश के मूल्य में हानि की संकलित राशि	-	-	-

नोट :

* फ्री प्रेस हाउस लिमिटेड में रु.2,280 की राशि का निवेश, अत: पूर्णांक शून्य किया गया।

* अनकापल्लि रूरल इलकट्रिकल कोपरेटिव सोसाइटी में 100 रुपये की राशि का निवेश, अत: पूर्णांक शून्य किया गया।

** वोरिया कोयला कंपनी लिमिटेड परिसमापन के अधीन है, अत: वित्तीय विवरणों के लिए समेकित नहीं किया गया।

*** ह्रास के लिए रखे गए निवेशों को सूचित करता है।

मेसर्स ईस्ट इंडिया मिनरल्स लि. (ई आई एम एल) की परिसंपत्तियों की व्यवस्था करने के लिए मेसर्स उषा (इंडिया)लि के साथ दि उडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम का गठन किया। हालंकि, कुछ अवधि के पश्चात्, बताई गई कंपनी पर वित्तीय नियंत्रण नहीं है। मामला विवाद में है और कंपनी की वर्तमान स्थिति और मूल्य ह्रास के कारण यदि कोई हानि हुई हो, तो उसे निश्चित व नहीं दिखाया गया। आगे, उपर्युक्त के दृष्टिगत, समेकित वित्तीय विवरण के लिए कथित संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण पर विचार नहीं किया गया है।

संयुक्त उद्यम का नाम	मुख्य कार्यकलाप	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
ईस्ट इंडिया मिनरल्स लिमिटेड	खनन, विनिर्माण और व्यापार	26%	26%	26%

ए) निम्नलिखित कंपनियों की वचनबद्धता की पूर्ति का दायित्व सरकार द्वारा लिया गया है:

(ए) बर्ड व कंपनी लिमिटेड (बी) दिशरगढ़ पवर सप्लाइ कंपनी लिमिटेड (बिहार यूनिट), (सी) किनसन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड (डी) कुमार धुभी इंजीनीयरिंग वर्कस लिमिटेड (इ) सिजुवा (झेरय्या) इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एफ) यूनियन जूट कंपनी लिमिटेड

बी) उपरोक्त कंपनियों में समूह द्वारा शेयरों व ऋणपत्रों में निवेश के संबंध में मामले के अनुसार प्राप्य क्षतिपूर्ति की गणना नहीं की गयी है। हालाँकि, बर्ड व कंपनी लिमिटेड में ऋणपत्र, अधिमान्य शेयर एवं सामान्य शेयरों में निवेश पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। अन्य कंपनियों में निवेश का पूर्णत: प्रावधान किया गया है।

सी) भारत लेखाकरण मानक 109 के वर्गीकरण के अनुसार श्रेणीवार अन्य निवेश (रुपये करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
लाभ या हानि (एफ वी टी पी एल) के माध्यम से अनिवार्य रुप से उचित मूल्य का वित्तीय परिसंपत्ति	4.10	2.96	2.94
घटाएं: एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत निवेश के मूल्य में ह्रास	(1.55)	(1.56)	(1.56)
लाभ या हानि (एफ वी टी पी एल) के माध्यम से अनिवार्य रुप से उचित मूल्य का निवल वित्तीय परिसंपत्ति	2.55	1.40	1.38
परिशेधित लागत	0.01	3.43	4.00
घटाएं: परिशेधित लागत के रूप में वर्गीकृत ह्रास	(0.01)	(0.01)	(0.01)
निवल परिशेधित लागत	-	3.42	3.99
कुल	2.55	4.82	5.37

7. ऋण (असंरक्षित एवं बेहतर माने गए, जब तक कि अन्यत्र सूचित नहीं किए गए) (रुपये करोड़ों में)

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर चालू ऋण			
कर्मचारियों के लिए ऋण	41.82	36.99	33.75
ए पी आई आई सी को ऋण	87.59	118.77	149.95
अन्यों के लिए ऋण	0.25	0.07	0.25
	129.66	155.83	183.95
हानि भत्ता	(0.25)	(0.25)	(0.25)
कुल गैर चालू ऋण	129.41	155.58	183.70
चालू ऋण			
ऋण पर जारी की गई सामग्री	-	-	0.38
कर्मचारियों के लिए ऋण	0.29	0.35	0.28
	0.29	0.35	0.66
हानि भत्ता	-	-	-
कुल चालू ऋण	0.29	0.35	0.66

भारतीय लेखाकरण मानक 109 के आधार पर ऋण पर ऋण भत्ते की गणना की गयी है। वित्तीय लिखत के तहत ऐसे भत्तों की गणना उन ऋणों के लिए भी की जाती है, जिसे मौजूदा साख जोखिम के आधार पर बेहतर माना जाता है। यद्यपि, यह न्यूनतम ही क्यों न हो।

(i) निदेशक/अधिकारियों द्वारा बकाया ऋण	-	-	-
(ii) निजी कंपनियों द्वारा बकाया ऋण, जिसमें समूह के निदेशक निदेशक है।	-	-	-

8. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
प्रतिभूति जमा	166.27	56.31	46.65
उपचित ब्याज			
- कर्मचारी ऋण	20.42	18.83	16.52
- ए पी आई आई सी को ऋण	100.45	82.35	63.17
अन्य अग्रिम	0.16	0.20	0.21
	287.30	157.69	126.55
अन्य प्राप्य राशियों के लिए प्रावधान	(0.01)	(0.01)	(0.01)
कुल गैर चालू अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	**287.29**	**157.68**	**126.54**
दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता :			
- कर्मचारी ऋण	19.65	19.16	18.12
- ए पी आई आई सी को ऋण	31.18	31.18	31.18
पाप्त ब्याज			
- सावधि जमा	27.52	18.62	22.71
- कर्मचारी ऋण	2.29	1.84	1.44
- अन्य	19.80	15.55	9.40
– प्रतिभूति जमा	119.69	109.32	109.27
– संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-	-
– अंतर्राष्ट्रीय कोयला संयुक्त उद्यम प्राइवेट लिमिटेड	0.10	0.50	2.11
- रिन मोइल फेर्रो अलॉयसप्राइवेट लिमिटेड	1.21	1.46	1.46
वसूली योग्य दावें	81.21	100.44	116.02
कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि	0.00	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	4.98	5.57	6.47
	307.63	303.64	318.18
प्रतिभूति और अर्जित राशि की जमा के लिए प्रावधान	(0.00)	(0.00)	(0.00)
अन्य निवेशों पर उपचित ब्याज के लिए प्रावधान	(0.00)	(0.00)	(0.00)
अन्य प्राप्यों के लिए प्रावधान	(0.51)	(0.51)	(0.51)
कुल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	**307.12**	**303.13**	**317.67**
(i) निदेशक/अधिकारियों द्वारा देय अग्रिम	-	-	-
(ii) निजी कंपनियों द्वारा बकाया अग्रिम, जिसमें समूह के निदेशक निदेशक है	1.31	1.96	3.57

9. आय कर

ए.लाभ व हानि में दिखायी गई राशि

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
चालू कर		
चालू अवधि	5.78	7.63
आस्थगित कर		
अस्थाई परिवर्तनों का मूल व वापसी	(180.13)	(97.01)
कर संबंधी दर में कमी	(47.70)	-
पूर्व में न दिखाये गये कर नुकसानों की पहचान	(200.16)	-
पूर्व वर्ष कर		
पिछले वर्ष से संबंधित कर	1.41	-
कर व्यय	**(420.80)**	**(89.38)**

बी. अन्य समग्र आय में दिखाया गया आय कर

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
परिभाषित लाभ देयताओं का पुन: मापन		
कर पूर्व	(53.22)	(69.27)
कर (व्यय)/लाभ	16.48	24.13
निवल कर	(36.74)	(45.14)
कर व्यय	16.48	24.13

सी. प्रभावित कर दर का समाधान

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
कर पूर्व लाभ	(1,712.29)	(1,813.34)
समूहों के घरेलू कर दर के लिए उपयोग कर (चालू वर्ष 30.9% और पिछले वर्ष 34.608%)	(529.10)	(627.56)
कर दर में कमी	(47.38)	0.86
कर प्रभावित :		
गैर-कटौती कर व्यय	3.77	2.68
लाभ व हानि के विवरण में जमा नहीं किया गया आय	0.17	0.21
वैज्ञानिक अनुसंधान कटौती	(0.06)	-
निवेश भत्ता कटौती	(4.40)	-
आय करों से मुक्त आय	(0.30)	(0.57)
चालू वर्ष की हानि जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति नहीं दिखाई गई	350.23	544.73
पूर्व में नहीं दिखाई गई कर हानि का प्रभाव के रूप में दिखाया गया कर	(202.71)	-
पूर्व वर्ष से संबंधित कर	1.41	-
अन्य	7.49	(9.72)
	(420.87)	(89.38)

(i) 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 के लिए समूह की भारित औसत कर दर क्रमश: 30.9% एवं 34.608% थी।

(ii) चालू वर्ष की हानि, जिसके लिए वही खाते में कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति नहीं/दिखाई गई, 31 मार्च, 2025 को समाप्त होगी।

डी. दिखाई गई आस्थगित कर परिसंत्ति एवं देयताएं

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
आस्थगित कर देयताएं			
वही खाते में दिखाए गए मूल्यह्रास/ऋणमोचन पर आय कर कानून के अधीन अचल परिसंपत्ति पर अधिक मूल्यह्रास/ऋणमोचन	1,710.82	1,275.64	801.18
अन्य	0.86	0.46	0.45
कुल आस्थगित कर देयताएं (ए)	1,711.68	1,276.10	801.63
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
उपदान के लिए प्रावधान	4.63	0.38	4.44
संदेहास्पद व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान	25.91	30.80	30.75
एम ए टी साख हकदारी	242.41	242.41	242.41
अनवशोषित मूल्यह्रास	1,457.28	774.60	162.16
अनवशोषित हानि	200.16	-	-
अभिलाभ/(हानि) पुन: मापन पर कर प्रभाव परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न	0.55	0.16	-
अन्य	14.51	17.02	30.01
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (बी)	1,945.44	1,065.38	469.77
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)/देयताएं (ए-बी)	(233.76)	210.72	331.86

10. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
पूंजी अग्रिम	95.82	47.58	99.91
सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम	0.58	0.56	0.56
विक्रेताओं को अग्रिम	0.00	0.00	0.00
अन्य			
पूर्व प्रदत्त व्यय			
कर्मचारी ऋण	43.15	47.38	51.62
ए पी आई आई सी को ऋण	19.09	21.24	20.75
पट्टे भुगतान	2.45	3.11	2.06
कुल	**161.09**	**119.87**	**174.90**

11. वस्तुसूची : (प्रबंधन द्वारा प्राप्त व प्रमाणित)

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
कच्चा माल	1,259.27	1,222.85	1,110.40
जोड़े : परिवहन में/निरीक्षण के अधीन	895.23	561.88	771.33
घटाएं : कमियों के लिए प्रावधान	(419.07)	(346.17)	(413.30)
	1,735.43	**1,438.56**	**1,468.43**
अर्द्ध-परिसज्जित/परिसज्जित सामान	2,362.43	1,865.65	3,157.69
जोड़े : परिवहन में/निरीक्षण के अधीन	3.61	29.42	-
	2,366.04	**1,895.07**	**3,157.69**
भंडार और हिस्से पुर्जे	666.08	516.38	526.47
जोड़े : परिवहन में/निरीक्षण के अधीन	63.24	24.38	9.41
घटाएं : अप्रचलित एवं पुराने मदों के लिए प्रावधान	(39.94)	(40.23)	(36.36)
	689.38	**500.53**	**499.52**
कुल	**4,790.86**	**3,834.16**	**5,125.64**

नोट: वस्तुसूची का मूल्यांकन (लेखाकरण नीति के अनुरूप मूल्यांकित)

(i) वर्ष के दौरान किसी भी समय वास्तविक जाँच द्वारा पहचानी गई कमियों/अधिकता के विधिवत समायोजन पश्चात खाता बही शेष के अनुरूप परिसज्जित/अर्द्ध परिसज्जित उत्पादों की शेष मात्रा दिखाई गई है।

(ii) खदान अयस्क की समाप्त होती मात्रा व खदानों में अस्वीकृत मात्रा हेतु लेखाओं में कोई क्रेडिट दर्ज नहीं है।

(iii) चूँकि कोक ब्रीज का उपयोग आंतरिक खपत के अधीन की जाती है, अत: धात्विक कोक की उत्पादन लागत के 60% के अनुरूप उसका मूल्य लगाया गया।

(iv) डंप यार्ड में धमन भट्ठी ग्रैनुलेटेड स्लैग (मात्रा 6699110.18 टन), जिसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, की मात्रा के मामले को छोड़कर कोक व अन्य उप-उत्पादों का मूल्य, जहाँ लागत का निर्धारण नहीं किया जा सकता, वहाँ निवल प्राप्य मूल्य के अनुरूप लगाया गया और जहाँ निवल प्राप्य मूल्य उपलब्ध न हो, वहाँ लागत के अनुरूप लगाया गया।

(v) लौह स्क्रेप व इस्पात स्क्रेप के उत्पादन की मात्रा लेखाओं में वास्तविक सर्वेक्षण/प्राक्कलन के आधार पर दिखाई गई और उसका मूल्य कच्चे लोहे की लागत व कच्चे लोहे के देशीय निवल प्राप्य मूल्य की लागत के अनुरूप क्रमश: 75% व 90% लगाया गया।

(vi) नट कोक की लागत, धमन भट्ठी कोक की उत्पादन लागत का 90% लगायी गयी।

12 व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
असंरक्षित, बेहतर माना गया	881.19	963.57	1,034.10
संदेहास्पद	23.46	23.51	24.07
	904.65	987.08	1,058.17
घटाएं: नुकसान भत्ता			
संदेहास्पद	(23.46)	(23.51)	(24.07)
कुल	881.19	963.57	1,034.10

नोट:

(i) निदेशक/अधिकारियों द्वारा लिये गये ऋणों के निमित्त देय राशि - - -

(ii) निजी कंपनियों द्वारा लिये गये ऋणों के निमित्त देय राशि, जहाँ समूह के निदेशक, निदेशक हैं- -

(iii) साख व मुद्रा जोखिम का समूह पर प्रभाव और

व्यापार प्राप्य से संबंधित नुकसान भत्ते का नोट 39 में प्रकटीकरण किया गया है।

13 नकद और नकद के सम राशि

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
हाथ में चैक	32.88	20.17	51.36
हाथ में नकद	0.07	0.03	0.05
बैंक में शेष:			
- चालू खाता	12.69	19.42	4.64
- जमा खाते	140.83	29.24	19.76
- प्रधानमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार निधि	7.71	7.15	6.55
- अनुसूचित बैंकों* के साथ चिन्हित शेष	5.80	5.27	5.46
- जमा खाते में शेष (3-12 महीने की परिपक्वता अवधि वाले)	666.78	766.21	751.48
- 1 से अधिक वर्ष की परिपक्वता वाले सावधि जमा	1.00	6.31	6.11
कुल	867.76	853.80	845.40

समूह द्वारा अनुरक्षित जमा में सावधि जमा शामिल है, जिसे समूह द्वारा पूर्व सूचना अथवा मूल धन पर अर्थदंड के बिना किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

14 अन्य कर संपदाएं

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अन्य कर परिसंपत्तियाँ (निवल) अग्रिम आय कर [शून्य करोड़ रुपये के कर का निवल प्रावधान; (31 मार्च 2013: शून्य करोड़ रुपये; 1 अप्रैल 2015: 21.70 करोड़ रुपये)	59.69	67.80	103.71
कुल	59.69	67.80	103.71
अन्य कर देयताएँ			
आय कर देयताएँ	32.28	36.79	29.45
कुल	32.28	36.79	29.45

ओड़ीशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड के आय कर देयता के निमित्त भुगतान के संबंध में लंबित समाधान और समायोजन, दोनों आंकड़े सकल के रूप में दिखाये गये।

15 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
संबद्ध पार्टियों को अग्रिम			
- विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	0.00	-	-
- ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	-	-	-
पूंजीगत अग्रिम से भिन्न अग्रिम			
- सरकारी विभाग	498.06	499.37	537.48
- संविदाएँ	7.19	16.53	18.10
- आपूर्तिकार	32.63	41.23	35.69
- कर्मचारी	17.60	16.46	37.97
- अन्य	7.12	48.79	51.03
- रेलवे	4.65	9.19	8.75
अन्य			
- पूर्व प्रदत्त व्यय			
कर्मचारी ऋण	3.32	3.32	3.82
ए पी आई आई सी को ऋण	4.20	4.20	4.21
पट्टे संबंधी भुगतान*	0.67	0.67	0.24
अन्य	10.52	6.64	7.46
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ	0.12	0.12	0.12
- प्राप्य निर्यात लाभ	39.37	19.71	12.57
- अन्य	0.61	0.34	1.33
	626.06	**666.57**	**718.77**
घटाएं: अशोध्य और संदेहास्पद ऋण का प्रावधान			
पूंजीगत अग्रिम से भिन्न अग्रिम			
- आपूर्तिकार	(0.60)	(0.60)	(0.60)
- अन्य	(2.27)	(2.27)	(2.27)
कुल	**623.19**	**663.69**	**715.89**

* पट्टाधृत भूमि के पूर्व प्रदत्त पूर्व भुगतानों में **4,365.282** और **793.043** हेक्टेयर भूमि, जिसके पट्टे विलेख का अभी निष्पादन किया जाना है, के पूर्व भुगतान शामिल हैं और ओड़ीशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड और दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड को सरकार द्वारा उपरोक्त भूमि पर प्रचालन आरंभ करने की अनुमति नहीं दी गई।

16 ईक्विटी शेयर पूँजी

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्राधिकृत		
प्रत्येक 10 रुपये के 4,890,000,000 ईक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 4,890,000,000)	4,903.50	4,903.50
प्रत्येक 10 रुपये के 3,110,000,000 (31 मार्च 2016 : 3,110,000,000) 7% गैर-संचित प्रतिदेय अधिमान्य शेयर	3,110.00	3,110.00
	8,013.50	8,013.50
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी		
प्रत्येक 10 रुपये के 4,889,846,200 ईक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 : 4,889,846,200)	4,889.85	4,889.85
कुल	**4,889.85**	**4,889.85**

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के प्रत्येक 10 रुपये के 300,000,000 7% गैर-संचित प्रतिदेय अधिमान्य शेयर दि.1 अप्रैल 2015 तक बकाया थे, जिन्हें वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया। शेयरों का वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्णत: शोधन किया गया। (नोट 18)

(i) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत तक शेष ईक्विटी शेयरों की संख्या का समाधान:

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	शेयरों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)	शेयरों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
वर्ष की शुरुआत में शेष शेयर	4,889,846,200	4,889.85	4,889,846,200	4,889.85
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष शेयर	**4,889,846,200**	**4,889.85**	**4,889,846,200**	**4,889.85**

ईक्विटी शेयर से संबद्ध शर्त व अधिकार

कंपनी के पास प्रत्येक 10 रुपये के सममूल्य के एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिन्हें ईक्विटी शेयर के रूप में जाना जाता है। शेयरधारक बैठक की तारीख तक कंपनी के अभिलेखों में दिखाए गए अनुसार ईक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक, शेयरधारक बैठक में वोट देने हेतु प्रस्तुत सभी मामलों के लिए रखे गये प्रत्येक शेयर के संबंध में वोट देने का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। कंपनी, निदेशक मंडल की संस्तुति के अनुसार आम वार्षिक बैठक में लाभांश की घोषणा कर सकती है।

कंपनी के परिसमापन के संदर्भ में, ईक्विटी शेयर धारक, सभी अधिमान्य राशियों के वितरण पश्चात कंपनी की शेष किसी भी परिसंपत्ति की प्राप्ति के हकदार होंगे। हालाँकि, वर्तमान में ऐसी कोई अधिमान्य राशि नहीं है। वितरण, शेयरधारकों के ईक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ii) ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या के 5% से अधिक शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के विवरण

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	शेयरों की सं.	धारिता %	शेयरों की सं.	धारिता %
पूर्णत: प्रदत्त एवं रखे गये प्रत्येक 10 रुपये के ईक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	4,889,846,200	100%	4,889,846,200	100%

(iii) 31 मार्च 2017 या 31 मार्च 2016 तक कंपनी की कोई धारक कंपनी नहीं है।

(iv) रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पूर्व पाँच वर्ष की अवधि के लिए -

- कंपनी ने नकद से भिन्न किसी अन्य आशय हेतु कोई शेयर आवंटित नहीं किये हैं।
- कंपनी ने न ही बोनस शेयर जारी किया है अथवा न ही कोई शेयर खरीदा है।

17 अन्य ईक्विटी

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
(ए) आरक्षित और अधिशेष		
प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,185.95	3,907.46
जोड़ें: लाभ व हानि विवरण के अनुसार अधिशेष	(1,283.58)	(1,719.87)
घटाएँ: विनियोजन:		
- लाभांश वितरण कर सहित लाभांश	(0.60)	(0.95)
- आरक्षित का विनियोजन	(0.43)	(0.69)
वर्ष के अंत में शेष	**901.34**	**2,185.95**
अन्य आरक्षित		
आरक्षित पूँजी मोचन		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,937.47	2,637.47
अवधि में मूवमेंट	- 300.00	
वर्ष के अंत में शेष	**2,937.47**	**2,937.47**
निवेश आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(0.46)	(0.46)
अवधि के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**(0.46)**	**(0.46)**
निवेश की आरक्षति राशि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-
अवधि के दौरान जोड़ी गई राशि		
वर्ष के अंत में शेष	-	-
आर बी आई अधिनियम (विशेष आरक्षित) के अनुसार आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.63	0.48
अवधि के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
आरक्षित का विनियोजन	0.09	0.15
वर्ष के अंत में शेष	**0.72**	**0.63**
प्रतिभूति प्रीमियम		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-
अवधि के दौरान जोड़ी गई राशि		
वर्ष के अंत में शेष	-	-
सामान्य आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	3.48	2.94
अवधि के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
आरक्षित का विनियोजन	0.34	0.54
वर्ष के अंत में शेष	**3.82**	**3.48**
प्रतिदेय अधिमान्य शेयर पूँजी आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	300.00
अवधि के दौरान जोड़ी गई राशि	-	(300.00)
वर्ष के अंत में शेष	-	-
कुल आरक्षित और अधिशेष (ए)	**3,842.89**	**5,127.07**
(बी) **अन्य व्यापक आय**		
निश्चित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुन: मापन		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(45.25)	-
निश्चित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुन: मापन, निवल कर	(36.20)	(45.25)
वर्ष के अंत में शेष	**(81.45)**	**(45.25)**
अन्य व्यापक आय ईक्विटी में निवेश प्राप्तकर्ता का हिस्सा		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	28.83	-
अन्य व्यापक आय ईक्विटी में निवेश प्राप्तकर्ता का हिस्सा	0.86	28.83
वर्ष के अंत में शेष	**29.69**	**28.83**
कुल अन्य व्यापक आय (बी)	**(51.76)**	**(16.42)**
कुल अन्य ईक्विटी (ए+बी)	**3,791.13**	**5,110.65**

18 उधार

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
गैर-चालू उधार			
बैंक से सावधि ऋण			
- संरक्षित बैंक ऋण	5,365.10	3,318.54	66.52
- असंरक्षित बैंक ऋण	476.61	486.94	-
प्रतिदेय अधिमान्य शेयर (असरक्षित)	-	-	285.08
सावधि ऋण की चालू परिपक्वता	315.00	-	1,139.32
	6,156.71	3,805.48	1,490.92
घटाएँ: अन्य चालू वित्तीय देयताओं में शामिल राशि	(315.00)	-	(1,424.40)
कुल गैर-चालू उधार	**5,841.71**	**3,805.48**	**66.52**
चालू उधार			
बैंकों से ऋण			
- संरक्षित कार्यकारी पूँजी उधार (चालू परिसंपत्तियों को गिरवी रखने के माध्यम से)	1,690.35	811.80	1,133.86
- असंरक्षित कार्यकारी पूँजी उधार	2,280.21	1,541.62	1,085.89
- असुरक्षित आवधिक ऋण	-	860.05	1,489.78
- असंरक्षित विदेशी मुद्रा सुविधा	2,101.15	2,090.62	2,252.25
वाणिज्यक पत्र (असंरक्षित)	1,977.13	1,281.55	1,483.11
कुल चालू उधार	**8,048.84**	**6,585.64**	**7,444.89**

समूह पर ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और चलनिधि जोखिम के प्रभाव संबंधी जानकारी नोट **39** में शामिल है।

ए. शर्तें और पुन:भुगतान समयावधि

- कंपनी की परिसंपत्तियों से संबंधित प्रथम ऋण-भार की सममात्रा के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राथमिक जमानत के माध्यम से संरक्षित राशि एवं कंपनी चालू परिसंपत्तियों को छोड़कर चल संयंत्र व मशीनरी एवं सभी अन्य चल परिसंपत्तियों से संबंधित प्रथम ऋणभार की सममात्रा के अनुरूप संपार्श्विक जमानत की राशि में से ऋण की राशि भारतीय रुपये में **1200** करोड़ रुपये है। ऋण का पुन: भुगतान लगातार तिमाही किश्तों में व्यवस्थित ढंग से किया जाना है और आखिरी किश्त का भुगतान वित्त वर्ष **2021-22** की अंतिम तिमाही में किया जाना है।

- कंपनी की चालू परिसंपत्तियों को छोड़कर चल संयंत्र व मशीनरी एवं सभी अन्य चल परिसंपत्तियों से संबंधित प्रथम ऋणभार की सममात्रा के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संरक्षित राशि में से ऋण की राशि भारतीय रुपये में **3731.25** करोड़ रुपये है। ऋण का पुन: भुगतान लगातार तिमाही किश्तों में व्यवस्थित ढंग से किया जाना है और आखिरी किश्त का भुगतान **31** मार्च **2031** में किया जाना है।

- कंपनी की चालू परिसंपत्तियों को छोड़कर चल संयंत्र व मशीनरी एवं सभी अन्य चल परिसंपत्तियों से संबंधित प्रथम ऋणभार की सममात्रा के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संरक्षित राशि में से ऋण की राशि भारतीय रुपये में **433.85** करोड़ रुपये है। ऋण का पुन: भुगतान लगातार तिमाही किश्तों में व्यवस्थित ढंग से किया जाना है और आखिरी किश्त का भुगतान **31** मार्च **2031** में किया जाना है।

- **476.61** करोड़ रुपये के बराबर एक्जिम बैंक का यू एस डालर **73.50** मिलियन असंरक्षित ऋण एकबारगी पुन: भुगतान के रूप में **10** दिसंबर **2018** तक देय है।

बी. निदेशकों व अन्यों द्वारा गारंटीकृत ऋण	-	-	-
सी. ऋण और ब्याज के पुन:भुगतान में चूक	-	-	-

डी. प्रतिदेय अधिमान्य शेयर

समूह के पास **1** अप्रैल **2015** तक **10** रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य सहित **30** करोड़ गैर-संचित प्रतिदेय अधिमान्य शेयर थे। अधिमान्य शेयर **31** मार्च **2016** तक सममूल्य पर अनिवार्यत: प्रतिदेय हैं एवं कंपनी इन शेयरों के धारकों को इनकी परिपक्वता तिथि तक वितरणयोग्य लाभों की उपलब्धता की शर्त पर प्रतिवर्ष **7%** सममूल्य दर पर लाभांश के भुगतान हेतु बाध्य है। **31** मार्च **2016** तक शेयरों का पुन: भुगतान किया गया है।

19 अन्य वित्तीय देयताएँ

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
गैर-चालू अन्य वित्तीय देयताएँ			
प्रतिभूति जमा	13.51	13.05	18.66
अन्य देयताएँ	29.39	0.51	32.99
कुल गैर-चालू अन्य वित्तीय देयताएँ	**42.90**	**13.56**	**51.65**
चालू अन्य वित्तीय देयताएँ			
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता:	-	-	-
- सावधि ऋण	315.00	-	1,139.32
- प्रतिदेय अधिमान्य शेयर	-	-	285.08
प्रोद्भूत ब्याज, जो उधार पर देय नहीं है	56.39	35.20	8.68
प्रतिभूति जमा	125.90	102.00	91.64
बयाना जमा राशि, संरक्षा और अन्य जमा	152.67	136.22	116.06
दावे के निमित्त देय राशि	26.43	29.87	20.93
पूँजीगत ऋणदाता	198.26	244.93	89.65
कर्मचारी से संबंधित देय व वसूली	1.42	1.28	0.34
रॉयल्टी के निमित्त देय राशि	1.77	1.98	0.94
अदत्त लाभांश	1.19	1.64	2.12
प्रतिदेय अधिमान्य शेयर से संबंधित अदावी राशि	0.02	0.02	0.02
अन्य देयताओं के लेनदार	28.38	28.25	27.88
संबद्ध पार्टी को देय राशि	-	0.14	0.20
अन्य वित्तीय देयताएँ*	2,668.98	2,589.86	2,510.73
कुल चालू अन्य वित्तीय देयताएँ	**3,576.41**	**3,171.40**	**4,293.60**

*अन्य वित्तीय देयताओं में धारक कंपनी के कार्यपालक व गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण **499.43** करोड़ रुपये (पिछले वर्ष **433.08** करोड़ रुपये) का प्रावधान शामिल है।

समूह पर वित्तीय देयताओं से संबंधित मुद्रा व चलनिधि जोखिम स्थिति का विवरण नोट **39** में दिया गया।

20 प्रावधान

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
गैर-चालू प्रावधान			
कर्मचारी लाभ का प्रावधान			
अनुदान की देयता	15.45	13.14	12.08
प्रतिपूरित अनुपस्थिति की देयता	307.42	268.00	81.00
सेवानिवृत्ति लाभ की देयता	428.74	364.72	254.83
कर्मचारी परिवार लाभ योजना की देयता	190.03	176.69	170.06
सेवा पुरस्कार की देयता	39.81	37.87	39.21
छुट्टी यात्रा रियायत की देयता	-	8.05	13.17
सेवानिवृत्ति निधि की देयता	0.04	0.04	0.03
कर्मचारी लाभ के कुल प्रावधान (ए)	**981.49**	**868.51**	**570.38**

अन्य प्रावधान			
दर व कर का प्रावधान	0.49	0.49	0.49
देय एल आई सी प्रीमियम का प्रावधान	-	0.60	-
खान बंद करने से संबंधित दायित्व का प्रावधान	3.48	3.36	3.23
कुल अन्य प्रावधान (बी)	**3.97**	**4.45**	**3.72**
कुल गैर-चालू प्रावधान (ए+बी)	**985.45**	**872.96**	**574.09**
चालू प्रावधान			
कर्मचारी लाभ का प्रावधान			
उपदान की देयता	13.99	-	12.57
प्रतिपूरक अनुपस्थिति की देयता	51.99	43.93	134.22
सेवानिवृत्ति लाभ की देयता	30.95	25.89	20.13
कर्मचारी परिवार लाभ योजना की देयता	33.64	27.90	25.49
सेवा पुरस्कार की देयता	3.80	3.74	4.23
छुट्टी यात्रा रियायत की देयता	4.27	1.63	2.67
वेतन संशोधन की देयता	31.71	28.95	25.88
कर्मचारी लाभ के कुल प्रावधान (ए)	**170.35**	**132.04**	**225.18**
अन्य प्रावधान			
संपदा कर का प्रावधान	-	-	0.34
खान बंद करने से संबंधित दायित्व का प्रावधान	4.01	3.88	3.79
वन्य जीव संरक्षण योजना का प्रावधान	3.78	-	-
पट्टा नवीकरण शुल्क का प्रावधान	3.32	2.78	2.25
अन्य विधिक दायित्वों का प्रावधान	19.13	16.44	17.44
अन्य प्रावधान	0.04	0.04	0.06
कुल अन्य प्रावधान (बी)	**30.27**	**23.14**	**23.87**
कुल चालू प्रावधान (ए+बी)	**200.62**	**155.18**	**249.06**

खान बंद करने से संबंधित दायित्व के प्रावधान में गति (रुपए करोड़ों में)

विवरण	खान बंद करने से संबंधित दायित्व
1 अप्रैल 2015 तक शेष	7.02
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.22
31 मार्च 2016 तक शेष	**7.24**
1 अप्रैल 2016 तक शेष	7.24
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.25
31 मार्च 2017 तक शेष	**7.49**

खान बंद करने का दायित्व

खान में प्रचालन आरंभ करने से संबंधित समूह के भावी दायित्व के मद्देनजर खान बंद करने से संबंधित दायित्व हेतु प्रावधान दिखाया गया।

खान का नाम	पट्टा अवधि की समाप्ति
जग्गय्यपेटा	8-जुलाई-2030
माधारम	13-जुलाई-2030
गर्भम	7-अक्टूबर-2032

21 अन्य गैर-चालू देयताएँ

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अन्य			
आस्थगित आय	7.71	7.15	6.55
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ	7.71	7.15	6.55

ए.आस्थगित आय

प्रधान मंत्री ट्रॉफी, इस्पात मंत्री ट्रॉफी, और इस्पात मंत्री विकास निधि से प्राप्त राशि 4 करोड़ रुपये है और इसका विशेष प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जाना है तथा वर्तमान में इसे आस्थगित आय के रूप में दिखाया गया है। साथ ही, इस राशि का धीरे-धीरे ऋणमोचन हेतु उपयोग किया जाएगा और तब तक इसे व्यय के रूप में दिखाया जाएगा।

22 व्यापार और देयताएँ

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
व्यापार देयताएँ			
- एम एस एम ई	35.31	55.30	29.08
- अन्य	1,026.45	697.67	587.25
कुल व्यापार और देयताएँ	1,061.76	752.97	616.33

सभी व्यापार देय 'वर्तमान' के हैं।

व्यापार देय संबंधी कंपनी की मुद्रा व चलनिधि जोखिम स्थिति का विवरण नोट 39 में प्रस्तुत है।

23 व्युत्पन्न

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
ब्याज दर स्वैप	-	0.36	-
विदेशी मुद्रा संविदा	138.38	53.81	31.42
कुल व्युत्पन्न	138.38	54.17	31.42

24 अन्य चालू देयताएँ

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	2.09	2.21	2.97
ग्राहकों से अग्रिम	190.69	215.82	194.22
सांविधिक देय	369.13	294.56	397.14
अन्य अग्रिम	12.62	12.23	9.35
कुल अन्य चालू देयताएँ	574.53	524.82	603.68

देयताओं में ई पी सी जी योजना के तहत पूँजीगत माल एवं हिस्से पुर्जे के आयात के संबंध में संरक्षित किये जा रहे 69.04 करोड़ रुपये के शुल्क (31.03.2017 तक) की सीमाशुल्क देयता शामिल है, जिसके लिए निर्यात दायित्वों की पूर्ति अभी की जानी है।

25 प्रचालन से राजस्व

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
ए.उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)		
घरेलू बिक्री	11,686.04	11,117.84
घटाएँ: ट्रायल रन उत्पादों की बिक्री (सी डब्ल्यू आई पी में हस्तांतरित)	(388.27)	(1,406.30)
	11,297.77	9,711.54
ट्रायल रन की निवल निर्यात बिक्री	1,050.82	1,186.50
घटाएँ: ट्रायल रन उत्पाद की बिक्री (सी डब्ल्यू आई पी में हस्तांतरित)	(0.72)	(804.94)
	1,050.10	381.56
उत्पाद की कुल बिक्री (ए)	12,347.87	10,093.10
अन्य प्रचालन राजस्व		
आंतरिक खपत	29.68	35.60
निर्यात लाभ	38.66	37.96
अन्य	33.08	30.13
लाभांश से संबंधित आय	0.02	0.01
ब्याज संबंधी आय	61.76	69.24
कुल अन्य प्रचालन राजस्व (बी)	163.20	172.94
कुल (ए+बी)	12,511.07	10,266.04

26 अन्य आय

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रभावी ब्याज पद्धति के अधीन ब्याज संबंधी आय:		
बैंक	0.28	0.29
कर्मचारियों को ऋण	8.89	8.95
अन्य	56.02	85.43
ईक्विटी इंस्ट्रमेंट्स पर लाभांश संबंधी आय	0.00	-
परिसज्जित उत्पादों के दावे (कमी व लापता वेगस)	-	0.01
संपत्ति के उप पट्टों से किराये के रूप में आय	30.99	29.14
परिसमापन नुकसान	101.88	27.03
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री से निवल अभिलाभ	0.52	0.34
अनपेक्षित प्रावधानों का अवलेखन	13.76	2.04
विविध प्राप्तियाँ (नीचे की टिप्पणी देखें)*	49.36	197.16
एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय इंस्ट्रमेंट्स से प्राप्त न्यायसंगत मूल्य अभिलाभ	1.15	0.02
कुल	262.85	350.41

सूचना :

*हुदहुद तूफान के कारण हुई क्षति के लिए **354.03** करोड़ रुपये के हमारे संशोधित दावे के निमित्त बीमा कंपनी द्वारा **2015-16** तक 'लेखागत भुगतान' के रूप में **140.25** करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया, जिसे पूर्व वर्षों में दिखाया गया। हुदहुद तूफान के कारण हुई क्षति से संबंधित व्यय को अलग-अलग से पहचानते हुए दिखाना कठिन है, अत: उसे विभिन्न प्रमुख लेखा शीर्षों के तहत दिखाया गया।

27 खपत की गई सामग्री की लागत

(करोड़ रुपये)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 म र्च 2017	31 मार्च 2016
कच्चा माल		
कोयला	4,593.87	2,997.01
कोक व कोक ब्रीज	33.42	0.00
लौह अयस्क	2,402.69	2,312.42
चूना पत्थर	162.52	184.23
डोलोमाइट	125.60	129.19
सिलिकॉन मैंगनीज	333.24	267.71
फेर्रो सिलिकॉन	51.98	52.24
अल्यूमिनियम	82.93	67.90
मैंगनीज अयस्क	2.38	2.76
पेट्रोलियम कोक	19.02	17.54
समुद्री जल मैग्नसाइट	15.70	27.28
अन्य	24.82	16.32
कुल	**7,848.18**	**6,074.61**
जोड़ें: ट्रायल रन उत्पादन की उत्पादकता	244.01	837.50
घटाएँ: ट्रायल रन उत्पादन में खपत की गई सामग्री	(1,088.58)	(2,715.31)
घटाएँ: अंत: लेखा समायोजना - कच्चेमाल के खनन की लागत	(63.96)	(59.94)
कुल	**6,939.65**	**4,136.86**

28 परिसज्जित माल की वस्तुसूची में परिवर्तन और कार्य की प्रगति

(करोड़ रुपये)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रारंभिक स्टॉक	1,873.47	3,129.95
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	(2,343.94)	(1,873.47)
	(470.47)	1,256.48
घटाएँ: माल में (वृद्धि)/कमी पर सीमा शुल्क	72.93	(106.76)
कुल	**(398.04)**	**1,155.86**

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निवल वास्तविक मूल्य पर आकलित वस्तुसूची की लागत	241.23	965.54
निवल वास्तविक मूल्य पर आकलित वस्तुसूची	229.37	726.43
व्यय के रूप में प्रभारित वस्तुसूची का अवलेखन	**11.86**	**239.11**

29 कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपये)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
वेतन और मजदूरी	1,740.27	1,522.75
भविष्य निधि व अन्य निधियों में योगदान	167.07	155.41
प्रतिपूरक अनुपस्थिति से संबंधित व्यय	129.22	128.57
कर्मचारी कल्याण व्यय	170.74	118.74
कुल	**2,207.30**	**1,925.47**

30 वित्त लागत

(करोड़ रुपये)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
ऋणमोचन लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं का ब्याज व्यय:		
विदेशी मुद्रा सुविधा	157.70	182.90
बैंक ऋण और वाणिज्यिक पत्र	602.26	464.70
अन्य	5.60	27.44
	-	-
अन्य उधार लागत	2.43	2.50
कुल	**767.99**	**677.54**

नोट (रुपये करोड़ों में)

(i) वित्त लागत पर व्यय उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया और नीचे अनुसार प्रभारित है:

(ii) सामान्य उधार के मामले में, वर्ष 2016-17 के लिए उधार लागत की भारित औसतन दर 10.40% है (वित्त वर्ष 2015-16 10.69%)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
पूजीगत कार्य चालू है/निर्माण के दौरान व्यय		
ब्याज-बैंक	252.80	215.41
कुल	252.80	215.41

31. मूल्यह्रास एवं परिशोधित व्यय

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मूल्यह्रास	645.23	354.59
अमूर्त परिसंपत्तियों का ऋणमोचन	18.69	18.15
कुल	663.93	372.74

32 अन्य व्यय

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
भंडार और हिस्से पुर्जों की खपत	485.46	565.36
विद्युत और ईंधन (संदर्भ नोट 32.1)	1,066.77	879.85
मरम्मत एवं अनुरक्षण (संदर्भ नोट 32.2)	355.87	301.69
लेखापरीक्षकों को मानदेय	0.43	0.41
किराया	3.02	2.63
दर और कर	15.31	15.06
बीमा	22.82	22.44
प्रहस्तन एवं स्क्रेप पुन: प्राप्ति	154.29	187.57
भाड़ा जावक	531.00	583.21
शोध एवं विकास व्यय	0.41	0.91
प्रावधान		
भंडार में कमी/खराब सामग्री/अप्राधिकृत/पुराने मद	2.24	4.40
संदेहास्पद अग्रिम और दावे	1.70	1.22
अशोध्य ऋण	0.08	0.04
अन्य	0.63	-
बट्टे खाते में डालना		
अप्रतिसंहरणीय संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर हानि	1.97	2.17
भंडार में कमी/खराब सामग्री/अप्राधिकृत/पुराने मद	0.19	0.03
संदेहास्पद अग्रिम और दाव	0.05	0.04
बट्टे खाते में डाला गया अलाभकारी खान व्यय	7.88	-
अशोध्य ऋण	-	0.06
विविध	119.81	72.37
एफ वी टी पी एल में मापित वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में परिवर्तन	84.22	22.74
दान	1.89	3.36
विविध व्यय (संदर्भ नोट 32.3)	153.95	237.49
कुल	3,009.98	2,903.06

32.1 विद्युत व ईंधन

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
खरीदा गया विद्युत	476.56	407.29
कोयला	584.79	466.05
भट्ठी तेल/एल एस एच एस/एल डी ओ	5.42	6.51
कुल	1,066.77	879.85

विद्युत व ईंधन की लागत में संयंत्र में उत्पादित विद्युत की लागत एवं आंतरिक रूप से खपत गए कुछ ईंधन तत्वों की उत्पादन लागत शामिल नहीं है। तत्संबंधी व्यय प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

32.2 मरम्मत एवं अनुरक्षण

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
संयंत्र और उपस्कर	193.88	130.18
भवन	30.50	34.75
अन्य	131.49	136.76
कुल	**355.87**	**301.69**

32.3 विविध व्यय

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
तकनीकी सेवा	10.20	8.80
यात्रा व्यय	62.57	62.90
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.18	2.40
प्रेषण, तार और दूरभाष	4.24	4.48
जल प्रभार	68.38	50.75
कानूनी व्यय	2.12	1.38
बैंक प्रभार	3.16	1.06
सामुदायिक विकास कल्याण	6.78	6.10
संरक्षा व्यय	83.09	67.78
मनोरंजन व्यय	1.78	1.14
विज्ञापन	13.28	9.36
विलंब शुल्क व घाटा भाड़ा	0.97	14.90
आई एस ओ लेखापरीक्षा व्यय	0.04	0.04
बिक्री व्यय	11.80	9.67
विनिमय दर में अंतर (निवल)	(116.63)	(3.28)
कुल	**153.95**	**237.49**

33 अनुपालन का विवरण

ये भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप तैयार किये गये समुदाय के प्रथम समेकित विवरण हैं।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (आई जी ए ए पी), जो पहले जी ए ए पी था, के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित अनुसार भारत में सामान्यत: स्वीकृत भारतीय लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप यह संव्यवहार किया गया। इस संव्यवहार से कंपनी के रिपोर्टेड तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह किस प्रकार प्रभावित हुए, उसकी व्याख्या नोट 46 में दी गयी है।

वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल द्वारा 1 सितंबर, 2017 को जारी किये जाने हेतु प्राधिकृत हैं।

34 आकलन व फैसले का उपयोग

अगले वित्त वर्ष में वास्तविक समायोजन जैसे महत्वपूर्ण जोखिम वाली धारणा एवं अनुमान संबंधी अनिश्चितताओं को निम्नलिखित नोट्स में शामिल किया गया है:

नोट 9 - कर घाटे का प्रयोग

नोट 35- निश्चित लाभ दायित्व का मापन

नोट 20 और 40 - प्रावधान और आकस्मिक व्यय

35 कर्मचारी लाभ

(i) सेवानिवृत्ति लाभ योजना का योगदान

सेवानिवृत्ति लाभ योजना (नियुक्ति पश्चात लाभ - निश्चित अंशदान योजना) के रूप में लाभ व हानि खाते के समेकित विवरण में 6.48 करोड़ रुपये (31 मार्च 2016 : 6.16 करोड़ रुपये) और चालू पूँजीगत कार्य में 0.35 करोड़ रुपये (31 मार्च 2016: 0.66 करोड़ रुपये) दिखाये गये।

(ii) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों का सामान्य विवरण

ए) भविष्य निधि

समुदाय भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दर पर एक अलग न्यास को निश्चित अंशदान का भुगतान करता है, जो निधियों को स्वीकृत प्रतिभूति जमा में निवेश करता है। न्यास को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सभी सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना होगा। निवेशों के प्रतिलाभ पर आधारित अंशदान की ब्याज दर में घोषित दर की तुलना में कमी लाने तक समुदाय का दायित्व सीमित है।

निश्चित लाभ योजनाओं से कंपनी को दीर्घकालिक जोखिम, मुद्रा संबंधी जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) संबंधी जोखिम जैसे बीमांकिक जोखिम होते हैं।

बी) उपदान

समुदाय में भारत की निश्चित लाभ उपदान योजना है, जो उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 द्वारा संचालित होती है। उपदान योजना के अनुसार कम से कम 5 वर्ष तक लगातार सेवा करनेवाला कर्मचारी सेवानिवृत्ति/कंपनी से अलग होते समय सेवा समाप्ति के प्रत्येक वर्ष हेतु 15 दिन के वेतन के लिए हकदार है। उपदान की निश्चित लाभ योजना एकल उपदान न्यास, जो समुदाय से विधिक रूप से अलग है, द्वारा संचालित होती है।

उपदान हेतु समुदाय द्वारा निधि की व्यवस्था की जाती है। निधि की आवश्यकताएँ योजना की निधि संबंधी नीतियों में निर्धारित उपदान निधि के बीमांकिक मापन पर आधारित होती हैं। योजना में कर्मचारी का अंशदान नहीं होता।

सी) सेवानिवृत्ति निपटान लाभ

सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके आश्रित एवं सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारी के आश्रित भी अपने स्थाई निवास स्थान तक यात्रा व परिवहन व्यय के हकदार होते हैं।

डी) सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कंपनी के अस्पताल में/स्वास्थ्य बीमा नीति के तहत चिकित्सा लाभ उपलब्ध हैं।

ई) विदाई योजना

कंपनी से सेवानिवृत्त प्रत्येक कर्मचारी को 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। यह योजना कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए लागू है।

(iii) सेवानिवृत्ति के पश्चात निश्चित लाभ दायित्व के मामले में कर्मचारी लाभ के संबंध में भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार अन्य प्रकटीकरण हैं:

- उपदान

(रुपये करोड़ों में)

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
निश्चित लाभ दयित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	805.56	791.03
प्रदत्त लाभ	(49.34)	(41.61)
चालू सेवा लागत	8.68	11.50
ब्याज लागत	61.63	60.81
दायित्व पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	27.89	(16.17)
वर्ष के अंत में शेष	**854.41**	**805.56**
योजना परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य का समाधान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	804.27	767.64
योजना में प्रदत्त योगदान	2.64	11.86
प्रदत्त लाभ	(49.30)	(41.61)
अपेक्षित वापसी	60.84	57.92
ब्याज आय	0.84	0.99
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक अभिलाभ	5.68	7.48
वर्ष के अंत में शेष	**824.97**	**804.27**
निवल निश्चित लाभ देयता (परिसंपत्ति)	**29.44**	**1.29**
लाभ और हानि में पहचाना गया व्यय		
चालू सेवा लागत	8.68	11.50
ब्याज लागत	0.10	1.38
पूर्व सेवा प्रतिलाभ	-	-
ब्याज आय	-	-
	8.77	12.88
अन्य व्यापक आय में दिखाये गये पुन: मापन		
निश्चित लाभ दायित्व पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	27.88	(15.42)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ एवं ब्याज संबंधी आय में अंतर - (अभिलाभ)/हानि	(19.96)	15.71
	7.92	**0.29**
योजना परिसंपत्तियाँ		
नकद एवं नकद सम राशि	1.82	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	823.15	804.27

वर्ष 2017-18 में समुदाय अंशदान की निश्चित लाभ योजना के अंतर्गत रुपये 29.44 करोड़ के भुगतान की प्रत्याशा करता है।

- सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ

(रुपये करोड़ों में)

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
निश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	348.26	237.80
प्रदत्त लाभ	(5.70)	(7.37)
चालू सेवा लागत	14.25	9.73
ब्याज लागत	27.29	18.26
दायित्व पर बीमांकिक हानि	30.12	89.84
वर्ष के अंत में शेष	**414.22**	**348.26**
लाभ और हानि में पहचाना गया व्यय		
चालू सेवा लागत	14.25	9.73
ब्याज लागत	27.29	18.26
पूर्व सेवा प्रतिलाभ	-	-
ब्याज आय	-	-
	41.54	**27.99**
अन्य व्यापक आय में दिखाए गए पुन: मापन		
निश्चित लाभ दायित्व पर बीमांकिक हानि	30.12	89.84
	30.12	**89.84**

- सेवानिवृत्ति निपटान लाभ

(रुपये करोड़ों में)

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
निश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	42.35	37.16
प्रदत्त लाभ	(3.23)	(2.60)
चालू सेवा लागत	2.03	1.79
ब्याज लागत	3.22	2.80
दायित्व पर बीमांकिक हानि	1.10	3.20
वर्ष के अंत में शेष	**45.46**	**42.35**
लाभ और हानि में पहचाना गया व्यय		
चालू सेवा लागत	2.03	1.79
ब्याज लागत	3.22	2.80
पूर्व सेवा प्रतिलाभ	-	-
	5.25	**4.58**
अन्य व्यापक आय में दिखाए गए पुन: मापन		
निश्चित लाभ दायित्व पर बीमांकिक हानि	1.10	3.20
	1.10	**3.20**

- विदाई योजना

(रुपये करोड़ों में)

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
निश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	35.48	34.12
प्रदत्त लाभ	(1.21)	(1.01)
चालू सेवा लागत	0.88	0.85
ब्याज लागत	2.75	2.62
दायित्व पर बीमांकिक (अभिलाभ)	(0.06)	(1.10)
वर्ष के अंत में शेष	**37.85**	**35.48**
लाभ और हानि में पहचाना गया व्यय		
चालू सेवा लागत	0.88	0.85
ब्याज लागत	2.75	2.62
पूर्व सेवा प्रतिलाभ	-	-
	3.64	**3.47**
अन्य व्यापक आय में दिखाए गए पुन: मापन		
निश्चित लाभ दायित्व पर बीमांकिक (प्रतिलाभ)	(0.06)	(1.10)
	(0.06)	**(1.10)**

बीमांकिक धारणा

रिपोर्टिंग तिथि पर मूलधन का बीमांकिक अनुमान (भारित औसत के रूप में घोषित):

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
बट्टा दर	7% - 7.40%	7.75% - 7.95%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि दर	5.00% - 7.00%	5.00% - 7.00%
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी	7.40%	7.90%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	5.00%	5.00%

अस्थिरता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर संबद्ध किसी बीमांकिक मान्यता, अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, में उपयुक्त संभावित परिवर्तनों से निश्चित लाभ दायित्व हुआ है और चालू सेवा लागत की राशि निम्नानुसार है:

- उपदान

(रुपये करोड़ों में)

	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	वृद्धि	कमी	। वृद्धि	कमी
1. अनुमानित बट्टे दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	(28.60)	30.38	(10.54)	29.52
- चालू सेवा लागत	(0.85)	0.24	(3.33)	(2.34)
2. अनुमानित वेतन वृद्धि दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	2.41	(2.52)	21.20	(2.49)
- चालू सेवा लागत	(0.28)	(0.34)	(2.43)	(3.27)

- सेवानिवृत्त चिकित्सा लाभ

(रुपये करोड़ों में)

	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
1. अनुमानित बट्टे दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	(32.17)	36.17	(27.07)	30.38
- चालू सेवा लागत	1.38	4.18	3.41	5.76
2. अनुमानित चिकित्सा मुद्रास्फीति दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्वा	37.76	(33.73)	31.87	(28.50)
- चालू सेवा लागत	4.25	1.32	5.83	3.3

- सेवानिवृत्ति निपटान लाभ

(रुपये करोड़ों में)

	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
1. अनुमानित बट्टे दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	(1.71)	1.82	(1.64)	1.75
- चालू सेवा लागत	0.07	0.24	0.17	0.33

- विदाई योजना

(रुपये करोड़ों में)

	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
1. अनुमानित बट्टे दर में 0.5% बदलाव का प्रभाव				
- निश्चित लाभ दायित्व	(1.78)	1.93	(1.69)	1.82
- चालू सेवा लागत	0.01	0.11	(0.01)	0.08

हालाँकि योजना के अंतर्गत प्रत्याशित नकद प्रवाह के पूर्ण वितरण को विश्लेषण हेतु विचार में नहीं लिया जाता, लेकिन उससे दिये गये अनुसार अस्थिरता का अनुमान लगाया जा सकता है।

(IV) भविष्य निधि

वर्ष के दौरान भविष्य निधि हेतु समूह द्वारा प्रदत्त/देय अंशदान की राशि लाभ व हानि के सनेकित विवरण में दिखाई गई। कंपनी के भविष्य निधि न्यास को कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 17 एवं विभिन्न प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत छूट दी गई है। छूट देने से संबंधित शर्तों के अनुरूप नियोक्ता को बेहतर करना होगा और न्यास द्वारा सांविधिक दर की तुलना में घोषित ब्याज दर में कोई विसंगति हो तो उसकी भरपाई करनी होगी। समूह निकट भविष्य में कंपनी की परिसंपत्तियों एवं निधियों तथा निवेश संबंधी प्रतिलाभ के मामले में आगे किसी दायित्व की अपेक्षा नहीं करता है। नोट को नोट सं.35 (ii) के साथ पढ़ा जाय।

36. पूंजी प्रबंधन

समूह का उद्देश्य है कि निवेशक, ऋणदाता का विश्वास एवं बाजार में अपनी स्थिति बनाये रखने तथा व्यापार में भावी विकास हेतु एक सशक्त पूँजीगत आधार का अनुरक्षण किया जाय। समूह 'समायोजित ईक्विटी' में 'समायोजित निवल ऋण' के अनुपात के उपयोग के माध्यम से पूँजी का अनुश्रवण करता है। इसके लिए समायोजित निवल ऋण को वित्तीय पट्टों के तहत ब्याज सहित ऋण व उधार के साथ कुल देयताओं, समझौता पूर्ण ब्याज वाले ऋण एवं उधार तथा दायित्व, कम नकद व नकद सम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। समायोजित ईक्विटी में नकद प्रवाह बचाव राशि व लागत बचाव राशि, यदि हो तो, की प्रभावी मात्रा में संचित राशि से भिन्न ईक्विटी के सभी घटक शामिल हैं।

रिपोर्टिंग तिथि पर समूह के समायोजित निवल ऋण का ईक्विटी अनुपात निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ों में)

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
कुल देयताएं	18,571.62	14,329.05	12,472.99
घटाएँ: नकद व नकद सम राशि	867.76	853.80	845.40
समायोजित निवल ऋण	17,703.86	13,475.26	11,627.59
कुल ईक्विटी	9,262.42	10,591.11	12,333.24
घटाएं: बचाव राशि की लागत	-	-	-
समायोजित ईक्विटी	9,262.42	10,591.11	12,333.24
समायोजित निवल ऋण का समायोजित ईक्विटी अनुपात	1.91	1.27	0.94

37 प्रति शेयर अर्जन

i) प्रति शेयर मूल अर्जन

निम्न विभाजन के माध्यम से मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना:

- समूह के स्वामियों को स्रोतजन्य लाभ
- वित्त वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा:

ईक्विटी शेयरधारकों को स्रोतजन्य लाभ की गणना एवं मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना हेतु बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
i. ईक्विटी शेयरधारकों को स्रोतजन्य लाभ (हानि) (₹ करोड़)	(1,283.58)	(1,719.87)
ii. ईक्विटी शेयरों (मूल) की भारित औसत संख्या	4,889,846,200	4,889,846,200
मूल व डाइल्यूटेड ई पी एस (₹)	(2.62)	(3.52)

वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई संभाव्य डाइल्यूटिव ईक्विटी शेयर नहीं हैं।

38. पट्टा

ए. पट्टादाता की हैसियत से परिचालन पट्टा

समूह ने रद्द करने योग्य परिचालन पट्टे के तहत पट्टा देने की सुविधा प्रदान की है। अत: समूह के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 17 के प्रावधानों के अनुसार पट्टे संबंधी आय के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

बी. पट्टेदार की हैसियत से परिचालन पट्टा

समूह ने रद्द करने योग्य पट्टे करार के अधीन विभिन्न कार्यालयों के पट्टे लिये हैं। अत: समूह को भारतीय लेखाकरण मानक 17 के प्रावधानों के अनुसार भावी पट्टे भुगतानों के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

39 वित्तीय लिखत – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन

ए. लेखाकरण का वर्गीकरण और उचित मूल्य

निम्नलिखित सारणी में अग्रसारित राशि तथा उचित मूल्य के अनुक्रम सहित वित्तीय परिसंपत्तियों व वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य दर्शाया गया।

31 मार्च, 2017 (रुपए करोड़ में)

विवरण	अग्रसारित राशि					उचित मूल्य			
	उचित मूल्य बचाव कारक	अनिवार्यत: एफवीटीपीएल में अन्य	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ-परिशोधित लागत	अन्य वित्तीय देयताएँ-परिशोधित लागत	कुल अग्रसारित राशि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
प्रतिभूति जमा*	-	-	285.96	-	285.96	-	-	-	-
कर्मचारी ऋण	-	-	61.47	-	61.47	-	-	-	-
ऋण और अग्रिम	-	-	119.05	-	119.05	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य*	-	-	881.19	-	881.19	-	-	-	-
उपचित ब्याज*	-	-	142.96	-	142.96	-	-	-	-
नकद और नकद समान*	-	-	867.76	-	867.76	-	-	-	-
अन्य प्राप्य*	-	-	86.19	-	86.19	-	-	-	-
	-	-	2,444.58	-	2,444.58	-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएँ									
ब्याज दर में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वायदा विनिमय संविदाएँ	-	138.38	-	-	138.38	-	138.38	-	138.38
	-	138.38	-	-	138.38	-	138.38	-	138.38
उचित मूल्य पर माप नहीं की गयी वित्तीय देयताएँ*									
जमानती बैंक ऋण	-	-	-	7,847.06	7,847.06	-	-	-	-
गैर-जमानती बैंक ऋण	-	-	-	4,381.36	4,381.36	-	-	-	-
वाणिज्य कागजात	-	-	-	1,977.13	1,977.13	-	-	-	-
मोचनीय अधिमान्य शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपचित ब्याज	-	-	-	56.39	56.39	-	-	-	-
उपचित आय	-	-	-	2.09	2.09	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	1,061.76	1,061.76	-	-	-	-
प्राप्त प्रतिभूति जमा	-	-	-	139.41	139.41	-	-	-	-
बयाना जमा राशि	-	-	-	152.67	152.67	-	-	-	-
देय दावे	-	-	-	26.43	26.43	-	-	-	-
पूँजी ऋणदाता	-	-	-	198.26	198.26	-	-	-	-
अन्य देयताएँ	-	-	-	2,698.37	2,698.37	-	-	-	-
	-	-	-	18540.93	18540.93	-	-	-	-

* वित्तीय विवरणों में अग्रसारित मान्यता प्राप्त इन वित्तीय लेख उनकी अनुमानित उचित मूल्य तर्कसंगत है।

39 वित्तीय लिखित - उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

31 मार्च, 2016

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	अग्रसारित राशि					उचित मूल्य			
	उचित मूल्य बचाव कारक	अनिवार्यत: एफवीटीपीएल में अन्य	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ- परिशोधित लागत	अन्य वित्तीय देयताएँ- परिशोधित लागत	कुल अग्रसारित राशि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ					-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा*	-	-	165.63	-	165.63	-	-	-	-
कर्मचारी ऋण	-	-	56.15	-	56.15	-	-	-	-
ऋण और अग्रिम	-	-	150.29	-	150.29	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य*	-	-	963.57	-	963.57	-	-	-	-
उपचित ब्याज*	-	-	118.57	-	118.57	-	-	-	-
नकद और नकद समान*	-	-	853.80	-	853.80	-	-	-	-
अन्य प्राप्य*	-	-	106.01	-	106.01	-	-	-	-
	-	-	2,414.02	-	2,414.02	-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएँ									
ब्याज दर में परिवर्तन	-	0.36	-	-	0.36	-	0.36	-	0.36
वायदा विनिमय संविदाएँ	-	53.81	-	-	53.81	-	53.81	-	-
	-	54.17	-	-	54.17	-	54.17	-	0.36
उचित मूल्य पर माप नहीं की गयी वित्तीय देयताएँ*									
जमानती बैंक ऋण	-	-	-	4,617.28	4,617.28	-	-	-	-
गैर-जमानती बैंक ऋण	-	-	-	4,492.29	4,492.29	-	-	-	-
वाणिज्य कागजात	-	-	-	1,281.55	1,281.55	-	-	-	-
मोचनीय अधिमान्य शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपचित ब्याज	-	-	-	35.20	35.20	-	-	-	-
उपचित आय	-	-	-	2.21	2.21	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	752.97	752.97	-	-	-	-
प्राप्त प्रतिभूति जमा	-	-	-	115.05	115.05	-	-	-	-
बयाना जमा राशि	-	-	-	136.22	136.22	-	-	-	-
देय दावे	-	-	-	29.87	29.87	-	-	-	-
पूँजी ऋणदाता	-	-	-	244.93	244.93	-	-	-	-
अन्य देयताएँ	-	-	-	2,590.37	2,590.37	-	-	-	-
	-	-	-	14,297.94	14,297.94				

* वित्तीय विवरणों में अग्रसारित मान्यता प्राप्त इन वित्तीय लेख उनकी अनुमानित उचित मूल्य तर्कसंगत है।

39 वित्तीय लिखित - उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

1 अप्रैल, 2015

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	अग्रसारित राशि					उचित मूल्य			
	उचित मूल्य बचाव कारक	अनिवार्यत: एफवीटीपीएल में अन्य	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ-परिशोधित लागत	अन्य वित्तीय देयताएँ-परिशोधित लागत	कुल अग्रसारित राशि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ					-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा*	-	-	155.92	-	155.92	-	-	-	-
कर्मचारी ऋण	-	-	51.87	-	51.87	-	-	-	-
ऋण और अग्रिम	-	-	181.79	-	181.79	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य*	-	-	1,034.10	-	1,034.10	-	-	-	-
उपचित ब्याज*	-	-	90.53	-	90.53	-	-	-	-
नकद और नकद समान*	-	-	845.40	-	845.40	-	-	-	-
अन्य प्राप्य*	-	-	122.49	-	122.49	-	-	-	-
	-	-	2,482.10	-	2,482.10	-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएँ									
वायदा विनिमय संविदाएँ	-	31.42	-	-	31.42	-	31.42	-	31.42
	-	31.42	-	-	31.42	-	31.42	-	31.42
उचित मूल्य पर माप नहीं की गयी वित्तीय देयताएँ*									
जमानती बैंक ऋण	-	-	-	2,339.70	2,339.70	-	-	-	-
गैर-जमानती बैंक ऋण	-	-	-	4,827.92	4,827.92	-	-	-	-
वाणिज्य कागजात	-	-	-	1,483.11	1,483.11	-	-	-	-
मोचनीय अधिमान्य शेयर	-	-	-	285.08	285.08	-	-	-	-
उपचित ब्याज	-	-	-	8.68	8.68	-	-	-	-
उपचित आय	-	-	-	2.97	2.97	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	616.33	616.33	-	-	-	-
प्राप्त प्रतिभूति जमा	-	-	-	110.30	110.30	-	-	-	-
बयाना जमा राशि	-	-	-	116.06	116.06	-	-	-	-
देय दावे	-	-	-	20.93	20.93	-	-	-	-
पूँजी ऋणदाता	-	-	-	89.65	89.65	-	-	-	-
अन्य देयताएँ	-	-	-	2,543.72	2,543.72	-	-	-	-
	-	-	-	12,444.46	12,444.46	-	-	-	-

* वित्तीय विवरणों में अग्रसारित मान्यता प्राप्त इन वित्तीय लेख उनकी अनुमानित उचित मूल्य तर्कसंगत है।

बी. उचित मूल्यों का मापन

निम्नलिखित सारणी में तुलन पत्र में उचित मूल्य में वित्तीय लिखित मापन हेतु स्तर 2 के मापन में प्रयुक्त मूल्यांकन तरीकों के साथ प्रयुक्त महत्वपूर्ण अलक्ष्य मुद्दे भी दर्शाए गए।

प्रकार	मूल्यांकन तरीका	महत्वपूर्ण अलक्ष्य मुद्दे	महत्वपूर्ण अलक्ष्य मुद्दे और उचित मूल्य मापन के बीच का आंतरिक संबंध
वायदा विनिमय संविदाएँ	अग्रसारित मूल्यनिर्धारण: रिपोर्टिंग तारीख को कोट की गयी अग्रेषित विनिमय दरों का उपयोग करते हुए उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है।	लागू नहीं	लागू नहीं
ब्याज दर में परिवर्तन	परिवर्तन की पद्धतियाँ : रिपोर्टिंग तारीख को कोट की गयी परिवर्तित दर का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है।	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय देयताएँ	बट्टागत नकद प्रवाह : अनुमानित भुगतान का वर्तमान मूल्य, जोखिम-समायोजित बट्टा दर का उपयोग करते हुए मूल्यांकन तरीके पर विचार किया जाता है।	लागू नहीं	लागू नहीं

सी. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह वित्तीय लेखों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिम का सामना करता है :

ए) साख जोखिम
बी) चलनिधि जोखिम
सी) बाजार जोखिम

i) जोखिम प्रबंधन ढांचा

समूह वित्तीय लेखों से संबंधित विविध जोखिमों का सामना करता है। समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं के श्रेणीवार विवरण नोट 39ए में प्रस्तुत किए गए हैं। बाजार जोखिम, साख जोखिम और चलनिधि जोखिम आदि प्रमुख जोखिम हैं। समूह के जोखिम प्रबंधन इसके मुख्यालय में, निदेशक मंडल के उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ समन्वय किया जाता है और अस्थिर वित्तीय बाजारों के प्रभाव को कम करते हुए समूह के मध्य-अवधि नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से प्राप्त करने पर ध्यान देता है। स्थायी रिटर्न पाने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय निवेशों की व्यवस्था की जाती है। समूह अनुमान आधारित उद्देश्यों और निरस्त विकल्पों के बजाय वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है। समूह के सामने अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का विवरण नीचे प्रस्तुत हैं:

ii) साख जोखिम

साख जोखिम समूह के वित्तीय हानि की जोखिम होता है, यदि वित्तीय लिखत के ग्राहक या अन्य अभिकरण संविदागत दायित्वों की पूर्ति में असफल होते है और ज्यादातर ग्राहकों एवं ऋण से समूह को प्राप्त होनेवाली राशि से संबद्ध होती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रसारित राशि अधिकतम साख जोखिम का कारण बनती है।

व्यापार प्राप्य और ऋण

समूह पर साख जोखिम का प्रभाव मुख्यत: प्रत्येक ग्राहक के व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित होता है। हालाँकि, प्रबंधन भी ग्राहक द्वारा प्रचालित उद्योग के साथ शामिल बकायी जोखिम सहित ग्राहक आधार की साख जोखिम को प्रभावित करनेवाले कारकों पर विचार करता है।

'रोल दर' पद्धति का उपयोग करते हुए हानि दर की गणना की जाती है। यह निरस्त करने की पद्धति के सभी चरणों के माध्यम से प्राप्य की संभाव्यता पर निर्भर रहता है। रोल दर सामान्य साख जोखिम विशिष्टताओं के आधार पर परिलक्षित विविध संवर्गों में अलग से की गणना की जाती है।

व्यापार प्राप्य और ऋण के संबंध में नुकसान के लिए बत्ते का निर्धारण

व्यापार प्राप्य और ऋण के संबंध में नुकसान के लिए बत्ते का निर्धारण निम्नलिखितानुसार है:

	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017
1 अप्रैल को शेष	(23.51)	(24.07)
रद्द की गयी राशि	-	-
हानि भत्ते का निवल मापन	0.05	0.56
31 मार्च को शेष	(23.46)	(23.51)

39 वित्तीय लिखित - उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

नकद और नकद समान

दि.31 मार्च, 2017 को समूह 867.76 करोड़ रुपए का नकद और नकद समान (दि.31 मार्च, 2016 को 853.80 करोड़ रुपए, दि.1 अप्रैल, 2015 को 845.40 करोड़ रुपए) रखता है। अत्यधिक स्तरीय बैंकों में ही नकद और नकद समान रखे जाते हैं।

नकद और नकद समान का ह्रास 12-माह के अनुमानित हानि के आधार पर किया गया है और इसका प्रभाव अल्प परिपक्वताओं पर पड़ता है। समूह यह मानता है कि इनका नकद और नकद समान के सामने अन्य अभिकरणों द्वारा प्रदत्त वाह्य साख रेटिंग के आधार पर कम साख जोखिम है।

व्युत्पन्न

व्यत्पन्नों की प्रविष्टि केवल अत्यधिक स्तरीय अनुसूचित बैंकों में किया जाता है।

iii) चलनिधि जोखिम

समूह के सामने चलनिधि जोखिम को पार पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके वित्तीय देयताओं में शामिल दायित्वों की पूर्ति कठिन है। इन देयताओं का समायोजन नकद देने या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति द्वारा निपटायी जा सकती है। चलनिधि प्रबंधन के लिए समूह को जहाँ तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना होता है कि देय देयताओं की पूर्ति के लिए उनके पास पर्याप्त राशि उपलब्ध हों। सामान्य व तनाव, दोनों स्थितियों में समूह को अपनी छवि को नुकसान से बचाने या अस्वीकार्य हानि से बचाने की व्यवस्था करनी होगी।

समूह वित्तीय देयताओं (व्यापार देय के अलावा अन्य) पर अनुमानित नकद बहिर्गमन से अधिक राशि पर नकद और नकद समान की स्थिति को बनाए रखने का उद्देश्य होता है। समूह व्यापार देय और अन्य वित्तीय देयताओं पर अनुमानित नकद बहिर्गमन के साथ व्यापार प्राप्यों तथा ऋण के रूप में अनुमानित प्राप्त होनेवाले नकद की स्थिति को भी अनुश्रवण करता है।

चलनिधि जोखिम का प्रभाव

रिपोर्टिंग आंकड़े में दीर्घकालिक वित्तीय देयताओं के शेष संविदागत परिपक्वताएँ नीचे दी गयी हैं। सकल और गैर-वट्टीगत राशि प्रधान राशि में प्रतिबिंबित हैं तथा निवल करारों के निर्धारण से प्रभावित नहीं है।

दि.31 मार्च, 2017 (रुपए करोड़ों में)

	संविदागत नकदप्रवाह					
	अग्रसारित राशि	कुल	12 माह या उससे कम	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक
गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
जमानती बैंक ऋण	5,365.10	5,365.10	-	430.05	1,550.40	3,384.65
गैर-जमानती बैंक ऋण	476.61	476.61	-	476.61	-	-
	5,841.71	5,841.71	-	906.66	1,550.40	3,384.65
व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
ब्याज दर परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
अन्य वायदा विनिमय संविदाएँ	138.38	138.38	138.38	-	-	-
	138.38	138.38	138.38	-	-	-

दि.31 मार्च, 2016 (रुपए करोड़ों में)

	संविदागत नकदप्रवाह					
	अग्रसारित राशि	कुल	12 माह या उससे कम	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक
गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
जमानती बैंक ऋण	3,318.54	3,318.54	-	300.00	3,018.54	-
गैर-जमानती बैंक ऋण	486.94	486.94	-	-	486.94	-
	3,805.48	3,805.48	-	300.00	3,505.48	-
व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
ब्याज दर में परिवर्तन	0.36	0.36	0.36	-	-	-
अन्य वायदा विनिमय संविदाएँ	53.81	53.81	53.81	-	-	-
	54.17	54.17	54.17	-	-	-

दि.1 अप्रैल, 2015 (रुपए करोड़ों में)

	संविदागत नकदप्रवाह					
	अग्रसारित राशि	कुल	12 माह या उससे कम	1–2 वर्ष	2–5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक
गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
जमानती बैंक ऋण	66.52	66.52	-	-	-	66.52
	66.52	66.52	-	-	-	66.52
व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
अन्य वायदा विनिमय संविदाएँ	31.42	31.42	31.42	-	-	-
	31.42	31.42	31.42	-	-	-

इन वित्तीय देयताओं के अलावा यह अनुमानित नहीं किया गया है कि नकद प्रवाह में शामिल परिपक्वता विश्लेषण पहले प्रमुखता से या विशेष रूप से विविध राशियों में घटित हुआ है।

iv) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार की कीमतों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होता है। इनमें विदेशी विनिमय दर, ब्याज दर और ईक्विटी कीमत शामिल हैं। इनका समूह के आय या वित्तीय लिखतों के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य के तहत अनुकूलतम प्राप्ति के साथ स्वीकार्य मापदंडों के अधीन मौजूदा बाजार जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण शामिल है।

समूह बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्नों का उपयोग करता है।

मुद्रा जोखिम

समूह लिखित क्रय, विक्रय और ऋणों में मुद्राओं में विसंगति से मुद्रा जोखिम का सामना करता है। समूह के लिए कार्यकारी मुद्रा रुपए हैं। इन लेनदेनों में मुद्राएँ प्रमुखत: रुपए के रूप में दिखाए जाते हैं, जो समूह का कार्यकारी और प्रस्तुत मुद्रा भी है।

समूह अपनी मुद्रा जोखिम से बचने के लिए ज्यादातर रिपोर्टिंग तारीख से एक वर्ष से कम समय की परिपक्वतावाली वायदा विनिमय संविदा का उपयोग करता है। यू एस डालर बैंक ऋण की प्रधान राशि से संबंधित मुद्रा जोखिम से बचने के लिए चुकौती हेतु ऋण देय तारीख को ही परिपक्वता तारीख रखनेवाली वायदा संविदा का उपयोग किया जाता है। ये संविदाएँ व्युत्पन्नी संविदाओं के रूप में जाना जाता है।

ब्याज दर जोखिम

कंपनी ब्याज की निर्धारित/अस्थिर दर शेष के रखरखाव द्वारा अपनी ब्याज दर जोखिम को कम करने का लक्ष्य रखती है।

ब्याज दर जोखिम का सामना

प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार समूह के ब्याज-वाहक वित्तीय लिखत की ब्याज दर रूपरेखा निम्नवत है:

(रुपए करोड़ो में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
निर्धारित दर कारक			
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	128.54	154.74	182.90
वित्तीय देयताएँ	5,947.69	4,495.02	5,192.64
	6,076.23	4,649.76	5,375.54
परिवर्तनशील दर कारक			
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
वित्तीय देयताएँ	8,257.86	5,896.10	3,458.09
	8,257.86	5,896.10	3,458.09

परिवर्तनशील दर कारक के लिए नकद प्रवाह सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

नीचे प्रस्तुत राशियों द्वारा ब्याज दरों में यथोचित 100 अंक के आधार पर संभाव्य परिवर्तन से ईक्विटी और लाभ व हानि में वृद्धि (कमी) होगी। इस विश्लेषण से प्रकट होता है कि सभी अन्य परिवर्तकों, खासकर विदेशी मुद्रा विनिमय दर स्थिर रहती है।

	लाभ व हानि		ईक्विटी, कर पूर्व	
	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी
31 मार्च 2017				
परिवर्तनशील दर कारक	(61.56)	61.56	(61.56)	61.56
31 मार्च 2016				
परिवर्तनशील दर कारक	(38.05)	38.05	(38.05)	38.05

40 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ

आकस्मिक देयताएँ

ए. ऋण के रूप में न दिखाए गए कंपनी के दावें (रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
संविदाकर्ता/आपूर्तिकार/ग्राहक			
केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम	5.68	79.47	75.30
केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के अलावा	650.37	586.52	640.16
स्थानीय प्राधिकरण – राज्य सरकार	6,094.73	6,453.13	5,868.79
बिक्री कर संबंधी मामले*	1,014.04	1,007.90	1,906.25
आय कर	191.70	195.85	214.30
सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क	246.85	227.46	180.45
अन्य – केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के अलावा	526.32	485.31	485.53
कुल	8,729.69	9,035.65	9,370.79

*स्टॉक स्थानांतरण पर माल की आपूर्ति के कारण कोई देयता उत्पन्न होने का अनुमान नहीं और अंतिम बिक्री पर बिक्री कर चुकाया गया है।

बी. न्यायालय में भूमि अधिग्रहण से संबंधित दावे – राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

सी. संरचनात्मक कार्यों पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के तहत देयता – राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

डी. आकस्मिक देयताएँ होने के कारण विविध सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी की गयी कारण बताओ सूचनाओं पर विचार नहीं किया गया है।

ई. **भूमि राजस्व पर किराया व उपकर (ई आई एल)** : राजस्व निरीक्षक के कार्यालय में बौरिया के लॉरेंस संपदा से संबंधित किराया और भूमि राजस्व का शुल्क 2,012 रुपए प्रतिवर्ष की दर पर दि.31 मार्च, 2001 तक ई आई एल ने किराया तथा भूमि राजस्व शुल्क का भुगतान करता रहा। वर्ष 2001-02 से ई आई एल ऐसे प्रभारों में वृद्धि को स्वीकार नहीं करने के बावजूद प्राप्त दावों के आधार पर देयता को उपलब्ध करने का कार्य जारी रखा। संबद्ध विभाग द्वारा किसी औपचारिक दावे की अनुपस्थिति में यदि ऐसे दावों कि वित्त वर्ष 2008-09 से लेखों में न तो सुनिश्चित या न तो विचार किया गया है। उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावे के संदर्भ में आकस्मिक देयता हेतु उठाए गए अंतिम दावे के आधार पर की गयी गणना के अनुसार 1.02 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2016 : 0.90 करोड़ रुपए) का प्रावधान रखा गया।

एफ. **शेयर हस्तांतरण पर स्टांप प्रभार (ई आई एल)** पश्चिम बंगाल के स्टांप राजस्व के अतिरिक्त आयुक्त से बी एस एल सी और ओ एम डी सी को ई आई एल की सहायक कंपनियों के रूप में बनाने दि ईस्टर्न इन्वेस्टिमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल) के लिए दि ओड़ीशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड (ओ एम डी सी) और दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बी एस एल सी) में भारत के राष्ट्रपति महोदय से शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में 0.58 करोड़ रुपए के लिए माँग है। इस लेनदेन पर स्टांप ड्यूटी लागू नहीं है और इसके बारे में ई आई एल के प्राधिकृत हस्ताक्षरी ने दि.17 अक्तूबर, 2012 के पत्र सं.ई आई एल/एएस/स्टांप प्रभार/10-2012/01 द्वारा पंजीकरण के अतिरिक्त महा निरीक्षक और स्टांप राजस्व के अतिरिक्त आयुक्त को सूचना दी। आज की तारीख तक कंपनी पत्र का कोई उत्तर न मिलने के कारण, 0.58 करोड़ रुपए की राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

जी. **आय कर (ई आई एल)** विवाद के कारण मूल्यांकन वर्ष 2008-09, मूल्यांकन वर्ष 2009-10, मूल्यांकन वर्ष 2010-11, मूल्यांकन वर्ष 2013-14 व मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के संबंध में 3.98 करोड़ रुपए की राशि की आयकर माँग को जमा नहीं की जा सकी।

एच. **बिक्री कर से संबंधित (बी एस एल सी)** : ओदीशा बिक्री कर और ओदीशा प्रवेश कर के संबंध में 1.20 करोड़ रुपए (31 मार्च 2016 : 1.20 करोड़ रुपए) की माँग, जो अपील के विरुद्ध 0.58 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2016 : 0.56 करोड़ रुपए) की राशि को बिक्री कर प्राधिकरण के समक्ष जमा की गयी, शेष 0.62 करोड़ रुपए (31 मार्च 2016 : 0.64 करोड़ रुपए) का भुगतान किया जाना है।

आई. **स्टांप ड्यूटी से संबंधित (बी एस एल सी)** : कुल 99.42 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2016 : 99.42 करोड़ रुपए) के दावे में से 88.75 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2016 : 88.75 करोड़ रुपए) को दि.14 जनवरी 2011 से 13 जनवरी 2031 तक 20 वर्षों के लिए खनन पट्टे के तीसरे नवीकरण के तहत ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

जे. **अन्य (बी एस एल सी)** : i) दि.21 अगस्त, 2014 तारीख के अनुसार 1.03 करोड़ रुपए की भविष्य निधि दावा है, ii) हमें दी गयी जानकारी के अनुसार, कंपनी ने विधिक अनुपालन और वार्षिक विधिक अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने कदम उठाया। वार्षिक विधिक अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन को मंडल के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। आगे, सूचनार्थ मध्यस्थता संबंधी मामलों की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ, विविध न्यायालयों में मामलों की प्रगति के साथ समय समय पर उनकी स्थिति को भी सूचित करने के लिए एक आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली भी प्रारंभ की गयी। हमें स्पष्ट किए गए अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में साधारण देरी के कारण मामले लंबित है और ये दावे ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

के. **स्थानीय प्राधिकरणों में शेष (बी एस एल सी)** आई बी वैली परिवहन द्वारा दि.07 अक्तूबर, 2012 से कार्य जारी करने की तारीख तक यानि दि.31 मार्च, 2015 तक 0.73 करोड़ रुपए की फैसला सुनायी राशि पर 15% के हिसाब से 0.49 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2016 : 0.27 करोड़ रुपए) का ब्याज दावा किया गया है। हालाँकि, कंपनी ने कथित फैसले के संबंध में उच्चतर मंच पर अपील प्रस्तुत करने का विचार किया। पहले से खाते में 0.73 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, लेकिन ब्याज के लिए प्रावधान नहीं रखा गया।

एल. **अन्य (ओ एम डी सी)** i) विविध सांविधिक प्राधिकरणों से आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और अन्य सरकारी शुल्क के तहत माँग हैं। ओ एम डी सी अपीलकर्ता प्राधिकरण के समक्ष माँग के विरुद्ध संपर्क कर रहा है। अनुमान है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम कंपनी के अनुकूल होंगे और कंपनी की वित्तीय परिस्थिति तथा प्रचालन के परिणामों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ii) व्यापार के सामान्य स्थिति में उठे मामले माल/सेवा की आपूर्ति के लिए संविदाकर्ताओं के दावे मध्यस्थता/न्यायालय में लंबित हैं। ओ एम डी सी तर्कसंगत रूप से आशा करता है कि इन विधिक कार्रवाइयों की पूर्णत: समाप्ति पर और निर्धारित किए जाने पर ये कंपनी के हित में होंगे और इससे कंपनी के प्रचालन या वित्तीय स्थिति पर किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एम. **स्थानीय प्राधिकर के समक्ष उपलब्ध शेष (ओ एम डी सी)**: वसूली के तहत खान व खनिज (विकास व विनिमय) अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उप धारा (5) के अधीन 5395.40 करोड़ रुपए (31 मार्च 2016 : 5395.40 करोड़ रुपए) के लिए छ: खानों के संबंध में कानूनी प्राधिकरण के बगैर आरोपित किए जानेवाली खनिजों की कीमतों के तहत डी डी एम, जेडा सर्किल से प्राप्त माँग सहित 5,650.18 करोड़ रुपए के ऋण को ओ एम डी सी के विरुद्ध दावों को स्वीकार नहीं किए गए। उपर्युक्त माँग के विरुद्ध कंपनी ने भारत सरकार के खान मंत्रालय के पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष स्थगन आदेश के लिए आवेदन दर्ज किया। न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जय बालाजी का दावा 3.80 करोड़ रुपए तक कम किया गया। दि ओदीसा भूमि संस्करण अधिनियम के संशोधनों के अवलोकन में, चंपुआ के उप-जिलाधीश ने कंपनी के विरुद्ध अप्राधिकृत रूप से मैदान पर पट्टा प्राप्त 10.79 एकड़ की भूमि को अप्राधिकृत कब्जा करने का आरोप करते हुए एक नोटीस जारी किया और उसमें आरोप किया कि यह भूमि आदिवासी का है और इसके आधार पर राजस्व निरीक्षक ने ओ एम डी सी से इस भूमि को खाली करने का आदेश दिया। कंपनी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दर्ज किया, लेकिन अपील स्वीकृत नहीं किया गया। अप्रैल, 1999 के दौरान, कंपनी ने एक रिट आवेदन दर्ज किया तथा आगे के आदेश तक भूमि कब्जा के संबंध में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए ओदीशा के माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया। कोई विनिर्दिष्ट देयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

प्रतिबद्धताएँ

(रुपए करोड़ों में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
पूँजी खाते से संबंधित निष्पादित की जानेवाली और उपलब्ध नहीं की गयी संविदाओं की प्राक्कलित राशि	5,715.52	6,172.26	5,520.20
कुल	5,715.52	6,172.26	5,520.20

41 निवेशकों की ईक्विटी गणना

(रुपए करोड़ों में)

	नोट	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
संयुक्त उद्यम में स्वामित्व	नीचे (ए) देखें	3.47	0.20	0.10
सहायक कंपनियों में स्वामित्व	नीचे (बी) देखें	476.57	438.54	371.08

ए संयुक्त उद्यम

i) रिन मॉयल फेर्रो एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड एक संयुक्त व्यवस्था है, जिसमें समूह को संयुक्त नियंत्रण और 50% स्वामित्व है। यह प्रमुखत: फेर्रो मैंगनीज औरसिलिको मैंगनीज की आपूर्ति से संबंधित है। रिन मॉयल ने एक अलग संस्था के रूप में गठित है और समूह को संस्था की निवल परिसंपत्तियों में हिस्सा है। तदनुसार समूह की इस स्वामित्व को एक संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी ने प्रचालन शुरू नहीं की। निम्नलिखित सारणी में रिन मॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड की वित्तीय जानकारी दी गयी है और संस्था में समूह की स्वामित्व की अग्रसारित राशि दिखायी गयी है।

(रुपए करोड़ों में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
स्वामित्व का प्रतिशत	50%	50%	50%
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	1.67	1.68	1.68
चालू परिसंपत्तियाँ (नकद और नकद समान सहित) – 31 मार्च 2017 : 0.03 करोड़ रुपए, (31 मार्च 2016 : 0.30 करोड़ रुपए, 1 अप्रैल 2015 : 0.29 करोड़ रुपए))	0.03	0.33	0.32
गैर-चालू देयताए	-	-	-
चालू देयताएँ (चालू वित्तीय देयताओं के अलावा व्यापार देय और अन्य वित्तीय देयताएँ व प्रावधान – 31 मार्च 2017: शून्य रुपए, (31 मार्च 2016: शून्य रुपए, 1 अप्रैल 2015: शून्य रुपए)	(1.56)	(1.81)	(1.81)
निवल परिसंपत्तियाँ	0.15	0.20	0.19
समूह की निवल परिसंपत्तियों का हिस्सा (50%)	0.07	0.10	0.10
संयुक्त उद्यम में अग्रसारित स्वामित्व की राशि	0.07	0.10	0.10

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
राजस्व	-	-
ब्याज आय	0.01	0.03
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.01	0.01
आयकर व्यय	-	-
लाभ	(0.05)	0.01
अन्य समग्र आय	-	-
कुल समग्र आय	(0.05)	0.01
लाभ में समूह का हिस्सा (50%)	(0.03)	0.00
अन्य समग्र आय में समूह का हिस्सा (50%)	-	-
कुल समग्र आय के समूह का हिस्सा (50%)	(0.03)	0.00

ii) आर आई एन एल पवरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड (आर पी टी पी एल) एक संयुक्त व्यवस्था है, जिसमें समूह का संयुक्त नियंत्रण और 50% स्वामित्व है। वित्त वर्ष 2015-16 में आर पी टी पी एल का गठन किया गया और वर्ष 2018 के अंत तक उत्पादन शुरू होने का अनुमान है। ट्रॉसमिशन लाइन टॉवर मैनुफैक्चरिंग यूनिट (अनुसंधान व विकास सहित) की स्थापना के लिए इसे गठित किया गया है। आर पी टी पी एल भारत और विदेशों के विविध ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए ट्रॉसमिशन लाइन टॉवर का विनिर्माण करेगा।

(रुपए करोड़ों में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
स्वामित्व का प्रतिशत	50%	50%	-
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	7.69	0.65	-
चालू परिसंपत्तियाँ (नकद व नकद समानांतर सहित)			
- 31 मार्च 2017 : 0.16 करोड़ रुपए			
(31 मार्च 2016 : 0.17 करोड़, 1 अप्रैल 2015 : रु शून्य)	0.16	0.17	-
गैर-चालू देयताएँ	-	-	-
चालू देयताएँ (चालू वित्तीय देयताएँ			
अन्य व्यापार देय और अन्य वित्तीय देयताएँ व प्रावधानों को छोड़कर			
- 31 मार्च 2017 : रु शून्य			
(31 मार्च 2016 : रु शून्य करोड़, 1 अप्रैल 2015 : रु शून्य)	(1.05)	(0.62)	-
निवल परिसंपत्तियाँ	6.80	0.20	-
निवल परिसंपत्तियों में समूह का हिस्सा (50%)	3.40	0.10	-
संयुक्त उद्यम में अग्रसारित स्वामित्व की राशि	3.40	0.10	-

(रुपए करोड़ों में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
राजस्व	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय	-	-
ब्याज आय		
ब्याज व्यय		
आयकर व्यय	-	-
लाभ	-	-
अन्य समग्र आय	-	-
कुल समग्र आय	-	-
लाभ में समूह का हिस्सा (50%)	-	-
अन्य समग्र आय में समूह का हिस्सा (50%)	-	-
कुल समग्र आय में समूह का हिस्सा (50%)	-	-

बी. सहायक

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड (आई सी वी एल) की स्थापना विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में कोयला आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी कोयला खदान/ब्लॉक के अधिग्रहण हेतु की गयी।

निम्नलिखित तालिका आई वी एल की वित्तीय जानकारी और संस्था में समूह की अग्रसारित ब्याज राशि के बारे में भी स्पष्ट करती है। (रुपए करोड़ों में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
स्वामित्व का प्रतिशत	26.47%	26.49%	24.80%
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	2,217.58	2,135.70	1,861.28
चालू परिसंपत्तियाँ (नकद व नकद समानांतर सहित) **– 31 मार्च 2017: 45.47 करोड़ रुपए, 31 मार्च 2016 : 4.80 करोड़ रुपए, 1 अप्रैल 2015 : 34.11 करोड़ रुपए)**	88.13	60.76	91.33
गैर-चालू देयताएँ	(14.59)	(20.35)	(28.79)
चालू देयताएँ (चालू वित्तीय देयताएँ अन्य व्यापार देय और अन्य वित्तीय देयताएँ व प्रावधानों को छोड़कर – 31 मार्च 2017 : रु शून्य (31 मार्च 2016 : रु शून्य करोड़, 1 अप्रैल 2015 : रु शून्य))	(248.55)	(264.50)	(92.26)
शेयर आवेदन राशि आवंटन के लिए लंबित	(180.00)	(193.70)	(335.20)
निवल परिसंपत्तियाँ	**1,862.58**	**1,717.92**	**1,496.36**
निवल परिसंपत्तियों में समूह का हिस्सा	476.57	438.54	371.08
सहायक में अग्रसारित स्वामित्व की राशि	476.57	438.54	371.08

(रुपए करोड़ों में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
राजस्व	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.13	0.08
ब्याज आय	0.65	1.01
ब्याज व्यय	89.91	6.15
आयकर व्यय	0.40	-
लाभ/(हानि)	(67.33)	(433.56)
अन्य समग्र आय	3.26	108.80
कुल समग्र आय	**(64.06)**	**(324.76)**
लाभ/(हानि) में समूह का हिस्सा	(17.82)	(114.87)
अन्य समग्र आय में समूह का हिस्सा	0.86	28.83
कुल समग्र आय में समूह का हिस्सा	**(16.96)**	**(86.04)**

42 गैर-नियंत्रित ब्याज

किसी अंतर समूह निष्कासनों के पूर्व एन सी आई सामग्री की समूह के सहायक कंपनी से संबंधित जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

ईस्टर्न इन्वेस्टिमेंट्स लिमिटेड (रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
एन सी आई प्रतिशत	**49%**	**49%**	**49%**
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	129.99	141.85	140.10
चालू परिसंपत्तियाँ	872.98	859.79	833.82
गैर-चालू देयताएँ	(30.04)	(27.72)	(24.37)
चालू देयताएँ	(208.81)	(197.24)	(165.79)
निवल परिसंपत्तियाँ	**358.20**	**364.83**	**369.13**
सहायक कंपनियों की खाते पुस्तकों में एन सी आई	405.92	411.86	414.63
एन सी आई के स्रोत जन्य निवल परिसंपत्तियाँ	**581.44**	**590.62**	**595.50**
राजस्व	97.89	107.74	-
लाभ	(10.34)	(5.37)	-
अन्य समग्र आय	(0.74)	0.16	-
कुल समग्र आय	**(11.08)**	**(5.21)**	**-**
एन सी आई को आवंटित लाभ	(7.91)	(4.09)	-
एन सी आई को आवंटित अन्य समग्र आय	(0.54)	0.12	-
एन सी आई को आवंटित कुल समग्र आय	**(8.46)**	**(3.97)**	**-**
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह (प्रयुक्त)	4.12	18.53	-
निवेश कार्यकलापों में नकद प्रवाह (प्रयुक्त)	50.27	(12.01)	-
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह (प्रयुक्त)	(0.57)	(0.62)	-
नकद व नकद समानांतरों में निवल वृद्धि (कमी)	**53.81**	**5.90**	**-**

43. दि.8 नवंबर 2016 से दि.30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान रखे गए और लेन-देन किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोट का विवरण

(₹)

विवरण	एस बी एन एस*	अन्य विमुद्रीकृत नोट	कुल
दि.8 नवंबर 2016 को हाथ में शेष नकद (अग्रदाय नकद को छोड़कर)	214,000	200,232	414,232
जोड़े: स्वीकृत प्राप्तियाँ**	83,000	117,428,375	117,511,375
घटाएँ : अनुमति प्राप्त भुगतान	(500)	(97,672,143)	(97,672,643)
घटाएँ: बैंक में जमा की गयी राशि	(296,500)	(19,705,473)	(20,001,973)
दि.31 दिसंबर 2016 को हाथ में शेष नकद	-	250,991	250,991

* 'विनिर्दिष्ट बैंक नोट' का अर्थ आर्थिक कार्यकलाप विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दि.8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना एस ओ.3407 (ई) की अधिसूचना में दिए गए अनुसार है।

** कर्मचारी और अस्पताल प्राप्तियों को दिया गया खर्च न किया गया अग्रदाय अग्रिम की वापसी सहित स्वीकृत प्राप्तियाँ।

सूचना : उपर्युक्त में अन्य पार्टियों द्वारा नकद के रूप में धारक कंपनियों के खाते में प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षण शुल्क और संपदा/अतिथि गृह आदि के रूप में जमा राशि शामिल नहीं है।

44. संबद्ध पार्टियाँ

ए. संबंधित पार्टियाँ की सूची और संबंध का प्रकार

			... में धारक के रूप में	
संबंधित पार्टी का नाम	संबंध का प्रकार	देश	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ई आई एल)	सहायक	भारत	51%	51%
ओदिशा खनिज विकास निगम	ईआईएल का सहायक	भारत	50%	50%
दि विसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	ईआईएल का सहायक	भारत	50%	50%
दि बोर्रेआ कोल कं लिमिटेड (परिसमापन में)	ईआईएल का सहायक	भारत	50%	50%
रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	भारत	50%	50%
आरआईएनएल पॉवरग्रिड टीएलटी प्रा.लि.	संयुक्त उद्यम	भारत	50%	50%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा.लि. (आईसीवीएल) सहायक	भारत	26%	26%	
मिनास डे वेंगा लिमिटेड	आईसीवीएल का संयुक्त उद्यम	मारिशस	-	-

बी-I. दि.31 मार्च 2017 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

संबंधित पार्टी का नाम	संबंध का प्रकार
श्री पोन्नपल्लि मधुसूदन	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री पी सी महापात्रा	निदेशक (परियोजना)
श्री डी एन राव	निदेशक (प्रचालन)
श्री प्रवीर रायचौधरी	निदेशक (वाणिज्य)
श्री किशोर चंद्र दास	निदेशक (कार्मिक)

बी-II. दि.31 मार्च 2017 के अनुसार स्वतंत्र निदेशक

संबंधित पार्टी का नाम	संबंध का प्रकार
श्री एस के श्रीवास्तव	स्वतंत्र निदेशक
श्री एस के मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक
श्री के एम पद्मनाभन	स्वतंत्र निदेशक
श्री सुनील गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक

सी. सेवानिवृत्ति के पश्चात समूह की योजनाएँ

संबंधित पार्टी का नाम	देश
आर आई एन एल कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास	भारत
विशाखपट्टणम स्टील प्राजेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
आर आई एन एल के कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि न्यास	भारत

डी. समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन (रुपए करोड़ों में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)	ईक्विटी शेयर की प्राप्ति	55.00	279.96
आरआईएनएल पॉवरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	ईक्विटी शेयर की प्राप्ति	3.30	0.10
आरआईएनएल पॉवरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	शेयर पूँजी के अग्रिम का भुगतान	3.30	0.10
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)	शेयर पूँजी के अग्रिम का भुगतान	40.00	95.80
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)	वसूली करने योग्य वेतन	0.40	0.66
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)	प्रतिपूर्ति किए गए वेतन	0.87	0.56
रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	अग्रिम की वापसी	0.25	-
मिनास डे वेंगा लिमिटेडा	क्रय	20.74	44.46
मिनास डे वेंगा लिमिटेडा	विलंब शुल्क/प्रेषण	0.04	0.08
आर आई एन एल कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास	न्यास को भुगतान	1.60	11.31
विशाखपट्टणम स्टील प्राजेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	न्यास को भुगतान	135.17	124.89
आर आई एन एल के कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि न्यास	न्यास को भुगतान	6.83	6.83

ई. शेष बकाए (असंरक्षित व अच्छा माना गया) (रुपए करोड़ों में)

संबंधित पार्टी का नाम	विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	सहयोग में निवेश (लागत)	336.36	281.36
आरआईएनएल पॉवरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम में निवेश (लागत)	3.40	0.10
रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम में निवेश (लागत)	0.10	0.10
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	शेयर के लिए अग्रिम	40.00	55.00
रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1.21	1.46
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.10	0.50
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	अन्य वित्तीय देयता	0.07	-
मिनास डे वेंगा लिमिटेडा	देय योग्य राशि	3.23	0.08
आर आई एन एल कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास	अन्य वित्तीय देयता/परिसंपत्ति	13.99	(11.86)
विशाखपट्टणम स्टील प्राजेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	अन्य वित्तीय देयता	11.57	10.92
आर आई एन एल के कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि न्यास	अन्य वित्तीय देयता	0.57	0.57

सूचना :

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
शेष बकायी राशि से संबंधित संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य

एफ. प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों को प्रदत्त प्रतिकर व बैठक शुल्क (रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
स्वल्पावधि कर्मचारी लाभ	1.48	1.80
सेवानिवृत्ति के पश्चात के लाभ	0.24	0.27
अन्य दीर्घावधि लाभ	0.26	0.39
स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क	0.21	0.12
	2.19	2.58

45. प्रचालन संवर्ग

ए. संवर्गीकरण के लिए आधार

एक प्रचालन संवर्ग व्यापार कार्यकलापों से संबंधित समूह का एक घटक है, जिसमे राजस्व का अर्जन और व्यय शामिल है। इसमें समूह के अन्य घटकों में से किसी एक के साथ लेन-देन संबंध है और राजस्व व व्यय शामिल हैं। इसके लिए अलग से वित्तीय जानकारी उपलब्ध होता है। धारक कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी ई ओ) द्वारा नियमित रूप से सभी प्रचालित संवर्गों के परिणामों की समीक्षा की जाती है, ताकि संवर्गों को संसाधनों के आवंटन तथा उनके निष्पादन के आंकलन के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

समूह में नीचे वर्णितानुसार दो रिपोर्ट करने योग्य संवर्ग है, जो समूह के मुख्य कार्यकारी व्यापार इकाइयाँ हैं। इन व्यापार इकाइयों द्वारा विविध सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और उनकी व्यवस्था अलग से की जाती है, क्योंकि उनके लिए अलग-अलग प्रौद्योगिकी एवं बाजार कार्यनीति की जरूरत हैं। प्रत्येक व्यापार इकाई के लिए, धारक कंपनी के सी ई ओ द्वारा कम से कम तिमाही वार आंतरिक प्रबंधन प्रतिवेदनों की समीक्षा की जाती है।

प्रत्येक समूह के रिपोर्ट करने योग्य संवर्गों में प्रचालन की स्थिति से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:

रिपोर्ट देने योग्य संवर्ग	प्रचालन
इस्पात उत्पाद	इस्पात उत्पादों की तैयारी
अन्य	खनन व निवेश कार्यकलाप

बी रिपोर्ट देने योग्य संवर्गों से संबंधित जानकारी

प्रत्येक रिपोर्ट देने योग्य संवर्ग के परिणाम से संबंधित जानकारी नीचे दी गयी है। समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गयी निष्पादन के आंतरिक प्रबंधन प्रतिवेदन में शामिल किए गए अनुसार निष्पादन को संवर्ग लाभ (कर पूर्व) के आधार पर गणना की जाती है। प्रबंधन मानता है कि इन उद्योगों में प्रचालन करनेवाले अन्य संस्थाओं से संबंधित निर्दिष्ट संवर्गों के मूल्यांकन से इस जानकारी ज्यादातर मेल खाता है। प्रबंधन के इसी विश्वास के अनुसार संवर्ग लाभ को दृष्टि में रखते हुए निष्पादन की गणना की जाती है। अंतर-संवर्ग कीमतों का निर्धारण अपने नियंत्रण के आधार पर किया जाता है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष

विवरण	इस्पात उत्पाद	अन्य	कुल
संवर्ग राजस्व :			
– बाह्य राजस्व	12,418.74	97.89	12,516.62
अंतर-क्षेत्र राजस्व	-	(5.56)	(5.56)
कुल क्षेत्र राजस्व	**12,418.74**	**92.33**	**12,511.07**
आयकर के पूर्व संवर्ग लाभ (हानि)	(1,708.34)	(3.95)	(1,712.29)
आयकर के पूर्व शामिल संवर्ग लाभ (हानि) :			
ब्याज राजस्व	65.17	0.02	65.19
ब्याज व्यय	(767.74)	(0.25)	(767.99)
मूल्यह्रास और परिशोधन	(658.86)	(5.07)	(663.93)
ईक्विटी की गणना किए गए निवेशों का लाभ (हानि) में हिस्सा	(17.85)	-	(17.85)
अन्य सामग्री गैर-नकद मद :			
– गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि का ह्रास	-	-	-
– गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ह्रास हानि की वापसी	-	-	-
संवर्ग परिसंपत्तियाँ	28,770.04	1,002.97	29,773.01
संवर्ग परिसंपत्तियों में समेकित :			
ईक्विटी पद्धति के उपयोगार्थ निवेशों की गणना	480.04	-	480.04
वर्ष के दौरान पूँजी व्यय	2,456.07	0.15	2,456.22
संवर्ग देयताएँ	**20,271.72**	**238.87**	**20,510.59**

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (रुपए करोड़ों में)

विवरण	इस्पात उत्पाद	अन्य	कुल
संवर्ग राजस्व :			
– बाह्य राजस्व	10,163.03	107.74	10,270.77
– अंतर–संवर्ग राजस्व		(4.74)	(4.74)
कुल संवर्ग राजस्व	**83,890.74**	**1,520.42**	**10,266.04**
आय कर पूर्व संवर्ग लाभ (हानि)	(1,816.69)	3.36	(1,813.33)
आय कर पूर्व में शामिल संवर्ग लाभ (हानि):			
ब्याज राजस्व	94.63	0.04	94.66
ब्याज व्यय	(676.27)	(1.28)	(677.54)
मूल्यह्रास और परिशोधन	(365.66)	(7.07)	(372.73)
ईक्विटी की गणना किए गए निवेशों का लाभ (हानि) में हिस्सा	(114.87)	-	(114.87)
अन्य सामग्री गैर–नकद मद :			-
– गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि का ह्रास	-	-	-
– गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ह्रास हानि की वापसी	-	-	-
संवर्ग परिसंपत्तियाँ	25,780.31	1,001.64	26,781.95
संवर्ग परिसंपत्तियों में शामिल :			
ईक्विटी पद्धति के उपयोगार्थ निवेशों की गणना	438.74	-	438.74
वर्ष के दौरान पूँजी व्यय	2,085.48	1.94	2,087.42
संवर्ग देयताएँ	**15,965.84**	**225.00**	**16,190.84**

सी भारतीय लेखाकरण मानक की गणना के लिए रिपोर्ट करने योग्य संवर्गों से संबंधित जानकारी का मिलाप (रुपए करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
i. राजस्व		
रिपोर्ट करने योग्य संवर्ग के लिए कुल राजस्व	12,511.07	10,266.04
अन्य संवर्गों के लिए राजस्व	-	-
अंतर–संवर्ग राजस्व का निष्कासन	5.56	4.74
समेकित राजस्व	**12,516.62**	**10,270.77**
ii. कर पूर्व लाभ		
रिपोर्ट करने योग्य संवर्ग के लिए कर पूर्व कुल लाभ	(1,712.29)	(1,813.33)
अन्य संवर्गों के लिए कर पूर्व लाभ	-	-
अंतर–संवर्ग लाभ का निष्कासन	-	-
गैर–आवंटित राशि :		
– निगमित व्यय	-	-
नियमित प्रचालन से कर पूर्व समेकित लाभ	**(1,712.29)**	**(1,813.33)**
iii. परिसंपत्तियाँ		
रिपोर्ट करने योग्य संवर्गों के लिए कुल परिसंपत्तियाँ	29,773.01	26,781.95
अन्य संवर्गों के लिए परिसंपत्तियाँ	-	-
गैर आवंटित राशि	-	-
समेकित कुल परिसंपत्तियाँ	**29,773.01**	**26,781.95**
iv. देयताएँ		
रिपोर्ट करने योग्य संवर्गों के लिए कुल देयताएँ	20,510.59	16,190.84
अन्य संवर्गों के लिए देयताएँ	-	-
गैर आवंटित राशि	-	-
समेकित कुल देयताएँ	**20,510.59**	**16,190.84**
v. अन्य सामग्री मद		

दि.31 मार्च, 2017 (₹ करोड़ों में)

विवरण	रिपोर्टबुल खंड कुल	समायोजन	समेकित कुल
ब्याज राजस्व	64.26	0.92	65.19
ब्याज व्यय	(768.92)	0.92	(767.99)
वर्ष के दौरान पूँजी व्यय	2,456.22	-	2,456.22
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	(663.93)	-	(663.93)
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर ह्रासित हानि	-	-	-
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर ह्रासित हानि का प्रतिवर्तन	-	-	-

दि.31 मार्च, 2016 (₹ करोड़ों में)

विवरण	रिपोर्टबुल खंड कुल	समायोजन	समेकित कुल
ब्याज राजस्व	94.23	0.44	94.66
ब्याज व्यय	(677.98)	0.44	(677.54)
वर्ष के दौरान पूँजी व्यय	2,087.42	-	2,087.42
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	(372.73)	-	(372.73)
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर ह्रासित हानि	-	-	-
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर ह्रासित हानि का प्रतिवर्तन	-	-	-

डी प्रमुख ग्राहक

समूह के इस्पात उत्पादों के किसी ग्राहक से और अन्य खंडों से प्राप्त राजस्व रिपोर्ट किए गए कुल राजस्व के 10% से अधिक नहीं है, अत: प्रबंधन मानता है कि प्रकटन के लिए कोई प्रमुख ग्राहक नहीं है।

46 भारतीय लेखाकरण मानक के परिवर्तनकाल का स्पष्टीकरण

लेखाकरण नीति के नोट 2 में उद्धृत अनुसार, ये भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार तैयार किए गए समूह के पहले समेकित वित्तीय विवरण हैं। दि.31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, समूह ने कंपनी (लेखाकरण मानकों) नियम, 2006, अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित और अधिनियम से संबंधित अन्य प्रावधानों ('पूर्व जी ए ए पी') के अनुसार तैयार किए गए हैं।

नोट 2 में बनायी गयी लेखाकरण नीतियों को दि.31 मार्च, 2016 को समाप्त तुलनात्मक जानकारी और परिवर्तन काल की तारीख यानि दि.1 अप्रैल, 2015 तक के भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार समेकित तुलन पत्र का प्रारंभ सहित दि.31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किया गया है।

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार दि.1 अप्रैल, 2015 तक के समेकित तुलन पत्र तैयार करने में और दि.31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करने में, समूह ने पिछले जी ए ए पी के अनुसार रिपोर्ट किए गए पुराने समेकित वित्तीय विवरण का समायोजन किया है। इस नोट से स्पष्ट होता है कि समूह द्वारा पुराने जी ए ए पी पद्धति के अनुसार तैयार किए गए इसके वित्तीय विवरणों को पुन: प्रस्तुत करने में प्रमुख समायोजन किया गया है, और किस प्रकार पुराने जी ए ए पी पद्धति से भारतीय लेखाकरण मानक के प्रयोग से परिवर्तन काल का प्रभाव समूह के समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकद प्रवाह को प्रभावित किया है।

उठाए गए विकल्प छूट और अनिवार्य अपवाद

इन वित्तीय विवरणों की तैयार करते समय समूह ने निम्नसूचित विकल्प छूट और अनिवार्य अपवादों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

ए. उठाए गए विकल्प छूट

1. व्यापार संयोजन

भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार, कोई संस्था परिवर्तन काल की तारीख के पूर्व किए गए व्यापार संयोजनों को पुन: नहीं करने के विकल्प का चयन कर सकता है। यदि संस्था परिवर्तन काल की तारीख के पूर्व बनाए गए व्यापार संयोजनों के बारे में पुन:उल्लेख करती है तो, वह सभी बाद के व्यापार संयोजनों को पुन: उल्लिखित करने के साथ ही उस तारीख से समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानक 110 लागू होता है। समूह ने पूर्व के व्यापार संयोजनों के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 103 का चयन नहीं किया अत: पुराने जी ए ए पी के तहत साख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

2. संयंत्र और उपस्कर, पूँजीगत जारी कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियाँ

भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार कोई एक संस्था निम्नलिखित का चयन कर सकता है :

i) परिवर्तन काल की तारीख को संपदा मद, संयंत्र और उपस्कर का उचित मूल्य निर्धारण और उस तारीख को मानी गयी लागत के रूप में उस उचित मूल्य का उपयोग।

ii) परिवर्तन काल की तारीख को या उसके पहले किसी संपदा के किसी एक मद, संयंत्र और उपस्कर का पुन:मूल्यांकन के लिए पुराने जी ए ए पी के साथ पुन:मूल्यांकन की तारीख को मानी गयी लागत के अनुसार उपयोग, बशर्ते कि पुन:मूल्यांकन की तारीख को पुन:मूल्यांकन व्यापक रूप से निम्नलिखितानुसार तुलनीय हो

– उचित मूल्य;

– या भारतीय लेखाकरण मानक के तहत प्रतिबिंबित होने समायोजित लागत का मूल्यह्रासित लागत, उदाहरण के लिए, सामान्य या विनिर्दिष्ट मूल्य सूची में परिवर्तन

उपर्युक्त के (i) और (ii) के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों, जो भारतीय लेखाकरण मानक **38** में मान्यता मापदंड, की पूर्ति करते हों, अमूर्त परिसंपत्तियों, (मूल लागत के विश्वसनीय मापन सहित); तथा पुनर्मूल्यांकन (सक्रिय बाजार की मौजूदगी सहित) के लिए भारतीय लेखाकरण मानक **38** में मापदंड का विकल्प भी उपलब्ध है।

iii) यदि परिवर्तन काल की तारीख को इसके कार्यकारी मुद्रा में कोई परविर्तन नहीं हो तो, भारतीय लेखाकरण मानक (जिनका मापन पुराने जी ए ए पी के अनुसार किया जाता है और भारतीय लेखाकरण मानक **101** के तहत निर्धारित पाबंदी लगायी गयी देयताओं से संबंधित बाजार समायोजन के पश्चात) के परिवर्तन काल की तारीख तक के अनुसार संपदा, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियाँ तथा निवेश संपदा के रखाव मूल्य का उपयोग किया जाता है।

भारतीय लेखाकरण मानक **101** की सहमति के अनुसार, समूह ने संपदा के सभी मदों, संयंत्र और उपस्कर के लिए पुराने जी ए ए पी के तहत रखाव मूल्य के साथ चालू करने के लिए चयनित है। इसी प्रकार का चयन पूँजीगत जारी कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में भी किया जाता है। पाबंदी लगायी गयी देयताओं से संबंधित समायोजनों के पश्चात ऊपर उद्धृत अनुसार संपदा, संयंत्र और उपस्कर का रखाव मूल्य का आंकलन किया गया है।

3. संयुक्त उद्यम – अनुपात समेकन से ईक्विटी पद्धति में परिवर्तन

भारतीय लेखाकरण मानक **101** के अनुसार, अनुपात समेकन पद्धति से ईक्विटी पद्धति में परिवर्तन करते समय, अधिग्रहण से प्राप्त साख सहित परिसंपत्तियों तथा देयताओं से संबंधित राशि, जिसे पूर्व में संस्था द्वारा अनुपातत: समेकन किया गया, को परिवर्तन काल की तारीख पर कुल राशि के रूप में संयुक्त उद्यम में निवेश का आंकलन कर सकता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त राशि को प्रारंभिक चरण में संयुक्त उद्यम में निवेश की लागत के रूप में मानी जाती है।

बी. अनिवार्य अपवाद

1. गैर-नियंत्रित ब्याज

भारतीय लेखाकरण मानक **110** में अपेक्षितानुसार एन सी आई में ऋणात्मक शेष की स्थिति में भी कुल समग्र आय को संस्था के स्वामी और एन सी आई के प्रति माना जाएगा। भारतीय लेखाकरण मानक के परिवर्तन काल की तारीख से भारतीय लेखाकरण मानक **101** के अनुसार प्रत्याशित प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता अपेक्षित है। हालाँकि, यदि कोई संस्था विगत व्यापार संयोजनों के लिए भारतीय लेखाकरण मानक **103** के अनुसार पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने हेतु चयन करता है तो, उसे उसी तारीख से भारतीय लेखाकरण मानक **110** को भी लागू करना है। समूह ने पूर्व के व्यापार संयोजनों के लिए भारतीय लेखाकरण मानक **103** का चयन नहीं किया और इस प्रकार एन सी आई मूल्य के रखाव मूल्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

2. प्राक्कलन

भारतीय लेखाकरण मानक **101** के अनुसार, कोई संस्था भारतीय लेखाकरण मानक के परिवर्तन काल की तारीख से भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार तुलनात्मक अवधि की समाप्ति पर संस्था के प्रस्तुत प्रथम भारतीय लेखाकरण मानक के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। किसी भी मामले में, पूर्व जी ए ए पी के अनुसार उसी तारीख पर बनाए गए प्राक्कलन में निरंतरता होनी चाहिए। तब तक, जब तक उन प्राक्कलनों में त्रुटियों का कोई वस्तुगत प्रमाण नहीं प्राप्त हुए। हालाँकि, इन लेखाकरण नीतियों में कोई भी विभेदों को प्रतिबिंबित करने के लिए इन प्राक्कलनों का समायोजन करना होगा।

भारतीय लेखाकरण मानक **101** के अनुसार, जहाँ किसी एक संस्था को भारतीय लेखाकरण मानक लागू करते समय पुराने जी ए ए पी के तहत कुछ प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता नहीं थे। उन प्राक्कलनों की शर्तों को परिवर्तन काल की तारीख को मौजूदा (भारतीय लेखाकरण तुलन पत्र के प्रारंभ की तैयारी के लिए) या तुलनात्मक अवधि की समाप्ति (भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए) पर प्रतिबिंबित करनी चाहिए।

समूह का प्रक्कलन भारतीय लेखाकरण मानक के तहत उपर्युक्त आवश्यकता के अनुरूप सुसंगत है। पुराने जी ए ए पी के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में जिन प्रमुख प्राक्कलनों पर विचार किया गया, जो आवश्यक नहीं थे, उनकी सूची नीचे प्रस्तुत हैं:

ए) एफ वी टी पी एल में अग्रसारित वित्तीय मदों का उचित मूल्यांकन

बी) परिशोधित लागत पर अग्रसारित वित्तीय मदों के लिए बट्टागत मूल्य का निर्धारण

सी) अनुमानित साख हानि पद्धति के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

डी) पाबंदी लगायी गयी लागतों के लिए देयता का बट्टागत मूल्य

3. वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन

भारतीय लेखाकरण मानक **101** के अपेक्षितानुसार संस्था को तथ्यों एवं परिवर्तन काल की तारीख को मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का आंकलन करना है। आगे, यह मानक परिवर्तन काल की तारीख को मौजूद तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर यदि परिव्यापी आवेदन अव्यवहारिक हों तो परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना की अनुमति देती है।

तदनुसार, समूह ने परिवर्तन काल की तारीख को तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण निर्धारित करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना जहाँ अव्यवहारिक है, ऐसी स्थिति को छोड़कर परिव्यापी प्रभाव से परिशोधित लागत पर गणना की जाती है।

सी. ईक्विटी का मिलाप

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	नोट	परिवर्तन की तारीख 1 अप्रैल 2015 के अनुसार			31 मार्च 2016 तक		
		पूर्व जी ए ए पी	भारतीय लेखाकरण मानक में परिवर्तन पर समायोजन	भारतीय लेखाकरण मानक	पूर्व जी ए ए पी	भारतीय लेखाकरण मानक में परिवर्तन पर समायोजन	भारतीय लेखाकरण मानक
I परिसंपत्तियाँ							
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ							
(ए) संपदा, संयंत्र और उपस्कर	ए, बी, सी,ई	5,424.36	342.48	5,766.84	12,013.66	(77.65)	11,936.01
(बी) जारी पूँजीगत कार्य	ए	11,500.02	(5.26)	11,494.76	6,982.66	7.66	6,990.32
(सी) निवेश संपत्ति	डी	-	0.08	0.08	-	0.07	0.07
(डी) सुनाम	ई	257.44	(107.95)	149.49	150.91	(1.42)	149.49
(ई) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	ई	262.22	(163.89)	98.33	468.50	(386.14)	82.36
(एफ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		2.57	-	2.57	2.70	-	2.70
(जी) गणना किया गया ईक्विटी निवेशक	ई	-	371.18	371.18	-	438.74	438.74
वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
निवेश	ई	6.86	113.77	120.64	6.28	53.35	59.63
ऋण	ई, एफ, एच	812.45	(628.75)	183.70	601.69	(446.10)	155.58
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	ई, एफ	-	126.54	126.54	-	157.68	157.68
(आई) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)		-	-	-	-	-	-
(जे) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	ई, एफ	157.16	17.74	174.90	218.78	(98.91)	119.87
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		18,423.08	65.95	18,489.03	20,445.18	(352.73)	20,092.45
चालू परिसंपत्तियाँ							
(ए) वस्तु सूची	बी, ई	5,235.51	(109.87)	5,125.64	3,958.72	(124.55)	3,834.16
(बी) वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
(i) निवेश	एफ	-	0.24	0.24	-	3.00	3.00
(ii) व्यापार प्राप्य	आई, ई	1,045.16	(11.06)	1,034.10	965.17	(1.60)	963.57
(iii) नकद व नकद समानांतर	ई	858.90	(13.49)	845.40	868.59	(14.80)	853.80
(iv) ऋण	ई, एफ, जी	3,279.80	(3,279.14)	0.66	3,457.22	(3,456.88)	0.35
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	एफ	-	317.67	317.67	-	303.13	303.13
(सी) अन्य कर परिसंपत्तियाँ		-	103.71	103.71	-	67.80	67.80
(डी) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	ई, एफ, जी	126.27	589.62	715.89	173.43	490.26	663.69
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		10,545.64	(2,402.33)	8,143.31	9,423.13	(2,733.64)	6,689.50
कुल परिसंपत्तियाँ		28,968.72	(2,336.38)	26,632.34	29,868.31	(3,086.36)	26,781.95
II ईक्विटी व देयताएँ							
ईक्विटी							
(ए) ईक्विटी शेयर पूँजी	जे	5,189.85	(300.00)	4,889.85	4,889.85	0.00	4,889.85
(बी) अन्य ईक्विटी							
(i) भंडार व अधिशेष	ई, आर	6,256.29	591.60	6,847.89	4,912.31	214.76	5,127.07
(ii) अन्य समग्र आय	क्यू	-	-	-	-	(16.42)	(16.42)
(iii) गैर-नियंत्रित ब्याज	ई, के	503.60	91.89	595.50	326.30	264.32	590.62
कुल ईक्विटी		11,949.74	383.49	12,333.24	10,128.45	462.66	10,591.11
देयताएँ							
गैर-चालू देयताएँ							
(ए) वित्तीय देयताएँ							
(i) उधार	ई	434.80	(368.28)	66.52	4,031.85	(226.37)	3,805.48
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	एफ	-	51.65	51.65	-	13.56	13.56
(बी) प्रावधान	ई	656.72	(82.63)	574.09	1,105.59	(232.63)	872.96
(सी) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	ई, एल	451.51	(119.65)	331.86	455.51	(244.79)	210.72
(डी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	ई, एफ	155.71	(149.16)	6.55	126.25	(119.10)	7.15
कुल गैर-चालू देयताएँ		1,698.75	(668.08)	1,030.67	5,719.20	(809.34)	4,909.87
चालू देयताएँ							
(ए) वित्तीय देयताएँ							
(i) उधार	ई	7,529.26	(84.37)	7,444.89	6,716.90	(131.26)	6,585.64
(ii) व्यापार देय	ई	663.06	(46.73)	616.33	846.09	(93.12)	752.97
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	एफ	-	4,293.60	4,293.60	-	3,171.40	3,171.40
(iv) व्युत्पन्न	एम	-	31.42	31.42	-	54.17	54.17
(बी) प्रावधान	ई, एफ, एन	48.34	200.72	249.06	16.92	138.26	155.18
अन्य कर देयताएँ		-	29.45	29.45	-	36.79	36.79
(डी) अन्य चालू देयताएँ	ई, एफ	7,079.57	(6,475.89)	603.68	6,440.74	(5,915.92)	524.82
कुल चालू देयताएँ		15,320.23	(2,051.80)	13,268.43	14,020.65	(2,739.69)	11,280.97
कुल देयताएँ		17,018.98	(2,719.88)	14,299.10	19,739.85	(3,549.02)	16,190.83
कुल ईक्विटी व देयताएँ		28,968.72	(2,336.38)	26,632.34	29,868.31	(3,086.36)	26,781.95

डी. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल समग्र आय का मिलाप

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	नोट	परिवर्तन की तारीख 1 अप्रैल 2016 के अनुसार		
		पूर्व जी ए ए पी	भारतीय लेखाकरण मानक में परिवर्तन पर समायोजन	भारतीय लेखाकरण मानक
आय				
प्रचालन से राजस्व	ई, ओ	9,151.14	1,114.90	10,266.04
अन्य आय	ई, पी	435.85	(85.44)	350.41
कुल आय (I+II)		**9,586.99**	**1,029.46**	**10,616.45**
व्यय				
खपत की गयी सामग्री की लागत	बी, ई	4,277.15	(140.29)	4,136.86
परिसज्जित माल की वस्तु सूची में परिवर्तन और जारी कार्य	ई	1,176.66	(20.80)	1,155.86
उत्पाद शुल्क	ओ	-	1,143.40	1,143.40
कर्मचारी लाभ व्यय	ई, पी, क्यू	1,989.48	(64.01)	1,925.47
वित्तीय लागत	ई, एच, जे	685.07	(7.52)	677.54
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	बी, ई	380.28	(7.54)	372.74
अन्य व्यय	ई, एफ, आई, एम	3,064.68	(161.63)	2,903.06
कुल व्यय (IV)		**11,573.32**	**741.60**	**12,314.91**
निवेशकों को गणित ईक्विटी में लाभ/(हानि) का हिस्सा		-	(114.87)	(114.87)
पूर्वावधि के पूर्व लाभ और अपवाद मद		**(1,986.33)**	**173.00**	**(1,813.33)**
पूर्वावधि मद	ए	(370.25)	370.25	-
कर पूर्व लाभ		**(1,616.08)**	**(197.25)**	**(1,813.33)**
वर्तमान कर		7.63	-	7.63
आस्थगित कर	एल	4.33	(101.35)	(97.01)
विगत वर्ष के समायोजन				
आय कर व्यय		**11.96**	**(101.35)**	**(89.38)**
जारी प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ (हानि)		**(1,628.05)**	**(95.90)**	**(1,723.95)**
बंद प्रचालन से वर्ष के लाभ (हानि)		-	-	-
बंद प्रचालन के कर व्यय		-	-	-
बंद प्रचालन से वर्ष के लाभ (हानि) (कर पश्चात)		-	-	-
वर्ष के लाभ/(हानि)		(1,628.05)	(95.90)	(1,723.95)
अन्य समग्र आय				
(i) लाभ व हानि में पुन:-वर्गीकृत न किए जानेवाले मद				
(ए) परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) की पुन:गणना	क्यू	-	(69.27)	(69.27)
(बी) लाभ या हानि के रूप में पुन:-वर्गीकृत न किए जानेवाले आयकर से संबंधित मद	एल	-	24.13	24.13
(ii) लाभ व हानि के रूप में पुन:-वर्गीकृत किए जानेवाले मद				
(ए) निवेशकों को गणना किया गया ईक्विटी के अन्य समग्र आय का हिस्सा	ई	-	28.83	28.83
(बी) लाभ व हानि के रूप में पुन:-वर्गीकृत किए जानेवाले आयकर से संबंधित मद				
वर्ष के लिए अन्य समग्र आय, निवल आयकर		-	**(16.31)**	**(16.31)**
वर्ष के लिए कुल समग्र आय		**(1,628.05)**	**(112.21)**	**(1,740.26)**

ई. मिलाप से संबंधित टिप्पणियाँ

ए. पूर्व अवधि मदों का पुन:कथन

भारतीय लेखाकरण मानक के तहत समूह को निम्नलिखित द्वारा पहचानी गयी पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है :

i) पूर्व अवधि (यों) में प्रस्तुत तुलनात्मक त्रुटिसहित राशि का पुन:प्रकटीकरण;

ii) बहुत पहले की अवधि के पूर्व त्रुटियों के मामले में बहुत पहले की अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देयताओं और ईक्विटी के प्रारंभ शेष का पुन:प्रकटीकरण प्रस्तुत। पूर्व जी ए ए पी के तहत, पहचाने गए वर्ष के लाभ व हानि के समेकित विवरण में पूर्व अवधि के मद की मान्यता।

बी. भंडार और हिस्से पुर्जे का पूँजीकरण

भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार, समूह ने संपदा, संयंत्र और उपस्कर की परिभाषा को मिलाते हुए भंडार का पूँजीकरण किया है।

सी. सक्षम परिसंपत्तियाँ

भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार, समूह ने सक्षम परिसंपत्तियों के संबंध में खर्च किए गए व्यय को पूँजीगत किया है।

डी. निवेश संपदा

भारतीय लेखाकरण मानक 40 के अनुसार, समूह ने परिसंपत्ती को निवेश संपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। पुराने जी ए ए पी के तहत, मूर्त परिसंपत्ती के भवन ब्लॉक के तहत परिसंपत्ति का वर्गीकरण किया गया।

ई. निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार, समूह द्वारा समेकित लाभ व हानि के माध्यम से अन्य ईक्विटी शेयरों में निवेशों को प्रतिनिधित्व करनेवाली वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन किया गया। पुराने जी ए ए पी के तहत, लागत पर अग्रसारित इन सारी निवेशों पर संबद्ध लेखाकरण मानक लागू किए गए। जी ए ए पी के तहत अनुपात समेकन पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में ब्याज का समेकन किया गया है।

भारतीय लेखाकरण मानक 28 में अपेक्षितानुसार संयुक्त उद्यमों को भारतीय लेखाकरण मानक 105 के तहत 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वर्गीकृत की जानेवाले मापदंडों से यदि मेल न खाते हों तो, ऐसे संदर्भ में 'ईक्विटी पद्धति' के उपयोग के लिए गणना करना होगा। ईक्विटी पद्धति के तहत, संयुक्त उद्यम में निवेश प्रारंभ में लागत पर लाया गया है। अधिग्रहण की तारीख के पश्चात संयुक्त उद्यम के लाभ या हानि में निवेशक के हिस्से को मान्यता देने के लिए इसे बढाया घटाया जाता है। अत:, कंपनी को संयुक्त उद्यमों में इसके ब्याज के समेकन के लिए ईक्विटी पद्धती को अपनाना होगा।

पुराने जी ए ए पी के तहत, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल) को संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अनुपात समेकन पद्धति का उपयोग करते हुए लेखाकरण किया गया। भारतीय लेखाकरण मानक के तहत, आई सी वी एल को सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया गया और 'ईक्विटी पद्धति' का उपयोग करते हुए लेखाकरण किया गया।

एफ. वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का पुन:वर्गीकरण

भारतीय लेखाकरण मानक के तहत, समेकित तुलन पत्र पर अलग से सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का प्रकटीकरण करना होगा। पुराने जी ए ए पी के तहत, ऐसी आवश्यकता नहीं थी। अत:, सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को भारतीय लेखाकरण मानक 32 के अनुसार से वित्तीय संपत्ती या देयता के मानदंडों की मान्यता के अनुरूप पुन:वर्गीकृत किया गया है और समेकित तुलन पत्र पर अलग से दिखाया गया है।

जी. परिशोधित लागत पर कर्मचारी ऋण

भारतीय लेखाकरण मानक 109 के आधार पर, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर कर्मचारी ऋण के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना की जाती है।

एच. ए पी आई आई सी के ऋण का उचित मूल्यांकन

भारतीय लेखाकरण मानक 109 के आधार पर, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर ऋणों के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना की जाती है।

आई. अनुमानित साख हानि का ह्रास

भारतीय लेखाकरण मानक 109 के आधार पर, अनुमानित साख हानि पद्धति के अनुसार संदेहास्पद ऋणों के लिए भत्ता का अभिलेख किया गया है।

जे. अधिमान्य शेयरों का उचित मूल्यांकन

भारतीय लेखाकरण मानक 109 के आधार पर, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित दर पर अधिमान्य शेयरों के रूप में वित्तीय देयताओं की गणना की गयी है।

के. गैर-नियंत्रित ब्याज

पुराने जी ए ए पी के तहत, ईक्विटी और देयताओं से समेकित तुलन पत्र (स्वल्प ब्याज के रूप में) में अलग से गैर-नियंत्रित ब्याज प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक के तहत, गैर-नियंत्रित ब्याजों को कंपनी के स्वामी को निश्चित इक्विटी से अलग रूप में कुल ईक्विटी के अंगर्तत दिखाया गया है।

के. आयकर

पुराने जी ए ए पी के तहत, वर्ष के लिए लेखाकरण आय और कर योग्य आय के बीच यानि 'आय विवरण पद्धति' का उपयोग करते हुए समय भेदों के लिए आस्थगित कर की गणना की गयी है।

भारतीय लेखाकरण मानक के तहत, आस्थगित करों की समेकित तुलन पत्र और इसके समेकित कर आधार में संपत्ति या देयता की अग्रसारित राशी के बीच तात्कालिक अंतर हेतु गणना की जाती है, यह 'तुलन पत्र पद्धति' के रूप में संदर्भित है। इस पद्धति के आधार पर, सभी भारतीय लेखाकरण मानक समायोजनों पर समूह द्वारा लेखा पुस्तक एवं कर लेखों के बीच के तात्कालिक अंतर उत्पन्न होने की संभाव्यता के कारण अतिरिक्त आस्थगित कर की मान्यता देनी होगी।

एम. व्युत्पन्न

भारतीय लेखाकरण मानक 109 के अनुसार, मार्क-टु-मार्केट पद्धति का उपयोग करते हुए उचित मूल्य पर व्युत्पन्नी मदों का मापन किया गया है।

एन. प्रस्तावित लाभांश

पुराने जी ए ए पी के तहत, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश की गयी ईक्विटी शेयरों पर लाभांश, लेकिन जारी के लिए वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत करने के पूर्व वित्तीय विवरणों में देयता (तदुपरांत आयकर के लिए प्रावधान सहित) के रूप में मान्यता दी गयी है। भारतीय लेखाकरण मानक के तहत निदेशक मंडल द्वारा अंशधारकों को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात लाभांश के लिए सिफारिश किया गया, लेकिन रिर्पोटिंग अवधि की समाप्ति पर जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरण देयताओं के रूप में नहीं पहचाने गए हैं, जबकि टिप्पणियों में अलग से प्रकट किए गए हैं। ये सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा घोषणा के पश्चात पहचानी गयी।

ओ. उत्पाद शुल्क

पुराने जी ए ए पी के तहत, माल बिक्री राजस्व को बिक्री से संबंधित निवल उत्पाद शुल्क में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय लेखाकरण मानक के तहत, माल बिक्री राजस्व को उत्पाद शुल्क में समेकित करके प्रस्तुत किया गया है। उत्पाद शुल्क को लाभ व हानि के समेकित विवरण में व्यय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके फलस्वरूप दि.31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के प्रचालन व व्यय के राजस्व में इससे बढ़ोत्तरी हुई। दि.31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का कुल समेकित समग्र व्यय और ईक्विटी अपरिवर्तित है।

पी. किराया व्यय

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार, कर्मचारियों की किराए वसूली को कर्मचारी व्यय दर्शानेवाले किराए के उचित मूल्य पर दिखाया गया है।

क्यू. वास्तविक अभिलाभ व हानि

भारतीय लेखाकरण मानक के तहत, रोजगारी के पश्चात परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित सभी वास्तविक अभिलाभ व हानि समेकित अन्य समग्र आय में दिखाए गए हैं। पुराने जी ए ए पी के तहत समूह ने वास्तविक अभिलाभ व हानि को समेकित लाभ व हानि के विवरण में दिखाया। हालाँकि, दि.1 अप्रैल 2015 या दि.31 मार्च 2016 के कुल समेकित समग्र आय और कुल समेकित ईक्विटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

आर. प्रतिधारित अर्जन

कुल ईक्विटी में वृद्धि/(कमी) के उपर्युक्त परिवर्तन निम्नवत हैं: (करोड़ रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2016
पुराने जी ए ए पी के तहत ईक्विटी	11,949.74	10,128.45
संयुक्त उद्यमों का असमेकन	215.03	311.26
संयुक्त उद्यमों के लिए ईक्विटी लेखाकरण	243.32	157.38
गैर-नियंत्रित ब्याज का समायोजन	(1.29)	(3.96)
परिशोधित लागत में कर्मचारी ऋण	0.04	0.16
व्युत्पन्न	(2.98)	13.38
पूर्व अवधि मद	374.11	-
उचित मूल्य पर देयता के रूप में दिखाया गया अधिमान्य शेयर	(285.08)	-
भंडार व हिस्से पुर्जे का पूँजीकरण	(18.31)	(5.57)
व्यापार देय पर विदेशी मुद्रा समायोजन	-	(0.06)
प्रधान मंत्री ट्रॉफी पुरस्कार	(6.55)	(7.15)
ए पी आई आई सी के ऋण का उचित मूल्यांकन	(14.23)	(16.07)
अनुमानित ऋण हानि का ह्रास	(1.33)	(1.33)
सक्षम परिसंपत्तियों का पूँजीकरण	-	8.74
प्रस्तावित लाभांश	1.86	1.47
एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत निवेश से उत्पन्न उचित मूल्य का अभिलाभ	0.87	0.90
उपर्युक्त समायोजनों पर आस्थगित कर प्रभाव	(121.97)	3.52
ईक्विटी में परिवर्तन	383.50	462.67
भारतीत लेखाकरण मानक के तहत ईक्विटी	12,333.24	10,591.12

47 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II के अनुच्छेद 2 के अवलोकन में अतिरिक्त जानकारी – अनुसूची III के प्रभाग II के 'समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए सामान्य अनुदेश'

दि.31 मार्च 2017 को (करोड़ रुपए में)

संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ		लाभ या (हानि) में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा (ओ सी आई)		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के अनुसार	राशि	समेकित लाभ या (हानि) % के अनुसार	राशि	अन्य ओ सी आई में समेकित % के अनुसार	राशि	कुल ओ सी आई में समेकित % के अनुसार	राशि
स्वामी								
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	92.52%	8,569.66	98.41%	(1,263.16)	101.88%	(36.00)	98.50%	(1,299.16)
सहायक कंपनियाँ (समूह का हिस्सा)								
भारतीय								
ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	3.87%	358.18	0.19%	(2.43)	0.55%	(0.19)	0.20%	(2.62)
गैर नियंत्रित ब्याज								
ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	6.28%	581.44	0.18%	(2.3)	1.54%	(0.54)	0.22%	(2.87)
सहयोगी								
(ईक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
अंतर्राष्ट्रीय कोल वेंचर्स प्रा लिमिटेड	1.51%	140.22	1.39%	(17.82)	-2.43%	0.86	1.29%	(16.96)
संयुक्त उद्यम								
(ईक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
रिनमॉयल फेर्रा एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	0.00%	(0.03)	0.00%	(0)	0.00%	-	0.00%	(0.03)
आर आई एन एल पॉवर ग्रिड टी एल टी प्रा.लि.								-
निष्कासन	-4.2%	(387.06)	-0.2%	2.18	-1.5%	0.54	-0.2%	2.72
कुल	100.00%	9,262.42	100.00%	(1,283.58)	100.00%	(35.34)	100.00%	(1,318.91)

दि.31 मार्च 2016 तक (करोड़ रुपए में)

संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ		लाभ या (हानि) में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा (ओ सी आई)		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के अनुसार	राशि	समेकित लाभ या (हानि) % के अनुसार	राशि	अन्य ओ सी आई में समेकित % के अनुसार	राशि	कुल ओ सी आई में समेकित % के अनुसार	राशि
स्वामी								
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	93.18%	9,868.82	93.25%	(1,604)	275.78%	(45.29)	94.97%	(1,649.01)
सहायक कंपनियाँ (समूह का हिस्सा)								
भारतीय								
ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	3.44%	364.79	0.07%	(1.29)	-0.25%	0.04	0.07%	(1.25)
गैर नियंत्रित ब्याज								
ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	5.58%	590.62	0.07%	(1.24)	-0.71%	0.12	0.06%	(1.12)
सहयोगी								
(ईक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
अंतर्राष्ट्रीय कोल वेंचर्स प्रा लिमिटेड	1.48%	157.18	6.68%	(115)	-175.54%	28.83	4.96%	(86.04)
संयुक्त उद्यम								
(ईक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
रिनमॉयल फेर्रा एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	0.00%	(0.00)	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	0.00
आर आई एन एल पॉवर ग्रिड टी एल टी प्र.लि.								-
निष्कासन	-3.7%	(390.30)	-0.07%	1.24	0.71%	(0.12)	-0.06%	1.12
कुल	100.00%	10,591.11	100.00%	(1,719.87)	100.00%	(16.42)	100.00%	(1,736.29)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

(सी आई एन: U27109AP1982GOI003404)

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी), विशाखपट्टणम **530 031**

वेबसाइट: www.vizagsteel.com; ईमेल: csrinl@vizagsteel.com; दूरभाष व फैक्स: (**0891**) **2518249**

सूचना

एतद्वारा **सूचना** दी जाती है कि निम्नलिखित व्यापार के संचालन हेतु **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड** के सदस्यों की **35वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल), विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र, विशाखपट्टणम-530 031** में **27 सितंबर, 2017, बुधवार** को **11.00 बजे** आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार :

1. **31** मार्च, **2017** को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक प्रतिवेदनों एवं उनके संबंध में भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी व ए जी) की टिप्पणियों के साथ-साथ कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करके उनपर विचार करना एवं उन्हें अपनाना।

2. कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **142** के साथ पठित धारा **139(5)** के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष **2017-18** के लिए नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी व ए जी) द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिदान तय करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना एवं इस संबंध में विचार करके यदि आवश्यक पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना।

   कृतसंकल्प हैं कि

   कंपनी के निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति से समय-समय पर प्राप्त संस्तुतियों के अनुरूप नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक द्वारा वित्त वर्ष **2017-18** के दौरान नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिदान, फुटकर व्यय, यात्रा व्यय एवं अन्य निर्वाह व्यय के संबंध में निर्णय लेने एवं उनके उपयुक्त निर्धारण हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

विशेष व्यापार :

3. श्री के सी दास (डी आई एन: **07702197**) को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करना एवं इस संबंध में विचार करके यदि आवश्यक पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

   कृतसंकल्प हैं कि

   आर आई एन एल के अंतर्नियमों के अनुच्छेद सं.**75** के अंतर्निहित शक्तियों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त होकर **1** जनवरी, **2017** को कार्यभार ग्रहण करनेवाले श्री के सी दास (डी आई एन: **07702197**) को कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **149, 152, 161** के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और उनके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में एतद्वारा कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सरस्वती प्रसाद (डी आई एन: **07729788**) आई ए एस, ए एस व एफ ए, इस्पात मंत्रालय को कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना एवं इस संबंध में विचार करके यदि आवश्यक पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

   कृतसंकल्प हैं कि

   आर आई एन एल के अंतर्नियमों के अनुच्छेद सं.**75** के अंतर्निहित शक्तियों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा अल्प-कालिक सरकारी निदेशक (अर्थात सरकारी नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त होकर **08** फरवरी, **2017** को कार्यभार ग्रहण करनेवाले श्री सरस्वती प्रसाद (डी आई एन: **07729788**) आई ए एस, ए एस व एफ ए, इस्पात मंत्रालय को कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **149, 152, 161** के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और उनके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

5. श्री वी वी वेणुगोपाल राव (डी आई एन: **02950920**) को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करना एवं इस संबंध में विचार करके यदि आवश्यक पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

कृतसंकल्प हैं कि

आर आई एन एल के अंतर्नियमों के अनुच्छेद सं.**75** के अंतर्निहित शक्तियों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त होकर **06** जुलाई, **2017** को कार्यभार ग्रहण करनेवाले श्री वी वी वेणुगोपाल राव (डी आई एन: **02950920**) को कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **149, 152, 161** के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और उनके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में एतद्वारा कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

6. श्री अश्वनी मेहरा (डी आई एन: **07084178**) को कंपनी के गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना एवं इस संबंध में विचार करके यदि आवश्यक पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

कृतसंकल्प हैं कि

आर आई एन एल के अंतर्नियमों के अनुच्छेद सं.**75** के अंतर्निहित शक्तियों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होकर **06** सितंबर, **2017** को कार्यभार ग्रहण करनेवाले श्री अश्विनी मेहरा (डी आई एन: **07084178**) को कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **149, 152, 161** के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और उनके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में एतद्वारा कंपनी के गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

7. वित्त वर्ष **2017-18** के लिए लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिदान की पुष्टि करना एवं इस संबंध में विचार करके यदि आवश्यक पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

कृतसंकल्प हैं कि

कंपनी (लेखापरीक्षा व लेखापरीक्षक) नियम, **2014** (किसी सांविधिक संशोधन (नों) अथवा उसके संबंध में समय पर लागू अनुसार) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **148** के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के क्रम में वित्त वर्ष **2017-18** के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिदान की इस बैठक के आयोजन से संबंधित सूचना के अनुलग्नक में दिखाये गये अनुसार एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

आगे इसके लिए भी कृतसंकल्प हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को लागू करने हेतु आवश्यक, उपयुक्त एवं सामयिक, आवश्यकतानुसार ऐसे सभी कार्य करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

8. कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी एवं फ्री रिजर्व से अधिक का ऋण लेना एवं इस संबंध में विचार करके यदि आवश्यक पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

कृतसंकल्प हैं कि

कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **180** (1) (सी) के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (किसी सांविधिक संशोधनों अथवा समय के दौरान लागू अनुसार सहित) और कंपनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के किन्हीं अन्य लागू कानूनों व प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा अस्थाई ऋण के अलावा **16,500** करोड़ रुपये (रुपये सोलह हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) तक का, जो कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूँजी एवं फ्री रिजर्व्स से अधिक है, ऋण लेने की अनुमति दी जाती है।

आगे इसके लिए भी कृतसंकल्प हैं कि

मंडल को उपरोक्त संकल्प को लागू करने हेतु आवश्यक अथवा अपेक्षित माने गये अथवा प्रासंगिक अनुसार आवश्यकता के अनुरूप ऐसे सभी कार्य करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

9. कंपनी, वर्तमान एवं भावी ऋणों के मामले में चल व अचल परिसंपत्तियों को गिरवी रखने और/अथवा बेचने एवं इस संबंध में विचार करके यदि आवश्यक पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

कृतसंकल्प हैं कि

समय समय पर संशोधित एवं कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, **2014** (किन्हीं सांविधिक संशोधन(नों) या समय पर लागू अनुसार सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **180(1)(ए)** के प्रावधानों अथवा लागू समय के दौरान उसके संबंध में लागू किये गये संशोधनों एवं कंपनी के बहिर्नियमों व अंतर्नियमों के किन्हीं लागू कानूनों व प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के वर्तमान व भावी दोनों प्रकार के ऋणों की संरक्षा के क्रम में कंपनी के चल व अचल परिसंपत्तियों को गिरवी रखने और/अथवा बेचने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

आगे इसके लिए भी कृतसंकल्प हैं कि

मंडल को उपरोक्त संकल्प को लागू करने हेतु आवश्यक अथवा अपेक्षित माने गये अथवा प्रासंगिक अनुसार ऐसे सभी कार्य करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

पंजीकृत कार्यालय:
प्रशासनिक भवन
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी)
विशाखपट्टणम **530 031**
दिनांक : 25 सितंबर, **2017**

मंडल के आदेश से
ह/-
दीपक आचार्य
सहायक महाप्रबंधक (कंपनी मामले) एवं
कंपनी सचिव

नोट:

1. बैठक में भाग लेने व मतदान हेतु हकदार सदस्य बैठक में अपनी जगह उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रतिनिधि को नामित कर सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिनिधि सदस्य हो।
2. भारत के राष्ट्रपति, बैठक में एक या अधिक व्यक्ति(यों) को प्रतिनिधियों के रूप में नामित कर सकते हैं।
3. सदस्य अपने निरीक्षण के समय सभी कार्य-दिवसों पर कार्य-घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सूचना व विवरण से संबंधित सांविधिक पंजी एवं कागजात का अवलोकन कर सकते हैं।
4. नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा रखनेवाले निदेशकों का संक्षिप्त जीववृत्त इसी सूचना के अंतर्गत एतद्वारा संलग्न है।
5. विशेष व्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **102** के अनुरूप संबद्ध व्याख्यात्मक विवरण उपरोक्त अनुसार एतद्वारा संलग्न है।
6. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से एक दूसरे के संबंधी नहीं हैं।

सूचना का अनुलग्नक

सूचना में प्रस्तावित विशेष व्यापारों से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार)

मद सं.3:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस्पात मंत्रालय (एम ओ एस) के जारी आदेश एफ.सं.2(15)/2015-बी एल ए, दि.02 नवंबर, 2016 के माध्यम से श्री के सी दास को 1 जनवरी, 2017 से अपने पद भार संभालने के दिनांक से अथवा उनके अधिवर्षिता दिनांक तक अथवा इस्पात मंत्रालय के आगे के आदेशों तक, जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए आर आई एन एल के मंडल में निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया।

विशिष्ट कार्य क्षेत्र संबंधी उनके अनुभव के विवरण के साथ उनका संक्षिप्त जीववृत्त इस सूचना के अंतर्गत अन्यत्र दिया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(1) के अनुसार श्री के सी दास निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं माने गये। श्री के सी दास के सिवाय कंपनी के कोई निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके संबंधी सूचना के मद संख्या 3 में पुष्टि की गई इस संकल्प से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं हैं अथवा वित्तीय अथवा किसी भी दृष्टि से रुचि नहीं रखते हैं।

मंडल, शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के अनुमोदन की संस्तुति करता है।

मद सं.4:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस्पात मंत्रालय (एम ओ एस) के जारी आदेश एफ.सं.1/16/2015-बी एल ए, दि.08 फरवरी, 2017 के माध्यम से श्री सरस्वती प्रसाद, भा प्र से, अ स वि स, इस्पात मंत्रालय को दि.08 फरवरी, 2017 से आर आई एन एल के मंडल में सरकारी नामित निदेशक (अर्थात अल्प कालिक सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया।

विशिष्ट कार्य क्षेत्र संबंधी उनके अनुभव के विवरण के साथ उनका संक्षिप्त जीववृत्त इस सूचना के अंतर्गत अन्यत्र दिया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(1) के अनुसार श्री सरस्वती प्रसादा निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं माने गये। श्री सरस्वती प्रसाद के सिवाय कंपनी के कोई निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके संबंधी सूचना के मद संख्या 4 में पुष्टि की गई इस संकल्प से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं हैं अथवा वित्तीय अथवा किसी भी दृष्टि से रुचि नहीं रखते हैं।

मंडल, शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के अनुमोदन की संस्तुति करता है।

मद सं.5:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस्पात मंत्रालय (एम ओ एस) के जारी आदेश एफ.सं.2(9)/2015-बी एल ए, (खण्ड-2) दि.28 जून, 2017 के माध्यम से श्री वी वी वेणुगोपाल राव को 6 जुलाई, 2017 से अपने पद भार संभालने के दिनांक से अथवा उनके अधिवर्षिता दिनांक तक अथवा इस्पात मंत्रालय के आगे के आदेशों तक, जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए आर आई एन एल के मंडल में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।

विशिष्ट कार्य क्षेत्र संबंधी उनके अनुभव के विवरण के साथ उनका संक्षिप्त जीववृत्त इस सूचना के अंतर्गत अन्यत्र दिया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(1) के अनुसार श्री वी वी वेणुगोपाल राव निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं माने गये। श्री वी वी वेणुगोपाल राव के सिवाय कंपनी के कोई निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके संबंधी सूचना के मद संख्या 5 में पुष्टि की गई इस संकल्प से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं हैं अथवा वित्तीय अथवा किसी भी दृष्टि से रुचि नहीं रखते हैं।

मंडल, शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के अनुमोदन की संस्तुति करता है।

मद सं.6:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस्पात मंत्रालय (एम ओ एस) के जारी आदेश एफ.सं.1/10/2015-बी एल ए, (खण्ड-3) दि.6 सितंबर, 2017 के माध्यम से श्री अश्वनी मेहरा को 6 सितंबर, 2017 को इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना की तिथि से अथवा आगे के आदेशों तक, जो भी पहले हो, तीन वर्ष की अवधि के लिए आर आई एन एल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

विशिष्ट कार्य क्षेत्र संबंधी उनके अनुभव के विवरण के साथ उनका संक्षिप्त जीववृत्त इस सूचना के अंतर्गत अन्यत्र दिया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (1) के अनुसार श्री अश्विनी मेहरा निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं माने गये।

श्री अश्वनी मेहरा के सिवाय कंपनी के कोई निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके संबंधी सूचना के मद संख्या 6 में पुष्टि की गई इस संकल्प से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं हैं अथवा वित्तीय अथवा किसी भी दृष्टि से रुचि नहीं रखते हैं।

मंडल, शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के अनुमोदन की संस्तुति करता है।

मद सं.7:

कंपनी (लेखापरीक्षा व लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अधीन अपेक्षित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संस्तुति के अनुरूप निदेशक मंडल को लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिदान के संबंध में विचार करके उसे अनुमोदित करना होगा, जिसकी बाद में शेयरधारकों से पुष्टि की जानी होगी।

निदेशक मंडल ने 1 सितंबर, 2017 को आयोजित अपनी 308वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति की संस्तुति के उपरांत वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लागत लेखापरीक्षकों द्वारा 29 जुलाई 2017 को संपन्न 74वीं बैठक में कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के आयोजन के क्रम में उनकी नियुक्ति व प्रतिदान को भी अनुमोदित किया है।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों एवं उनके प्रतिदान का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

लागत लेखापरीक्षक का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रतिदान
मेसर्स एस के जी एंड कंपनी, लागत लेखाकार, दिल्ली	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लेखापरीक्षकों को लागू जी एस टी को मिलाकर रु.51000/- (रुपये इक्यावन हजार मात्र) औरवर्किंग लंच उपलब्ध किए जाएंगे।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय प्रतिदान की संपुष्टि के लिए सामान्य संकल्प पारित करते हुए सदस्यों की अनुमति ली गई।

सूचना की मद सं.7 में निर्धारित अनुसार कंपनी के कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक किसी भी रूप में वित्तीय रूप से या अन्य किसी आशय से इस संकल्प से संबद्ध या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं.8 व 9

1.0 मंडल ने 8 सितंबर, 2014 को आयोजित अपनी 284वीं बैठक में मद सं.3.10 के द्वारा कंपनी के पूँजीगत व्यय की पूर्ति के क्रम में विभिन्न चालू/नई परियोजनाओं के लिए बैंकों व अन्य स्रोतों के अधीन किये गये दीर्घकालिक जमाओं सहित जमाओं से निधि जुटाने के आधार पर 9,000 करोड़ रुपये की ऋण सीमाओं को अनुमोदित किया।

2.0 आगे, दि.15 सितंबर, 2016 को आयोजित निदेशक मंडल के 301वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के अधीन रु.16500 करोड़ तक कंपनी के ऋण सीमाओं और गिरवी का सृजन करने और/अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के अधीन ऋण सुरक्षा के लिए प्रभार के लिए विशेष संकल्पना द्वारा सामान्य बैठक में कंपनी के हित में सिफारिश की। तदानुसार, 29 सितंबर, 2016 में संपन्न 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

3.0 31 मार्च, 2017 में रु 6588 करोड़ के तुलना में 31 जुलाई, 2017 तक कंपनी के नाम पर केपेक्स आशय (निधि व गैर-निधि आधारित) हेतु लगभग 6981 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है ।

4.0 31 मार्च, 2017 में रु.9000 करोड़ की मंडल अनुमोदित ऋण सिमाओं के तुलना में रु.8982 करोड़ (प्रक्रिया में मंजूर किये गये रु400 करोड़ सहित) तक केपक्स ऋण की मंजूरी के लिए बैंकों के साथ कंपनी ने अनुबंध किया। कथित मंजूरियों में से कंपनी ने 31 जुलाई, 2017 तक रु.6981 करोड़ ऋण का उपयोग किया।

5.0 अत: उपयोग नहीं किये गये केपेक्स बारोइंग्स 7.3 मिलियन टन विस्तारण के अधीन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। 31 मार्च 2017 तक कंपनी के पास रु.10300 करोड़ का कुल केपेक्स शेष प्रतिबद्धता है। इसलिए कंपनी के पास ऊपर कहे गये अनुसार केपेक्स प्रतिबद्धता हेतु अतिरिक्त मंजूरियां प्राप्त करने के लिए रु.9000 करोड़ से अधिक ऋण सिमा नहीं है।

6.0 इस्पात क्षेत्र के निष्पादन की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत, कंपनी को उपरोक्त योजनाबद्ध पूँजीगत प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के क्रम में बैंकरों से दीर्घकालिक ऋण सुविधा सीमाओं की व्यवस्था की आवश्यकता है। आगे, विस्तारण, आधुनिकीकरण और सुविधाओं के आवर्धन के लिए निधियों की उपलब्धता परियोजनाओं के कार्य के धीमेपन को रोकेगी व समय पर परियोजनाओं के प्रवर्तन करने में सहायक होगी और तदानुसार क्षमता की वृद्धि से कंपनी के नकद प्रवाह में सुधार की उम्मीद की जा सकती है

7.0 इसके अलावा, फोर्ज्ड व्हील संयंत्र के 1682 करोड़ रुपये की शेष पूँजीगत प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु विभिन्न बैंकों से दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

8.0 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अनुसार निदेशक मंडल सिर्फ ऋण के मामले में निम्नलिखित विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी की सम्मति के अनुरूप कुछ शक्तियों का उपयोग करेगा :

सामान्य व्यापार के दौरान कंपनी के बैंकों से प्राप्त अस्थाई ऋण के अलावा निधि जहां से ली जानी हो वहां से ली जाए साथ ही कंपनी द्वारा पहले से ही लिये गये ऋणा शेयर पूँजी को किये गये भुगतान और फ्री रिजर्व्स के मिलाते हुए यह अधिक होगा।

स्पष्टीकरण: इस खंड के आशय हेतु, 'अस्थाई ऋण' से ऐसे अल्पकालिक, नकद ऋण व्यवस्था, बिलों की छूट और सामयिक प्रवृत्ति के अल्पकालिक ऋण अभिप्रेत हैं, जिनमें पूँजीगत वित्त व्यय के आशय से लिये गये ऋण शामिल न हों एवं जो माँग के आधार पर अथवा ऋण लेने की तिथि से छ: महीने की अवधि में देय हों।

9.0 कंपनी अधिनियम, 2013 के उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत, चूँकि सभी अन्य दीर्घकालिक ऋण सहित पूँजीगत व्यय संबंधी 16500 करोड़ रुपये की प्रस्तावित ऋण सीमा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2017 तक कंपनी के 8570 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी व फ्री रिजर्व से अधिक होगी, अत: मंडल के लिए शक्तियों के उपयोग हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी की सम्मति अपेक्षित है।

10.0 ऋणों की संरक्षा हेतु कंपनी को गिरवी रखने और/अथवा प्रभार लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) के अधीन विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी की सम्मति अपेक्षित है।

11.0 निदेशक मंडल को उपरोक्त संकल्प को लागू करने हेतु आवश्यक अथवा अपेक्षित माने गये अथवा प्रासंगिक अनुसार ऐसे सभी आवश्यकता अनुरूप कार्यकरने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाय।

12.0 उपरोक्त के दृष्टिगत, आपके निदेशकगण कंपनी के निदेशक मंडल को आवश्यकता के अनुरूप ऋण लेने एवं कंपनी के ऋणों की संरक्षा हेतु गिरवी रखने और/अथवा प्रभार लगाने का अधिकार देने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) और धारा 180(1)(ए) के प्रावधानों के अधीन सदस्यों को विशेष संकल्प पारित की संस्तुति करते हैं।

13.0 कोई निदेशक और/अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके संबंधी इस संकल्प से जुड़े नहीं हैं अथवा रुचि नहीं रखते हैं।

पंजीकृत कार्यालय:
प्रशासनिक भवन
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वी एस पी)
विशाखपट्टणम 530 031
दिनांक: 25 सितंबर, 2017

मंडल के आदेश से
ह/-
दीपक आचार्य
सहायक महाप्रबंधक (कंपनी मामले) एवं
कंपनी सचिव

सूचना का अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना से संबंधित प्रस्तावित संकल्पों के लिए निदेशकों का संक्षिप्त जीववृत्त

नाम	श्री किशोर चंद्र दास निदेशक (कार्मिक)	श्री सरस्वती प्रसाद, भा.प्र.से.	श्री वी वी वेणुगोपाल राव निदेशक (वित्त)	श्री अश्वनी मेहरा स्वतंत्र निदेशक
डी आई एन	07702197	सरकारी निदेशक	02950920	07084178
जन्म तिथि व आयु	09/06/1961 ; 56 वर्ष	07729788	27/04/1963; 54 उम्र	09/10/1956
नियुक्ति तिथि	01.01.2017	24/12/1960; 56 उम्र	06.07.2017	06.09.2017
योग्यता	एम.ए., एम बी ए, पी जी डी एच आर एम, पी जी डी सी ए व आई सी डब्ल्यू ए आई (इंटर)	08.02.2017 भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर	बी.कॉम, ए सी ए, पारिस्थितिकी व पर्यावरण में स्नातकोत्तर	अर्थशास्त्र में स्नातक (सम्मान), अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, आई आई बी के प्रमाणित सहयोगी, आई बी बी आई लिमिटेड इंसाल्वेंसी परीक्षा
विशिष्ट कार्यक्षेत्र में अनुभव	इसके पहले, श्री दास ने रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम मझगाँव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में 5 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में सेवा की। इसके पूर्व श्री दास ने गेल एवं उसके संयुक्त उद्यम में भी मानव संसाधन क्षेत्र के विभिन्न पदों पर 15 वर्ष तक कार्य किया। वे मूल रूप से मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमाणित कार्य निष्पादन के साथ 29 वर्ष का अनुभव रखते हैं। अपनी व्यावसायिक सेवा के माध्यम से उन्होंने मुख्यत: औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन विकास एवं कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। अपनी दीर्घकालिक सेवा के दौरान उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन के सभी क्षेत्रों का मार्गदर्शन किया एवं प्रक्रिया सुधारों हेतु निरंतर प्रयास किया। उनके व्यावसायिक कार्य पद्धति, कड़ी मेहनत, निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं दूरदर्शिता से पूरे आर आई एन एल समूह को ऊँचाइयाँ छूने में अवश्य सहयोग मिलेगा।	श्री सरस्वती प्रसाद, भा.प्र.से. (ए एम 1985) को श्रीमती भारती एस सिहाग, भा.प्र.से. (एच पी 1983) के उर्वरक व रसायन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्ति के पश्चात इस्पात मंत्रालय में अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले, उन्होंने पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय में संयुक्त अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के स्तर पर कार्य किया। श्री प्रसाद केंद्र व राज्य सरकारों में कार्य करने का विस्तृत अनुभव रखते हैं। उन्होंने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय में कार्य किया है।	श्री वेणु गोपाल राव एक सनदी लेखाकार हैं और उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में कार्यभार संभालने से पूर्व खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में सेवा की। उन्होंने भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम मेसर्स ब्रेथवेट व कंपनी लिमिटेड में भी निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया। 1991-2010 के अपने तीन दशक के सेवाकाल में उन्होंने सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया। श्री वेणु गोपाल राव ने ब्रिटन के हेनली मैनेजमेंट कालेज, ग्रीनलैंड्स एवं हेनली-ऑन-थेम्स से एक पर्यवेक्षक के रूप में वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर्यावरण व नीतिगत व्यापार प्रबंधन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय प्रबंधन संघ द्वारा 1996 में आयोजित अखिल भारतीय स्तर की 22 वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।	श्री अश्विनी मेहरा, विभिन्न विपणन केंद्रों (भारत व संयुक्त राष्ट्र अमेरीका) में व्यापार कार्यनीति, संस्थागत ऋण, निगमित व परियोजना वित्त, ऋण संबंधी जोखिम, खुदरा बैंकिंग एवं मानव संसाधन व प्रतिभा प्रबंधन में गहरे अनुभव रखनेवाले देश के बृहदतम वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक में तीन दशक से मूलत: बैंकिंग का अनुभव रखते हैं। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में विभिन्न पदों पर कार्य किया और भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक - निगमित विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए।

नाम	श्री किशोर चंद्र दास निदेशक (कार्मिक)	श्री सरस्वती प्रसाद, भा.प्र.से. सरकारी निदेशक	श्री वी वी वेणुगोपाल राव निदेशक (वित्त)	श्री अश्विनी मेहरा स्वतंत्र निदेशक
अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पदभार	रिनमॉयल फेर्रो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	1. एन एम डी सी लिमिटेड 2. मेकॉन लिमिटेड 3. के आई ओ सी एल लिमिटेड 4. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	1. दि ओड़ीशा खदान विकास कंपनी लिमिटेड	शून्य
आर आई एन एल की समितियों में सदस्यता/अध्यक्ष पदभार	**सदस्यता :** 1. अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति	शून्य	सदस्यता : 1. कच्चा माल संरक्षण व संयुक्त उद्यम एवं अधिग्रहण संबंधी मंडल उप समिति 2. विस्तारण व तत्संबंधी परियोजनाओं से संबंधित मंडल समिति 3. अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति	शून्य
अन्य सार्वजनिक कंपनियों (आर आई एन एल से भिन्न) में सदस्यता/अध्यक्ष पदभार	शून्य	शून्य	**दि ओड़ीशा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड :** अंशधारक संबंध समिति के **अध्यक्ष** लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक दायित्व समिति, नामांकन व प्रतिदान समिति के **सदस्य**	शून्य
आर आई एन एल में शेयरों की संख्या	भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 100 (एक सौ) शेयर	भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 100 (एक सौ) शेयर	शून्य	शून्य

उपरोक्त सारणी में प्रस्तुत विवरण सूचना की तिथि तक हैं।

प्रपत्र सं.एन जी टी-11

प्रतिपत्र प्रपत्र

(कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन व प्रशासन) के नियम 19 (3) व कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) के क्रम में)

सी आई एन : U27109AP1982GOI003404
कंपनी का नाम : **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र (वीएसपी), विशाखपट्टणम-530031
वेबसाइट : www.vizagsteel.com; Tel: (0891)251 8015/8249; ई-मेल : csrinl@vizagsteel.com;
सदस्य (सदस्यों) का नाम :
पंजीकृत पता :
ई-मेल आई डी :
फोलियो सं/ग्राहक आई डी :
डीपी आईडी :

ऊपर कथित कंपनी में ..... शेयर रखनेवाला/रखनेवाले मैं/हम एतद्वारा निम्नलिखित को

1. नाम :
   पता :
   ई-मेल आई डी :
   हस्ताक्षर : या उनके न होने पर
2. नाम :
   पता :
   ई-मेल आई डी :
   हस्ताक्षर : या उनके न होने पर
3. नाम :
   पता :
   ई-मेल आई डी :
   हस्ताक्षर :

दि.27 सितंबर, 2017 को पू.11.00 बजे पंजीकृत कार्यालय, विशाखपट्टणम में संपन्न होनेवाली 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक में तथा नीचे सूचित अनुसार ऐसे संकल्प के संबंध में उसके किसी स्थगन में मेरी/हमारी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और मेरे/हमारे लिए मताधिकार (मतदान) का उपयोग करने हेतु नियुक्त करता हूँ/करते हैं:

क.सं.	संकल्प	मतदान (कृपया शेयरों की संख्या सूचित करें)		
सामान्य	व्यापार	के लिए	के उत्तर में	अनुपस्थित
1	निदेशक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन एवं उस पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी व ए जी) की टिप्पणियों के साथ 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त करने, उन पर विचार करने एवं उन्हें अपनाने के लिए			
2	भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी व ए जी) द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिदान तय करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।			
विशेष	व्यापार			
3	श्री के सी दास (डी आई एन सं.07702197) को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करना			
4	श्री सरस्वती प्रसाद (डी आई एन सं.07729788), भा प्र से, अ स व वि स, इस्पात मंत्रालय को कंपनी के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना			
5	श्री वी वी वेणुगोपाल राव (डी आई एन सं.02950920) को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करना			
6	श्री अश्विनी मेहरा (डी आई एन सं.07084178) को कंपनी के गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना			
7	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लागत लेखापरीक्षकों का प्रतिदान तय करना			
8	कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी व मुक्त आरक्षित निधि से अधिक का उधार लेना			
9	उधारों की प्राप्ति हेतु कंपनी की वर्तमान व भावी चल एवं अचल परिसंपत्तियों को गिरवी रखने और/अथवा उनका मूल्य निर्धारित करना			

वर्ष 2017 के ..... के दि..... को हस्ताक्षरित

शेयरधारक का हस्ताक्षर

प्रतिपत्र धारक(कों) का हस्ताक्षर_____,_____,_____

नोट : बैठक के आरंभ होने से 48 घंटों से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में यह प्रतिपत्र प्रपत्र भरकर प्रस्तुत किया जाना होगा जिससे कि यह लागू हो सके।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सी आई एन:U27109AP1982GOI003404

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश

ध्येयपथ 2025

देश में समुद्र तट पर एक ही जगह पर अवस्थित बृहदतम इस्पात संयंत्र के साथ अत्यंत सक्षम इस्पात उत्पादक बनना

प्रमुख मूल्य

- **I** पहल : आत्म संचालित एवं कार्योन्मुख दृष्टिकोण अपनायें
- **D** निर्णय क्षमता: शीघ्र व स्पष्ट निर्णय लें
- **E** नैतिकता : व्यावसायिक व नैतिक मूल्यों के प्रति निरंतरता बरतें
- **A** उत्तरदायित्व : कार्य के प्रति उत्तरदायी बनें
- **L** नेतृत्व : आदर्श के साथ अग्रणी बने रहें
- **S** गति : अपने द्वारा किये गये सभी कार्यों में तत्परता व दक्षता का निर्वाह करें

उद्देश्य

- कारोबार और सकल मार्जिन के अनुपात में 10% से अधिक की प्राप्ति
- फिनिशिंग मिल के 7.3 मिलियन टन क्षमता के साथ आमेलन और 2017-18 तक उसके प्रवर्तन की योजना
- 2017-18 तक नये व पुनर्निर्मित इकाइयों से निर्धारित उत्पादन क्षमता की प्राप्ति
- क्षेत्र विशेष में उपयोग एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों के साथ बाजार पर पकड़
- 2017-18 तक ऊर्जा खपत दर 5.6 गैगा कैलोरी प्रति टन ठोस इस्पात हासिल करते हुए अग्रणी बनना
- खदानों के अधिग्रहण एवं विदेश में विपणन तंत्र की स्थापना के माध्यम से वैश्विक प्रचालन
- भीलवाडा खदानों के प्रचालन, पेल्लेटाइजेशन संयंत्र, डी आर आई-ई ए एफ इकाई, व्हील व एक्सल संयंत्र की स्थापना के माध्यम से विविधीकरण
- कौशल का पोषण और नेतृत्व विकास के माध्यम से उच्च निष्पादन एवं सुरक्षित कार्य संस्कृति बनाना
- पर्यावरण और अपने परितः समुदायों के साथ सद्भावनापूर्ण विकास

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सी आई एनः U27109AP1982GOI003404

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश